दशम माला,

13 अगस्त, 1991
श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 3, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 25, मंगलवार, 13 अगस्त, 1991/22 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 407, 410, 411, 417 और 421 से 424	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—185
तारांकित प्रश्न संख्या : 408, 409, 412 से 416, 418 से 420, 425 और 426	22—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2775 से 2996 और 2998 से 3008	29—185
सभा पटल पर रखे गए पत्र	186
याचिका का प्रस्तुतीकरण	186
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	186—202
उपाध्यक्ष को बधाइयां	202—232
श्री अर्जुन सिंह	202
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	203
श्री रशीद मसूद	204
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	205
श्री सोमनाथ चटर्जी	205
श्री इन्द्रजीत गुप्त	208
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	209
श्री बी० विजय कुमार राजू	210

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

श्री चित्त बसु	210
श्री पीयूष तीरकी	211
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	211
श्री पी० जी० नारायणन	213
श्री पी० सी० थामस	213
श्री एच० डी० देवगौड़ा	213
श्री इन्द्रजीत	214
अध्यक्ष	
श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या	216
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव	232—276
श्री राम विलास पासवान	232
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक	248
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	254
श्री फ्रैंक एन्थनी	254
श्री कालका दास	262
श्री दिग्विजय सिंह	268
श्री सीताराम केसरी	271
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	276—290
व्यापार नीति	
श्री पी० चिदम्बरम	276
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव—जारी	291—300
श्री बी० एन० रेड्डी	291
कुमारी शैलजा	294
श्री दत्तात्रेय बंडारू	296

नियम 377 के अधीन मामले 301—304

(एक) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री रामकृष्ण कोंताला 301

(दो) अथानी और पोट्टा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-47 की मरम्मत करने की आवश्यकता

प्रो० सावित्रि लक्ष्मणन 301

(तीन) हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में और अधिक उद्योगों की स्थापना तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 302

(चार) बरेली में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार 302

(पांच) उज्जैन, मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों का डिपो तथा गैस एजेंसियां खोलने की आवश्यकता

श्री सत्य नारायण जटिया 303

(छः) बिहार में और निवेशों के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निर्देश देने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल 303

(सात) डनकुनी से खड़गपुर बरास्ता मोरीग्राम, हावड़ा के बीच एक यात्री रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती 303

(आठ) झुंझुनू, राजस्थान में रानी सती मेले के अवसर पर विशेष रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता

श्री अयूब खां 304

(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर कालीकट-माहे बाइपास-मार्ग निर्माण की आवश्यकता

श्री ई० अहमद 304

लोक सभा

मंगलवार, 13 अगस्त, 1991/22 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पेट्रोल कम मापने की शिकायतें

[अनुवाद]

+

*407. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :
श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1991 तक की अवधि में पेट्रोल पम्प डीलरों द्वारा पेट्रोल कम मापे जाने के बारे में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जनवरी से जून, 1991 के दौरान पेट्रोल पम्प के डीलरों द्वारा पेट्रोल कम माप तोल से सम्बन्धित 32 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कम माप तोल के सम्बन्ध में शिकायतों की कुल संख्या
1	2
उत्तर प्रदेश	15

1	2
दिल्ली	4
पश्चिम बंगाल	2
कर्नाटक	1
पंजाब	2
मध्य प्रदेश	3
बिहार	2
राजस्थान	3
कुल :	32

(ख) इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए तेल कम्पनियों तथा राज्य सरकारों के माप तथा तोल प्राधिकारियों द्वारा नियमित तथा अचानक जांच की जाती है।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : महोदय, पेट्रोल पम्प डीलरों द्वारा आए दिन पेट्रोल कम तोले जाने की शिकायतें होती रही हैं। इस वजह से पेट्रोल पम्पों पर झगड़े भी होते रहते हैं। परन्तु इन पम्पों के मालिक बिना किसी की परवाह किए हुए कम पेट्रोल तोलते हैं तथा उसकी कालाबाजारी करते हैं। इस तरह गरीब दोपहिया व तिपहिया स्कूटर चालकों को भारी नुकसान होता है तथा पेट्रोल पम्प डीलरों की जेबें भरती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली में इस वर्ष कम पेट्रोल तोलने की अब तक की गई प्रत्येक शिकायत पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है तथा भविष्य के लिए ऐसा क्या हो सकता है या ऐसी क्या योजना है जिसके अन्तर्गत पेट्रोल पम्प डीलर मनमानी न कर सकें ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तर विश्लेषित रूप में दें, पूरा ब्यौरा के साथ नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा उठाया है। यह सत्य है कि कुछ पेट्रोल वितरक कदाचार कर रहे हैं और उपभोक्ताओं की कीमत पर पैसा कमा रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे गलत कदाचार के लिए माननीय सदस्य को जो चिन्ता है, उससे मैं सहमत हूं।

जनवरी से जून, 1991 के दौरान केन्द्र सरकार और चार तेल विपणन कम्पनियों को पेट्रोल कम मापे जाने के सम्बन्ध में 32 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

सभी शिकायतों की जांच की गई और जांच के परिणाम इस प्रकार हैं :—

पहला, दस पेट्रोल वितरकों के फिर से अंशांकन किए गए।

16 मामलों में शिकायत साबित नहीं हो सका।

एक मामले में, सील टूटा पाया गया और आपूर्ति रोक दी गई।

दूसरे मामले में मशीनी गड़बड़ी पाई गई।

एक मामले में, बिक्री रोक दी गई, पुनः अंशांकन लम्बित है।

कई मामले हैं जिनका विपणन मार्गनिर्देश के अनुसार तेल कम्पनियों और राज्य के सम्बन्धित प्राधिकरण दोनों के द्वारा जांच की गई है और जो गलत कार्यों में लिप्त हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही प्रश्न पूछना है कि 32 की संख्या है और चार आयल कार्पोरेशन हैं। मैं उनका नाम जानना चाहूंगा कि वे कौन-कौनसी फर्म्स हैं जो इस प्रकार के काम में लगी हुई हैं और इन शिकायतों की जांच की गई तो दोषी पाए गए पेट्रोल पम्पों के डीलरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य को मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री श्रवण कुमार पटेल : माननीय मन्त्री ने जनवरी से जून, 1991 तक का आंकड़ा दिया है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि हाल ही में वर्ष 1991-92 के बजट प्रस्तावों के अनुसार पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में किए गए परिवर्तन के पश्चात् क्या सरकार को कोई यह शिकायत मिली है कि पेट्रोल पम्प के मालिक पेट्रोल के वितरण से पूर्व उसमें मिट्टी तेल मिलाते हैं। इन दो वस्तुओं के मूल्य में भारी अन्तर को देखते हुए अत्यधिक मिलावट के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : इस तरह के आम शिकायत पाए गए हैं। मिट्टी के तेल और पेट्रोल के मूल्य में भारी अन्तर के कारण पेट्रोल वितरक गलत कार्यों में लिप्त हैं और पेट्रोल में मिलावट करके अत्यधिक धन कमा रहे हैं। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है। लेकिन इस सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत अभी नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई शिकायत है तो वह मुझे दें ताकि हम उस पर कोई कार्रवाई कर सकें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। जैसाकि उन्होंने बताया कि कम पेट्रोल देने की डीलरों द्वारा कम्प्लेंट आयी हैं, तो गुजरात में जनवरी,

1991 से मार्च, 1991 तक के तीन महीनों तक ऐसी कितनी शिकायतें आयी हैं और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की ?

श्री महेश कुमार कनोडिया : माननीय मन्त्री जी के जवाब के अनुसार पिछले छः महीनों में कम माप-तोल के सम्बन्ध में पेट्रोल डीलरों की 32 शिकायतें आयी हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ये 32 शिकायतें किन-किन पेट्रोल डीलरों के खिलाफ की गयी हैं, उसकी कार्यवाही का विवरण क्या है ? **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में 32 के खिलाफ बताया, वे 32 कौन-कौन से हैं ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह आपको लिखित सूचना देंगे।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में पूरे देश में बताया कि 5 या 6 स्टेट्स से कम्प्लेंट आयी हैं। क्या इससे यह मान लिया जाए कि बाकी जो बचे हुए प्रान्त हैं, उसमें से आपकी तरफ कोई कम्प्लेंट नहीं आयी है। अगर आयी हैं तो महाराष्ट्र से कितनी कम्प्लेंट आयी हैं और इसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की हैं ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : सभा इस बात से सहमत होगी कि यह प्रश्न विशेष रूप से पेट्रोल पम्प वितरकों द्वारा कम मापे जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल कम मापे जाने के सम्बन्ध में है और इसमें कोई भी अन्य भाग शामिल नहीं है। पेट्रोल वितरक कई अन्य प्रकार के कदाचार में लिप्त हैं। क्या मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर सकता हूं कि इन प्रश्नों के लिए वे अलग-अलग नोटिस दें।

राजस्थान में हवाई अड्डे

[हिन्दी]

*410. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का किन-किन स्थानों पर हवाई अड्डों का निर्माण करने का विचार है और सरकार के विचाराधीन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) अजमेर हवाई अड्डे के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यन्त कमी है और यह किसी नए हवाई अड्डे के निर्माण करने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, सरकार का जो उत्तर आया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह असन्तोषजनक है क्योंकि अजमेर एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक नगर रहा है और जहां पर पर्यटक सबसे ज्यादा अजमेर और पुष्कर में आते हैं। राजस्थान में जो आते हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वायुदूत सेवा घाटा खाकर भी सरकार कई सालों से चला रही है तो क्यों नहीं अजमेर जैसे नए स्थानों को इस सेवा से जोड़ना चाहती है, इसमें क्या बाधाएं हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : मैंने पहले ही कहा है कि राजस्थान सरकार का यह निवेदन था कि अजमेर में एक विमान पत्तन बनाया जाए। उन्होंने 1990 में एक सर्वेक्षण भी करवाया था। लेकिन लागत मूल्य बहुत अधिक होने जा रहा है। यदि 10 करोड़ रुपए की लागत पर अजमेर में विमान पत्तन का निर्माण करना पड़ता है तो अभी इतना व्यय भार उठाना अभी मुश्किल है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इस बारे में सरकार के पास राजस्थान सरकार ने कब से अजमेर में हवाई अड्डा बनाने के बारे में प्रार्थना-पत्र और अपनी ओर से अनुरोध भेजा है और अब तक उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई है ? क्या इस बारे में किसी स्पॉट का निर्माण कर लिया गया है ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : मैंने पहले ही कहा है कि राजस्थान सरकार ने निवेदन किया था कि उन्होंने कयर गांव में एक स्थान का चुनाव किया है जो अजमेर से आठ किलोमीटर दूर हैं। जैसाकि मैंने बताया कि इसमें दस करोड़ रुपए लगेंगे। अभी हम इस व्यय का भार वहन करने की स्थिति में नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि कश्मीर में आतंक के कारण जो पर्यटक वहां नहीं जाते, उदयपुर एक झीलों की नगरी है इसलिए कश्मीर के बजाय राजस्थान में उदयपुर में ज्यादा पर्यटक आते हैं और हवाई सेवा की उचित व्यवस्था न होने के कारण वहां नहीं पहुंच पाते हैं। वहां जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए और वहां अधिक सुविधा प्रदान की जाए जिससे अधिक विदेशी पर्यटक आने की सम्भावना रहती है। कश्मीर में आतंक के कारण सम्भावना कम होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री भेरू लाल मीणा : प्रश्न यह है कि वहां जो व्यवस्था है क्या आप उसे ठीक करने जा रहे हैं ? आप राजस्थान में अच्छा एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं ? (व्यवधान) वहां जो व्यवस्था है, वह ठीक

नहीं है। एयरपोर्ट है लेकिन जो व्यवस्था है, वह ठीक नहीं है। एयर सर्विस कम मिलने के कारण यात्रियों को आने जाने की सुविधा नहीं है। अगर वह सुविधा बढ़ा दी जाए तो वहां पर्यटक ज्यादा आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनका पूछना है कि क्या आप वहां सुविधा बढ़ाने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : हवाई सेवाएं पर्याप्त हैं। हमने इस सम्बन्ध में विचार कर लिया है। (व्यवधान) अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, राजस्थान का झुंझुनू जिला, जो सबसे ज्यादा किलों के लिए मशहूर है, वहां बहुत बड़े आलीशान किले और हवेलियां हैं जहां पर उनको देखने के लिए बाहर के टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में झुंझुनू आते हैं। उस झुंझुनू शहर में स्टेट के जमाने से एयरपोर्ट भी मौजूद है। राजस्थान सरकार की तरफ से भी इसकी स्वीकृति है। क्या मन्त्री महोदय वहां पेर वायुदूत सर्विस चालू करेंगे अथवा एयरपोर्ट को बेहतर सर्विस के लायक तैयार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही है।

श्री अयूब खां : वहां पर एयरपोर्ट को ठीक करने के लिए मन्त्री महोदय क्या करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : झुंझुनू हमारे कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

उत्तरी महाराष्ट्र में चीनी मिलों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई

*411. **डा० वसन्त निवरटी पवार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी महाराष्ट्र की चीनी मिलों के लिए पाइप लाइनों द्वारा बाम्बे हाई की प्राकृतिक गैस लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा० वसंत निवरटी पवार : महोदय, बम्बई हाई में कुल पचास मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है और उसमें से लगभग 14 मिलियन क्यूबिक मीटर रोज बेकार हो रही है जिससे 400 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस

राष्ट्रीय अपव्यय को रोकने के लिए क्या योजना है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या जल रही गैस को रोकने की जो योजना लागू की जा रही है, वह शीघ्र ही पूरी होने वाली है।

श्री बी० शंकरानन्द : यह सच है कि प्रतिदिन भारी मात्रा में गैस जल रही है। उसके लिए हमने जल रही गैस को कम करने की योजना को स्वीकृति दी है। हम इस योजना को तीन से चार वर्षों में लागू करने की आशा करते हैं और यह भी देखेंगे कि गैस का पूरी तरह से उपयोग हो।

डा० वसंत निवरटी पवार : उरन में दूसरा टर्मिनल बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का एक प्रस्ताव है। आज के निजीकरण के युग में मफतलाल और नासिक औद्योगिक एस्टेट जैसी निजी कंपनियों ने उत्तरी महाराष्ट्र में से गुजर रही पाइपलाइनों के माध्यम से जो गैस व्यर्थ हो रही है उसका चीनी एककों, उद्योगों तथा घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग करने का कार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इसके लिए अनुमति देंगे अथवा नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : देश में इस समय जितनी भी गैस उत्पादित हो रही है उस सबका उपयोग किया जाना चाहिए। सम्भावित उपभोक्ताओं ने उस गैस के लिए भी अनुबन्ध कर लिया है जो अभी उत्पादित होगी। माननीय सदस्य ने जो गन्ना एकक द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस तथा पश्चिमी अपतट पर एक और टर्मिनल बनाने के लिए प्रश्न पूछा है उस पर एक विशेष दल कार्यवाही करेगा।

श्री राम कापसे : बम्बई हाई गैस की वितरण योजना बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तरी महाराष्ट्र को छोड़कर कम से कम महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बम्बई हाई से कुछ गैस देने का कोई प्रस्ताव है।

श्री बी० शंकरानन्द : जब बम्बई हाई से एच० बी० जे० लाइन द्वारा उत्तरी राज्यों के लिए काफी बड़ी मात्रा में गैस ली गई तब मुझे देश में सम्पूर्ण गैस आपूर्ति योजना के बारे में माननीय सदस्य की ही भांति कुछ सन्देह था। मैंने भी माननीय सदस्य की भांति पूछताछ की थी कि क्या गैस की आपूर्ति के बारे में अन्य राज्यों को छोड़ने की कोई जानबूझकर योजना बनाई गई थी और अब मैं इस बात से पूर्णत: सन्तुष्ट हूं कि किसी राज्य विशेष का पक्ष नहीं लिया गया है और किसी भी राज्य को प्राकृतिक गैस देने के लिए जानबूझकर नहीं छोड़ा गया है। मैं माननीय सदस्यों की महाराष्ट्र के लिए चिंता को समझता हूं, यह अत्यन्त प्रगतिशील राज्य है। **(व्यवधान)**

श्री राम कापसे : क्या आप पूर्ण वितरण प्रणाली की समीक्षा करेंगे ? जब हम इतनी गैस उत्पादित कर रहे हैं और हमने नए क्षेत्रों का पता लगाया है, तब क्या आप इसकी समीक्षा करेंगे अथवा इस पर पुनर्विचार करेंगे ? **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : उन्होंने प्रश्न विशेष का उत्तर नहीं दिया है। उन्हें उसका उत्तर देना चाहिए।

श्री राम कापसे : यह एक विशिष्ट योजना है। आप इस पर पुनर्विचार करेंगे अथवा नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : क्या मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी दे सकता हूं कि इस समय महाराष्ट्र को काफी मात्रा में गैस मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इसे गैस नहीं मिल रही है। मुझे यह बताया गया है कि पश्चिमी अपतट से लगभग 11 से 15 मिलियन क्यूबिक गैस प्रतिदिन महाराष्ट्र को दी जा रही है और यह पश्चिमी अपतट से उरन तक लाई गई है। इसे बढ़ाए जाने की सम्भावना है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : भारत सरकार के पास बम्बई हाई से एक पाइपलाइन स्थापित करने का प्रस्ताव था जो महाराष्ट्र के बड़े हिस्से, मराठवाड़ा, कोंकण, जलगांव और विदर्भ, मध्य प्रदेश से होकर जगदीशपुर तक जानी थी। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पाइपलाइन स्थापित करने के प्रस्ताव का क्या हुआ ? क्या सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि जहां से भी यह पाइपलाइन गुजरेगी वहां अनेक औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने से लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री बी० शंकरानन्द : लोगों की यह मांग रही है कि दक्षिणी राज्यों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति उसी प्रकार की जाए जिस प्रकार उत्तरी राज्यों में एच० बी० जे० लाइन द्वारा किया गया है। मंत्रालय द्वारा स्थापित समिति इस बात की जांच कर रही है और इस बारे में अभी रिपोर्ट प्राप्त होनी है तथा सरकार ने उस पर विचार करना है।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल वही है जिसे मैं फिर से दोहराता हूं कि महाराष्ट्र को जो पहले एलोकेशन में से एकदम कर दिया गया है, इसके बारे में सरकार क्या पुनर्विचार करने के लिए तैयार है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो प्रो० राम कापसे ने पूछ लिया है।

श्री अन्ना जोशी : लेकिन अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है इसलिए मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : इस मामले में समीक्षा अथवा पुनर्विचार का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि जो गैस उत्पादित की जा रही है उसकी आपूर्ति पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। दक्षिण में गैस ग्रिड के माध्यम से तट पर लाई जाने वाली गैस के उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन चल रहा है।

श्री मुरली देवरा : पिछले 14 वर्षों से भारत सरकार इस सभा में यह आश्वासन दे रही है कि बम्बई हाई में गैस बेकार न होने देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। आज बम्बई हाई में 14 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गैस बेकार हो रही है। एक ओर बम्बई हाई में गैस बेकार हो रही है और दूसरी ओर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, टाटा विद्युत निगम तथा अन्य रसायन उद्योग जो अपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए तैयार हैं, उन्हें गैस नहीं दी गई है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्हें गैस देने में क्यों विलम्ब हो रहा है। जब गैस का उपयोग करने के लिए उरन में पर्याप्त परियोजनाएं नहीं हैं तो वे गैर-सरकारी संस्थानों तथा राज्य विद्युत बोर्ड को गैस का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

दूसरे, बम्बई शहर को पकाने की घरेलू गैस की आपूर्ति से सम्बन्धित योजना भारतीय गैस प्राधिकरण के पास पिछले आठ महीनों से लम्बित पड़ी है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह सभा को यह बताएं कि इस योजना की अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : बम्बई निवासी होने के कारण माननीय सदस्य न केवल गैस बेकार होने के बारे में चिंतित हैं बल्कि प्राकृतिक गैस की घरेलू आपूर्ति के बारे में भी चिंतित हैं। यह वास्तविकता है कि बम्बई में घरेलू उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए बहुत मांग है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और जो कुछ भी करना सम्भव होगा किया जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : एक तरफ आप महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड अथवा टाटा विद्युत निगम अथवा अन्य रसायनिक उद्योगों को अपने पाइप लाइन नहीं बिछाने दे रहे हैं और दूसरी ओर गैस बेकार हो रही है। इस बारे में आपका क्या उत्तर है ?

श्री शंकरसिंह वाघेला : पिछले आठ सालों में मैं आपसे यही उत्तर सुन रहा हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्यों की चिंता के बारे में जानता हूं क्योंकि काफी मात्रा में गैस बेकार हो गई है।

श्री मुरली देवरा : अनेक वर्षों से कुछ भी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : अध्यक्ष महोदय ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। यदि आप इस तरह से सब बोलेंगे, तो आपको किसी का जवाब नहीं मिलेगा। आप उनको जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार नहीं कर सकते हैं। यह प्रश्नकाल है। इस प्रकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द . मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरी बात सुनें। यदि वे मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अधिक चिल्लाने से गैस की आपूर्ति की समस्या नहीं सुलझेगी। कृपया माननीय सदस्य मेरी बात सुनें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तब आपको अपने स्थानों पर बैठ जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कृपया बैठ जाइए। मन्त्री जी को सुन लीजिए। अगर आप नहीं सुनेंगे और इस तरह से बीच में उठकर बोलते जाएंगे, तो आपको कौन सुनेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : आप इस पर पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना दी है, मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, क्या मैं सदस्यों से कह सकता हूं कि चिल्लाने से समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा ? (व्यवधान) महोदय, पश्चिमी अपतट पर गैस बेकार होने की समस्या से निपटने के लिए एक परियोजना बनाई गई है, वहां आजकल प्रति दिन 8.33 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस बेकार हो रही है। 1991 में प्रतिदिन 12.7 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस बेकार हो रही है और इसे एच० यू० टी० पाइपलाइन तथा आई० सी० जी० गैस कम्प्रेसर प्लेटफार्म बनाकर तथा तेल कम उत्पादित करके और आंतरिक आयोग बढ़ाकर कम किया गया है। परियोजना में अतिरिक्त कम्प्रेसर तथा पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है और इसकी लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा होगी। इस परियोजना को विश्व बैंक के पास भेज दिया गया है जिसने 450 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की मंजूरी दे दी है तथा एशियन विकास बैंक से भी इस परियोजना के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की मंजूरी मिलने की सम्भावना है। शेष विदेशी मुद्रा जापान के एग्जिम बैंक तथा सप्लायर्स क्रेडिट से प्राप्त होगी।

इस सम्बन्ध में कई कदम उठाए गए हैं। अतः उस गैस जलाए जाने की आवश्यकता की समाप्ति के पश्चात उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उसका उपयोग किया जा सकेगा। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : यह तथ्य सभी ने स्वीकार किया है कि गैस की बहुत अधिक मात्रा को जलाया जा रहा है तथा यह राष्ट्रीय क्षति है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि चूंकि सरकार अभी तक उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा पायी है तथा किसी उत्पादकीय उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं कर पायी है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की निजीकरण की आम नीति को ध्यान में रखते हुए यदि कोई निजी उद्यमी उस गैस का उपयोग करने के लिए आगे आना चाहे, तो क्या सरकार निजी कम्पनियों द्वारा उस गैस का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगी ? मैं विशेषरूप से यही प्रश्न पूछना चाहता हूं तथा उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया था।

श्री बी० शंकरानन्द : सरकार द्वारा आरम्भ की गयी नीति के बारे में मैंने अभी-अभी बताया है। इस योजना के असफल होने पर माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जायेगा।

कलकत्ता में ई० एम० यू० सेवाएं

*417. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्र में 'इलेक्ट्रिकल

मल्टिपल यूनिट' की रेल सेवाएं अनियमित हो गई हैं जिसके परिणामस्वरूप दैनिक यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थानीय रेलगाड़ियों को नियमित रूप से चलाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हावड़ा-खड़गपुर खण्ड को छोड़कर, कलकत्ता क्षेत्र में उपनगरीय गाड़ियों का समयपालन औसतन लगभग 95 प्रतिशत रहा है।

(ग) इन गाड़ियों के चालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के इस उत्तर से पूरी तरह असहमत हूं कि कलकत्ता में उपनगरीय गाड़ियों के समयपालन की प्रतिशतता 95 है। मैं स्वयं उसी क्षेत्र में चलने वाली उन गाड़ियों से रोजाना यात्रा करता हूं तथा मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस सूचना अथवा आंकड़ों को कहां से एकत्रित किया है। खैर, उन्होंने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि हावड़ा-खड़गपुर मार्ग पर रेलगाड़ियों को चलाने में कुछ अनियमितताएं बरती जा रही हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हावड़ा-खड़गपुर खंड पर गाड़ियों के समयपालन की प्रतिशतता कितनी है ?

उस खंड में रेलगाड़ियों को विलम्ब से चलाए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, दक्षिण-पूर्वी रेलवे में अर्थात् हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन में वर्ष 1988-89 में गाड़ियों के समयपालन की प्रतिशतता 94 हुआ करती थी। इस समय यह प्रतिशतता 90 है। जून-जुलाई, 1991 में गाड़ियों का समयपालन ठीक नहीं रहा है। इसके कई कारण हैं जैसे बिजली की प्रायः कटौती तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत की अनियमित सप्लाई इत्यादि।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : माननीय मन्त्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता यह नहीं है। इस क्षेत्र में कोलाघाट विद्युततापीय परियोजना है। वे दक्षिण-पूर्वी रेलवे को नियमित रूप से बिजली सप्लाई कर रहे हैं।

इस समय वह सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर डाल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हावड़ा-खड़गपुर खंड में गाड़ियों में भीड़-भाड़ की प्रतिशतता 100 से भी अधिक रही है। क्या मन्त्री महोदय इससे इन्कार कर सकते हैं? महोदय, इसका उपाय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : भीड़-भाड़ कम करने के लिए संत्रागाची से पंसकुरा तक चौथी रेलवे लाईन तथा पंसकुरा से खड़गपुर तक तीसरी रेलवे लाईन का निर्माण करने की आवश्यकता है। अन्यथा भीड़भाड़ की समस्या से नहीं निपटा जा सकता। क्या मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी की प्रतिक्रिया जान सकता हूं ?

श्री मल्लिकार्जुन : मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। मूल प्रश्न गाड़ियों के समयपालन के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिये। मिश्रा जी, आप प्रश्न पूछिए। मैं उनसे उत्तर देने के लिए कहूंगा।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, मैं अत्यधिक भीड़भाड़ के बारे में कह रहा हूं। गाड़ियों के विलम्ब से चलने का मुख्य कारण अत्यधिक भीड़-भाड़ का होना है। चौथी रेलवे लाईन के निर्माण के बारे में सरकार का क्या करने का विचार है ताकि अत्यधिक भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : अत्यधिक भीड़-भाड़ की समस्या को नियन्त्रित करने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, उपनगरीय गाड़ियों में अत्यधिक भीड़भाड़ है। जहां तक इस समस्या के समाधान का सम्बन्ध है, इसके लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु इस समय हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, हमें उन्हीं से ही काम चलाना है। (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, उस सेक्शन पर मैं भी दैनिक यात्री हूं। मंत्री जी के उत्तर से हमारे अनुभव की सम्पुष्टि नहीं हो रही है। हर दिन हम देखते हैं कि गाड़ियों के चलने में विलम्ब होता है। दैनिक यात्रियों में असन्तोष के कारण इस खंड में कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की सम्भावना है। हम गाड़ियों को नियमित रूप से चलाए जाने के लिए बार-बार अधिकारियों से कह रहे हैं परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है।

तथ्य यह है कि हावड़ा से बडगाछिया तथा हावड़ा से खड़गपुर तक पर्याप्त संख्या में स्थानीय गाड़ियां नहीं हैं तथा गाड़ियों को चलाने के लिए कोई नियमित समय-सारणी नहीं है।

हावड़ा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की भी समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : हन्नान मोल्लाह जी। आप प्रश्न पूछिये। अन्यथा वह कहेंगे कि वह उत्तर नहीं देंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या हावड़ा स्टेशन पर कोई नया प्लेटफार्म बनाने का उनका विचार है ?

क्या खड़गपुर तथा हावड़ा और हावड़ा तथा बडगाछिया के मध्य गाड़ियों को नियमित रूप से चलाने के लिए वे कोई व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं ? वहां पर एक और प्लेटफार्म तुरन्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हावड़ा में आप एक और प्लेटफार्म बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : वहां पर पहले ही बनाए जा रहे चार प्लेटफार्मों के अलावा हावड़ा में एक और प्लेटफार्म बनाने की कोई योजना नहीं है।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं केवल विशेष प्रश्न ही पूछूंगा तथा मैं उसका एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी रेलवे में पिछले काफी लम्बे अर्से से बोंगांव तथा सियालदह के मध्य गाड़ियों के चलाने में कोई समयपालन नहीं किया जाता ?

क्या यह इसलिए हुआ है कि क्योंकि बारासात से बोंगांव के मध्य दोहरी रेलवे लाईन प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव में इतना विलम्ब किया गया है?

क्या यह इसलिए है क्योंकि सरकार ने सियालदह स्टेशन का पुनर्निर्माण करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है? क्या माननीय मन्त्री जी इन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देंगे?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जहां तक दोहरी रेलवे लाईन बनाने का सम्बन्ध है, इससे वहां पर इस समय चलने वाली गाड़ियों के समयपालन में कोई बाधा नहीं पड़ती तथा जहां तक सियालदह स्टेशन को आधुनिक बनाने का सवाल है, इस बारे में आगे की योजना में विचार किया जाएगा, इस समय नहीं। हमने पहले ही इसे नोट कर लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : पूर्वी रेलवे में ई० एम० यू० गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों को हटा लिया गया है। परन्तु दक्षिण-पूर्वी रेलवे में वे अभी भी हैं। प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में कोई अन्तर नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे में हावड़ा तथा खड़गपुर खण्ड के मध्य प्रथम श्रेणी के डिब्बों को हटा लिया जाएगा या नहीं जैसाकि पूर्वी रेलवे में किया गया है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि बर्दवान-आसनसोल खंड के यात्रियों की काफी लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है कि इस खण्ड को उपनगरीय खण्ड घोषित किया जाए तथा वहां पर गाड़ियों में ई० एम० यू० डिब्बे लगाए जाएं। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बर्दवान-आसनसोल खण्ड को उपनगरीय खण्ड घोषित करेगी तथा भविष्य में वहां पर गाड़ियों में ई० एम० यू० डिब्बे लगाना आरम्भ करेगी?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक दक्षिण-पूर्वी रेलवे की वर्तमान सुविधाओं का सम्बन्ध है, उन्हें वहां पर जारी रखा जाएगा। दूसरे भाग अर्थात् आसनसोल-बर्दवान खण्ड को उपनगरीय खंड बनाने के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि ई० एम० यू० डिब्बों की उत्पादन सीमाओं के कारण इस समय ऐसा करना सम्भव नहीं है।

श्री अनिल बसु : महोदय, गाड़ियों के विलम्ब से चलने का एक मुख्य कारण लाईनों पर अत्यधिक भीड़भाड़ का होना है तथा माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर के दौरान कहा था कि यही इसका मुख्य कारण हैं। इस उपनगरीय खण्ड की मार्ग क्षमता में पिछले कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान गाड़ियों की मार्ग क्षमता में वृद्धि करने के लिए हावड़ा-बुन्देल उपनगरीय खण्ड में कितने धन का निवेश किया गया है ताकि वहां गाड़ियों को नियमित रूप से चलाया जा सके।

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय निवेश सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको ये लिखित में मिल जाएंगे।

श्री अनिल बसु : महोदय, उन्हें समझना चाहिए कि मैं वास्तव में मेरे प्रश्न का सार यही है। रेलवे मन्त्री होने के नाते उन्हें यह समझना चाहिए कि मार्ग क्षमता को और बढ़ाया जाना जरूरी है तथा जब तक ऐसा नहीं किया जाता, गाड़ियों को समय से नहीं चलाया जा सकता।

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : हमारे पास संसाधनों की कमी है। मैं माननीय

सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं। प्रश्न निधियों की उपलब्धता का है। ई० एम० यू० डिब्बों का उत्पादन करने में हमें दिक्कतें हो रही हैं। हमें अतिरिक्त मार्ग क्षमता बढ़ाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु हम स्थिति में सुधार कर सकते हैं बशर्ते आप लोग कानून और व्यवस्था कायम रखने में हमारी मदद करें तथा सुनिश्चित करें कि गाड़ियों को समय से चलाया जा सके। हमें विद्युत सप्लाई तथा कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तथा हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। केवल आपके सहयोग से ही हम स्थिति में सुधार ला सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, इससे पहले इसी सभा में बुन्देल-कटवा मार्ग को इकहरी लाईन के स्थान पर दोहरी लाईन में परिवर्तित करने तथा उसका विद्युतीकरण करने के संबंध में मांग की गई थी। पिछले दिनों रेल बजट पर चर्चा के दौरान भी यही मांग की गई थी। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बुन्देल-कटवा लाईन को दोहरी लाईन में कैसे तथा कब तक बदला जाएगा ? बुन्देल-कटवा लाईन का विद्युतीकरण कब तक किया जाएगा ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मेरा प्रश्न भी बुन्देल-कटवा लाईन के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में है तथा यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है क्योंकि यह भी एक उपनगरीय खण्ड है। चूंकि कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न पूछकर हम रेल मन्त्री को एक अवसर दे रहे हैं कि वे उस क्षेत्र के लोगों की वास्तव में कुछ सेवा कर सकें जिसकी काफी लम्बे समय से उपेक्षा की गई है। यदि आप इस सम्बन्ध में अब कुछ ठोस उत्तर दें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं अपने मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी की उत्सुकता से परिचित हूं। हम इस पर सहानुभूति से विचार कर रहे हैं। हम इस प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं और हमने यह प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा है। ज्यों ही यह प्रस्ताव वापस आएगा, हम कार्यवाही करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सहानुभूति की कानूनी परिभाषा क्या है ? इस सहानुभूति शब्द का अर्थ क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी काव्यात्मक परिभाषा देनी होगी।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अंडमान तो कलकत्ता में नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, प्रत्येक सदस्य को इस सभा में पूरक प्रश्न का अधिकार है।

गान्धार गैस-आधारित विद्युत परियोजना

*421. **श्री हरिन पाठक** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 615 मेगावाट की क्षमता वाली गान्धार गैस-आधारित

विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए 2.25 एम० सी० एम० डी० गैस की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग को बदलकर 1.5 एम० सी० एम० डी० करने का कोई प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) गान्धार में 615-615 मेगावाट के दो गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में कुछ शर्तों के साथ सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथार्टी (सी० ई० ए०) द्वारा टैक्नो-इकोनोमिक क्लीयरेन्स दे दी गई है। इन शर्तों में, गान्धार गैस फील्ड्स से इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए 2.25-2.25 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एम० सी० एम० डी०) गैस की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना शामिल है। इस समय दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आपरेशन ऑन वेरियेबल लोड आधार पर 1.5-1.5 एम० सी० एम० डी० का गैस-लिंकेज उपलब्ध है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया है, गान्धार में 615-615 के दो गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में कुछ शर्तों के साथ सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी ने मंजूरी दे दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वे कौन सी शर्तें हैं, जिनके आधार पर सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके लिए टैक्नो-इकोनोमिक क्लीयरेंस सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी द्वारा दी गई है। नेशनल गैस कमीशन ने वायदा किया है कि गान्धार गैस फील्ड से दो मिलियन क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। उसी के आधार पर टैक्नो-इकोनोमिक क्लीयरेंस हुआ, इन्वायमेंनटल क्लीयरेंस हुआ और इसके फन्ड के लिए एन० टी० पी० सी० ने तय किया तथा उसी आधार पर यह योजना की स्वीकृति दी गई है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है—इस वक्त दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आपरेशन ऑन वेरियेबल लोड के आधार पर 1.5-1.5 एम० सी० एम० डी० का गैस लिंकेज उपलब्ध है, जबकि हमारी मांग 2.25 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 2.25 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन कब पूरक क्षमता से मांग पूरी की जाएगी ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन पार्टी ने कहा था कि गान्धार में गैस की उपलब्धता है, लेकिन बाद में आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन ने कहा कि उतना गैस एवेलेबल नहीं होगा जितना कि हमने पहले कहा था। इसलिए 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर के आधार पर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक एन० टी० पी० सी० के द्वारा और दूसरा गुजरात इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के द्वारा 615 मेगावाट क्षमता की स्वीकृति दी गई।

श्री हरिन पाठक : मैंने कहा कि 2.25 मिलियन क्यूबिक पर मीटर की जो शर्त रखी गई है, क्या उस शर्त को सरकार मानना चाहती है ? क्या उस शर्त को आप मानेंगे और शर्त मंजूर नहीं होती तो क्या आप प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देंगे या नहीं ? मेरा सीधा सवाल यह है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो शर्तें मानती है लेकिन आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन ने कहा था कि हम इतनी गैस की उपलब्धता कराएंगे, परन्तु बाद में उन्होंने कहा कि इतनी गैस उपलब्ध नहीं हैं। तब केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि वेरियेबल लोड के आधार पर 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर के आधार पर ही दोनों प्रोजेक्ट्स को हम कंसीडर करेंगे।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह सवाल पहले भी गुजरात गवर्नमेंट की ओर से उठाया गया था और यहां सदन में भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन समय-समय पर इस बात के अन्दर परिवर्तन आ रहा है और गुजरात के अन्दर विद्युत की बड़ी परेशानी हो रही है। वहां के किसानों को पूरा समय विद्युत नहीं मिल रहा है, परिणामस्वरूप वहां सूखा पड़ने के कारण परेशान हो रहे हैं। तो आप जो समय मर्यादा दे रहे हैं, वह निश्चित समय मर्यादा क्या है ? 2.25 एम० सी० एम० डी० जो गुजरात सरकार की मांग है क्या उसको आप पूरा करेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष जी, गुजरात में बिजली की परेशानी है, इस बात को मैं भी जानता हूं और पूरे देश में बिजली का संकट है, लेकिन यह जो गान्धार परियोजना है इसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में लेना था। आप जानते हैं कि पिछले दो वर्षों में आठवीं पंचवर्षीय योजना का न दृष्टिकोण पत्र तैयार हो पाया और न वह योजना तैयार हो पाई और यह क्यों नहीं तैयार हो पाई, इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब नई सरकार आई है इसने 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार करने का निर्णय किया है और देश में जो बिजली का संकट है उसको दूर करने के लिए ठोस कदम सरकार उठा रही है।

श्री चन्दूभाई देशमुख : अध्यक्ष जी, गान्धार गैस फील्ड्स की वजह से भड़ौच जिले के सैकड़ों किसानों की फसलें और खेत-खलिहानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। सरकार उनको तुरन्त मुआवजा देना चाहती है या नहीं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सरकार उनको मुआवजा देना चाहती है या नहीं, यह सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है। इसके लिए प्रायर नोटिस चाहिए।

टिहरी बांध परियोजना के कारण विस्थापितों को रोजगार

[अनुवाद]

*422. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या विद्युत गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना में रोजगार देने के मामले में टिहरी और गढ़वाल जिलों के लोगों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[हिन्दी]

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कारपोरेशन (टी० एच० डी० सी०), रोजगार के मामले में टिहरी और गढ़वाल जिलों के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति का अनुसरण कर रहा है।

(ख) ब्यौरा निम्नवत् है :—

श्रेणी	भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या	टिहरी एवं गढ़वाल के अन्य जिलों से सम्बन्धित व्यक्ति
नान सुपरवाइजरी	651	448 (68.8%)
सुपरवाइजरी	196	79 (40.3%)
एक्जीक्यूटिव	261	35 (13.4%)
जोड़ :	1108*	562

*उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर किए गए अधिकारी और कार्य प्रभारी एवं मस्टररोल कर्मचारियों को छोड़कर।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, टिहरी डैम में, जो एम्प्लायमेंट का सवाल इन्होंने उठाया है, माननीय संसद सदस्य ने जो सवाल पूछा है, इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले टिहरी डैम परियोजना का विरोध भी किया था और आज यह सवाल पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी एम्प्लायमेंट दी गई है। मैं सदन को यह बतलाना चाहता था कि नान सुपरवाइजरी स्टाफ में 651 लिए गए हैं, जिसमें 448 (68.8%) टिहरी एवं गढ़वाल के अन्य जिलों से सम्बन्धित व्यक्ति हैं।

सुपरवाइजरी स्टाफ में 196 व्यक्ति लिए गए हैं, जिसमें से 79 लोग टिहरी-गढ़वाल क्षेत्र के हैं। एग्जीक्यूटिव स्टाफ में 261 लोग लिए गए हैं, जिसमें से 35 लोग उसी क्षेत्र को बिलांग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, टिहरी योजना पूरे देश की योजना है, पूरे राष्ट्र की परियोजना है, लेकिन लोकल लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, इस बात को ध्यान में रखा गया है और इसी आधार पर वहां पर लोगों को रोजगार दिया गया है।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि मैंने टिहरी डैम के बारे में सवाल उठाया था और आज वहां पर रोजगार दिलवाने के बारे में सवाल उठा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो काम चल रहा है, उसमें जो गड़बड़ हो रही है, जब तक वह काम चल रहा है, तब तक उन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। डैम बने, न बने यह आगे की बात है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में बताया है कि—

[अनुवाद]

"टिहरी और गढ़वाल के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की नीति है"

[हिन्दी]

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं इस पालिसी के क्या स्पेसिफिक पेरामीटर्स हैं और क्या क्लास 1, 2, 3 और 4 लिए सिर्फ वेग पालिसी है या लोकल लोगों को वाकयी में प्रिफ्रेन्स दिया जाता है, इस बात को क्लीयर किया जाए। किस तरह के इन्ट्रक्शंस वहां पर मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि लोकल लोग जो अवेलेबल हैं, उन लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसी आधार पर सरकार काम कर रही है।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, ताकि वहां पर हम लोगों को जानकारी दे सकें कि सरकार की क्या इन्ट्रक्शंस हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होने बताया है कि 1208 लोगों को रोजगार दिया गया है, लेकिन आपने यह भी बताया है—

[अनुवाद]

"प्रतिनियुक्ति, वर्क चार्ज तथा दैनिक कर्मचारियों को छोड़कर"।

[हिन्दी]

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मस्टर-रोल पर रखे जाने वाले कर्मचारी भी डेपूटेशन पर रखे जाते हैं। वहां पर इतनी बेरोजगारी है, फिर भी लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसके क्या कारण हैं।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने बताया है कि टिहरी परियोजना पूरे हिन्दुस्तान की परियोजना है, केवल टिहरी जिले की परियोजना नहीं है। इस परियोजना में लोकल लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन पूरे देश के आधार पर संरक्षण दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री जीवन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुल कितने लोगों को इस परियोजना में रोजगार दिया गया है और उसमें से लोकल कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है ?

श्री कल्पनाथ राय : मैंने इसका उत्तर दे दिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के पास स्टेटिसटिक्स हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री मानवेन्द्र शाह : जब टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा था तब टिहरी गढ़वाल के लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि टिहरी गढ़वाल जिले के प्रभावित क्षेत्र से लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब माननीय मन्त्री यह कह रहे हैं कि यह एक अखिल भारतीय परियोजना है—हो सकता है यह अखिल भारतीय परियोजना हो परन्तु टिहरी गढ़वाल के प्रभावित लोगों को यह आश्वसन दिया गया था कि जब बांध बनाया जाएगा तब उन्हें भी रोजगार दिया जाएगा।

क्या माननीय मन्त्री यह आश्वासन देंगे कि अब से केवल टिहरी गढ़वाल के लोगों को ही नौकरी पर रखा जाएगा ?

श्री कल्पनाथ राय : मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि 4500 करोड़ रुपए पुनर्वास उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए हैं और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

उत्तर रेलवे के पुरा स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का रुकना

[**हिन्दी**]

*423. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद डिविजन के पुरा स्टेशन पर कोई भी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं रुकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त स्टेशन पर कौन-कौन सी रेलगाड़ियों को रोकने का प्रस्ताव है और ये गाड़ियां कब से रुकने लगेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[**अनुवाद**]

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कम मात्रा में यातायात प्राप्त होना।

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, जिला अलीगढ़ के पुरा रेलवे स्टेशन, जहां पर कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती है, पहले रुकती थी, लेकिन अब बन्द कर दिया है। जबकि यहां से लगभग सैंकड़ों आदमी रोजाना डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर, लखनऊ और इलाहाबाद जाते हैं। वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर जो ट्रेन रुकती थी, माल और एक्सप्रेस, उसको क्यों रोकना बन्द कर दिया गया ? आगे से गाड़ी रोकने के लिए क्या व्यवस्था है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : पुरा, हाथरस जंक्शन-टुन्डला खण्ड पर सड़क के किनारे का स्टेशन है। वहां बहुत कम यातायात होने के कारण मेल अथवा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए वहां 'हाल्ट' की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि डांडा जिला, लेकिन यह डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है। मेरा प्रश्न यह है कि मैं बिजनौर से सम्बन्ध रखता हूं। वहां पर हरएक ट्रेन, जम्मू और हावड़ा रेलवे लाईन पर 15-20 किलोमीटर के फासले पर माल और एक्सप्रेस गाड़ी रुकती है। मैं जानना चाहूंगा कि जिला अलीगढ़ के अंदर शासनी और पुरा स्टेशन पर गाड़ी रोकने का विचार रखते हैं ? इनकी क्या योजना है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने बताया है कि यह उत्तर रेलवे के हाथरस जंक्सन-टुन्डला खण्ड पर है। वहां वर्तमान यात्री यातायात बहुत कम है और केवल 11 से 15 लोग यात्रा करते हैं और व्यावहारिक रूप से वहां एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोकना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मन्त्री जी से पूछना है कि ट्रेंस को बन्द क्यों किया गया ? क्या आगे के लिए स्टेशन पर ट्रेंस रोकने का कोई प्रयास करेंगे ?

श्री एम० मल्लिकार्जुन : चेयरमैन सर, मैंने सदन को बताया था। इस वास्ते ट्रेंस का रुकना बंद किया था क्योंकि वहां ट्रैफिक नहीं है। 11 से 15 पैसेन्जर्स से बढ़कर वहां से चढ़ते नहीं हैं, इसलिए यह ट्रेन्स का रुकना बन्द किया गया है।

पालनपुर स्टेशन का विस्तार

*424. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का विस्तार करने और उस पर बने शेड की लम्बाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक लागू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

[अनुवाद]

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री हरि सिंह चावड़ा : अध्यक्ष जी, "क" भाग के उत्तर में मन्त्री जी ने "न" बोल दिया है। पालन पुर बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है। वहां से बहुत सी ट्रेनें जाती हैं, पैसेंजर्स को बहुत तकलीफ होती है, क्या आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का विस्तार करने और उस पर बने शेड की लम्बाई बढ़ाने का विचार रखते हैं या नहीं ? यदि रखते हैं तो कब इसको बनाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : यहां विद्यमान सुविधाएं काफी संतोषजनक हैं और इस समय इस प्रस्ताव पर विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरि सिंह चावड़ा : अध्यक्ष जी, मैंने यह पूछा है कि पालन पुर बड़ा स्टेशन है। पैसेंजर्स को बहुत तकलीफ होती है। आप उसको बनाना चाहते हैं या नहीं ? यदि बनाएंगे तो कब बनाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : इस स्टेशन पर एक बड़ा प्लेटफार्म है जो 411.48 मीटर (292 मीटर का भाग ऊंचा है तथा 119.48 मीटर रेल लेवल का है) और भू-प्लेटफार्म जिसके दो भाग हैं (एक अर्थात प्लेटफार्म संख्या 2,304.87 मीटर लम्बा और दूसरा भाग अर्थात प्लेटफार्म संख्या 3,344.50 मीटर लम्बा) इस स्टेशन पर प्रतिदिन 11 जोड़े मेल/एक्सप्रेस/यात्री, गाड़ियां प्रतिदिन आती जाती हैं और इनमें से सबसे लम्बी गाड़ी के 19 डिब्बे हैं और जो सामान्य तौर पर मुख्य प्लेटफार्म पर आती हैं जो उस रेलगाड़ी के लिए पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

श्री रति लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो पालनपुर रेलवे स्टेशन है, उत्तर गुजरात का, वहां सारे हिन्दुस्तान की बहुत सी ट्रेनें रुकती हैं और वहां से जीरा आदि वस्तुएं भी बाहर भेजी जाती हैं। इसलिए वहां के रेलवे स्टेशन पर लोगों को बैठने के लिए जो पूर्ण सुविधाएं हैं, वह उपलब्ध करवायी जाएं। पीने के पानी की अधिक सुविधा दी जाए। प्लेट फार्म और शेड बड़ा बनाया जाना चाहिए ताकि आने जाने वाले लोगों को सुविधा हो सके। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सुविधाएं क्या वे उपलब्ध करवाना चाहते हैं ? अगर चाहते हैं तो कब तक ये सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी ?

[अनुवाद]

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : उपलब्ध यातायात के लिए मौजूद व्यवस्था पर्याप्त है। यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि और अधिक व्यवस्था होनी चाहिए तो हम यातायात सर्वेक्षण कराएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हरियाणा में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

*408. **श्री राम प्रकाश चौधरी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन्हें स्थापित करने का प्रस्ताव है और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०) द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में 800 मेगावाट क्षमता की एक गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही परियोजनाएं

[अनुवाद]

*409. **श्री वीरेन्द्र सिंह** :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज, उत्पादन, शोधन और विपणन से सम्बन्धित उन परियोजनाओं के अलग-अलग नाम क्या हैं जिसका कार्यान्वयन निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा था;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है तथा विलम्ब सहित अनेक कारणों की वजह से उनकी लागत में हुई वृद्धि निम्न प्रकार से है :—

(करोड़ रुपयों में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	लागत में कुल वृद्धि
	1	2	3
(क) अन्वेषण	शून्य		
(ख) उत्पादन			
	1. बम्बई हाई दक्षिण की अतिरिक्त तेल प्रति प्राप्ति परियोजना	781.54	शून्य
	2. बम्बई हाई उत्तर का अतिरिक्त विकास	218.22	24.28
	3. बी० एच० 22 विकास	76.49	40.48
	4. बी० एच० 25 विकास	74.96	27.70
	5. बी० 57 विकास	76.03	23.65
	6. बी० 131 विकास	52.14	26.95
	7. गैस उठान योजना	561.30	शून्य
	8. पन्ना का विकास	1166.73	संशोधित एफ० आर० प्रस्तुत किया जा रहा है।
	9. गैस स्वीटनिंग संयंत्र चरण-II	204.65	55.52
	10. गंधार का विकास	320.68	शून्य

	1	2	3
	11. नीलम का विकास	2022.20	कोई संशोधित लागत मूल्यांकन नहीं किया गया है।
	12. एल०-II का विकास	1066.24	—वही—
(ग) शोधन			
	13. गुजरात हाइड्रो-क्रेकर परियोजना	635.00	आर० सी० ई० प्रक्रियाधीन
	14. डिग्बोई का आधुनिकीकरण	143.74	—वही—
	15. विशाख में कैप्टिव पावर संयंत्र	42.90	—वही—
	16. ल्यूब बेस स्टाक बढ़ाने की सुविधायें	181.23	शून्य
(घ) विपणन			
	17. कोचीन में तेल का नया टर्मिनल	71.63	शून्य
	18. कांडला-भटिंडा पाइपलाइन	917.55	शून्य

(घ) सूक्ष्म निगरानी, अनुवर्ती तथा उपचारी कारंवाई सहित विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

मुम्बई में रेल टिकटों की कालाबाजारी

[हिन्दी]

*412. श्री रामबदन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई सेन्ट्रल, वी० टी० और कल्याण रेलवे स्टेशनों पर टिकटों के आरक्षण में कालाबाजारी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्टेशनों पर कितने छापे मारे गए;

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी या करने का विचार है; और

(घ) वहां टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) प्रायः व्यस्त अवधि के दौरान कुछ दलालों के कदाचारों में शामिल होने का मामला नोटिस में आया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 119 छापे मारे गए हैं।

(ग) छापों के दौरान 1410 व्यक्ति पकड़े गए और उनमें से अधिकांश व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया।

(घ) रेलों द्वारा किए जा रहे उपायों में आरक्षण का कंप्यूटरीकरण, जांच और छापे मारने की कार्रवाई तेज करना, विभिन्न माध्यमों के जरिए जोरदार प्रचार अभियान चलाना तथा कानूनी प्रावधानों को अधिक निवारक बनाना शामिल हैं।

बिना टिकट यात्रा

[अनुवाद]

***413. श्री अमल दत्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता और हावड़ा की उपनगरीय सेवाओं में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है और यह किन क्षेत्र अध्ययनों पर आधारित है; और

(ग) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं अथवा करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कलकत्ता क्षेत्र के उपनगरीय खण्डों पर कितने यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस प्रकार की अनियमित यात्रा का पता लगाने के लिए नियमित रूप से जांच की जाती है, ताकि इस सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाया जा सके।

(ग) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए किए गए उपायों में समय-समय पर अचानक/मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना, विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रचार अभियान चलाना और नये रेल अधिनियम में निवारक दण्ड की व्यवस्था करना शामिल हैं।

दिल्ली से मद्रास तक राजधानी एक्सप्रेस

***414. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली और मद्रास को जोड़ने वाले पूरे उत्तर-दक्षिण रेलमार्ग का विद्युतीकरण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली से मद्रास तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब से चलाया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर-दक्षिण मार्ग पर राजधानी जैसी गाड़ी चलाने की व्यावहारिकता की जांच अगले वित्त वर्ष के दौरान की जायेगी।

बाम्बे हाई में तेल के उत्पादन में कमी होना

*415. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई में तेल के उत्पादन में कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में अब क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) बम्बई हाई सहित पश्चिमी अपतट से तेल के उत्पादन में वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 में कमी हुई है। वर्ष 1990-91 में लक्ष्य की तुलना में यह कमी समुद्र के भीतर कुछ पाइपलाइनों से रिसाव, रिजर्वायर की स्थिति (दबाव में कमी, जी० ओ० आर० में वृद्धि तथा जल में कटौती), अधिकारियों की हड़ताल तथा कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब की वजह से हुई।

(ग) और (घ) बम्बई हाई क्षेत्र के प्रबन्ध के मुद्दे की जांच करने के लिए सरकार ने आयल इण्डिया लिमिटेड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री ए० बी० दासगुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को परिसम्पत्तियों का अन्तरण

*416. **श्री दत्तात्रेय बंडारु :**
श्री बलराज पासी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा गैस की ढुलाई के बारे में दिनांक 10 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न सं० 405 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को परिसम्पत्तियों का अन्तरण करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को अन्तरित की जाने वाली परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यद्यपि विगत समय में कुछ निर्णय लिए गए थे, तथापि मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

पवन ऊर्जा को उपयोग में लाना

*418. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "विंड पम्पों" और विंड फार्म डिमोन्स्ट्रेशन परियोजनाओं की स्थापना हेतु अब तक उठाये गए कदमों का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में राज्यवार किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ख) क्या संघ सरकार ने पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किसी अन्य देश/विदेशी सहयोग-कर्ता से कोई समझौता किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में लगभग 37.5 मे० वा० की समेकित पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है जिसमें प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाओं से 31.6 मे० वा० क्षमता शामिल है। इस समेकित क्षमता में गुजरात में 14.15 मे० वा०, तमिलनाडु में 19 मे० वा०, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा प्रत्येक में 1.19 मे० वा०, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक प्रत्येक में 0.55 मे० वा०, मध्य प्रदेश में 0.64 मे० वा०, केरल में 0.10 मे० वा०, गोवा में 0.11 मे० वा० और लक्षद्वीप में 0.02 मे० वा० शामिल है। इसके अलावा, 7.32 मे० वा० क्षमता स्थापित की जा रही है जिसमें गुजरात में 2.60 मे० वा०, तमिलनाडु में 3.22 मे० वा० और महाराष्ट्र में 1.50 मे० वा० शामिल है। पवन पम्प प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत, देश के विभिन्न भागों में 2700 से अधिक उथले कूप पवन पम्प लगाए गए हैं, इसके अतिरिक्त, 240 गहरे कूप पम्प लगाए जा रहे हैं। पवन सर्वेक्षण कार्यक्रम 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एक पवन बैटरी चार्जिंग प्रदर्शन कार्यक्रम भी विभिन्न राज्यों में शुरू किया गया है। पवन ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) डेनमार्क सरकार के साथ हुए एक द्विपक्षीय करार के तहत, 20 मे० वा० पवन फार्म क्षमता स्थापित की गई है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में सोवियत संघ के साथ भी एक नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विजयवाड़ा स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री-शेडों का निर्माण

*419. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा स्टेशन पर मौसम-कृषि श्रमिकों तथा अन्य यात्रियों की भारी भीड़ हो जाती है और विद्यमान प्रतीक्षा हाल (प्रमुख) की क्षमता बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्टेशन परिसर में अतिरिक्त यात्री शेडों का निर्माण करने का है; और इनका निर्माण कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) विजयवाडा स्टेशन पर मौजूदा प्रतीक्षालय तथा प्लेटफार्म पर बने सायबानों का क्षेत्रफल यात्रियों, जिनमें बड़ी संख्या में मौसमी कृषि श्रमिक भी शामिल हैं, की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । अत. इस स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री शेड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस सुविधाएं

[हिन्दी]

*420. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी गैस एजेंसियां कहां-कहां खोली गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार एल० पी० जी० की नई एजेंसियां एक चरणबद्ध तरीके से 20000 या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों/नगरों में स्थापित की जा रही हैं जो आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद की उपलब्धता पर निर्भर करती है । गत एक वर्ष में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में कोई एजेंसी नहीं खोली गई है ।

दिल्ली में खम्बों पर लगे बिजली के तारों को हटाया जाना

[अनुवाद]

*425. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अगस्त, 1988 में दी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि खम्बों पर लगे बिजली के तारों से दृष्टि प्रदूषण में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली की चोरी, दृष्टि प्रदूषण और झुग्गियों में बार-बार आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का खम्बों पर लगे विद्युत तारों को भूमिगत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की सम्भावना है और उस पर कुल कितना खर्च आने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा
राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी अगस
एडवर्टाईजिंग एण्ड ओवर-हैड वायर्स सम्बन्धं

'सम्भवत: हमारे शहरों के इ
साइनबोर्ड स तथा पोस्टरों को इस
उपर्युक्त को लगाने सम्बन्धी पूर्णत:
आर्किटेक्चरल फीचर्स, घरों की दीव
हैं । इस विज्युअल पोल्यूशन को औ
का भी योगदान है ।"

तथापि, आयोग द्वारा अपनी सि
गई थी ।

(ख) इस कार्य में अत्यधिक खर्च के
इस समय डेसू द्वारा वर्तमान ओवरहैड सिस्ट
प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (ख)

हि

[हिन्दी]

*426. **श्री अवतार सिंह भडाना**

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
पलवल को मेरठ से जोड़ने के लिए रेल ला

(ख) क्या मेवात के पिछड़े क्षेत्र
लाइन बिछाने का भी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन रेल लाइनो

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या क

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) संसाधनों की तंगी ।

विद्युत

2775. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** :

ग) विजयवाडा स्टेशन पर मौजूदा प्रतीक्षा-
जिनमें बड़ी संख्या में मौसमी कृषि श्रमिक
। अत. इस स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री शेड

तानन्द) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के
से 20000 या उससे अधिक की आबादी
हार्यता और उत्पाद की उपलब्धता पर
ई एजेंसी नहीं खोली गई है ।

ों को हटाया जाना

बताने की कृपा करेंगे कि :

8 में दी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की
होती है;

और झुग्गियों में बार-बार आग लगने
ान का खम्बों पर लगे विद्युत तारों को

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी अगस्त, 1988 की रिपोर्ट में पैरा 12-4-30 में **आउटडोर एडवर्टाईजिंग एण्ड ओवर-हैड वायर्स सम्बन्धी नियन्त्रण** के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की है :—

> 'सम्भवतः हमारे शहरों के इतिहास में यह सर्वाधिक दुःखद पहलू रहा है कि होर्डिंग्स, साइनबोर्ड्स तथा पोस्टरों को इस प्रकार लगाया जाता है कि वे भवनों को विकृत कर देते हैं। उपर्युक्त को लगाने सम्बन्धी पूर्णतः अव्यवस्थित तरीकों के कुप्रभाव से सिटी वाल्स, दरवाजे, आर्किटेक्चरल फीचर्स, घरों की दीवारें और इनके साथ-साथ सुरक्षित स्मारक भी अछूते नहीं रहे हैं। इस विज्युअल पोल्यूशन को और ज्यादा बढ़ाने में ओवर-हैड बिजली एवं टेलीफोन तारों का भी योगदान है।"

तथापि, आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों में इस विषय में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई थी।

(ख) इस कार्य में अत्यधिक खर्च के निहित होने तथा संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए इस समय डेसू द्वारा वर्तमान ओवरहैड सिस्टम को अंडरग्राउण्ड सिस्टम में परिवर्तित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में नई रेल लाइनें

[हिन्दी]

*426. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत रोहतक, रिवाड़ी, ताउडू, सोहना, नुह, पलवल को मेरठ से जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या मेवात के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए गुड़गांव से अलवर तक मीटर गेज रेल लाइन बिछाने का भी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन रेल लाइनों को कब तक बिछाए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की तंगी।

विद्युत बोर्डों को ऋण स्वीकृत करना

2775. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि विद्युत वित्त निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को ऋण स्वीकृत करने हेतु निर्धारित की गई शर्तों का ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : राज्य बिजली बोर्डों को ऋण स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में विद्युत वित्त निगम ने वित्त पोषित परियोजनाओं के निर्धारित समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने, परियोजना पूरी होने पर उसके दक्षतापूर्ण प्रचालन किए जाने, राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय/प्रचालनात्मक दक्षता एवं सेवा सम्बन्धी क्षमता में सुधार किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मुख्य शर्तें निर्धारित की हैं :—

(1) परियोजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा (5 करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं के मामले में राज्य बिजली बोर्डों के बोर्ड द्वारा) स्वीकृत और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

(2) परियोजना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होनी चाहिए और निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती हो :

(क) परियोजना के अन्तर्गत, उपलब्धता, विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता के सन्दर्भ में सन्तोषजनक विद्युत सप्लाई सुनिश्चित किए जाने सम्बन्धी लक्ष्य निहित होना चाहिए।

(ख) परियोजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय नीतियों एवं प्राथमिकताओं के मद्देनजर एक समन्वित एवं दक्ष विद्युत प्रणाली की स्थापना किए जाने सम्बन्धी लक्ष्य निहित होना चाहिए।

(ग) परियोजना के अन्तर्गत, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित क्रिटिकल कठिनाइयों को दूर किए जाने सम्बन्धी लक्ष्य निहित होना चाहिए।

(घ) परियोजना के अन्तर्गत, सभी क्षेत्रों में सन्तुलित विद्युत उत्पादन सुनिश्चित किए जाने सम्बन्धी लक्ष्य निहित होना चाहिए।

(3) सभी स्वीकृतियों सहित निवेश, आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से तर्कसंगत होना चाहिए।

(4) राज्य बिजली बोर्ड, विद्युत वित्त निगम द्वारा प्रदान की गई निधियों को योजना आयोग द्वारा नियत आबंटन के लिए प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।

(5) प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए एवं कार्यान्वित की जानी चाहिए।

(6) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा 3 प्रतिशत लाभांश अर्जित किए जाने, आर्थिक सहायता का भुगतान किए जाने, राज्य सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दिए अपने ऋणों की वापसी की तुलना में विद्युत वित्त निगम के ऋणों की पूरी तरह वापसी को प्राथमिकता दिए जाने को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा वचनबद्धता सहित विद्युत वित्त निगम के ऋणों की वापसी की गारंटी दी जानी चाहिए।

(7) ब्याज और सर्विस प्रभारों की दर 12.5 प्रतिशत/वर्ष होगी।

दिल्ली में रेलवे की भूमि पर रहने वाले झुग्गी निवासी

2776. **श्री कालका दास :**

श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशनगंज, सराय रोहिल्ला, दया बस्ती और डी० सी० एम० रेलवे कालोनियों तथा उसके आस-पास के स्थानों पर रेलवे की भूमि पर कितने झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं;

(ख) उन झुग्गी कालोनियों में कितने परिवार रहते हैं तथा ये कालोनियां कहां-कहां पर बसी हैं;

(ग) क्या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बिजली पानी जल-मल निकासी जैसी न्यूनतम नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि अभी तक ये सुविधायें नहीं दी गई हैं तो इसके लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ङ) क्या इन लोगों के लिए न्यूनतम नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग को कोई मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या नीचे दी गई है :—

किशनगंज	549
डी० सी० एम० कालोनी सहित सराय रोहिल्ला	154
दयाबस्ती	908
सराय रोहिल्ला और पटेल नगर के बीच	70

(ख) इन झुग्गियों में रहने वाले परिवारों की संख्या लगभग 1700 है।

कालोनियों के स्थान इस प्रकार हैं :—

किशनगंज	ओल्ड रोहतक रोड के निकट रेलवे कालोनी।
दयाबस्ती	रे० सु० ब० कम्पलेक्स के समीप-रेलवे कालोनी के निकट।
	रेलवे कालोनी पंजाबी बाग।
सराय रोहिल्ला	स्टेशन कालोनी के निकट डी० सी० एम० कालोनी/लोको।
सराय रोहिल्ला और पटेल नगर के बीच	समपार संख्या 4सी और जखीरा ऊपरी सड़क पुल के आस-पास।

(ग) से (च) इन स्लमों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का विषय दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम विंग) का है।

दामोदर घाटी निगम कमान क्षेत्र का विकास

[अनुवाद]

2777. श्री हाराधन राय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम कमान क्षेत्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम ने दामोदर घाटी हेतु पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की एक मॉडल वाटरशैड डवलपमेंट प्रोजेक्ट पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की हैं।

बिहार की तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

2778. श्री ललित उरांव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना के चरण-2 में 210 मेगावाट क्षमता वाले तीन अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा विशेषकर उस पर व्यय की जाने वाली सम्भावित धन-राशि के सम्बन्ध में क्या है; और

(ग) परियोजना कब तक पूरी होगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1989 में 669.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो के अन्तर्गत 210-210 मे० वा० के तीन यूनिटों के लिए स्वीकृति दी गई थी।

(ख) परियोजना प्राधिकारी बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अक्तूबर, 1990 में परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 825.0 करोड़ रुपए इंगित की गई थी।

(ग) परियोजना को चालू किए जाने सम्बन्धी कार्यक्रम की प्रत्याशा कर पाना सम्भव नहीं है क्योंकि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अभी तक उपर्युक्त परियोजना के मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर नहीं दिए गए हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

2779. **श्री के० योल्ला राव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण, निगम, राज्य बिजली बोर्डों और ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियों कोआपरेटिव सोसाइटियों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार एक समान वित्त पोषण नीति अपनाने के लिए इन संगठनों को निर्देश देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं द्वारा, विभिन्न श्रेणी की परियोजनाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम आर्थिक लाभांश दर (ई० आर० आर०) को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। तथापि, ग्रामीण विद्युत सहकारी परियोजनाओं, हरिजन बस्तियों के लिए विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए ऋण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हेतु विशेष ऋण सम्बन्धी मामलों में कोई विशिष्ट ई० आर० आर० निर्धारित नहीं की गई है।

ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु आर० ई० सी० द्वारा अपनाए जा रहे वर्तमान मानकों की समीक्षा किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम को निर्देश दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सम्बन्ध में विद्यमान व्यवस्था सन्तोषजनक प्रतीत होती है।

महाराष्ट्र में उभोल विद्युत संयंत्र की स्थापना करना

2780. **श्री राम कापसे** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के उत्तर रत्नागिरि जिले में उभोल के नजदीक एक विद्युत संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में (569.18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर) 760 मेगावाट का संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र (गैस टर्बाइन-4 × 120 मेगावाट + भाप टर्बाइन—2 × 140 मेगावाट) प्रतिष्ठापित किए जाने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से एक परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट मार्च, 1989 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी। राज्य प्राधिकारियों द्वारा जल एवं गैस की उपलब्धता आदि जैसे आवश्यक निवेश सुनिश्चित किए जाने और पर्यावरणीय स्वीकृति सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा सकेगा।

उत्तरी-सीमांत रेलवे के अन्तर्गत मालगाड़ियों का रद्द किया जाना

2781. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के करबी अंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ी जिलों में स्वायत्तता की मांग के कारण उत्तरी सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितनी सवारी और मालगाड़ियां रद्द की गयी; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप रेलवे को अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	रद्द की गई यात्री गाड़ियों की संख्या
1988	106
1989	36
1990	300

वर्ष	प्रभावित हुई माल गाड़ियों की संख्या	मालडिब्बा दिन हानि
1988-89	36	1800
1989-90	52	2600
1990-91	148	7400

(ख) इस अवधि के दौरान यात्री गाड़ियों पर 2,17,34,740 रुपए और मालगाड़ियों पर 22,41,153 रुपए की हानि हुई।

नए क्षेत्रों में कोयले की खोज

2782. **श्री पी० सी० थामस** :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए क्षेत्रों में कोयला संसाधनों की खोज करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी और विदेशी कम्पनियों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागोड) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भू-सर्वेक्षण देश के विभिन्न भागों में कोयले के स्रोतों का पता लगाने के लिए निरन्तर क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य कर रहा है। भारतीय भू-सर्वेक्षण ने 51 ड्रिलों को कार्यरत करके निम्नलिखित राज्यों में पश्चिम बंगाल (6 ड्रिल), बिहार (9 ड्रिल), उड़ीसा (6 ड्रिल), मध्य प्रदेश (12 ड्रिल), महाराष्ट्र (4 ड्रिल) तथा आंध्र प्रदेश (14 ड्रिल) क्षेत्रीय अन्वेषण द्वारा नए कोयला क्षेत्रों का पता लगाया है। भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए गए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य की प्रतिपूर्ति करने के लिए खनिज अन्वेषण निगम लि०, ने भी राज्यों में—आंध्र प्रदेश (14 ड्रिल), म० प्र० (5 ड्रिल) और उड़ीसा (3 ड्रिल) क्षेत्रीय ड्रिलों के कार्य को बढ़ाने के लिए 22 ड्रिलों को कार्यरत किया है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए निजी और विदेशी पार्टियों को कार्यरत करने का सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान के गांवों में विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2783. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कोटा बूंदी और झालावाड़ जिलों में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनका अभी विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ख) शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिलों में अविद्युतीकृत गांवों की संख्या निम्नानुसार है :—

जिले का नाम	1-4-91 की स्थिति के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की संख्या
1. कोटा	395
2. बूंदी	72
3. झालावाड़	496

(ख) और (ग) जिलेवार विद्युतीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय, राज्य स्तर पर किया जाता है और इस सम्बन्ध में निधियों की उपलब्धता तथा राज्य सरकार द्वारा नियत पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है। 1991-92 के दौरान, राज्य में कुल मिलाकर 600 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु वर्ष 1991-92 के लिए 38.30 करोड़ रुपए के योजनागत आबंटन का प्रावधान है।

कर्नाटक में रसोई गैस एजेंसियां व पेट्रोल पम्प

2784. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटित किए गए रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्प की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को कुछ और एजेंसियां आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 5 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 8 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिपों का आबंटन किया गया था।

(ख) और (ग) विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार विभिन्न शहरों में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं।

जनपथ होटल का प्रबन्धन

[अनुवाद]

2785. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनपथ होटल में विगत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, अधिभोग दर और इस होटल में कमरा अधिभोग के कारण वास्तविक प्राप्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कमरे के रख-रखाव के लिए प्रत्यक्ष श्रम पर होने वाले खर्च और प्राप्तियों पर प्रतिशत सहित दर का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जनपथ होटल में अधिभोग दर और कमरा अधिभोग के कारण वास्तविक आय इस प्रकार

रही :—

वर्ष	कमरा अधिभोग (%)	कमरा बिक्री (लाख रु० में)
1988-89	80	346.40
1989-90	82	407.02
1990-91 (अनन्तिम)	70	393.33

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
1988-89	454.21
1989-90	520.68
1990-91 (अनन्तिम)	542.39

कमरे के रख-रखाव के लिए स्टाफ पर होने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए अलग से हिसाब नहीं रखा जाता है। तथापि, नियोजित स्टाफ समूची होटल सम्पत्ति के रख-रखाव पर निगरानी रखता है। गत तीन वर्षों के दौरान, कुल कारोबार के साथ पारिश्रमिक पर होने वाले खर्च की प्रतिशतता इस प्रकार रही :—

वर्ष	कुल कारोबार (लाख रुपए में)	कुल कारोबार के साथ पारिश्रमिक पर होने वाले व्यय की प्रतिशतता
1988-89	502.66	41.8%
1989-90	574.54	40.1%
1990-91 (अनन्तिम)	562.72	44.4%

रांची से मुम्बई के बीच सीधी रेल

[हिन्दी]

2786. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची से मुम्बई के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का रांची से मुम्बई के लिए सीधी रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। कोई सीधी गाड़ी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रेलवे परियोजनाएं

[अनुवाद]

2787. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नई रेल लाइनों के निर्माण और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में केरल राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

क्रम सं०	दिया गया प्रस्ताव	लम्बाई
1	2	3
1.	त्रिचूर-गुरूवायूर नई लाइन	24 कि० मी०
2.	अलेप्पी-कायनकुलम नई लाइन	43 कि० मी०
3.	कोचीन-तिरूवनन्तपुरम-दोहरीकरण	125 कि० मी०
4.	कोंकण रेलवे— नई लाइन	837 कि० मी०
5.	शेरूवण्णूर-मंगलोर-दोहरी लाइन	307 कि० मी०
6.	त्रिचूर-गुरूवायूर को तिरूर तक बढ़ाना—नयी लाइन	60 कि० मी०
7.	मदुरै-कोचीन-आमान परिवर्तन और नई लाइन	300 कि० मी०

1	2	3
	8. कट्टारकारा और नेडुमंगड के रास्ते चेंगन्नूर-तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल-नई लाइन	128 कि० मी०
	9. कूर्ग के रास्ते तेल्लिचेरी-मैसूर-नयी लाइन	235 कि० मी०
	10. चामराजनगर-नीलाम्बर रोड-नयी लाइन	150 कि० मी०
	11. अंगमालि-अचेन्कोविल-नयी लाइन	280 कि० मी०
	12. कोट्टयम-मदुरै-नयी लाइन एवं आमान परिवर्तन	300 कि० मी०

(ग) (i) मद सं० 1 से 4 पहले ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ii) मद सं० 5 और 6 1990-91 में सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(iii) मद सं० 7 और 8 परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया गया था और इन्हें वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं पाया गया। संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल इन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(iv) मद सं० 9 से 12 इन लाइनों के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बहरहाल, संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल इन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यकारी अधिकारियों की संख्या

2788. **श्री उद्धव बर्मन :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड में इन्जीनियर से लेकर महा-प्रबंधक तक कितने कार्यकारी अधिकारी हैं;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के कार्यकारी अधिकारियों की संख्या और प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० में इन्जीनियर से लेकर महाप्रबन्धक तक के कार्यकारी अधिकारियों की संख्या तथा प्रत्येक श्रेणी मे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कार्यकारी अधिकारियों की संख्या और प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आरक्षण की प्रतिशतता अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम में कार्यपालक पदों से सम्बन्धित अधिकांश श्रेणियों में आरक्षण की प्रतिशतता निम्न कारणों की वजह से कम है :—

1. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना के प्रारम्भिक चरणों में पदों की आवश्यकता के आधार पर प्रायः सभी वरिष्ठ स्तर के कार्यपालक विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए थे। इनमें से अनेक अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं थे और तदन्तर इन्हें निगम में खपा लिया गया था। इसलिए वरिष्ठ स्तर के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता कम है।

2. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम में, कार्यपालक पदों की निम्नतम श्रेणी अर्थात रु० 2200-4000 के वेतनमान में इन्जीनियर/अधिकारी के रूप में सामान्यतः प्रारम्भिक स्तर पर भर्ती की जाती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उच्च श्रेणी के पदों में प्रतिनिधित्व की निम्न प्रतिशतता की पूर्ति इन सम्बन्धित स्तरों में नहीं की जा सकी।

3. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव जारी किए जाने के बाद भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक वर्ष काफी अधिक होती है जोकि कार्यभार ग्रहण नहीं करते। दृष्टांतः 1989 के दौरान 46 अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों को नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव जारी किए गए थे इसकी अपेक्षा मात्र 21 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया; 2 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव जारी किए गए थे लेकिन किसी ने भी कार्य भार ग्रहण नहीं किया। 1990 के दौरान 73 अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों को नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव जारी किए गए थे लेकिन केवल 34 ने कार्यभार ग्रहण किया और 2 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी; जिन्हें नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव जारी किए गए थे; ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

4. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम अपनी स्थापना से लेकर अब तक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित 41 कार्यपालक नियुक्त कर चुका है तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित 4 कार्यपालक राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को छोड़कर चले गए हैं। यदि वे निगम छोड़कर नहीं जाते तो उच्च श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता की स्थिति बेहतर होती और सनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कुल मिलाकर लगभग 12.21 प्रतिशत और 8.91 प्रतिशत होता।

5. अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता कम होने का कारण अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना भी है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्यकारी अधिकारियों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने वर्ष 1979 और 1990 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी भर्ती किए जाने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया था। यह प्रक्रिया 1991 और आगामी वर्षों में भी जारी रखी जाएगी ताकि निर्धारित कोटे की पूर्ति की जा सके।

विवरण

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० में इन्जीनियर से लेकर महाप्रबन्धक तक के कार्यकारी अधिकारियों की संख्या तथा प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कार्यपालक अधिकारियों की कुल संख्या और प्रतिशतता (15-7-199 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	कार्यरत कार्यपालक अधिकारियों की संख्या	प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्यपालक अधिकारियों की संख्या		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्यपालक अधिकारियों की प्रतिशतता	
	(क)	(ख)		(ग)	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
महाप्रबन्धक	8	—	—	शून्य	शून्य
मुख्य अभियन्ता	40	1	—	2.50%	शून्य
मुख्य वरिष्ठ प्रबन्धक	50	3	—	6.00%	शून्य
प्रबन्धक	133	8	—	6.01%	शून्य
उप प्रबन्धक	208	20	3	9.61%	1.44%
सहायक प्रबन्धक	300	4	1	1.33%	0.33%
2200-4000 के वेतनमान में अभियन्ता और अन्य अधिकारी	4·4	70	3	15.08%	0.54%
योग :	1203	106	7	8.81%	0.50%

टिप्पणी : कालम (क) में दर्शाए गए आंकड़ों में प्रतिनियुक्तियों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है।

कोयले की उपलब्धता

[हिन्दी]

2789. श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लि० के बी० सी० सी० एल० और सी० सी० एल० में 15-7-1991 को निर्धारित मात्रा और विनिर्देशों के अनुरूप, कितने मीट्रिक टन शुद्ध कोयला उपलब्ध था;

(ख) प्रत्येक खदान में अलग-अलग कितना स्टाक था; और

(ग) प्रत्येक खदान में किस-किस ग्रेड के कोयले का स्टाक था और उस कोयले का ग्रेडवार मूल्य कुल कितना था ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागोड) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथा-सम्भव उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट

[अनुवाद]

2790. श्री राम नाईक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1991 तक देश में प्रति माह कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि उसमें गिरावट आई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गिरावट से भुगतान संतुलन की स्थिति पर, वर्तमान मूल्य-दर के हिसाब से, क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) माहवार उत्पादन निम्न प्रकार से था :—

माह	(मि० मी० टन)
1	2
जनवरी, 1991	2.883
फरवरी, 1991	2.571

1	2
मार्च, 1991	2.896
अप्रैल, 1991	2.666
मई, 1991	2.742
जून, 1991	2.619

(ख) और (ग) वर्तमान क्षेत्रों से उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों में रिजर्वायर की स्थिति प्रमुख है। विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त आवश्यकता किए जाने वाले वास्तविक अतिरिक्त आयातों पर निर्भर करेगी।

समुद्री लहरों से बिजली पैदा करना

2791. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में बंगाल की खाड़ी, विशेषकर गोपालपुर में कोई प्रयोग करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने और उसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा केरल के समुद्र तट पर एक प्रयोगात्मक 150 कि० वा० अधिकतम क्षमता तरंग विद्युत अनुसंधान तथा विकास परियोजना स्थापित की जा रही है। इस परियोजना पर लगभग 2 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नाडियाड़-कापड़वंज के बीच ट्रेन की माल-वाहक क्षमता

2792. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाडियाड़-कापड़वंज के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी में डिब्बे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में एन० जी० सेक्शन पर भाप इंजिनों को बदलना

2793. **डा० के० डी० जेस्वाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एन० जी० सेक्शन पर कोयले की सप्लाई की बुरी स्थिति तथा भाप इंजिनों के रखरखाव में अनियमितता बरते जाने के कारण भाप इंजिनों को डीजल इंजिनों में बदलने की नितान्त आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कब तक की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) परिचालनिक आवश्यकताओं, कुशलता में वृद्धि तथा किफायत बरतने के लिए रेलों ने 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक छोटी लाइन के सभी भाप रेल इन्जनों को बदलने का विनिश्चय किया है । बहरहाल, यह कार्य चरणों में किया जाएगा और यह रेलवे उत्पादन इकाइयों में डीजल इन्जन के निर्माण के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

नई दिल्ली तथा पठानकोट के बीच नई रेल सेवा

[हिन्दी]

2794. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली तथा पठानकोट के बीच कोई नई रेल सेवा शुरू करने अथवा किसी वर्तमान रेलगाड़ी को पठानकोट तक बढ़ाने से सम्बन्धित कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में प्राप्त मांगों की जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक तंगियों और संसाधनों की कमी के कारण इसका कार्यान्वयन व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

भारत पर्यटन विकास निगम की विभिन्न यूनिटों/डिवीजनों में पुरानी/फालतू वस्तुएं

[अनुवाद]

2795. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम की प्रत्येक यूनिट/डिवीजन में वस्तु-सूची के अधिकतम स्तर का कैसे पता लगाया जाता है तथा प्रत्येक यूनिट में वस्तु-सूची के वर्तमान स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) निगम के प्रत्येक यूनिट/डिवीजन/गतिविधि में 31 मार्च, 1991 को पुरानी/फालतू वस्तुओं के मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 मार्च, 1991 को निगम के प्रत्येक यूनिट/डिवीजन/गतिविधि में पड़ी मुख्य पुरानी/फालतू वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इनका निपटान कैसे किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र को धनराशि का आबंटन

2796. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए, योजनावार, दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल अधिकारियों की पदोन्नतियां

[हिन्दी]

2797. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की कतिपय श्रेणियों में पदोन्नति के लिए न्यूनतम शेष सेवा काल की शर्त निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस न्यूनतम शेष सेवा काल की इन शर्तों का क्या मानदण्ड और प्रयोजन है;

(ग) अन्य किन श्रेणियों में ये शर्तें लागू होती हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी न्यूनतम शेष सेवा काल निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या यह नियम वर्ग "ख" से वर्ग "क" में पदोन्नति के लिए भी लागू होता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पद	न्यूनतम शेष सेवा
1	2
7300-7600/- रुपए के ग्रेड में	एक वर्ष

1	2
महाप्रबन्धक और समतुल्य ग्रेड	दो वर्ष
सदस्य, रेलवे बोर्ड	दो वर्ष
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य, रेलवे बोर्ड और/अथवा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के रूप में दो वर्ष जिसमें कम से कम एक वर्ष अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के रूप में हो।
	इस सेवा-काल का प्रयोजन यह है कि उच्च प्रबन्धकीय स्तर पर नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए, पदों पर निरन्तरता बनाए रखी जाए।

(ग) ग्रुप "ग" और "घ" की कोटियों में इस प्रकार की कोई शर्तें लागू नहीं होती।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ग्रुप "ख" के अधिकारियों को ग्रुप "क" कनिष्ठ वेतनमान में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो निम्नतम ग्रेड है और इसमें नीति निर्माण का कार्य नहीं होता।

केरल में तेल की खुदाई

[अनुवाद]

2798. श्री कोड्डीकुनील सुरेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कोल्लम समुद्र पत्तन में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए खुदाई का कार्य कब आरम्भ किया गया था; और

(ख) अब तक किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कोल्लम के समुद्री बन्दरगाह पर वेधन कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल, डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

2799 श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में, तथा बिहार में और विशेष रूप से बिहार के पूर्णिया अररिया और किशनगंज जिलों में 1 अप्रैल, 1989, 1 अप्रैल, 1990 तथा 1 अप्रैल, 1991 के पेट्रोल, डीजल के अलग-अलग कुल कितने खुदरा बिक्री केन्द्र थे;

(ख) 1991-92 में इनके कितने खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) में दी गई संख्या में से कितने खुदरा बिक्री केन्द्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार स्नातकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों आदि को दिए गए हैं/दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ग)

तारीख	देश में कुल	अ० जा०/अ० ज० जा० बेरोजगार स्नातक/ विकलांग आदि	बिहार	पूर्णिया, अररिया और किशनगंज
1	2	3	4	5
1-4-89	14482	1939	868	26
1-4-90	15783	2232	892	31
1-4-91	15056	2253	908	31

(ख) विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं। यद्यपि पूर्व में तैयार की गई विपणन योजनाओं में आयोजित कुछ खुदरा बिक्री केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं तथापि वर्ष 1990-91 के लिए किसी नए कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उड़ीसा के क्योंझर जिले को रेल से जोड़ना

[हिन्दी]

2800. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइन बिछाने की स्वीकृति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या पिछली सरकार ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में नई रेल लाइन बिछाने के लिए स्वीकृति दे दी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा मई, 1980 में की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार नई लाइन परियोजनाएं शुरू की जाती हैं :

(i) नए उद्योगों, खनिज या अन्य सम्पदा वाले क्षेत्रों को सेवित करने के लिए परियोजना उन्मुख लाइनें।

(ii) अप्राप्त कड़ी, जो मौजूदा व्यस्त रेल मार्गों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग बन सकती हों।

(iii) सामरिक महत्व की लाइनें।

(iv) विकास के नए केन्द्र स्थापित करने या दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन के लिए विकासात्मक लाइनें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन लागत

[अनुवाद]

2801. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल के उत्पादन की प्रति लीटर लागत क्या है;

(ख) इस समय उपर्युक्त उत्पादों की बिक्री की कीमत क्या है; और

(ग) प्रत्येक की उत्पादन लागत और बिक्री की कीमत में इतना अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) संयंत्र के कार्यकाल, प्रयोग की गई प्रोद्योगिकी, क्रूड का मिश्रण आदि के आधार पर उत्पादन लागत में अन्तर आता है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के तेल, डीजल तथा पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। फिलहाल, कीमतें निम्न प्रकार से हैं :—

उत्पाद	भण्डार स्थल पर कीमत (रुपए प्रति कि० लि०)
मिट्टी का तेल (गैर-औद्योगिक उपयोग)	2201.54
डीजल	4541.91
पेट्रोल (एम० एस० 87)	13416.11

एअर इण्डिया की विमान परिचारिकाओं की कार्य स्थितियां

2802. श्री संफुद्दीन चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय का कोई निदेश जारी किया है कि कार्य स्थितियों और अवकाश-ग्रहण की आयु के मामले में पुरुष तथा महिला के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एअर इण्डिया की विमान परिचारिकाओं से सम्बन्धित निदेश की पुनरीक्षा की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) 16 अक्तूबर, 1989 के संदर्भ संख्या ए० वी० 18022/22/88-ए० सी०-आई० ए० द्वारा जारी किए गए निदेश में यह व्यवस्था है कि एअर-इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में विमान-परिचारिकाओं को 58 वर्ष की आयु तक सेवा करने की भी अनुमति होगी। विमान परिचारिकाओं को विवाह करने पर कोई रोक नहीं होगी। आगे 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वर्ष में एक बार उनकी डाक्टरी जांच की जाती रहेगी और उन पर कड़ा वजन प्रतिबन्ध नियम लागू रहेगा।

(ग) और (घ) मामले की समीक्षा की गई थी और यह स्पष्ट किया गया था कि सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष तक बढ़ाने में कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था और विमान-परिचारिकाओं को उपयुक्त वैकल्पिक पद दिए जा सकते हैं तथा पुरुष केबिन क्रू और विमान परिचारिकाएं ड्यूटी पर आकर्षक पोशाक में आएं तथा प्रबन्ध समिति दोनों तरह के केबिन-क्रू के लिए उपयुक्त डॉक्टरी जांच एवं वजन प्रतिबन्ध नियम निर्धारित कर सकती है।

बिहार में तेल की खोज

2803. श्री भोगेन्द्र झा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नेपाल की सीमा से लगे जयनगर, रक्सौल और अन्य स्थानों में तेल की खोज के लिए किए गए अब तक के प्रयासों का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) इन प्रयासों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अब तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिहार में 5 अन्वेषक कूप खोदे गए हैं और सभी सूखे साबित हुए हैं।

(ख) इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिहार में एक कूप की खुदाई की जा रही

है। अन्वेषण के लिए चौथे दौर की बोली में उत्तरी बिहार के दो ब्लाकों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

एटा-कोंच सवारी गाड़ी को इटावा तक बढ़ाना

[हिन्दी]

2804. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एटा-कोंच यात्री रेलगाड़ी को झांसी डिविजन में इटावा तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मदन महल स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

[अनुवाद]

2805. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर के निकट मदन महल स्टेशन पर प्रदत्त आधारभूत सुविधाएं यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इस स्टेशन के केन्द्रीय स्थल पर होने के कारण सभी मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के रोकने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया के विमानों की उड़ान में विलम्ब

2806. **श्री सुधीर राय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1991 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में "रेट्टी बिजनेस एबोर्ड ए-आई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) पिछले दो महीनों में चूहों के आतंक के कारण कुल कितनी उड़ानों में विलंब हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। 17 जुलाई, 1991 को एयर इंडिया उड़ान संख्या 304 बम्बई-दिल्ली-तोक्यो में 5 घंटे 15 मिनट विलम्ब हुआ था और उस उड़ान को दूसरे विमान द्वारा परिचालित किया गया था क्योंकि मस्कट से बम्बई के लिए उड़ान करते समय उस विमान में एक चूहा देखा गया था। विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके एयर इंडिया विमान के नियमित धुमीकरण और विमान के भीतर चूहेदानी तथा ग्लू प्लेटों को लगाने जैसे कृन्तक नियंत्रण यंत्रों के प्रयोग जैसे कृन्तक नियंत्रण उपाय नियमित रूप से करता है। कृन्तक नियंत्रण उपाय हैंगरों, केबिन खान-पान भवनों और केन्टीन हाई-लिफ्टों में भी किए जाते हैं।

(ग) जून और जुलाई, 1991 के महीनों के दौरान चूहों के जोखिम के कारण निम्नलिखित तीन उड़ानों में विलम्ब हुआ था :—

(1) 7 जुलाई, 1991 की एआई-112
न्यूयार्क/लन्दन/दिल्ली/बम्बई।

(2) 13 जुलाई, 1991 की एआई-838
बम्बई/त्रिवेन्द्रम।

(3) 17 जुलाई, 1991 की एआई-304
बम्बई/दिल्ली/तोक्यो।

वायुदूत सेवा/एयर बस सेवा को बन्द करना

2807. श्री अन्ना जोशी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-पुणे-बम्बई (सायंकालीन उड़ान), पुणे-हैदराबाद, पुणे-नागपुर, पुणे-औरंगाबाद की वायुदूत एयरबस सेवाएं कई महीनों से बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सेवाओं को कब बहाल किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वायुदूत इस समय बम्बई-पुणे-बम्बई और हैदराबाद-पुणे मार्गों पर परिचालन कर रहा है। वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से, पुणे-नागपुर और पुणे-औरंगाबाद के बीच विमान सेवाएं बन्द कर दी गई हैं। वर्तमान स्थिति में इन सेवाओं के पुनः प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुणे के लिए कोई एयरबस सेवाएं परिचालित नहीं की गई।

उद्योगों के लिए वैगनों की उपलब्धता

[हिन्दी]

2808. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों के लिए कोयले की सप्लाई के लिए आवश्यक रेल वैगनों की संख्या में लगातार कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में वैगनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कोयले से लदे माल डिब्बों के लदान में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन अधिकाधिक कोयले की ढुलाई ताप बिजली घरों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को की जा रही है। परिणामस्वरूप, रेल द्वारा कोयले के लदान में की गई बढ़ोत्तरी का लाभ गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उद्योगों को नहीं मिल पा रहा है।

वायुदूत सेवाएं

2809. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्थानों को वायुदूत सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) उसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) वायुदूत को हुई भारी हानि के कारण, उसे अपने नेटवर्क में अत्यधिक कमी करने के लिए विवश होना पड़ा है। वर्तमान स्थिति में, वायुदूत द्वारा नए स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ना व्यावहारिक नहीं है।

कूड़े से विद्युत उत्पादन

2810. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 23 जुलाई 1991 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित 'कूड़े से बिजली तो नहीं बनी करोड़ों की मुद्रा कूड़े में गई" शीर्षक के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच के लिए कोई आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की गयी है और डेनमार्क के टर्न की ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गयी है जो ठेका के अनुसार संयंत्र का सफल प्रचालन प्रदर्शित नहीं कर सका।

सिन्धुदुर्ग, महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास

[अनुवाद]

2811. श्री सुधीर सावन्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग जिले में पर्यटन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो पहले ही मंजूर किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटन का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने 1991-92 के दौरान सिन्धुदुर्ग जिले के विकास के लिए कोई स्कीम प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रत्नागिरि विमानपत्तन का दर्जा बढ़ाया जाना

[हिन्दी]

28 2. श्री गोविन्दराव निकम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रत्नागिरि हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ताकि यहां से इण्डियन एयरलाइन्स के विमान उड़ान भर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी हवाई अड्डे का उन्नयन किया जाना यातायात की सम्भावना और अनुसूचित विमान कम्पनियों की मांग पर निर्भर करता है। चूंकि इण्डियन एयरलाइंस की ओर से रत्नागिरि के लिए परिचालन करने की कोई मांग नहीं है, अतः राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे के जोकि महाराष्ट्र सरकार का है, उन्नयन की कोई योजना नहीं है।

जयपुर में रेल फाटकों पर पुल

[अनुवाद]

2813. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में मालवीय नगर और झोटवारा को जाने वाली सड़कों पर रेलवे क्रासिंग हैं;

(ख) क्या उक्त दोनों सड़कों पर यातायात की भारी भीड़-भाड़ रहती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोनों सड़कों पर स्थित रेलवे क्रासिंगों पर उपरि-पुल बनाने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) रेलवे ऊपरी पुलों के निर्माण के लिए तभी कार्रवाई कर सकती है जब राज्य सरकार द्वारा, नियमानुसार, लागत की भागीदारी की विधिवत सहमति के साथ इनके लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किए जाएं।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में खेलकूद गतिविधियां

2814. डा० पी० वल्लल पेरुमान : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में खेलकूद गतिविधियों पर वर्ष 1988 से 1990 तक प्रत्येक वर्ष, मदवार, कितनी धनराशि व्यय की गयी;

(ख) क्या नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में खेलकूद गतिविधियों में अन्य कोयला कम्पनियों की तुलना में सुधार नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागोड) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में खेलकूद के क्रियाकलापों पर वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक 44,4',761.48 रु० की राशि व्यय की गयी। इस सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एवं (ग) जी, नहीं। उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान ने० लि० का० में प्रतिव्यक्ति खेलकूद क्रियाकलापों पर व्यय कोल इण्डिया लि० से अधिक रहा है। ने० लि० का० और को० इं० लि० में खेलकूद के क्रियाकलापों सम्बन्धी समग्र रूप में प्रति व्यक्ति व्यय (अन्य मनोरंजन-सम्बन्धी व्यय तथा अनुदान सहित) को नीचे दर्शाया गया है :

(रुपयों में)

	1987-88	1988-89	1999-90
ने० लि० का०	48.66	69.93	72.74
को० इं० लि०	19.02	19.94	26.09

विवरण

क्रम सं०	ब्यौरा	87-88	88-89	89-90	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	भाग लेने वाले व्यक्तियों को दिया गया नकद पुरस्कार	12,251.00	14,005.00	43,750.00	70,006,00
2.	प्रशिक्षण व्यय (विशेष खानपान आदि)	13,570.90	3,000.00	14,404.80	30,975.70
3.	किट एवं उपकरण (ब्लेजर्स एवं ट्रैक्सूट इत्यदि सहित)	1,98,095.28	3,66,298.39	2,68,047.78	8,32,441.45
4.	स्टेडियम/कोर्ट्स के रख-रखाव पर व्यय	13,213.50	24,211.45	39,430.00	76,854.95
5.	बाहरी संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर (यात्रा-भत्ता खेलों में भाग लेने सम्बन्धी फीस आदि)	4,92,711.33	6,74,223.90	6,83,040.13	18,49,975.36
6.	स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित टूर्नामेंट्स/खेलकूद प्रतियोगिताओं पर व्यय	3,43,550.60	4,79,085.65	5,25,388.35	13,48,024.60

1	2	3	4	5	6
7.	विशेष खाद्य-सामग्री दूध/अण्डे आदि की आपूर्ति पर व्यय	36,850.70	29,902.00	46,221.25	1,12,573.95
8.	स्कूली बच्चों का प्रशिक्षण शुल्क (सामग्रियों की कीमत, युवा-अवस्था में खिलाड़ी बनाने के अन्तर्गत बाहरी प्रशिक्षकों को मानदेय, आदि)	11,875.00	—	61,247.50	73,122.50
9.	ग्रामीण खेलों की प्रगति पर व्यय (आपूर्ति की गई सामग्रियों की लागत किराया व्यय आदि सहित)	11,000.00	2,550.00	4,000.00	17,550.00
10.	विविध व्यय जिसमें खेल प्रतियोगिताओं के दौरान खरीदी गई दवाओं तथा ग्लूकोस, आदि की लागत शामिल है	—	3,509.60	30,727.37	34,236.97
	जोड़ :	11,33,118.31	15,96,385.99	17,16,257.18	44,45,761.48

केरल को मिट्टी के तेल का आबंटन

[हिन्दी]

2815. श्री रमेश चिन्निथला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल को आबंटित "मिट्टी के तेल के कोटे" में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उपलब्ध होने पर आबंटन होने पर आबंटन किए जाते हैं।

पनबिजली उत्पादन के लिए नदी-घाटों का पानी अन्तरित करना

[अनुवाद]

2816. श्री विजय नवल पाटिल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-2000 के दौरान पनबिजली के उत्पादन के लिए नदी घाटों के पानी को अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 1988 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पूरे किए गए जल विद्युत शक्यता पुनर्मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन कार्यों के आधार पर 49 नदी बेसिनों को अध्ययन कार्यों के प्रयोजनार्थ पाया गया था। इन नदी बेसिनों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1990-2000 के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए पता लगाई गई जल विद्युत स्कीम जिनके लिए परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो चुकी हैं तथा जल का ट्रांस-बेसिन व्यपवर्तन निम्नानुसार निहित है :—

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	नदी बेसिन
1	2	3
1. एस० वाई० एल० कैनाल (पंजाब)	$2 \times 18 + 2 \times 7 = 50$	सतलुज से यमुना

1	2	3
2. बाणसागर टोन्स (मध्य प्रदेश)	3 × 105 + 2 × 15 = 345	सोने से लोअर गंगा (टोन्स)
3. पेन्ना अहोबिलम (आंध्र प्रदेश)	2 × 10 = 20	कृष्णा नदी (तुंगभद्रा कैनाल) से पेन्ना नदी
4. अपर इन्द्रावती उड़ीसा	4 × 150 = 600	गोदावरी (इन्द्रावती) से महानदी।

उपरोक्त स्कीमों में विद्युत उत्पादन सहित बहुउद्देशीय लाभों के लिए जल का ट्रांस-बेसिन व्यपवर्तन निहित है। जल का व्यपवर्तन पूर्णतया विद्युत उत्पादन हेतु नहीं है।

विवरण

लोक सभा में दिनांक 13-8-1991 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2816 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबन्ध

भारत में नदी बेसिन

क्रम सं०	बेसिन संख्या (प्लेट 1 के अनुसार)	नदी प्रणाली/बेसिन
1	2	3
1.	1	(क) ग्रेट इन्डस
		इण्डस
2.	2	झेलम
3.	3	चेनाब
4.	4	रावी
5.	5	व्यास
6.	6	सतलुज
		(ख) गंगा
7.	7	अपर यमुना
8.	8	अपर गंगा
9.	9	चंबल

1	2	3
10.	10	बेतवा सिन्ध
11.	11	सारदा-गोमती-घाघरा
12.	12	लोअर यमुना
13.	13	सोन
14.	14	कोसी-गंडक-महानंदा
15.	15	लोअर गंगा
16.	16	दामोदर
		(ग) ग्रेट ब्रह्मपुत्र
17.	17	तीस्ता
18.	18	कामेंग
19.	19	सुबनसिरी
20.	20	धियांन-दिबांग
21.	21	लुहिट
22.	22	अपर ब्रह्मपुत्र
23.	23	कलांग
24.	24	लोअर ब्रह्मपुत्र
25.	25	बारक एण्ड नेबरिंग रिवर सिस्टम
		(घ) सैन्ट्रल इण्डियन रिवर्स
26.	26	सुबनरेखा
27.	27	ब्राह्मनी-बैतरणी
28.	28	महानदी
29.	29	नर्मदा
30.	30	माही
31.	31	साबरमती
32.	32	लुनी-बानास एण्ड अदर रिवर्स
33.	33	तापी
		(च) वैस्ट फ्लोइंग एण्ड अदर सदर्न इण्डिया
34.	34	मिधोला-वामनगंगा

1	2	3
35.	35	वैतराना-सावित्री
36.	36	वशिष्ठा-तिलारी
37.	37	मांडवी-शरावथी
38.	38	वाराही कुट्टीयाडी
39.	39	बाईपोर-पेरियार
40.	40	पाम्बा-पैरालियार
		(छ) ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आफ सदर्न इण्डिया
41.	41	रिवर्स बिटवीन कावेरी एण्ड कन्याकुमारी
42.	42	कावेरी
43.	43	रिवर्स बिटवीन पेनैर एण्ड कावेरी
44.	44	पेनैर
45.	45	रिवर्स बिटवीन कृष्णा एन्ड पेनैर
46.	46	कृष्णा
47.	47	रिवर्स बिटवीन गोदावरी एण्ड कृष्णा
48.	48	गोदावरी
49.	49	रिवर्स बिटवीन महानदी एण्ड गोदावरी

टिहरी ताप बिजली परियोजना

[हिन्दी]

2817. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना वर्ष 1996-97 से पहले पूरी हो जानी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए 450 करोड़ रुपए प्रति वर्ष स्वीकृति का आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 में सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ङ) उस पर कुल कितनी लागत आ की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) टिहरी जल विद्युत काम्पलेक्स (2400 मेगावाट) जिसमें निर्माणाधीन टिहरी बांध परियोजना (1000 मेगावाट) भी शामिल है, की अनुमानित लागत (मार्च, 1991 के मूल्य स्तर पर) 3804 करोड़ रुपए है और इसके 1996-97 तक पूरा होने की आशा है। टिहरी जल विद्युत काम्पलेक्स के लिए विद्युत विभाग के चालू वर्ष (1991-92) के बजट में 170 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान है। यद्यपि परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि की औसत वार्षिक आवश्यकता होगी तथापि कार्य की प्रगति, वर्ष के दौरान हाथ में लिए जाने वाले क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यसूची और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक रूप से निधियों का प्रावधान किया जाता है।

विभिन्न राज्यों में बिजली की दरें

[अनुवाद]

2818. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को बिजली की आपूर्ति किस दर पर की जा रही है;

(ख) तमिलनाडु को दी जा रही बिजली की दर घटाने के लिए क्या सरकार को कोई आवेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

[हिन्दी]

2819. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को उनकी जनसंख्या की तुलना में कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल की सप्लाई की जाती है;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो रहे मिट्टी के तेल की औसत क्या है;

(ग) राज्यों को मिट्टी का तेल आबंटित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या सप्लाई किए जा रहे मिट्टी के तेल की मात्रा और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के बीच कोई अन्तर है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस अन्तर को पूरा करना है;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (छ) मिट्टी के तेल का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन पूर्ववर्ती आधार पर किया जाता है बशर्ते कि उत्पादन उपलब्ध हों। संलग्न विवरण में वर्ष 1990-91 में दिए गए राज्यवार आबंटनों को दिखाया गया है।

विवरण

राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन टन में 1990-91*
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	584481
2.	अरुणाचल प्रदेश	9101
3.	असम	246694
4.	मणिपुर	20668
5.	मिजोरम	5841
6.	बिहार	468303
7.	दिल्ली	230551
8.	गोआ	27129
9.	गुजरात	780423
10.	दादर और नागर हवेली	3113
11.	हरियाणा	151018
12.	पंजाब	319305
13.	दमन और द्वीयू	2944
14.	हिमाचल प्रदेश	36476
15.	चण्डीगढ़	20920
16.	जम्मू और कश्मीर	63788

1	2	3
17.	कर्नाटक	443694
18.	केरल	266002
19.	मध्य प्रदेश	381029
20.	मेघालय	15197
21.	महाराष्ट्र	1481866
22.	नागालैण्ड	10044
23.	उड़ीसा	153466
24.	राजस्थान	265137
25.	सिक्किम	7389
26.	तमिलनाडु	655343
27.	पांडिचेरी	14581
28.	उत्तर प्रदेश	907235
29.	त्रिपुरा	20769
30.	वेस्ट बंगाल	733606
31.	अण्डमान और निकोबार	2276
32.	लक्षद्वीप	875
	योग :	8335774

*तदर्थ आबंटनों के अतिरिक्त ।

पेट्रोल और डीजल का उत्पादन/खपत

[अनुवाद]

2820. श्री ए० चार्ल्स : क्या पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1990-91 के दौरान पेट्रोल और डीजल की कुल कितनी खपत हुई है;

(ख) इस वर्ष के दौरान इन मदों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ग) क्या सरकार के पास पेट्रोल और डीजल का और अधिक उत्पादन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास देश में पेट्रोल और डीजल के प्रयोग में कमी करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) लगभग 3500 टी० एम० टी० पेट्रोल तथा 21,000 टी० एम० टी० डीजल ।

(ख) करीब 2280 करोड़ रुपए पर 4629 टी० एम० टी० एच० एस० डी० ।

(ग) और (घ) वर्तमान कुछ रिफाइनरियों का विस्तारण करके तथा नई रिफाइनरियों को स्थापित करके शोधन क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है ।

(ङ) और (च) संरक्षण तथा मांग प्रबन्ध के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ।

बिहार की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

2821. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**
श्री विजय कुमार यादव :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री राम लखन सिंह यादव :
श्री ललित उरांव :
श्री राम नरेश सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की बहुत-सी विद्युत परियोजनाएं केन्द्र के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ स्वीकृति-प्राप्त परियोजनाओं पर वित्तीय और अन्य रुकावटों के कारण काम नहीं हो पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगा०)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	पतरातु विस्तार ताप-विद्युत) (चरण-5)	2 × 2:0 = 420	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ईंधन लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली,

1	2	3	4
			सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति और नागर विमानन प्राधिकारियों की स्वीकृति तथा जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों की भी अनुपालना की जानी है ।
2.	मुजफ्फरपुर (ताप-विद्युत) विस्तार (चरण-2)	2×210=420 2×250=500	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ईंधन लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और नागर विमानन प्राधिकारियों की स्वीकृति सुनिश्चित की जानी है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों की अनुपालना भी की जानी है ।
3.	चण्डील (ताप-विद्युत) (मैसर्स आर० पी० जी० एन्टरप्राइजेज)	2×250=500	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ईंधन लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, पर्यावरण की दृष्टि और नागर विमानन प्राधिकारियों की स्वीकृति तथा जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 और धारा 44 के प्रावधानों की भी अनुपालना की जानी है ।

(ग) और (घ) तेनुघाट ताप-विद्युत परियोजना (चरण-2) (3×210 मेगावाट) को 669.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर और यूनिट 3, 4, एवं 5 को क्रमश: 9/94, 3/95 और 12/95 में मूल रूप से चालू किए जाने के कार्यक्रम को फरवरी, 89 में स्वीकृति प्रदान की गई थी । वित्तीय बाधाओं के कारण इस परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

मन्दार हिल से दुमका तक रेल लाइन बिछाना

[हिन्दी]

2822. **श्री सूरज मण्डल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर-मन्दार हिल रेल लाइन को बरास्ता गोड्डा, दुमका तक बढ़ाए जाने की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रेल लाइन को बरास्ता गोड्डा, दुमका तक बिछाने का है और कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

अहमदाबाद-वेरावल लाइन को बदलना

2823. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद-वेरावल मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अहमदाबाद से राजकोट तक पहले ही बड़ी लाइन है । गुजरात सरकार ने राजकोट-वेरावल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की सिफारिश की है ।

(ख) विभिन्न वैकल्पिकों सहित प्रस्ताव सर्वेक्षणाधीन है । आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

सोलापुर में वाडी तक लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

[अनुवाद]

2824. **श्री धर्मण्णा मोंडिया सादुल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सोलापुर और वाडी के बीच की रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की मांग कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस सैक्शन पर भारी यातायात को देखते हुए इस रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने हेतु सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) शोलापुर और वाडी के बीच पहले से ही बड़ी लाइन है ।

बिहार में रेल पुल

[हिन्दी]

2825. श्री तेज नारायण सिंह :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय निर्माणाधीन रेल पुलों के नाम क्या हैं तथा निकट भविष्य में किन पुलों का निर्माण पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) बिहार में रेलवे स्टेशनों पर उपरिपुलों के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) इस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बिहार में किसी नाम का कोई रेलवे पुल निर्माणाधीन नहीं है।

(ख) ऊपरी पैदल पुलों के निर्माण के लिए 174.24 लाख रुपए।

(ग) 41.12 लाख रुपए।

(घ) स्वीकृत ऊपरी पैदल पुलों के 1992-93 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

केप्टिव विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

2826. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विद्यमान नीति निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों में केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालती है। जिन मामलों में संयंत्र का आकार 25 मेगावाट से कम होता है, राज्य बिजली बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस क्षमता से अधिक के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है।

विद्युत उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागेदारी से सम्बन्धित अनुमोदित नीति में यह व्यवस्था है कि कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को अधिशेष विद्युत की बिक्री हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

सूरत-भावनगर तथा सूरत-दिल्ली के बीच विमान सेवा

[हिन्दी]

2627. **श्री काशीराम राणा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी घाटे में चल रही वायुदूत सेवा को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार किसी गैर-सरकारी एजेंसी को वायुदूत के प्रचालन मार्गों पर विमान सेवा का संचालन करने की अनुमति देने का है; और

(ग) उस एजेंसी का नाम क्या है जिसे सूरत-भावनगर तथा सूरत-दिल्ली मार्गों पर विमान सेवा प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अत्यधिक घाटे के कारण वायुदूत को अपने नेटवर्क में भारी कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है।

(ख) किसी भी विशेष अन्तर्देशीय मार्ग पर हवाई टैक्सी परिचालन के लिए किसी प्रचालक को सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

कर्नाटक में तेल के लिए सर्वेक्षण

[अनुवाद]

2828. **श्री जी० देवराय नायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों ने कर्नाटक में कारवार और मंगलूर के तट पर तेल भण्डारों का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए भावी कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों के आधार पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1979 में एक कूप का वेधन किया तथा मैसर्स आयल इण्डिया ने वर्ष 1989-90 में दो कूपों का वेधन किया, ये सभी सूखे थे। इन अपतट ब्लाकों को अन्वेषण के चौथे दौर में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

केरल के लिए वैगनों की उपलब्धता

2829. प्रो० के० वी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में माल ढोने के वैगन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) राज्य के बाहर के स्थानों को माल बुक करने के लिए अतिरिक्त वैगनों के आवंटन के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केरल क्षेत्र में माल डिब्बों की ऐसी कोई कमी नहीं है। बहरहाल, महत्वपूर्ण क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट आदि के अधिक यातायात की ढुलाई करने के लिए फुटकर माल डिब्बों की ब्लाक रेकों के रूप में संरचना की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप फुटकर मांगों के मामले में माल डिब्बों की मांग और सप्लाई के बीच कुछ अन्तर पड़ जाता है।

पीलीभीत में उपरिपुल

[हिन्दी]

2830. डा० परशुराम गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर बहुत अधिक यातायात को देखते हुए वहां पर एक उपरिपुल बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पैदल पुल पहले ही मौजूद है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का प्रबन्ध

[अनुवाद]

2831. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में 'स्टेप्स टू नर्स सिक होटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम प्रबन्धन को समस्त प्रबन्धकीय प्रणाली में,

जिसमें इस उद्योग को चलाने के लिए अधिकतर अनुभवहीन व्यक्ति हैं, उच्च स्तर से परिवर्तन और पुनर्संरचना करने की तुरन्त आवश्यकता है;

(ग) क्या समाचार में उल्लिखित तीन होटल शहर के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं और निवेश-कर्ताओं को आकर्षित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के तीन होटल यथा रणजीत, जनपथ और लोदी होटल नई दिल्ली में स्थित हैं। विदेशी निवेशकर्ताओं ने जनपथ और जणजीत के सम्बन्ध में पूंजी लगाने में रुचि दिखाई है।

उत्तर प्रदेश में विमानपट्टी

2832. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विमान पट्टियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) विमान पट्टियों के निर्माण के क्या मानदंड हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) यातायात सम्भावना, परिचालनों की वाणिज्यिक सक्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और उसका लगाया जाना, विमान-बेड़ा उपलब्धता और अनुसूचित विमान-कम्पनियों के परिचालन की योजना तथा ऐसे ही अन्य कारकों के आधार पर नए हवाई अड्डे के निर्माण की सम्भावना का निर्धारण किया जाता है।

कोयले का उत्पादन

28:3. **श्री के० प्रधानी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 के दौरान कोयले का उत्पादन गिरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले की वितरण प्रणाली की स्थिति बदतर हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी जांच का आदेश दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) और (ख) देश में वर्ष 1990-91 के दौरान 211.73 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ। पिछले वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा यह 10.84 मिलियन टन अधिक हुआ।

(ग) जी, नहीं। विभिन्न क्षेत्रों को पिछले वर्ष को किए गए कोयले के प्रेषण की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान 8.16 मिलियन टन कोयले के प्रेषण में वृद्धि हुई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

[हिन्दी]

2834. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1990 में डीजल तथा पेट्रोल की प्रति लीटर की क्या कीमतें थी और जुलाई, 1991 में ये मूल्य क्या-क्या रहे; और

(ख) मूल्यों में इस वृद्धि के फलस्वरूप डीजल तथा पेट्रोल पर कुल कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे दी गई हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रशासित कीमतें केवल उत्पादन लागत से ही संबंधित हों।

उत्पाद	भण्डारण स्थल पर कीमत (रुपये प्रति लिटर)		
	जुलाई, 1990	पहले 25-7-91	बाद में 25-7-91
डीजल	3.64	4.55	4.55
पेट्रोल (एम० एस० 87)	8.95	11.18	13.42

रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2835. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार किन-किन रेलवे जोनों और डिवीजनों के अन्तर्गत मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का विचार है;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जहां कार्य पहले ही चालू है उनके अलावा किसी भी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के किसी भी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

[अनुवाद]

2836. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक पर्यटन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार पर्यटन हेतु एक कार्य-योजना बनाने सम्बन्धी कारंवाई कर रही है, जिसके कारण कुछ नीतिगत परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है।

रेल विभाग के बकाया की वसूली

[हिन्दी]

2837. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों से गैर-सरकारी एजेंसियों, सरकारी संगठनों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर रेल विभाग का वर्ष-वार कितना धन बकाया है;

(ख) बकाये धन की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान माफ किए गए/वसूल न किए जा सकने वाले ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मोटरकारों में संपीडित प्राकृतिक गैस का उपयोग

[अनुवाद]

2838. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कनवर्जन किट लगवा कर कारों और टैक्सियों में सम्पीडित प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में भावी योजनाएं क्या हैं;

(ग) कनवर्जन (रूपांतरण) किट लगाने पर प्रति वाहन कितनी लागत आएगी; और

(घ) इससे देश में ईंधन की लागत में कितनी बचत हो सकेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) गैस आथारिटी आफ इण्डिया लि० तथा आई० बी० पी० कम्पनी लि० ने चुने हुए स्थान पर संपीडित प्राकृतिक गैस का आटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

2839. प्रो० प्रेम धूमाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में चांगर-तलाई में तेल और प्राकृतिक गैस के खोज का कार्य जारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी भावी संभावनायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) चांगरतलाई-1 कूप का वेधन 20-3-91 को आरम्भ हुआ जो आरम्भिक चरण में है।

धनबाद की कोयला खानों में जल-स्तर

[हिन्दी]

2840. श्रीमती रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में लगातार खनन के कारण वहां जल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वहां पेयजल की कमी हो गई है;

(ख) क्या वहां पानी की समस्या पर काबू पाने के लिए "आप्रेशन वरुण" को कार्यान्वित करने का कुछ समय पहले आश्वासन दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो 'आप्रेशन वरुण" का ब्यौरा क्या है, और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसमें किस सीमा तक सफलता मिली है ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौडा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत पर्यटन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुनः रोजगार पर लगना

[अनुवाद]

2841. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार, उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जो अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के पश्चात भारत पर्यटन विकास निगम में पुनः रोजगार पर लगे हैं; और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम में निरन्तर हो रहे घाटे को कम करने तथा कर्मचारियों की अधिक संख्या को कम करने की दृष्टि से इन व्यक्तियों को सेवामुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नाम	कहां से सेवा-निवृत्त हुएँ	सेवा-निवृत्ति के समय धारित पद	कुल अनुभव	30-6-91 की स्थिति के अनुसार सेवा-निवृत्ति के बाद किस हैसियत से आई० टी० डी० सी० में कार्यभार संभाला	अवधि पूरी होने की तारीख	कारण तथा औचित्य
श्री आर० नवल राय	एअर इण्डिया	प्रणाली प्रबन्धक (उत्पाद विकास)	33 वर्ष	परामर्शदाता (परिचालनात्मक विकास-स्वदेशी)	21-8-91	इन सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को आई टी डी सी में निगम की कारोबार सम्बन्धी जरूरतों के कारण पुनः रोजगार पर लगाया गया था ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों में इनके विविध एवं लम्बे अनुभव का लाभ उठाया जा सके।
ए० चन्द्रशेखरन	आई टी डी सी	प्रधान-प्रबन्धक होटल (प्रशासन)	40 वर्ष	परामर्शदाता (होटल प्रभाग)	31-7-92	
सी एल सैनी	आई टी डी सी	उप प्रबन्धक (दूरभाष)	31 वर्ष	दूरसंचार परामर्शदाता	30-6-91	
एस फर्नान्डीज	आई टी डी सी	मुख्य कार्यपालक शेफ	45 वर्ष	परामर्शदाता (परम्परागत कुकरी)	30-11-91	

असम की बराक घाटी में ठेका मजदूर

2842. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के बराक घाटी में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या इस परियोजना के अंतर्गत चार सौ से अधिक शिक्षित युवक ठेका मजदूर के रूप में लम्बे समय से लगातार काम कर रहे हैं; और

(ग) उन मजदूरों की सेवाएं नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बराक घाटी में दो गैस क्षेत्रों अर्थात अदमटिल्ला तथा बनासकंडी की खोज की गई है।

(ख) और (ग) चूंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने सीधे तौर पर इन मजदूरों को काम पर नहीं लगाया है अतः उन्हें नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में तटीय रेल लाइन

2843. प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बापतला, निजापटनम-रेपल्ली-चल्लापल्ली और मछलीपटनम को जोड़ने वाली तटीय रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में रेलवे पुल

2844. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कुछ सड़क उपरिपुलों और सड़क अवर पुलों की सूची भेजी थी कि इन पुलों के निर्माण को वर्ष 1992-93 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद स्टेशन पर महत्वपूर्ण गाड़ियों का रुकना

[हिन्दी]

2845. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की असुविधा को देखते हुए फिरोजबाद स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों जैसे गोमती एक्सप्रेस और जयन्ती जनता एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का फिरोजाबाद का प्रथम और द्वितीय श्रेणी का आरक्षण कोटा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उसे कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यातायात की वर्तमान मात्रा 2311/2312 कालका मेल, जिसका 15-2-91 से फिरोजाबाद में ठहराव दिया गया था, सहित 4 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों तथा 12 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा समुचित रूप से सम्हाली जा रही है।

(ग) से (ङ) इस समय फिरोजाबाद में केवल दूसरे दर्जे का आरक्षण कोटा उपलब्ध है जो सामान्यत: मांग के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मांग कम होने के कारण फिरोजाबाद में ऊंचे दर्जे का कोटा आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली-अम्बाला मार्ग का विद्युतीकरण

2846. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली अम्बाला-रेल लाइन के विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। नए कार्य के रूप में दिल्ली-अम्बाला खण्ड के विद्युतीकरण को 1991-92 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है। 1995-96 में इसके पूरा होने की सम्भावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

गुजरात में विभिन्न स्टेशनों के लिए आरक्षण कोटा

2847. श्री रति लाल वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में धोलका, धन्धुका, बफाला, बाराहु, वीरमगांव रेलवे स्टेशनों पर दिल्ली और बम्बई के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्टेशन के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कोटा वहां पर कब तक उपलब्ध कराया जाएगा और यह कोटा कितना होगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां । बालंबा स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशनों पर आरक्षण कोटा उपलब्ध है ।

(ख) धोलका, धुन्धका, बोटाद और वीरमगाम स्टेशनों पर निम्नलिखित आरक्षण कोटा उपलब्ध है :—

स्टेशन/गाड़ी का नाम	दर्जा		दिशा
	वा० कु० 2-टियर	दूसरा दर्जा	
धोलका			
9008 अहमदाबाद-जनता एक्सप्रेस	—	2	बम्बई
9932 अरावली एक्सप्रेस	—	1	दिल्ली
धंधुका			
9008 अहमदाबाद-जनता एक्सप्रेस	—	4	बम्बई
9932 अरावली एक्सप्रेस	—	1	दिल्ली
बोटाद			
9002 गुजरात मेल	—	1	बम्बई
9008 अहमदाबाद-जनता एक्सप्रेस	—	3	बम्बई
9006 सौराष्ट्र मेल	—	4	बम्बई
2997 हापा-जम्मू तवी एक्सप्रेस	—	2	दिल्ली
वीरमगाम			
9032 कच्छ एक्सप्रेस	—	2	बम्बई
9018 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	—	14	बम्बई
9006 सौराष्ट्र मेल	2	7	बम्बई
2981 सर्वोदय एक्सप्रेस	—	2	बम्बई

(ग) कम यातायात प्राप्त होने के कारण बाकला स्टेशन पर आरक्षण कोटा आवंटित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक एक्सप्रेस का छूटने का समय

[अनुवाद]

2848. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली स्टेशन से कर्नाटक एक्सप्रेस के छूटने का समय अधिकांश यात्रियों के लिए असुविधाजनक है;

(ख) क्या सरकार को राज्य से तथा आम जनता से इस रेलगाड़ी के छूटने के समय में परिवर्तन किए जाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नई दिल्ली से चलने वाली 2627/2628 कर्नाटक एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन करने के लिए विगत में कुछ मांगें की गई थीं।

(ग) परिचालनिक अनिवार्यताओं के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

पुरूलिया कोटशिला लाइन का बदलना

2849. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में पुरूलिया कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अद्यतन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य को शुरू करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अधिक किराया लिया जाना

2850. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स, इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक सदस्य है;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स, के विमानों का यात्री किराया इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तय किया जाता है;

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स स्वदेशी उड़ानों में अधिक किराया ले रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के फोरमों में केवल अन्तरराष्ट्रीय किरायों और किराए स्तरों का निर्धारण किया जाता है। अन्तरदेशीय किराए "आयटा" के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

सवाई माधोपुर-जयपुर लाइन को बदलना और उसका विस्तार करना

[हिन्दी]

2851. **श्री राम नारायण बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर से जयपुर के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी प्रस्ताव को पिछले वर्ष स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) क्या सरकार इस रेल लाइन को टोंक के रास्ते सवाई माधोपुर से जयपुर तक जोड़ने का विचार कर रही है;

(ग) क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) 1986 में।

उत्कल-कलिंग एक्सप्रेस का देरी से चलना

[अनुवाद]

2852. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल-कलिंग एक्सप्रेस का देरी से चलना और उसके वातानुकूलन (ए० सी० टू टायर) का काम न करना आम बात है;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान यह गाड़ी पुरी और निजामुद्दीन स्टेशनों पर कितने दिन देर से पहुंची और उसके कारण क्या हैं;

(ग) 29 जून, 1991 को निजामुद्दीन से चलने वाली गाड़ी से द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित शयनयान के अलग किए जाने के क्या कारण थे;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच करायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) उत्तरदायी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गयी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह गाड़ी मुख्यत: खतरे की जंजीर खींचे जाने, दुर्घटनाओं तथा उपस्कर की खराबियों के कारण पुरी में 75 दिन तथा निजामुद्दीन में 83 दिन विलम्ब से पहुंची ।

(ग) सवारी डिब्बे के वातनुकूल संयन्त्रों में खराबी आ गई थी ।

(घ) जी हां ।

(ङ) चालन के दौरान सवारी डिब्बे के दोनों वातानुकूल संयन्त्र खराब हो गए थे ।

(च) दोषी कर्मचारियों को दण्ड देने हेतु कारंवाई शुरू कर दी गई है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग

2853. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में राज्य-वार विद्युत उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादन लागत क्या हैं;

(ख) क्या स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थापित क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए और उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल-जुलाई, 91 के दौरान का राज्यवार/प्रणाली-वार/संघ राज्य क्षेत्र और क्षेत्रवार ऊर्जा उत्पादन और संयन्त्र भार अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । विद्युत उत्पादन की लागत भिन्न-भिन्न परियोजनाओं में भिन्न-भिन्न होती है और यह अनेक घटकों यथा सिविल कार्य की मात्रा एवं जल विद्युत परियोजनाओं के प्रचालन के भार घटक पर निर्भर करती है । ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में यह जिस स्थान पर परियोजना स्थित है तथा संयन्त्र और उपस्कर की किस्म, यूनिटों के आकार, ईंधन का प्रकार इसकी लागत तथा वर्ष में इसके प्रचालन के घंटों पर निर्भर करती है ।

(ख) और (ग) विद्युत का उत्पादन, (भार) सम्बन्धी आवश्यकताओं और पारेषण एवं वितरण प्रणाली में बाधाओं दोनों पर निर्भर करता है । इसलिए विद्युत उत्पादन यूनिटों से इसकी पूर्ण क्षमता के

अनुरूप विद्युत उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ताप विद्युत और न्यूक्लीय यूनिट से सम्बन्धित मामले में विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन अनेक घटकों पर निर्भर करता है जिसमें आयोजित अनुरक्षण, जबरन बन्दियां आदि शामिल हैं, तथा जल विद्युत यूनिटों के मामले में जलाशयों में जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। विद्युत उत्पादन प्रणालीगत भार सम्बन्धी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है जोकि दिन के दौरान व्यस्ततमकालीन घंटों और गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान भिन्न-भिन्न होता है।

(घ) ताप विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :—पुराने यूनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण, संयन्त्र सुधार कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता और समुचित मात्रा में कोयला सप्लाई करना कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और पारेषण नेटवर्क में सुधार करना।

विवरण

1. अप्रैल, 91—जुलाई, 91 के दौरान राज्यवार ऊर्जा उत्पादन और संयंत्र भार अनुपात

2. क्षेत्रवार विद्युत उत्पादन

ऊर्जा उत्पादन (मेगा०)

प्रणाली का नाम	ताप विद्युत	न्यूक्लीय	जल विद्युत	जोड़	संयंत्र भार अनुपात (%)
1	2	3	4	5	6
बी० बी० एम० बी०	—	—	4926	4926	—
दिल्ली	1954	—	—	1954	53.5
जम्मू एवं कश्मीर	13	—	1238	1251	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	958	958	—
हरियाणा	947	—	110	1057	39.7
राजस्थान	1577	491	189	2257	54.6
पंजाब	1980	—	1153	3133	52.8
उत्तर प्रदेश	11975	130	2057	14162	58.9
गुजरात	6401	—	186	6587	57.0
महाराष्ट्र	10511	503	1759	12773	55.2
मध्य प्रदेश	9909	—	331	10240	57.6
आन्ध्र प्रदेश	5773	—	2801	8574	52.4

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	762	—	3058	3820	62.0
केरल	—	—	1765	1765	—
तमिलनाडु	6213	478	1028	7719	66.4
बिहार	883	—	30	913	24.1
उड़ीसा	455	—	1513	1968	33.8
पश्चिम बंगाल	4348	—	33	4381	45.0
डी० वी० सी०	1578	—	83	1661	34.1
सिक्किम	—	—	12	12	—
असम	406	—	—	406	27.6
मेघालय	—	—	387	387	—
त्रिपुरा	23	—	18	41	—
मणिपुर	—	—	147	147	—

क्षेत्रवार विद्युत का कुल उत्पादन, प्रत्येक क्षेत्र में कुल विद्युत उत्पादन का प्रतिशत तथा अप्रैल, 91—जुलाई, 91 के दौरान का संयंत्र भार अनुपात निम्नवत् है :—

क्षेत्र	विद्युत उत्पादन (मि० यू०) (अप्रैल—जुलाई, 91)	कुल विद्युत उत्पादन का प्रतिशत	ताप विद्युत के बारे में संयंत्र भार अनुपात प्रतिशत
केन्द्रीय क्षेत्र	31535	34.6	58.8
राज्य क्षेत्र	54726	60.1	50.0
निजी क्षेत्र	483	5.3	60.2
जोड़	91092	—	53.3

हवाई टैक्सियों के संचालक

2854. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
　　श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन एजेंसियों को हवाई टैक्सी संचालक परमिट जारी किए गए हैं और कब से;

(ख) उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने हवाई टैक्सियां चलानी प्रारम्भ कर दी हैं और कब से;

(ग) क्या उनके संचालन के कोई मार्ग निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन एजेंसियों का किराया और मार्ग तय करने के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी सेवाओं का इण्डियन एयरलाइन्स और एयर एण्डिया की आय और कार्य-निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जिन हवाई टैक्सी परिचालकों को परमिट जारी किए गए हैं और जिन्होंने सेवाओं का परिचालन आरम्भ कर दिया है, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

प्रचालक का नाम	परमिट जारी करने की तारीख	वह तारीख जिससे परिचालन आरम्भ किए गए
1. मैसर्स इण्डिया इन्टरनेशनल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	28-2-1990	मार्च, 1990
2. मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विसेज प्रा० लि०, नई दिल्ली	8-3-1990	अप्रैल, 1990
3. मैसर्स यू० बी० एयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर	30-[illegible]-1990	जून, 1990
4. मैसर्स एयर एशियाटिक लिमिटेड, मद्रास	29-9-1990	अक्तूबर, 1990
5. मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	28-2-1991	मार्च, 1991
6. मैसर्स कान्टीनेंटल एयर प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश)	19-6-1991	जून, 1991

(ग) से (च) देश में हवाई सेवाओं का परिचालन करने वाली निजी पार्टियों के सम्बन्ध में विमान के आकार, मार्गों, समयावलियों, किरायों और परिचालन वाले हवाई अड्डों के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा परिचालन किए जाने से राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की आय और कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

मध्य भारत में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

2855. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने मध्य भारत में लगने वाले 1800 करोड़ रुपए के दूसरे तेल शोधक कारखाने के लिए आवश्यक अपनी इक्विटी पूंजी का एक भाग जनता से इकट्ठा करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस छः लाख टन क्षमता के तेल शोधक कारखाने के लिए मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लालमटिया कोयला खानों का विकास

[हिन्दी]

2856. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में सन्थाल परगना में लालमटिया कोयला खानों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपया आवंटित किया था और क्या इस राशि का बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए खर्च का ब्योरा क्या है;

(ग) खानों में उन कार्यों का ब्योरा क्या है जिन्हें निर्धारित समय के अनुसार अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है और क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन खानों के मजदूरों को स्वास्थ्य, आवास और अन्य जनसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) से (घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के लालमटिया क्षेत्र में राजमहल ओपेनकास्ट (विस्तार) परियोजना 10.5 मि०ट० प्रतिवर्ष की क्षमता से सरकार द्वारा नवम्बर, 88 में 562.70 करोड़ रु० के पूंजीगत परिव्यय से स्वीकृत की गई थी।

परियोजना पर 31-3-1991 तक 476.92 करोड़ रु० की राशि का व्यय हुआ। वर्तमान

अनुमानों के अनुसार परियोजना के समय से अर्थात् मार्च, 1995 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

कुछ मुख्य क्रियाकलाप जो इस समय कार्यक्रम से पीछे चल रहे हैं और जिन पर सरकार तथा ई० को० लि० का निरन्तर ध्यान है, वे निम्नलिखित हैं :—

(i) वन भूमि/पट्टेदारी भूमि के हिस्से का अधिग्रहण।

(ii) द्वितीय रैपिड लोडिंग सिलो।

(iii) मुख्य कोयला रख-रखाव संयंत्र की समर्पित प्रणाली।

इन मामलों पर उपयुक्त अवसरों पर अनुवर्ती कारंवाई की गई है। परियोजना के आवासीय सम्बन्धी सन्तोष प्रदत्ता 71% होने का अनुमान लगाया गया है। इस परियोजना में जलापूर्ति योजना, एक 50 बिस्तर वाले अस्पताल, सड़कों तथा टाउनशिप, आदि से सम्बन्धित व्यवस्था है। पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकारी अधिकारियों को सुविधाएं

[अनुवाद]

2857. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ चुनिन्दा कार्यकारी अधिकारियों को इस निगम में सभी प्रकार की सुविधाएं, पट्टा आवास/होटल आवास, ड्राइवर सहित कार और भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में आतिथ्य-सत्कार की सुविधा प्राप्त हो रही है और निगम को इसके कारण प्रतिवर्ष लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के प्रशासकीय खर्चे में बचत करने के लिए इन कार्यकारी अधिकारियों को मौजूदा सुविधाओं के बदले मकान किराया भत्ता, निर्धारित वाहन भत्ता, मनोरंजन अनुदान आदि देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम अपने पात्र कार्यपालकों को ये सुविधाएं नियमों तथा निगम की परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा-आम्टा रेल लाइन

2858. प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हावड़ा-आम्टा बड़ी रेल लाइन के निर्माण को जारी रखने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसका निर्माण पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति होगी। कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

गुजरात के अमरेली जिले के लिए विमान सेवा

[हिन्दी]

2859. **श्री दिलीप भाई संघानी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात के अमरेली जिले में कोई विमान सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में कोयला पर भाड़ा सम्बन्धी राजसहायता

[अनुवाद]

2860. **श्री अन्बारासु इरा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी, कोयला खानों से कोयला की सप्लाई के लिए तमिलनाडु सरकार भाड़ा सम्बन्धी राजसहायता देने की मांग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कारंवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) और (ख) वर्ष 1990 में तमिलनाडु सरकार/तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने विभिन्न कोलियरियों से तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के ताप विद्युत गृहों की 312.48 करोड़ रुपए की राशि की सिंगरेनी कोलियरीज द्वारा कोयले की आपूर्ति न किए जाने के कारण परिवहन की विभेदक दर के रूप में आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया। वास्तव में यह अनुरोध रेल-सह-समुद्री मार्ग की आर्थिक सहायता योजना को पुनः चालू करने तथा उसे विस्तृत करने के सम्बन्ध में था, जोकि सितम्बर, 198? में समाप्त कर दी गयी थी। [illegible] कोयले की आपूर्ति हेतु भाड़े में आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयला वितरण के लिए डी० ओ० प्रणाली

[हिन्दी]

2861. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :
श्री रामनरेश सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला वितरण की डी० ओ० प्रणाली के कारण कोल माफिया को ताकत मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले का "डी० ओ०" अधिकतर अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कोटे के माध्यम से किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का "डी० ओ०" प्रणाली को समाप्त करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) से (च) इस सम्बन्ध में माननीय सांसद द्वारा डी० ओ० परिवर्णी शब्द का आशय "सुपुर्दगी आर्डर" से है : सुपुर्दगी आर्डर सामान्यत वाणिज्य में प्रयोग में लाया जाने वाला दस्तावेज है, जोकि वस्तुओं की मात्रा और उस व्यक्ति का नाम जिसे उक्त वस्तुओं को जारी किया जाना है, को विनिर्दिष्ट करता है। सभी कोयला कम्पनियां इस दस्तावेज का कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए प्रयोग करती हैं। किन्तु कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में "अतिविशिष्ट व्यक्ति कोटा" जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। को० इं० लि० की कोयला के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए एक सुनियोजित प्रक्रिया निर्धारित है। को० इं० लि० ने यह सूचित किया है कि उन्हें असामाजिक तत्वों और कोयला के वितरण किए जाने की पद्धति के बीच किसी तरह के अतंबंधन की कोई जानकारी नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए सुपुर्दगी आर्डर के जरिए कोयले की आपूर्ति किए जाने की पद्धति को समाप्त किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आठवीं योजना में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

2862. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाने वाले ताप बिजली घरों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : योजना आयोग द्वारा अभी तक आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय

योजना (1990-95) के लिए विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार किए जाने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत सम्बन्धी कार्यदल ने 30230.7 मेगावाट ताप-विद्युत क्षमता जोड़ी जाने की सिफारिश की है।

गया-धनबाद सेक्शन पर रेल-सेवाएं

2863. श्री राम नरेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र में लोगों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार का विचार ग्रन्ड कोर्ड लाइन पर गया तथा धनबाद से होकर जाने वाली वर्तमान चालू रेलगाड़ियों का मार्ग बदल कर अथवा नई गाड़ियां शुरू करके इस लाइन पर रेल-सेवा में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रसोई गैस बोटलिंग संयंत्र

2864. श्री नुरुल इस्लाम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असम अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी अन्य भाग में रसोई गैस के सिलेंडर भरने का संयंत्र लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सिलचर में एक बाटलिंग संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

फूलपुर चुनाव क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2865. श्री रामपूजन पटेल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव क्षेत्र फूलपुर संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार किए जाते हैं एवं

क्रियान्वित किए जाते हैं। राज्यवार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य, राज्य प्राधिकारियों द्वारा नियत प्राथमिकता के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए जाते हैं। जिलेवार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी सूचना का रख-रखाव, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1-4-91 की स्थिति के अनुसार इलाहाबाद जिले में कुल 3514 आबाद गांवों (फूलपुर संसदीय क्षेत्र सहित) में से 3040 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है।

तमिलनाडु में रसोई गैस के सिलेन्डर भरने का संयंत्र लगाया जाना

[अनुवाद]

2866. **श्री सी० श्रीनिवासन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में रसोई गैस के सिलिंडर भरने का संयंत्र लगाने हेतु सार्वजनिक औरअन्य संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि कावेरी बेसिन में उपलब्ध गैस का उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो कावेरी गैस का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) विभिन्न उपभोक्ताओं को गैस का आबंटन किया गया है।

खजुराहो हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने की सुविधाएं

2867. **कुमारी उमा भारती** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजुराहो हवाई अड्डे पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं;

(ख) क्या वहां पर रात में विमान उतारने की सुविधाएं विद्यमान हैं; और

(ग) यदि नही, तो सरकार का इस हवाई अड्डे पर यह सुविधा कब तक प्रदान करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बिहार में अररिया से सोफल के बीच रेल लाइन

[हिन्दी]

2868. श्री सुखदेव पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से गितवास, रानीगंज, मारगस, जड़िया बाजार, त्रिवेणीगंज तथा पीपाड़ बाजार से होते हुए अररिया से सोफल के बीच एक मीटर गेज लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में तेल के लिए खुदाई

[अनुवाद]

2869. **श्री मालिनी भट्टाचार्य** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दक्षिणी 24 परगना के बोरल क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा "गोल्फ ग्रीन नं० 1 तेल कुएं के खुदाई कार्य को छोड़ देना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या खुदाई का कार्य छोड़ देने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

करीमगंज-दुल्लावचेरा सेक्शन पर रेल सेवाएं

2870. **श्री द्वारकानाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमगंज-दुल्लावचेरा सेक्शन जीर्ण-शीर्ण हालत में है;

(ख) क्या ट्रैक में वृद्धि करने, गाड़ियों में डिब्बों की संख्या में वृद्धि और डीजल इन्जन आदि का प्रबन्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बदई ग्राम-दुल्लभचेरा लाइन

बाढ़ के कारण मई, 91 से क्षतिग्रस्त है और इस खण्ड पर फिलहाल कोई गाड़ी नहीं चल रही है।

पहले दो जोड़ों गाड़ियां चल रही थीं लेकिन कम लोकप्रिय होने के कारण अब यह विनिश्चय किया गया है कि सितम्बर, 1991 में यातायात पुनःचालू होने के बाद सात सवारी डिब्बों वाली केवल एक जोड़ी गाड़ियां चलाई जाए।

सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने, डीजल कर्षण चालू करने अथवा रेलपथ ग्रेड बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ये यातायात के मौजूदा स्तर और रफ्तार को देखते हुए पर्याप्त हैं।

कागज उद्योग को कोयले की आपूर्ति

[हिन्दी]

2871. डा० महावीपक सिंह शाक्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1991 के "नवभारत टाइम्स" में "कागज उद्योग संकट में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति किए जाने में कुछ कमी आई है चूंकि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे विद्युत, सीमेंट, इस्पात, रेलवे, उर्वरक, आदि को अधिक कोयला उपलब्ध कराना पड़ा। किन्तु कोयला मन्त्रालय ने अब कोयला कंपनियों को कागज उद्योग सहित गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को रेल अथवा सड़क द्वारा कोयले की संयोजित न्यूनतम 50 प्रतिशत आपूर्ति करने का निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से इन औद्योगिक यूनिटों को कोयले की आपूर्ति किए जाने की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।

सप्लाई किए गए कोयले की गुणवत्ता के विरुद्ध शिकायतें

2872. श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा विद्युत, उद्योग, खाद्य और बी० आर० के० को रेल के माध्यम से कुल कितना कोयला सप्लाई किया गया;

(ख) विभाग-वार तथा व्यक्ति-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) नमूने और गुणवत्ता के अनुरूप कोयले की सप्लाई न होने के कितने मामले हैं;

(घ) नमूने और गुणवत्ता के अनुरूप कोयले की सप्लाई न होने की शिकायतें किन-किन विभागों ने की हैं और तब से उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ङ) इस आधार पर कोयला खरीदने वाले विभागों द्वारा कितनी धनराशि काटी गई है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० ओ० ग्यामगोड) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा० को० को० लि०) तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (से० को० लि०) द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान विद्युत गृहों, उर्वरकों और ईंट-भट्ठा उद्योगों को रेल द्वारा की गई कच्चे कोयले की आपूर्ति की कुल मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :—

अनंतिम
(आंकड़े लाख टन में)

कंपनी का नाम	रेल द्वारा प्रेषण		
	विद्युत गृह	उर्वरक	ईंट भट्ठा उद्योग
भा० को० को० लि०	58.59 (4.38)	6.39	6.86
से० को० लि०	116.82 (6.21)	8.17	3.49

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मिडलिंग को दर्शाते हैं)

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कंपनी-वार प्राप्त हुई शिकायतें नीचे दी गई हैं :—

कम्पनी का नाम	1990-91	
	विद्युत	जोड़
भा० को० को० लि०	91	98
से० को० लि०	39	39

(ग) कोयला कंपनियां उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए विनिर्दिष्टकरण के अनुसार कर रही हैं। विद्युत एवं सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले के ग्रेड का विनिर्धारण करने के लिए संयुक्त सैम्पलिंग प्रणाली अपनायी जाती रही है। अन्य उपभोक्ताओं के मामले में आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता को विनिर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने की दृष्टि से माल की लदाई के समय पर्यवेक्षण की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। कोल इण्डिया लि० ने सूचित किया है कि संयुक्त सैम्पलिंग एवं विश्लेषण के बाद वर्ष 1990-91 के दौरान कुल 26 मामले ऐसे पाए गए जिनमें घोषित ग्रेड के अनुरूप कोयला विद्यमान नहीं था।

(घ) और (ङ) दिनांक 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (से०

को० लि०) और भारत कोकिंग कोल लि० (भा० को० को० लि०) द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की उपभोक्तावार बकाया राशि तथा कटौती की राशि को नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़े लाख रु० में)

उपभोक्ता क्षेत्र	1-4-1991 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		1-4-91 की स्थिति के अनुसार कटौती की राशि	
	से० को० लि०	भा० को० को०लि०	से० को० लि०	भा० को० को० लि०
रेलें	79	540	32	455
विद्युत गृहों	50134	43355	17237	17915
इस्पात	3099	11258	3694	6567
सरकार	(—)100	2020	83	667
अन्य	(—)419	76	69	44
जोड़	52793	57249	21115	25648

चन्द्रपुर-गोंदिया-जबलपुर लाइन को बदलना

2873. **श्री विश्वेश्वर भगत :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुर-गोंदिया से जबलपुर तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग बहुत समय से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ग) इसका निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मीथेन गैस का रिसाव

[अनुवाद]

2874. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जुलाई, 1991 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मीथेन गैस का रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं;

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए इन स्थानों के आस-पास रह रहे लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) 2 जुलाई, 1991 को तंजावूर जिले के कोविलकलप्पल कूप-9 से कीचड़ तथा मीथेन युक्त प्राकृतिक गैस का अनियंत्रित रिसाव हुआ जिसे दूसरे ही दिन नियंत्रित कर लिया गया था। एहतियाती तौर पर, आस-पास के गांवों के करीब 3000 ग्रामीणों को अस्थायी तौर पर वहां से हटा दिया गया था।

कार्य-चालन कर्मचारी मुख्यालय को ईदगाह से बयाना (पश्चिम रेल के) ले जाना

[हिन्दी]

2875. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन कार्य-चालन कर्मचारी (ड्राइवर और गार्ड) मुख्यालय को ईदगाह से बयाना ले जाने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को उसके परिणामस्वरूप रेलवे कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो संघ सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) उस क्षेत्र में भाप कर्षण को बिजली कर्षण से बदलने के फलस्वरूप परिचालनिक आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय रेलों पर परिचालनिक आवश्यकताओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के व्यापक हित में और परिचालनिक कुशलता और उत्पादकता में सुधार लाने की नितान्त आवश्यकता की वजह से, कुछ कर्मचारियों तथा मशीन और संयंत्र का स्थानान्तरण करना परिहार्य हो जाता है।

मुम्बई में आवास समितियों को रेलवे की भूमि पट्टे पर देना

[अनुवाद]

2876. **श्री यशवंत राव पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मुम्बई में रेल लाइन के पास बस रही गन्दी बस्तियों में रहने वालों की सहकारी आवास समितियों को रेलवे की भूमि पट्टे पर देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(ग) इस मामले को कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने भूमि के बाजार मूल्य के 1% की नाममात्र दर पर भूमि को पट्टे पर देने का अनुरोध किया है। रेलों ने यह पेशकश की है कि या तो बाजार दर अथवा अदला-बदली के आधार पर ऐसी भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में छोड़ दी जाए तो संरक्षा क्षेत्र से बाहर है और रेलों की जरूरतों से फालतू है अथवा बाजार मूल्य के 6 प्रतिशत पर इस भूमि को लाइसेंस पर दे दिया जाए।

(ग) इस मामले में आगे की कार्रवाई महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

एअर इण्डिया के लिए बोइंग 747-400, विमानों की खरीद

2877. **श्री रविराय :**
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इण्डिया के लिए चार बोइंग 747-400 खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अमरीकन एयर क्राफ्ट कम्पनी सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तीसरी बार समय सीमा बढ़ाने के लिए तैयार हो गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) बोइंग कामर्शियल एरोप्लेन कम्पनी से 667.09 मिलियन अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा अंश सहित, 1962.03 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर चार बोइंग 747-400 (यात्री रूपक) विमानों की खरीद और

उनमें लगाये जाने वाले इन्जिनों का मामला विचाराधीन है। प्रस्तावित डिलीवरी शेड्यूल को बनाए रखने के लिए निश्चित खरीद करार पर 15 अगस्त, 1991 तक हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।

उज्जैन-भोपाल लाइन का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2878. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन-भोपाल खण्ड पर मकसी तक का विद्युतीकरण कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा होगा तथा उस पर विद्युत रेल कब तक चलाई जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) उज्जैन-मकसी-भोपाल खंड को मार्च 1992 तक चालू किए जाने की योजना है।

त्रिचूर-गुरूवायूर रेल लाइन

[अनुवाद]

2879. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :
श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिचूर-गुरूवायूर रेल लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस लाइन को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या यह कार्य निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य को तेजी से पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 70 प्रतिशत।

(ख) 2.33 करोड़ रुपये।

(ग) 1991-92।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल भर्ती बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

2880. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यरत हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में यह शर्त रखी गई है कि प्रत्येक भर्ती बोर्ड में दो अधिकारियों अर्थात् चेयरमैन और सदस्य सचिव में कम से कम एक को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी भर्ती बोर्डों में इस शर्त को पूरी तरह लागू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसको कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 19 ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कावेरी बेसिन में तेल और गैस का उत्पादन

2881. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के तंजौर जिले में कावेरी बेसिन में कुल कितने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है;

(ख) सरकार का कावेरी बेसिन से और अधिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए यहां आगे खोज कार्य करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) हाल में वहां की गई खोजों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तमिलनाडु के तंजौर जिले के तेल और गैस के क्षेत्रों से 31-7-1991 तक 0.65 मि० मी० टन तेल तथा 147.71 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया है ।

(ख) और (ग) हाल ही खोजें आदियक्कमगलम, कमलापुरम, नारिमनम, चित्त्वेकूर तथा नान्नीलम में हुई हैं । अन्वेषण कार्य जारी है ।

विमानों की उड़ानों को युक्तिसंगत बनाना

2882. **श्री के० बी० तगाबालू** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने विमानों की उड़ानों की पुनरीक्षा करके तथा इन्हें युक्तिसंगत बनाकर ईंधन की खपत कम करने के लिए हाल में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी मात्रा में ईंधन की बचत होने की सम्भावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) उड़ान स्तरों को इष्टतम बनाने की प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की जाती है। ऐसे कई तकनीकी कारक हैं जो उड़ान स्तरों पर प्रभाव डालते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इण्डियन एयर-लाइंस परिचालनों के लिए इष्टतम उड़ान स्तर उपलब्ध कराने के लिए हर प्रयास करती है।

एयरबस ए-320

2883. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करार के अनुसार कुल कितनी एयरबसें ए-320 खरीदी जानी थीं, अब तक उनमें से कितनी दी जा चुकी है;

(ख) क्या सरकार को कुछ एयरबस ए-320 की सुपुर्दगी स्वीकार करने में हुए विलम्ब के लिए कुछ क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जबकि 15-3-86 के खरीद करार की शर्तों के अनुसार, सभी 19 एयरबस ए-320 विमान प्राप्त कर लिए गए हैं; तथापि, 5-6-89 के पूरक करार की शर्तों के अनुसार 12 और विमान अभी प्राप्त किए जाने हैं।

(ख) और (ग) इण्डियन एयरलाइंस ने विमानों की डिलिवरी लेने में हुई देरी के लिए एयरबस इन्डस्ट्री को कोई क्षतिपूर्ति नहीं की है।

दानापुर डिवीजन में रेल कर्मचारियों के लिए स्कूल और कालेज

[हिन्दी]

2884. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दानापुर मंडल में कार्यरत रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस मण्डल में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए कला तथा विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर कालेज शुरू करने कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। दानापुर मण्डल में सीनियर सेकेन्डरी स्कूल हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शिक्षा राज्य का विषय है और रेल प्रशासन स्नातकोत्तर कालेज स्थापित नहीं करता है।

तेल के उत्पादन में कमी

[अनुवाद]

2885. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1991 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "शार्प फाल इन आयल प्रोडक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल के उत्पादन में कमी के कारण देश को प्रतिदिन 6 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा;

(ग) तेल के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में इसके अधिकतम स्तर तक वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रत्याशित कमी के मुख्य कारणों में रिजर्वायर संबंधी अड़चनों का आना और परियोजनाओं में चूक होना शामिल है। अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वास्तविक अतिरिक्त आयातों और उन मूल्यों पर निर्भर करेगी जिन पर आयात प्रभावित होते हैं।

(घ) सरकार ने नीलम, मुक्ता, पन्ना और बम्बई हाई क्षेत्र में ए -II और एल-III रिजर्वायर के अतिरिक्त विकास कार्य जैसी अनेक तेल एवं गैस की निकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

राजस्थान में पर्यटन विकास

2886. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटन के विकास हेतु राज्य-वार कोई कार्य-योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) राजस्थान में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पर्यटन के विकास हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन विकास हेतु राज्यवार कोई योजना तैयार नहीं करता। अपने-अपने राज्यों के लिए इन योजनाओं को तैयार करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के पर्यटन विकास पर आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने का प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटना

:887. **डा० सी० सिलवेरा** :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 जुलाई, 1991 को कर्नाटक एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस घटना के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए और कितने व्यक्ति घायल हुए;

(घ) कितनी क्षति होने का अनुमान है और पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) जब 31-7-1991 को 5.50 बजे 2627 कर्नाटक एक्सप्रेस के खाली रेल को प्लेटफार्म से नई दिल्ली यार्ड की धुलाई लाइन नं० 2 पर ले जाया जा रहा था तब दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। प्रथमदृष्टया, दुर्घटना प्लाइन्टों को गलत ढंग से लगाने के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप तीन रेल कर्मचारी मारे गए और एक को गंभीर चोट आई। रेलवे सम्पत्ति को 6.77 लाख रु० की हानि होने का अनुमान है। मारे गए तीन व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों तथा घायल व्यक्ति को 17,500/- रु० की अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था की गई है।

वरिष्ठ रेल अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच की जा रही है। उन पांच रेलवे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिन्हें प्रथमदृष्टया इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाया गया है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन

[हिन्दी]

2888. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तमाम स्रोतों से कुल कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन हो रहा है;

(ख) राज्य-वार तथा वर्ष-वार कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है और 1980 से 1990 तक वास्तव में कुल कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन हुआ;

(ग) उत्तर प्रदेश में गत दस वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन हुआ और राज्य में प्रति वर्ष बिजली की कितनी मांग है और कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन होता है;

(घ) क्या बिजली की मात्रा और उत्पादन में कोई अन्तर है; यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से, राज्य के पूर्वी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कौनसी विशेष योजना बनाई है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1990-91 के दौरान ताप विद्युत, न्यूक्लीयर और जल विद्युत संयुत्रों का कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन 264231 मिलियन यूनिट था। अप्रैल-जुलाई 1991 के दौरान विद्युत उत्पादन 91092 मिलियन यूनिट रहा।

(ख) से ङ) 1980 से 1990 तक राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता और उत्पादित विद्युत की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-एक संलग्न है।

उत्तर प्रदेश में विगत के दस वर्षों के दौरान विद्युत की आवश्यकता और इसकी उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण-दो संलग्न है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत सम्बन्धी कमी को दूर करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल है; नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्प अवधि में निर्माण किए जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा को कम करना, मांग प्रबन्ध तथा ऊर्जा संबंधी उपायों को क्रियान्वित करना तथा अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अंतरण करने की व्यवस्था करना।

विवरण-एक

राज्यवार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता और कुल विद्युत उत्पादन
अवधि : 1980-81 से 1990-91

राज्य/प्रणाली	1980-81	81-82	82-83	×3-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. बी०बी०एम०बी०											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	2105	2105	2225	2555	2687	2687	2705	2705	2705	2705	2705
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	9592	10473	10935	11261	10056	10570	11719	10638	11760	11450	13052
2. दिल्ली											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	820.5	1030.5	1030.5	1030.5	1030.5	1016.5	1196.5	1196.5	1264	1311.5	1311.5
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	3676	3643	4451	4380	4616	4495	5112	5414	5394	5905	6515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. जम्मू और कश्मीर											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	197.5	197.5	197.5	196.5	196.5	196.5	198.5	545.5	570.5	620.5	598.5
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	769	786	909	897	862	870	1053	1554	3035	3·91	3265
4. हिमाचल प्रदेश											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	240	300	300	300	306	306	306	322.9	322.9	442.9	442.9
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	261	625	1339	1413	1124	1254	1399	1245	1387	1574	2000
5. हरियाणा											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	360	420	420	415	415	525	651	667	885	878	863
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	10001	1323	1186	1132	1261	1207	1554	2383	2367	2641	2607
6. राजस्थान											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	711	711	821	931	931	981	981	990	1921	1913	1913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ii) कुल उत्पादन (गे० वा० आवर)	1903	1715	1199	2545	3028	3326	3637	3792	4191	6484	6828
7. पंजाब											
(i) कुल क्षमता (मे० वा०)	528	578	578	640	1060	1194	1194	1484	1776	1791	1791
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	2012	2139	2667	3120	3910	5762	6765	7197	6548	9579	8503
8. उत्तर प्रदेश											
(i) कुल क्षमता (मे०वा)	3644.4	3926.4	4546.4	4932.4	5164.9	5374.9	6084.9	7404.9	80470	9226.9	9328.9
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	10191	11346	13816	14916	16650	10665	21603	27294	31431	34534	38288
9. गुजरात											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	2194	2404	2614	2753	3073	3283	3493	3828	3938	4092	4315
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	9364	10207	10780	11997	12315	12932	14602	17161	17783	19733	19877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. महाराष्ट्र											
(i) कुल क्षमता (मे०वा० आवर)	4426.5	4756.5	5296.5	6006.5	6438.5	7200.5	7420.5	7712	7932	7913	8863
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	19639	20813	21718	23920	26239	28557	31263	33859	33990	36233	38122
11. मध्यप्रदेश											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	1577.5	1677.5	2097.5	3147.5	3357.5	3567.5	3567.5	4777.5	5787.5	6297.5	6507.5
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	6536	7035	8212	10027	13146	5900	17183	17925	21541	26014	29540
12. आन्ध्र प्रदेश											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	2269.2	2269.2	2619.2	3067.2	3777.2	3987.2	4267.2	4285.2	5294.2	5994.2	6267.2
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	7587	9331	10500	11450	14366	16306	18391	18139	19751	23363	26632
13. कर्नाटक											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	1442.2	1712.2	1847.2	1982.2	2192.2	2502.2	2502.2	2515.4	2515.4	2630.4	2955.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा आवार)	6330	7144	7678	7781	8364	7517	7788	7550	9220	11067	12430
14. केरल											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	1011.5	1011.5	1011.5	1011.5	1011.5	1271.5	1476.5	1476.5	1476.5	1476.5	1476.5
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	5256	5539	4491	3643	4886	5357	4647	4094	4553	5068	5494
15. तमिलनाडु											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	2929	2929	3139	3119	3354	3819	4239	4889	5224	5561	5975
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	10543	11226	11224	11288	14516	14306	16265	17857	20858	20584	22798
16. बिहार											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	910	915	915	1135	1355	1575	1575	1575	1575	1450	1450
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा आवर)	2252	2551	2723	2431	2766	3324	3682	4074	4522	3913	2974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. उड़ीसा											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	880	990	1100	1100	1100	1300	1200	1280	1360	1530	1567
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवक)	2918	3159	2992	3662	3595	3473	4042	3645	4195	4672	5527
18. पश्चिम बंगाल											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	1569	1569	1839	1967	2237	2758	2968	3137	3137.3	3099.3	3558.8
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	5378	5509	5805	6185	6750	7884	9175	10111	10064	11225	11826
19. दा० घा० नि०											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	1361.5	1571.5	1571.5	1549	1549	1759	1759	1759	1849	1834	1974
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	4484	6001	6002	6336	6508	6464	5698	5781	5999	5454	4954
20. सिक्किम											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
(ii) कुल उत्पादन (गे०वा० आवर)	14	15	15	23	16	30	33	35	36	36	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21. असम											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	207.5	312.5	212.5	327.5	349.5	409.5	484.5	484.5	514.5	514.5	514.5
(ii) कुल उत्पादन (मे०वा० आवर)	463	709	888	970	848	840	997	1164	1090	'154	1217
22. मेघालय											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	125.2	156.2	125.2	150.2	175.2	175.2	175.2	175.2	275	275	275
(ii) कुल उत्पादन (मे०वा० आवर)	348	386	410	411	492	520	448	484	889	1046	1093
23. त्रिपुरा											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	11.5	'1.5	11.5	15	15	15	25	25	25	39.5	47.5
(ii) कुल उत्पादन (मे०वा० आवर)	43	53	53	59	60	65	72	99	96	78	137
24. मणिपुर											
(i) कुल क्षमता (मे०वा०)	—	—	—	105	105	105	105	105	105	105	105
(ii) कुल उत्पादन (मे०वा० आवर)	—	—	—	49	259	413	397	405	375	450	473

विवरण-दो

1981-82 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत सप्लाई की वास्तविक स्थिति

(सभी आँकड़े निवल मि० यू० में)

	1981-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91
आवश्यकता	15149	15508	15154	16352	17633	20204	23820	24300	27580	29940
उपलब्धता	11781	14374	13028	14193	15477	17198	19864	21733	24667	26758
कमी (—)	—3368	—1134	—2126	—2159	—2156	—3006	—3956	—2567	—2913	—3182
कमी (प्रतिशत के रूप में)	22.2	7.3	14.0	13.2	12.2	14.9	16.6	10.6	10.6	10.6

अगरतला हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाना

[अनुवाद]

2889. श्रीमती बिभु कुमारी देवी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला हवाई अड्डे पर एयरबस ए-320 सहित बड़े विमानों के लिए रात्रि में उतरने की सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसका दर्जा बढ़ाने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मदवार इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अगरतला हवाई अड्डे पर पूर्णरूपेण रात्रि अवतरण सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। निम्नलिखित की शुरूआत करके राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मौजूदा सुविधाओं का आगे और उन्नयन करने की योजना है।

(1) 3.48 लाख रुपए की लागत पर उच्च तीव्र धावनपथ प्रकाश व्यवस्था।

(2) 7.74 लाख रुपए की लागत पर दृश्य पहुंच ढाल संकेतक प्रणाली की व्यवस्था।

(3) 9.62 लाख रुपए की लागत पर भूमि सहित साधारण पहुंच प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था।

पालम हवाई अड्डे पर वायुदूत की आने वाली उड़ानें

[हिन्दी]

2890. श्री केशरी लाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे के आगमन टर्मिनल पर वायुदूत की आने वाली उड़ानों की सूचना देने की व्यवस्थाएं संतोषप्रद हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वायुदूत उड़ानों की स्थिति की सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली द्वारा नियमित अंतरालों पर घोषणा की जाती है और इसे आगमन हाल के बाहर भी सुना जा सकता है।

अरुणाचल प्रदेश के लिए वायुदूत सेवायें पुनः शुरू करना

[हिन्दी]

2891. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्ष से अरुणाचल प्रदेश के लिए वायुदूत सेवायें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं को राज्य में पुनः कब तक शुरू किया जायेगा और किन स्थानों के के लिए शुरू की जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) विमानों की कमी और वायुदूत को होने वाली भारी हानियों के कारण, इस समय सभी सेवाओं को बहाल करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है ।

केरल में पवन ऊर्जा का उपयोग

2892. **श्री. वी० एस० विजयराघवन** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "चेत्ताली" केरल में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए एक बिजली एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या केरल में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कोई अन्य बिजली एकक स्थापित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए केरल में 100 कि० वा० क्षमता का ग्रिड से जुड़ा पवन विद्युत जनित्र शुरू किया गया था। प्रारम्भिक कठिनाइयों को दूर करने के बाद इस मशीन के सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) और (ग) प्रत्येक 10 कि० वा० क्षमता के दो सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र सुगंधगिरि कारडामोम प्लांटेशन और पुकोट डेयरी में लगाए जा रहे हैं; विद्युत सृजन के लिए 100 कि० वा० क्षमता की 2 गैसीफयर यूनिटें मंजूर की गई हैं; रोशनी, जल पंपन, टेलिविजन, बैटरी चार्जिंग आदि के लिए इस राज्य में अब तक 215 सौर प्रकाश-वोल्टीय प्रणालियां स्थापित की गई है; केरल के तट से दूरवर्ती स्थान पर 150 कि० वा० की लहर विद्युत परियोजना प्रायोगिक तौर पर स्थापित की जा रही हैं ।

सहार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम बदलना

[हिन्दी]

2893. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में सहार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी विमानपत्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

कोयला कम्पनियों द्वारा उप-कर का भुगतान

2894. श्री छेदी पासवान :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से, वर्ष-वार, कोल इन्डिया लि० की विभिन्न कम्पनियों को कुल कितनी राशि के उप-कर की प्राप्ति हुई;

(ख) राज्य सरकारों को इस उप-कर का कितना प्रतिशत दिया गया अथवा दिया जा रहा है;

(ग) क्या बिहार सरकार को यह राशि नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बिहार सरकार को कितनी राशि दी गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० की कोयला कम्पनियों द्वारा संग्रहण की गई उप-कर की राशि को नीचे दिया गया है :

वर्ष	(करोड़ रु० में)
1985-86	418.92
1986-87	522.18
1987-88	648.54
1988-89	958.65
1989-90	995.47

संग्रहण की गई उपकर की राशि को सम्बद्ध राज्य सरकारों को दिया जा रहा था ।

(ग) तथा (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथा उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ङ) और (च) पटना उच्च न्यायालय की रांची खंडपीठ ने दिनांक 6-11-1990 को अपने निर्णय में राज्य सरकार के उपकर अधिनियम को अमान्य घोषित कर दिया । इस न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि याचिका-कर्ता दिनांक 25-10-1989 से उप-कर राशि वापिस प्राप्त करने के हकदार है । बिहार राज्य सरकार ने उच्चतम में एक अपील दायर की । उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया । किन्तु दिनांक 4-4-1991 को अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के अलावा, यह निर्णय दिया कि यद्यपि उपकर का लगाया जाना असंवैधानिक है, किन्तु उपकर के संग्रहण करने वालों को, उपकर की राशि निर्धारिती को

वापस किए जाने के सम्बन्ध में उस तारीख तक कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उपकर के संग्रहण को असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है। बिहार के मामले में यह तारीख 4-4-1991 है।

कोयला कम्पनियों ने उच्च न्यायालय के दिनांक 6-11-1990 के निर्णय के आधार पर उपकर के संग्रहण को बन्द कर दिया है। को० इं० लि० ने उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दायर किया है जिसमें इन कठिनाइयों से निपटने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। चूंकि यह मामला न्यायालय के अधीन है, अतः इस सम्बन्ध में बिहार सरकार को उपकर की अदायगी किए जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

पटना जंक्शन स्थित आरक्षण हाल में यात्रियों के लिए सुविधाएं

[अनुवाद]

2895. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना जंक्शन में टिकटों के आरक्षण हेतु उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटरों की संख्या यात्रियों की मांग को देखते हुए अपर्याप्त है;

(ख) क्या आरक्षण हाल में मूलभूत यात्री सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं तथा कुप्रबन्ध के कारण असुविधाएं हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पटना में आरक्षण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया चल रही है। संक्रमण के चरण के दौरान यात्रियों को कुछ असुविधा हुई है। इन्हें दूर किया जा रहा है। कम्प्यूटरीकृत काउण्टरों की संख्या पहले ही बढ़ाकर 12 कर दी गई है, जिन्हें पर्याप्त समझा जाता है। कर्मचारियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया चल रही है ताकि तेज सेवा प्रदान की जा सके. एगजास्ट पंखों, एयर कूलरों आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करके यात्री कक्ष में सुविधाओं में सुधार लाने का भी प्रस्ताव है।

मुंबई और नागपुर में घटिया खाद्य सामग्री की बिक्री

[हिन्दी]

2896. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुंबई और नागपुर के बीच रेलवे स्टेशनों पर घटिया खाद्य सामग्री बेची जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) खान-पान सेवाओं में सुधार लाने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों में आधार रसोईघरों/अल्पाहार कक्षों का आधुनिकीकरण, गहन निरीक्षण, खाद्य सामग्रियों की अचानक नमूना जांच और चूक के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शामिल है ।

बिहार को बिजली उत्पादन के लिए धनराशि का आबंटन

2897. **श्री कमला मिश्र** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने विद्युत क्षेत्र (ग्राम विद्युतीकरण को छोड़कर) के लिए 1991-92 हेतु अपनी वार्षिक योजना में 423 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है इसकी तुलना में कार्यदल के स्तर पर योजना आयोग द्वारा 437.18 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई है ।

तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे को जोड़ते हुए नई विमान सेवाएं

[अनुवाद]

2898. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे को जोड़ते हुए नई विमान सेवाएं आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई विमान सेवा से जोड़े जाने वाले स्थानों, भारतीय तथा विदेशी शहरों, का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 27 अक्तूबर, 1991 के प्रभावी शीतकालीन समयावलि में एयर इण्डिया का दो अतिरिक्त राउण्ड ट्रिप सेवाएं दुबई और मस्कट प्रत्येक के लिए एक-एक शुरू करने का प्रस्ताव है ।

बेरोजगार स्नातकों को पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों और रसोई गैस की एजेंसियों का आबंटन

2899. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार स्नातकों/खिलाड़ियों के लिए रसोई गैस की एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों के आबंटन में कोई आरक्षण की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने रसोई गैस की एजेंसियां पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें आबंटित की गई हैं;

(घ) यदि आरक्षण नहीं है तो क्या सरकार का बेरोजगार स्नातकों/खिलाड़ियों के लिए आरक्षण करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लोहार डागा से रांची तक रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

2900 श्री ललित उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लोहार डागा, बिहार में रांची से जोड़ने वाली मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नए तेल शोधक कारखानों की स्थापना

[अनुवाद]

2901. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नए तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये प्रस्तावित कारखाने स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या तत्सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की मध्य प्रदेश मे तेल शोधक, कारखाना, गैस क्रैकर संयंत्र और डाउन स्ट्रीम यूनिट स्थापित करने के बारे में आवेदन पत्र मिले हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) मंगलौर, नारीमनम, करनाल तथा नुमलीगढ़ में नई रिफाइनरी परियोजनाएं अनुमोदन/क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ।

(ङ) से (च) मध्य भारत में एक रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक गैस क्रैकर परिसर हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उस आवेदन पत्र पर पुन: विचार करने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार ने समय-समय पर आग्रह किया है, जिसे खारिज कर दिया गया था ।

मध्य प्रदेश में महेश्वर जल विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

2902. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में महेश्वर जल विद्युत परियोजना को तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब यह परियोजना पर्यावरण और वन मन्त्रालय में स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। महेश्वर जल विद्युत परियोजना (10 × 40 मे० वा० = 400 मे० वा०) को 465.63 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिनांक 9-5-89 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ग) और (घ) परियोजना प्राधिकारियों ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संशोधित पुनर्वास तथा पुन:व्यवस्थित योजना एवं केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय को प्रस्तुत किया है।

रसोई गैस का उत्पादन और आवश्यकता

2903. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष देश में रसोई गैस की कितनी आवश्यकता थी और वर्तमान वर्ष और अगले चार वर्षों के दौरान इसकी अनुमानित आवश्यकता कितनी है; और

(ख) पिछले वर्ष के दौरान कितनी रसोई गैस सप्लाई की गई और वर्तमान वर्ष और अगले चार वर्षों में कितनी रसोई गैस सप्लाई की जाएगी; कुल उपलब्ध प्राकृतिक गैस से कितने प्रतिशत रसोई गैस निकाली गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

	वर्ष	(हजार मि० टन में)
(क)	1990-91	2423
	1991-92	2527
	1992-93	2689
	1993-94	2864
	1994-95	3245
(ख)	1990-91	2417
	1991-92	2495
	1992-93	2629
	1993-94	2803
	1994-95	3184

एल० पी० जी० के निष्कर्षण का प्रतिशत प्राकृतिक गैस के संघटक तत्वों के आधार पर स्थान दर स्थान बदलता रहता है।

बम्बई में रेल सेवाएं

[अनुवाद]

2904. श्री राम कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई बचाओ समिति ने क्रमशः "मुम्बई महानगर में रेल यात्री सेवा" तथा भारतीय रेलवे में कुछ मुद्दे और विकल्प सम्बन्धी स्टेटस पेपर, के बारे में मार्च, 1990 में अभ्यावेदन भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां सुझावों पर विचार किया गया था और समिति को उत्तर भेज दिया गया था।

जनता की राय जानने के लिए भारतीय रेलों पर स्थिति-पत्र जारी किया गया था और प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक नीति निर्धारित की जाएगी।

केरल में एलावीझा पुंचिरा का विकास

2905. श्री पी० सी० थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के कोट्टायम जिले में मेलुकेवु के निकट स्थित पहाड़ी सैरगाह एलावीझा पुंचिरा को विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोट्टायम, केरल में इरूमेली का विकास

2906. श्री पी० सी० थॉमस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरज में कोट्टायम जिले में इरूमेली एक तीर्थस्थल है जहां हर वर्ष देश और विदेश से लाखों व्यक्ति आते हैं;

(ख) प्रत्येक वर्ष इस स्थान पर आने वाले पर्यटकों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त सुविधाओं के अभाव की जानकारी है;

(घ) क्या सरकार का इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक तीर्थ स्थान घोषित करने और इसके उत्थान एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इरूमेली केरल का एक महत्वपूर्ण तीर्थ केन्द्र है । इस केन्द्र की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के संगत आंकड़े राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) से (ङ) किसी स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र घोषित करने की इस मंत्रालय की कोई स्कीम नहीं है । पर्यटन के लिए किसी स्थान का विकास करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है । तथापि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनसे मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर और धन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए कुछ वित्तीय सहायता देती है। केरल राज्य सरकार ने 1991-92 के दौरान इरूमेली का विकास करने के लिए कोई स्कीम नहीं भिजवाई है ।

पैलेस आन व्हील्स

[हिन्दी]

2907. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "पैलेस आन व्हील्स" से कितने विदेशी पर्यटकों ने यात्रा की तथा उनसे वर्षवार कितनी आय हुई तथा उस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) यह किन-किन स्टेशनों से होकर गुजरती है;

(ग) क्या इस गाड़ी को अजमेर में रोकने के लिए विदेशी पर्यटकों द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

विवरण	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
(i) यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या	2123	2134	1815

1	2	3	4
(ii) विदेशी पर्यटकों से होने वाली आय (लाख रुपयों में)	191.12	230.12	250.31
(iii) रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा "पैलेस आन व्हील्स" गाड़ी पर किया गया खर्च (लाख रुपयों में)	189.46	219.45	244.30

(ख) दिल्ली छावनी से प्रस्थान करके यह गाड़ी जयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर-जैसलमेर-जोधपुर-भरतपुर-आगरा से गुजरती है और पुन: वापस दिल्ली छावनी पहुंचती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा में रेल पुल

2908. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोटा नगर में कार्यरत रेल कर्मचारियों के लिए पुल का निर्माण करने के बारे में निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका निर्माण किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसका निर्माण कब तक पूरा किया जाएगा;

(घ) क्या रंगपुर और औद्योगिक परिसर को जाने वाली सड़क पर पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1988-89 के निर्माण कार्यक्रम में एक निचले सड़क पुल का कार्य शामिल किया गया था लेकिन एक ऊपरी पुल के निर्माण के लिए कर्मचारी यूनियन से अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। अभी ऊपरी पुल के लिए नक्शे और अनुमान को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अनुमान की स्वीकृति के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) अभी तक रेलवे राज्य सरकार से नियमानुसार लागत में भागीदारी वहन करने की विधिवत सहमति देते हुए इस सुविधा के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कोटा हवाई अड्डे को अन्यत्र ले जाना

2909. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के कोटा हवाई अड्डे को अन्यत्र ले जाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक अन्यत्र ले जाए जाने की सम्भावना है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) हवाई अड्डे को अन्यत्र ले जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

श्यामगढ़ गंगापुर सेक्शन (पश्चिम रेलवे) के स्टेशनों पर शेड

2910. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के श्यामगढ़-गंगापुर सिटी सेक्शन पर उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां शेड उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या इन स्टेशनों पर शेड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोटा सिटी।

(ख) जी नहीं।

(ग) मानदण्डों के अनुसार सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के आधार पर स्टेशनों पर सायबान की व्यवस्था की जाती है। कोटा सिटी में सम्हाले जाने वाले यातायात के स्तर का देखते हुए सायबान की व्यवस्था करना फिलहाल औचित्यपूर्ण नहीं है।

तमिलनाडु और कर्नाटक में यात्री निवास

[अनुवाद]

2911. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और कर्नाटक में कितने यात्री निवास स्थापित किए गए हैं; और

(ख) तमिलनाडु में चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर यात्री निवासों का निर्माण करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तमिलनाडु में दो यात्री निवास खोलेगए हैं और एक यात्री निवास कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में यात्री निवास बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु तमिलनाडु राज्य सरकार से इस समय कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार में स्वर्ण रेखा परियोजना के विस्थापितों को मुआवजा

[हिन्दी]

2912. श्री राम टहल चौधरी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में स्वर्ण रेखा परियोजना का कार्य काफी पहले शुरू कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत भूमि के लिए अनेक किसानों को अभी भी मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस भूमि से विस्थापित किए गए लोगों को मुआवजा देने तथा इनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के पहले यूनिट को 14 अक्तूबर, 1977 को चालू किया गया था; दूसरे यूनिट को 18 अक्तूबर, 1980 को चालू किया गया था।

(ख) से (घ) बिहार सरकार के प्राधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया है कि 207.20 एकड़ भूमि के लिए नियमों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किए जाने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकारी, हजारीबाग और रांची के माध्यम से प्रभावित ग्रामवासियों को समय-समय पर 11 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रभावित ग्रामवासियों में से श्रेणी-3 में 24 व्यक्तियों और श्रेणी-4 में 84 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

बिहार में बेलारी और राय कोयला खानों के लिए भूमि का अधिग्रहण

2913. श्री राम टहल चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की बिहार स्थित बेलारी और राय कोयला खानों में विभिन्न कार्यों के लिए अधिगृहीत भूमि-क्षेत्र का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या भूमि से विस्थापित किए गए लोगों के पुनर्वास का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) से (ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के कब्जे के अन्तर्गत, राष्ट्रीय करण से पूर्व की अवधि में राय कोलियरी के अधीन अधिग्रहण की गई 660 एकड़ भूमि है और इस भूमि के सम्बन्ध में भू-वंचित व्यक्तियों का पुनर्वास किए जाने का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। खेलारी कोलियरी के नाम से कोई कोलियरी विद्यमान नहीं है।

बिहार स्थित राय कोयला खदान में पानी की कमी

29'4. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की बिहार स्थित राय कोयला खदान में कार्यरत श्रमिकों के लिए पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां पर कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) जी, नहीं। पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खान परियोजनायें

[अनुवाद]

2915. **श्री हाराधन राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन विगत 10 वर्षों के दौरान कितनी कोयला खान परियोजनाएं शुरू की गई; और

(ख) इन परियोजनाओं में, परियोजना-वार कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया गया ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) पिछले 10 वर्षों के दौरान ई० को० लि० के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक लागत वाली 45 कोयला खान परियोजनाओं को चलाया गया। इन कोयला खान परियोजनाओं में से कुछ तो विद्यमान खानों की पुनर्गठन योजनाएं हैं, जबकि अन्य नई खानें हैं।

(ख) ई० को० लि० को पिछले 10 वर्षों के दौरान चलाई गयी इन 45 कोयला खान परियोजनाओं में दिनांक 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार 62,0'2 कामगार कार्यरत हैं। संलग्न विवरण में परियोजनावार ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

(क) 100 करोड़ और इससे ऊपर लागत की परियोजनाएं

क्रम० सं०	परियोजना	स्वीकृति की तारीख	1-1-91 की स्थिति के अनुसार कुल कार्यरत कामगारों की संख्या
1	2	3	4
1.	राजमहल ओ० का	10/88	1973
2.	झांझरा भू० ग०	12/82	2777
3.	सोनेपुर बाजारी ओका	7/85	831
4.	कीटाडीह भू० ग०	6/89	2169
5.	सतग्रम भू० ग०	9/90	607
	(ख) 20 करोड़ रु० से 100 करोड़ रु० के बीच की लागत वाली परियोजनाएं		
1.	धेमो मैन भू० ग०	3/83	2652
2.	चिनाकुरी भू० ग०	3/85	2335
3.	अमृतनगर भू० ग०	9/85	2232
4.	कालीदासपुर भू० ग०	11/86	825
5.	सारपी भू० ग०	9/87	2593
6.	लोडोहा भू० ग०	3/88	76
7.	जे० के० नगर भू० ग०	2/91	2033
	(ग) 5 करोड़ रु० से 20 करोड़ रु० के बीच की लागत वाली परियोजनाएं		
1.	चौरा 10 पिट (सी० डी० एफ०) भू० ग०	6/87	1352
2.	बहुला भू० ग०	9/88	2738
3.	कुनुस्टोरिया भू० ग०	3/85	1690
4.	मधुसुदनपुर भू० ग०	2/91	1693
5.	सीतलपुर भू० ग०	6/87	654
6.	नार्थ सियरसोल भू० ग०	7/87	2234

1	2	3	4
7.	चित्रा फेज-1 ओ० का०	5/88	1862
8.	मोहनपुर ओ० का०	5/88	581
9.	रतीबाती भू० ग०	12/88	1038
10.	बंकोला भू० ग०	9/88	3365
11.	दलुरबन्द	2/89	1061
12.	चौरा फेज-1 भूमिगत (बनबहल सीम)	4/90	376
13.	पारासिया 2 और 3 पिट का पुनर्गठन भू० ग०	12/90	1323
14.	अमरासोटा का पुनर्गठन भू० ग०	2/91	349
15.	बोंजेमेहारी ओ० का०	8/83	1172
16.	खुदिया ओ० का०	5/83	885
17.	पुसाई ओ० का०	11/83	68[illegible]
18.	सोदेपुर भू० ग०	12/88	1758
19.	अमकोला भू० ग०	12/86	3280 (निमचा सहित)
20.	अर्द्ध ग्राम ओ० का०	5/88	107
21.	दलुरबन्द ओ० का०	4/83	198
22.	गंगारामचौक ओ० का०	9/88	101
23.	सेन्ट्रल कजोरा भू० ग०	8/90	454
24.	निरसा ओ० का०	2/84	1220
	(घ) 2 करोड़ रु० और 5 करोड़ रु० के बीच की लागत वाली परियोजनाएं		
1.	खुदिया भू० ग० का पुनर्गठन	2/90	656
2.	परासिया 6 एवं 7 इन्कलाइन भू० ग०	1/83	882
3.	संग्रामगढ़ ओ० का०	2/85	981
4.	नरसुमुन्डा भू० ग०	6/86	937

1 2	3	4
5. जोरेकुरी-पलास्थाली ओ० का०	4/87	292
6. चापापुर भू० ग०	9/87	2730
7. हरियाजाम 27 एवं 28 इंकलाइन भू० ग०	9/87	1702
8. हरिपुर भू० ग० पर एल० डी० एल० के लिए योजना	2/90	1216
9. चिनाकुरी 3 पिट भू० ग० का पुनर्गठन	2/90	1471
जोड़ :		62,042

आसनसोल से दामोदर के बीच दोहरी लाइन बिछाना

2916. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेल के आसनसोल-दामोदर खण्ड में रेल पथ को दोहरा करने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आशय की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आसनसोल-दामोदर सेक्शन पर पुल

2917. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेल के आसनसोल-दामोदर सेक्शन पर बने उपरिपुल, जो जी० टी० रोड का एक सेक्सन है, को तुरन्त सुधारने और चौड़ा करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय आसनसोल में जी० टी० रोड पर मौजूदा ऊपरी सड़क पुल के स्थान पर पैदल पथों सहित दो लेन वाले नए ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव को राज्य सरकार के साथ मिलकर

योजना का रूप देने का काम पूरा होने वाला है। कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में नियमानुसार तभी शामिल किया जाएगा जब राज्य सरकार कार्य के लिए विस्तृत अनुमान को स्वीकार कर ले तथा अपने हिस्से की लागत वहन करने के लिए सहमत हो जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजना को कोयले की सप्लाई और कोयला धोवनशालाओं की संख्या

2918. **श्री सुशील चंद्र वर्मा** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोयला खानों में गैर-कोकिंग कोयले का वर्तमान भंडार कितना है और गत वर्ष के भंडार की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक है;

(ख) गत 12 महीनों के दौरान विद्युत क्षेत्र में कितने कोयले की मांग की गई और वस्तुतः उसे कितना कोयला सप्लाई किया गया;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र को सप्लाई किए जाने वाले कोयले में राख की मात्रा बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो कोयले में राख की औसत मात्रा कितनी होती है; और

(ङ) देश में विद्यमान कोयला धोवनशालाओं की संख्या कितनी है और अगले पांच वर्षों के दौरान नई कोयला धोवनशालाओं की स्थापना के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :

(मि० टन०)

कंपनी	निम्नलिखित तारीखों को अकोककर कोयला के स्टाक की स्थिति	
	31-3-90	31-3-1991
को० इ० लि०	25.21	26.67
सि० को० कं० लि०	0.58	0.73
जोड़ :	25.79	27.40

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कोयले/वाशरी मिडलिंग की 131 मि० टन की मांग की तुलना में 118.79 मि० टन कोयले/वाशरी मिडलिंग का विद्युत क्षेत्र को प्रेषण किया गया।

(ग) निम्न ग्रेड के कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो जाने के कारण, जो कि विद्युत के उत्पादन के

लिए उपयुक्त है, कोयले के उत्पादन में समग्र रूप से राख की मात्रा का मिश्रण हमारे कोयले के भण्डारों में अधिक मात्रा में राख होने के कारण बढ़ गया है।

(घ) विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति किए गए कोयले में राख की मात्रा 30—45 प्रतिशत के बीच रही।

(ङ) इस समय देश में कोयले की विद्यमान वाशरियों की संख्या 19 है। इस समय तीन वाशरियां निर्माणाधीन हैं अर्थात् मधुबंध (भा० को० को० लि०), केडला (सं० को० लि०), तथा पीपरवार (से० को० लि०)। इसके अतिरिक्त 4 नई वाशरियों को अगले पांच वर्षों में शुरू किए जाने की संभावना है। इन वाशरियों को पट्की (भा० को० को० लि०), पेरज (से० को० लि०), कालिंगा (सा० ई० को० लि०) और गोपाल प्रसाद (सा० ई० को० लि०) को खोले जाने का प्रस्ताव है।

सरकारी कर्मचारियों को रियायती दरों पर आवास

2919. श्री.मदन लाल खुराना : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी कर्मचारियों को यात्रा अवकाश रियायत सुविधा प्राप्त करते समय भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा और सरकार द्वारा चलाये जा रहे अन्य होटलों, पर्यटन गृहों और रेलवे विश्राम कक्षों में रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने का विचार था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधाओं का लाभ उठाने सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक पैकेज शुरू किया है। छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को रियायती दर पर आवास उपलब्ध कराने की रेलवे की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम का पैकेज 12 वर्ष की उम्र तक के दो बच्चों सहित जोड़े को 260/- रु० (कर अतिरिक्त) प्रति रात के नाममात्र टैरिफ पर आवास उपलब्ध करता है। यह सुविधा भारत पर्यटन विकास निगम के सत्रह स्थानों पर स्थित होटलों में उपलब्ध है। किसी भी होटल में ठहरने की अधिकतम अवधि पांच रात है। आवास की बुकिंग के समय सम्बन्धित विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा दिया गया पत्र प्रस्तुत करना होता है।

विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा

2920. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान के हिस्से के सम्बन्ध में वर्ष 1984 में हस्ताक्षरित हुए करार को रद्द करने के लिए राजस्थान सरकार पर दबाव डाल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पंजाब सरकार ने यह अनुरोध किया है कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब राज्यों के बीच मई, 1984 को हुए समझौते के सन्दर्भ में पंजाब की कुछ जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत में हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा है अथवा नहीं है, इसके निर्धारण के बारे में भारत सरकार द्वारा पुन: विचार किए जाने के लिए मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा जाए। पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के अनुमोदन के लिए भी अनुरोध किया है।

(ख) पंजाब के अनुरोध के बारे में राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में उनका उत्तर देने के लिए अनुरोध किया है।

चोरी के कारण कोयले की हानि

2721. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, कोयले से वर्ष-वार कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) क्या सरकार को कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोह के सक्रिय होने तथा अवैध रूप से कोयला निकाले जाने की जानकारी है;

(ग) अनुमानत: कितनी मात्रा में कोयले की चोरी होती है; और

(घ) पिछले दशक के दौरान कोयले के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इण्डिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनकी सकल बिक्री को नीचे दर्शाया गया है :—

1988-89	5900.09 करोड़ रु०
1989-90	6278.32 करोड़ रु०
1990-91 (अनन्तिम)	6248.43 करोड़ रु०

(ख) सरकार को कोयला खान क्षेत्रों में कोयले के गैर-कानूनी रूप में बड़ी मात्रा में खनन क्रियाकलापों अथवा उठाईगिरी होने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। इस तरह के मामले जब कभी भी पकड़ में आए हैं तो उन्हें स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिया है।

(ग) कोयला क्षेत्रों में कोयले की बड़ी मात्रा में चोरी होने अथवा कोयले की उठाईगिरी की कोई घटना नहीं हुई है। चूंकि उक्त क्रियाकलाप चोरी-छिपे होते हैं, अत: चोरी हुए कोयले की मात्रा का कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकताहै।

(घ) 1981-90 के दशक के दौरान कोयले की कीमत 6 बार संशोधित की गई है।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

[हिन्दी]

2922. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्थित "शानु धारा वाटरफाल पार्क" को पर्यटन महत्व के स्थान के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेंच पनबिजली परियोजना

2923. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पेंच पनबिजली परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के पेंच ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट) का निर्माण-कार्य, निधियों की कमी के कारण निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है।

महाराष्ट्र और गुजरात को कोयला भेजा जाना

[अनुवाद]

2924. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" में "कोल शार्टेज महाराष्ट्र गुजरात इन्वाल्व्ड इन डिस्प्यूट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र तथा गुजरात को सड़क मार्ग से कोयला भेजने का काम स्थगित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी नहीं। कुछ प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे विद्युत, इस्पात, रेलवे, उर्वरक आदि को रेल द्वारा अधिक कोयले के संचलन को बनाए रखने की दृष्टि से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (वे० को० लि०) द्वारा सड़क द्वारा कोयले के प्रेषण को विनियमित करना पड़ा। महाराष्ट्र तथा गुजरात के गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उद्योगों को वे० को० लि० द्वारा अप्रैल से जून, 1991 की अवधि के दौरान किए गए कोयले के प्रेषण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े टन में)
(अनन्तिम)

ब्यौरा	महाराष्ट्र को किया गया कोयले का प्रेषण		गुजरात को किया गया कोयले का प्रेषण	
	रेल	सड़क	रेल	सड़क
1	2	3	4	5
1. ईंट भट्टा उद्योग	2074	132333	513	833
2. रसायन	3325	118281	11203	23737
3. कागज	6403	146550	228	3445
4. टाइल	57	115363	227	5846
5. वस्त्र	44610	109425	39830	72149
6. अन्य	131506	635814	3939	154518

हरियाणा में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2925. **श्री राम प्रकाश चौधरी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला जिले के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1990-91 के दौरान कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1990-91 के दौरान कितने गांवों को बिजली उपलब्ध कराई गई; और

(घ) हरियाणा में बिजली उपलब्ध कराए गए और बिजली रहित गांवों की जिलेवार संख्या क्या है और शेष गांवों को कब तक बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अम्बाला जिले समेत समग्र राज्य को पहले ही 1970 में स्वयं शत-प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(घ) जिलेवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य के जिलेवार कुल गांवों की संख्या और विद्युतीकृत गांवों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	कुल गांवों की संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1. अम्बाला	1230	1230
2. कुरुक्षेत्र	732	732
3. करनाल	596	596
4. सोनीपत	331	331
5. फरीदाबाद	425	425
6. गुड़गांव	673	673
7. भिवानी	424	424
8. महेन्द्रगढ़	725	725
9. हिसार	502	502
10. सिरसा	317	317
11. रोहतक	438	438
12. जीन्द	352	352
जोड़ :	6745	6745

दिल्ली और अम्बाला के बीच कहीं न रुकने वाली (नान स्टाप) रेलगाड़ी चलाना

2926. श्री राम प्रकाश चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अम्बाला सैक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वर्ष 1991 के दौरान इस सैक्शन पर कहीं न रुकने वाली (नान स्टाप) रेलगाड़ी चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) परचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण ।

बिना चालक और सहायक के मालगाड़ी का चलाना

2927. **श्री राम प्रकाश चौधरी** :
श्री सज्जन कुमार :
श्री तारा चन्द खण्डेलवाल :
श्री मुकुल वासनिक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जुलाई, 1991 को मुरादाबाद लाइन पर एक मालगाड़ी बिना चालक या उसके सहायक के 125 कि० मी० की दूरी तक चलती गई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । गाड़ी ने 94 कि० मी० की दूरी तय की थी ।

(ख) कांठ और मतलबपुर स्टेशनों के बीच वैक्यूम के अचानक गिर जाने के कारण गाड़ी रुक गई और जब ड्राइवर और उसका सहायक गाड़ी की देखभाल के लिए नीचे उतरे तो गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया ।

(ग) रेल इन्जनों को सुरक्षित ढंग से चलाने और संरक्षा नियमों के अनुपालन के बारे में ड्राइवरों को शिक्षित करने के लिए गए विशेष अभियान चलाया गया है ।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन तथा खपत

2928. **श्री राम प्रकाश चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष आयात किए जा रहे पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी हानि होती है;

(ख) इस समय देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादवार खपत और उत्पादन कितना है; और

(ग) भविष्य में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1990-91 में 4660 करोड़ रुपए (अनंतिम) मूल्य के करीब 8.66 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) कच्चे तेल की शोधन क्षमता तथा देशी उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन तथा खपत के अस्थायी आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :—

उत्पाद	उत्पादन टी० एम० टी० में	खपत टी० एम० टी० में
एल० पी० जी०	2144	2417
एम० एस०	3545	3540
नैफ्था	4658	3434
कैरोसीन	5472	8385
ए० टी० एफ०	1801	1689
एच० एस० डी०	17186	21079
एल० डी० ओ०	1509	1477
फरनेस ऑयल	4878	4329
एल० एस० एच० एस०/ एच० एच० एस०	4548	4516
बिटूमन	1603	1574
पेट्रोलियम कोक	238	291
अन्य	1907	2041
कुल :	49489	54772

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा पर्यटकों को विमान किराए में छूट

[अनुवाद]

2929. श्री वीरेन्द्र सिंह :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री रमेश चन्द्र तोमर :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स इस देश में कतिपय पर्यटन केन्द्रों की यात्रा के लिए पर्यटकों को विमान किराए में छूट देती है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और उनके लिए पर्यटकों को कितने प्रतिशत छूट दी जाती है;

(ग) पर्यटकों को विमान किराए में छूट देने के लिए प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है जो अभी सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(घ) उन पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इण्डियन एयर-लाइन्स पर्यटकों को किसी भी विशिष्ट पर्यटक केन्द्र के लिए किरायों में छूट नहीं देती है, हालांकि भारत आ रहे पर्यटकों को कतिपय विशेष किराए उपलब्ध किए जाते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर, राजस्थान से विमान सम्पर्क

[हिन्दी]

2930. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अजमेर के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां के लिए विमान सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वायुदूत को हुए अत्याधिक घाटे के कारण वह इस समय नए हवाई सम्पर्क उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी ससाधनों की अत्याधिक कमी का सामना कर रहा है। अतः मौजूदा स्थिति में अजमेर में नए हवाई अड्डे के निर्माण की कोई सम्भावना नहीं है।

अजमेर और पुष्कर में पर्यटक सुविधाएं

2931. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आने वाले अधिकांश विदेशी पर्यटक राजस्थान में अजमेर और पुष्कर की यात्रा करने को उत्सुक रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों में यात्रियों को दी जा रही/दिए जाने के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) धार्मिक और सांस्कृतिक अभिरुचि रखने वाले बहुत-से विदेशी पर्यटक अजमेर तथा पुष्कर की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पर्यटक सुविधाओं का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारो से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता देती है। पर्यटन मन्त्रालय ने निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं :

(क) पुष्कर में पर्यटक परिसर

(ख) पुष्कर में घाटों का सुधार

(ग) पुष्कर में 10 डीलक्स कुटीरें

निम्नलिखित परियोजनाएं 199 -92 के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिए सूचीबद्ध की गई हैं :—

(क) अजमेर में यात्री निवास

(ख) पुष्कर में एक ओपन एयर थियेटर सहित एक परिसर

नासिक से कुंभ मेले के लिए रेल सुविधा

[अनुवाद]

2932. **डा० वसंत निवरटी पवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी कुंभ मेले के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए नासिक में आवश्यक यात्री सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या नासिक में आवश्यक यात्री सुविधाओं से युक्त रेलवे टर्मिनस बनाने का प्रस्ताव भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) नासिक में कुम्भ मेला के समय तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक अतिरिक्त सुविधाएं, जैसे पानी के नल, स्नानघरों, शौचालयों, मूत्रालयों, प्रतीक्षालयों सहित दूसरे दर्जे के बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

कल्याण स्टेशन पर खान-पान प्रबन्ध

[हिन्दी]

2933. **श्री राम बदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कल्याण स्टेशन पर खान-पान का प्रबन्धक सन्तोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसको बेहतर बनाने तथा खाद्य वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) खानपान सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। किए गए/प्रस्तावित उपायों में मानक कच्चे माल का इस्तेमाल, रसोईघरों में आधुनिक उपकरणों का उपयोग, खानपान कर्मचारियों को प्रशिक्षण, बार-बार निरीक्षण करना आदि शामिल हैं। निवेश लागत को ध्यान में रखते हुए सभी खाद्य सामग्रियों के निर्धारित मूल्य उचित समझे जाते हैं।

फैजाबाद और वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत बिजली और पानी की व्यवस्था करना

2934. **श्री राम बदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद और वाराणसी डिवीजनों में रेलवे स्टेशनों पर और विशेषकर फैजाबाद और वाराणसी सेक्शन पर बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं। फैजाबाद-वाराणसी खण्ड के 29 स्टेशनों में से 22 स्टेशन पहले ही विद्युतीकृत हैं। इनमें निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था की गई है। चार और रेलवे स्टेशनों पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। शेष स्टेशन रेलवे स्टेशनों के विद्युतीकरण के निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं।

जहां तक वाराणसी मण्डल का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि 191 स्टेशनों में से 150 स्टेशन विद्युतीकृत हैं और वहां निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था की गई है। शेष 41

स्टेशनों में से केवल 9 स्टेशन विद्युतीकरण के योग्य हैं। इन 9 स्टेशनों पर यह कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

जहां तक पानी की सप्लाई का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि वाराणसी मण्डल तथा फैजाबाद-वाराणसी खण्ड के स्टेशनों पर पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं।

कोयम्बतूर जंक्शन पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

[अनुवाद]

2935. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के कोयम्बतूर जंक्शन पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है और उस पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भिक कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। कार्य को मार्च, 1992 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस कार्य पर खर्च की जाने वाली राशि लगभग 19.0 लाख रुपए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इरोड-पालघाट रेलमार्ग का विद्युतीकरण

2936. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में इरोड-पालघाट खण्ड का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब शुरू होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य उच्च घनत्व वाले खण्डों के लिए सापेक्ष प्राथमिकताओं और वित्तीय तंगी के कारण।

महाराष्ट्र की लंबित विद्युत परियोजनाएं

2937. प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख :
श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हुई हैं और कब से;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और प्रत्येक परियोजना की क्षमता कितनी है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) ब्यौरा निम्नवत् है :

क्रम स०	स्कीम का नाम	क्षमता (मे० वा०)	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	सी०ई०ए० में प्राप्त होने की तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6
ताप विद्युत					
1.	पश्चिम महाराष्ट्र ताप विद्युत केन्द्र (बम्बई सबर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०)	2×250 =500	79733	24-10-90	परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 24-10-90 को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृत कर दिया है। तथापि फ्ल्यू गैस डी-सल्फेराइजेशन (एफ० जी० डी०) संयंत्र से सम्बन्धित शर्त को अभी पूरा नहीं किया गया है।
2.	ट्रांबे जी० टी० सी० सी० (टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी)	180	18970	8-5-90	परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 8-5-90

1	2	3	4	5	6
					को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया था। पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृत प्रतीक्षित है।
3.	पारली "ग" ताप विद्युत केन्द्र यूनिट सं० (6 और 7)	2×210 =420	46080	3/86	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्कीमों का मूल्यांकन किए जाने से पूर्व कुछ अपेक्षित निवेश यथा ईंधन लिंकेज, जल उपलब्धता, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्वीकृति और विद्युत सप्लाई अधिनियम, 1948 की धारा 29 के अधीन अनुपालना की जानी सुनिश्चित का जानी अपेक्षित है।
4.	दभोल जी० टी० सी० सी० ताप विद्युत केन्द्र	4×120 (जी० टी०) 2×140 (एस० टी०) =760	56920	3/89	
5.	नगोथाने जी० टी० सी० सी०	4×130 (जी० टी०) 2×150 (एस०टी०) =820	95000	9/90	
6.	मैसर्स कामफीडेंस शीपिंग कंपनी का पॉवर प्लांट [illegible]	110	19850	4/91	
7.	घाटघर पम्पड स्टोरेज स्कीम	2×125 =250	19116	1/87	परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 9-3-88 को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया था। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
8.	भीवपुरी पम्पड स्टोरेज स्कीम	1×90 =90	8987	2/90	कुछ शर्तों के अधीन परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से 8-5-91 को स्वीकृत कर दिया गया था।

खोज परियोजनाओं में पूंजी निवेश

2938. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की खोज में वर्ष-वार और क्षेत्रवार कितना निवेश किया;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस प्राप्ति का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल की खोज के नए क्षेत्रों के चयन के बारे में क्या मापदण्ड अपनाया गया है;

(घ) क्या किसी महत्वपूर्ण सफलता के अभाव को देखते हुए वर्तमान प्रक्रिया की पुनरीक्षा का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों में अपतटीय अन्वेषण कार्य पर 1283.65 करोड़ रुपए और तटवर्ती अन्वेषण कार्य पर 1682.15 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

(ख) इन वर्षों में अपतटीय क्षेत्र में 25 स्थानों पर और तटीय क्षेत्र में 33 स्थानों पर तेल मिला है।

(ग) इसके लिए वैज्ञानिक और परखी हुई प्रक्रिया है और एकीकृत आंकड़ों के निर्वचन का कार्य और कठोर विश्लेषण किया जाता है।

(घ) से (च) इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के प्रयोजन से निर्णय लेने की प्रणालियों की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है।

विद्युत क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धन

2939. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग से विद्युत परियोजनाओं तथा ट्रांसमिशन और वितरण के प्रणोद क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त निधि के आबंटित करने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गई निधि का ब्यौरा क्या है और इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पारेषण और वितरण क्षेत्रों सहित आठवीं योजना में विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निधियों के लिए अनुरोध किया गया है। आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

कोच मरम्मत इकाई, मंचेश्वर

2940. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बा निर्माण तथा मरम्मत इकाई, मंचेश्वर, उड़ीसा अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस इकाई की क्षमता क्या है तथा इसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी क्षमता के पूरे उपयोग के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मंचेश्वर स्थित कारखाना सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग के लिए अनुरक्षण कारखाना है न कि सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए। इस कारखाने की अनन्तिम योजनागत क्षमता प्रतिवर्ष 1200 सवारी डिब्बों को ओवरहाल करने की है। मौजूदा क्षमता प्रतिवर्ष 4800 सवारी डिब्बे ओवरहाल करने की है और उपलब्ध क्षमता का पूर्णतया उपयोग किया जा रहा है।

उड़ीसा को मिट्टी के तेल की सप्लाई

2941. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 31 मार्च, 1991 और 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार मिट्टी के तेल की वास्तविक मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है; और

(ख) उड़ीसा में दीर्घावधि आधार पर मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन पूर्ववर्ती आधार पर किया जाता है। बशर्ते कि उत्पाद उपलब्ध हो। उड़ीसा को मार्च और जून, 1991 में क्रमशः 12,249 तथा 11,960 टन मिट्टी के तेल की आपूर्ति की गई थी।

आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई

2942. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की विशाखापत्तनम तेलशोधक कारखानों को कुछ महीनों के लिए प्राकृतिक गैस मुफ्त सप्लाई करने की कोई योजना है जिसकी कम्प्रेस करके ईंधन के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में उपयोग के लिए सप्लाई किया जा सके जैसाकि तमिलनाडु के चोलन परिवहन निगम के मामले में किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को न तो विशाखापत्तनम रिफाइनरियों से और न ही आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से इस सम्बन्ध में कोई मांग प्राप्त हुई है।

विजयवाड़ा में कंटेनर डिपो

2943. श्री पी० शोभनाद्रीश्वर राव वड्डे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2944. श्री सज्जन कुमार : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विद्युतीकृत गांवों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाकी गांवों को बिजली मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) डेसू के अनुसार, 1981 की जनगणना के अनुसार दिल्ली संघ-शासित क्षेत्र के सभी गांव पहले ही विद्युतीकृत हैं। डेसू द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड क्षेत्र के लिए वायुदूत सेवा

2945. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ और स्थानों को वायुदूत सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें उत्तराखण्ड के क्षेत्रों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो जोड़े जाने वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत को देश के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क में अत्यधिक कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है। वायुदूत की सेवाओं में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में एयर टैक्सी सेवा

2946. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में एयर टैक्सी सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो भरी जाने वाली साप्ताहिक उड़ानों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) हवाई टैक्सी सेवाएं निजी प्रचालकों द्वारा चलाई जाती हैं और वे देश में अनुसूचित परिचालनों के लिए उपलब्ध सभी हवाई अड्डों पर सेवाएं परिचालित कर सकते हैं। उन्हें किसी विशेष मार्ग पर परिचालन के लिए सरकार का अनुमोदन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हाथरस किला स्टेशन का विस्तार

2947. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाथरस किला रेलवे स्टेशन का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाथरस किला स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं मानदंडों अनुसार पर्याप्त हैं जो सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा पर आधारित है जो बहुत ही कम है।

अलीगढ़ जिले में पेट्रोल/डीजल की बिक्री

2948. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नए पेट्रोल, डीजल पम्पों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं और कब तक इन पेट्रोल, डीजल पम्पों की स्थापना होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विपणन योजना तथा समय-समय पर लागू नीति के अनुरूप विभिन्न शहरों में नए पेट्रोल/डीजल, के खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल

[अनुवाद]

2949. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 से 5 पर मई, 1988 से पूर्व बुक स्टाल, दो काउंटर टेबल और ग्यारह ट्रालियां काम कर रही थीं जबकि इस समय इन प्लेटफार्मों पर केवल तीन बुक स्टाल ही रह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्लेटफार्मों पर अनधिकृत हॉकरों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बुक स्टालों/काउन्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन प्लेटफार्मों पर अनधिकृत हॉकरों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से, काउन्टर-टेबल और ट्रालियां हटा दी गई हैं। अनधिकृत हॉकिंग में कुछ वृद्धि देखी गई है। रेलवे द्वारा एक कृतिक बल का गठन किया गया है और अनधिकृत हॉकिंग पर अंकुश लगाने के लिए नियमित जांचें की जा रही हैं। प्लेटफार्मों पर स्टालों की संख्या में वृद्धि करने अथवा किसी टेबल/ट्राली को बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को वाहन भत्ता

2950. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के अनेक कर्मचारियों को, जिन्हें वाहन अग्रिम दिया गया है, भारतीय पर्यटन विकास निगम/सरकारी आदेशों के अनुसार अधिकृत मासिक निर्धारित वाहन भत्ते के स्थान पर उनके द्वारा वास्तव में किए गए वाहन व्यय की मांग की अनुमति दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के नियमों के अनुसार, सरकारी प्रयोजनों से यात्रा करने वाले कर्मचारियों को हुए वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है चाहे उन्हें वाहन खरीदने हेतु अग्रिम दिया जा चुका हो। जिन कर्मचारियों को निश्चित वाहन भत्ता मिलता है उनको वाहन सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती।

डालमिया द्वारा वायुदूत का अधिग्रहण

2951. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 991 को "बिजनेस पालिटिकल आब्जर्वर" में "डालमियाज टू टेक ओवर वायुदूत" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार वायुदूत को किसी निजी पार्टी को सौंपने पर विचार नहीं कर रही है।

देवघर से दुमका और गिरिडीह से रांची तक रेल सम्पर्क

[हिन्दी]

2952. श्री सुरज मण्डल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवघर से दुमका तक रेल लाइन बिछाए जाने के लिए तीन बार सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस पिछड़े क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"डेसू" को हानि

[अनुवाद]

2953. श्री मदन लाल खुराना : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान (डेसू) ने राष्ट्रीय ताप विद्युत आयोग से इसकी बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या डेसू को प्रत्येक वर्ष हानि हो रही है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या डेसू के विद्युत उत्पादन में काफी गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) एवं (ख) 1-4-82 से 28-2-91 तक की अवधि के लिए लगभग 978 करोड़ रुपए की राशि जिसका बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रबन्ध के अधीन) को डेसू द्वारा भुगतान किया जाना है, इस संबंधी राशि को बट्टेखाते डालने के लिए डेसू से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 1-3-91 से डेसू द्वारा टैरिफ में संशोधन किए जाने को मद्देनजर रखते हुए इस समय सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है।

(ग) विद्युत उत्पादन की लागत/विद्युत की खरीद विभिन्न निवेशों की लागत में सभी प्रकार की वृद्धि के कारण डेसू को लगातार राजस्व की हानि होती रही है जबकि डेसू ने अप्रैल 85 से अपने टैरिफ में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से डेसू ने 1-3-91 से अपने टैरिफ में वृद्धि की है।

(घ जी, नहीं। इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 1988-89 में 44.66% से बढ़कर 1989-90 में 55.59% और 1990-91 में :7.57% हो गया है।

(ङ) दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार किए जाने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं—विभिन्न वोल्टता स्तरों पर पारेषण और वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और इसका विस्तार करना, डेसू के विद्यमान गैस टरबाईनों के स्थान पर 3 × 34.07 मेगावाट के अपशिष्ट उष्मा रिकवरी यूनिट स्थापित करना और दिल्ली के चारों ओर 400 के० वी० पारेषण रिंग का निर्माण करना। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दिल्ली में 800 मेगावाट का गैस आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए भी 8वीं योजना में परिकल्पना की गयी है।

दिल्ली में बिजली के खम्भों को हटाया जाना

2954. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री कालका दास :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1991 को "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिल्ली में सड़क के मध्य लगे हुए बिजली के खम्भों के कारण यातायात में हुई बाधा के सम्बन्ध में प्रकाशित फोटो की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पता लगाए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़क को चौड़ा किए जाने के काफी समय बाद भी खम्भे को न हटाए जाने के क्या कारण हैं और उन्हें हटाने के लिए क्या उपाय किए गए अथवा करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सामान्यतया, डेसू सड़क चौड़ी करने की प्रक्रिया आदि के दौरान बिजली के खम्बों को हटाने/स्थानांतरित करने का कार्य, सम्बन्धित सड़क स्वामित्व वाले अभिकरणों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन आदि द्वारा प्रायोजित तथा वित्त पोषित किए जाने वाले निक्षेप कार्य के रूप में करता है । तथापि, सड़क के बीच में 4 बिजली के खम्बे, जैसाकि कथित समाचार में प्रकाशित हुआ था, दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर और उनसे अपेक्षित भुगतान की प्रत्याशा में पहले ही हटाए जा चुके हैं । डेसू को ऐसे अन्य विशिष्ट मामलों की कोई जानकारी नहीं है । तथापि, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन आदि से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार बिजली के खम्बों को हटाने/स्थानांतरित करने से सम्बन्धित कार्य, दिल्ली के विभिन्न भागों में पहले ही प्रगति पर है । ऐसी स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रगति प्रायोजक अभिकरणों से भुगतानों की प्राप्ति शट-डाउन की उपलब्धता, ठेकेदारों की दक्षता, मार्गाधिकार आदि पर निर्भर करती है ।

हिन्दी सहायकों के वेतनमान

[हिन्दी]

2955. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के हिन्दी सहायक केन्द्रीय राजभाषा संवर्ग का हिस्सा हैं;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय के हिन्दी सहायकों और अन्य सहायकों के वेतनमानों में कोई विसंगति थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायकों के वेतनमान में संशोधन करने का निर्णय किया है । हिन्दी सहायक इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते ।

पंढरपुरा, महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा

[अनुवाद]

295?. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा चालू वर्ष की योजना के दौरान पंढरपुर और ऐतिहासिक महत्व के आसपास के अन्य स्थानों के विकास के लिए कोई व्यापक योजना पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शोलापुर स्टेशन के लिए शायिकाओं का कोटा

2957. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम/मध्य जोन में शोलापुर के लिए नियत शायिकाओं का गाड़ीवार और श्रेणीवार कोटा कितना है;

(ख) क्या वहां यात्रियों और यातायात की बहुत अधिकता को देखते हुए इस स्टेशन के लिए आवंटित कोटा अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्टेशन के लिए शायिकाओं के कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) शोलापुर में विभिन्न गाड़ियों के लिए उपलब्ध आरक्षण कोटे का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) कुछ गाड़ियों में उपलब्ध कोटे से मांग थोड़ी सी अधिक है ।

(ग) और (घ) स्थान की सीमित उपलब्धता और मौजूदा कोटाधारी स्टेशनों पर आरक्षण कोटे के पूर्ण उपयोग के कारण शोलापुर में कोटे में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

गाड़ी नं०	कोटा			
	वा० कू० 2-टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा शायिका	सीट
1	2	3	4	5
1024 सोलापुर-बम्बई एक्सप्रेस				
बम्बई तक	—	30	183	30
कल्याण तक	—	—	49	—
नागपुर तक	—	—	50	—

1	2	3	4	5
1023 बम्बई-सोलापुर एक्सप्रेस				
वापसी यात्रा कोटा	—	4	16	—
1027 दादरा-गोरखपुर एक्सप्रेस	—	—	3	—
1065 बम्बई-वाराणसी एक्सप्रेस	—	—	4	—
1081 बम्बई-कन्याकुमारी एक्सप्रेस	—	—	18	—
1096 पुणे-अहमदाबाद एक्सप्रेस	6	—	18	—
2161 बम्बई-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस	2	—	—	33
भुवनेश्वर तक	2	—	5	—
2101 सिकन्दराबाद-बम्बई एक्सप्रेस	—	—	16	—
2135 बम्बई-मंगलौर एक्सप्रेस	—	2	8	—
कोचीन तक	4	—	24	—
2136 मंगलौर-बम्बई एक्सप्रेस	—	2	10	—
2167 बम्बई-फैजाबाद एक्सप्रेस	—	—	4	—
2604 तिरुवनन्तपुरम-राजकोट एक्सप्रेस	2	—	10	—
2627 बेंगलूर नई दिल्ली एक्सप्रेस	2	—	12	—
2628 नई दिल्ली-बेंगलूर एक्सप्रेस	—	—	14	—
27 2 सिकन्दराबाद-राजकोट एक्सप्रेस	2	—	10	—
2638 कोचीन-अहमदाबाद एक्सप्रेस	2	—	10	—
4677 पुणे-जम्मू तवी एक्सप्रेस	—	—	4	—
नई दिल्ली तक	2	—	22	—
6502 सिकन्दराबाद-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	7	
6063 बम्बई-मद्रास एक्सप्रेस	2	2	18	—
6064 मद्रास-बम्बई एक्सप्रेस	—	—	6	—
6529 बम्बई-बेंगलूर एक्सप्रेस	4	—	56	—
6511 दादर-मद्रास एक्सप्रेस	2	4	18	—
6530 बेंगलूर-बम्बई एक्सप्रेस	2	3	—	20
वापसी यात्रा कोटा	—	—	6	—

1	2	3	4	5
6657 बम्बई-कोचीन एक्सप्रेस	2	—	24	—
मंगलौर तक	—	—	20	—
6658 कोचीन-दादर एक्सप्रेस	—	—	8	—
7009 बम्बई-मद्रास मेल	—	2	10	—
तिरुपति तक	—	—	6	—
7010 मद्रास-बम्बई मेल	—	—	13	—
7031 बम्बई-हैदराबाद एक्सप्रेस	2	6	62	—
7032 हैदराबाद-बम्बई एक्सप्रेस	—	10	—	34
327 पुणे-सिकन्दराबाद पैसेंजर	—	—	4	—
328 सिकन्दराबाद-पुणे पैसेंजर	—	8	64	72
9005 बम्बई-ओखा मेल	—	—	2	—
9007 बम्बई-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	3	—
9011 बम्बई-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	—	5

बरेली जंक्शन का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

2958. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रेल लाइनें

2959. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान बिहार में कितने कि० मी० रेल लाइनों का निर्माण किया गया; और

(ख) राज्य में अब तक कितने कि० मी० रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है तथा भविष्य में कौन-कौन सी लाइनों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तुपकाडीह और तलगड़िया के बीच 32.7 कि० मी० ।

(ख) अभी तक 989 किलोमीटर को विद्युतीकृत कर दिया गया है। बिहार में पड़ने वाली निम्नलिखित रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं निष्पादन हेतु पहले ही अनुमोदित कर दी गई हैं :

1. सोन नगर-पतरातू

2. चितरंजन-झाझा
(सीतारामपुर-झाझा के भाग के रूप में)

3. गोमिया-पतरातू

4. बोकारो-पुन्दग, मुरी-ओरगा और रपड़ा-किरिबुरु
(बोकारो-किरिबुरु के भाग के रूप में)

बिहार में रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2960. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991 के दौरान बिहार में किसी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) छपरा-औंडिहार आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है । 1993-94 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

खुली खानों में खनन

[अनुवाद]

2961. **डा० सुधीर राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुली खानों में खनन के काफी खतरें हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) और (ख) ओपन-कास्ट खनन कार्य उपेक्षाकृत भूमिगत क्रियाकलापों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं । ओपनकास्ट खनन क्रियाकलापों से भूमि के गिरने, वायु तथा जल प्रदूषण और खनन ब्लाकों में रहने वाले लोगों को विस्थापित किए जाने के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होती हैं । वायु तथा जल के प्रदूषण

को नियन्त्रित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। भूमि सुधार किए जाने सम्बन्धी कार्यों को भी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए शुरू किया गया है। किसी भी ओपनकास्ट परियोजना को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व एक पर्यावरणीय योजना तैयार की जाती है और इसका अनुमोदन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में पुनर्वास से प्रभावित लोगों के लिए भी व्यवस्था किया जाना शामिल है।

कोयला कम्पनियों द्वारा भू-वंचित व्यक्तियों के लिए एक उदारीकृत पुनर्वास पैकेज भी अंगीकृत किया गया है। इस पैकेज में निम्नलिखित व्यवस्था शामिल है :—व्यवसायिक प्रशिक्षण, वैकल्पिक आवासीय स्थल, आवासीय स्थानान्तरण भत्ता, भूमि के लिए नकद मुआवजा, आदि। इसके अलावा इस पैकेज में अकुशल तथा अर्ध-कुशल श्रेणी में परियोजना में उत्पन्न होने वाले नए रोजगार के अवसरों के तदनुसार रोजगारों में तरजीही दिए जाने के सम्बन्ध में भी व्यवस्था है।

कोयला क्षेत्र में जमीन धसने को रोकने के लिए उठाए गए कदम

2962. डा० सुधीर राय :
डा० कार्तिकेश्वर राय :
श्री हाराधन राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला क्षेत्रों में जमीन धसने के बहुत से मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और कोयला खानों की सहायक कम्पनियों-वार उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए कोई प्रयास किए जा रहे है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और कोयला खानो की सहायक कम्पनियों-वार उनका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बी० एस० ग्यामगोड) : (क) से (घ) कोयला खनन कार्यों से उत्पन्न धंसाव की मुख्य समस्या मुख्यत: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के रानीगज कोयला क्षेत्र तथा कुछ भारत कोकिंग कोल लि० के झरिया कोयला क्षेत्र में विद्यमान है। धंसाव की समस्या राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि में अवैज्ञानिक रूप से कोयले के दोहन के कारण उत्पन्न हुई है।

पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों मे स्थित ई० को० लि० तथा भा० को० लि० के कमांड क्षेत्रों से वर्तमान समय में धसाव के निम्नलिखित मामलों की सूचना मिली है :

पश्चिम बंगाल :

(1) दिनांक 4-3-1990 को अमृतनगर कोलियरी के करनानी निमचा इकाई के एक बड़े भाग में धंसाव हुआ। किसी सतही ढांचे को कोई क्षति नहीं हुई तथा किसी के गम्भीर रूप से घायल होने की भी कोई सूचना नहीं मिली।

(2) दिनांक 5-7-90 को पमरिया 6 एवं 7 इन्कलाइनों के निकट मंदाडीह गांव में धंसाव हुआ, जिससे गांव में 15 घरों में दरार पड़ गई। प्रबंधन ने इनकी मरम्मत करवा दी है।

(3) जुलाई, 90 में महावीर कोलियरी के निकट एगरा गांव के मुचिपाड़ा में तीन स्थानों पर धरातल में छिद्र होने की घटना हुई। किसी भवन को कोई क्षति नहीं हुई है लेकिन 30 परिवारों ने यह दावा किया है कि धंसाव से उत्पन्न दरारों के कारण पानी के समाप्त हो जाने से उनकी जमीन खेती के योग्य नहीं रह गई है।

(4) अप्रैल, 91 में सतग्राम क्षेत्र की जमिहारी खास कोलियरी में एक बस्ती के समीप धरातल पर 8 मीटर गहरा छिद्र पाया गया। इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं हुआ।

(5) केंडा क्षेत्र के बहुला कोलियरी के निकट अप्रैल, 91 में हुए धसाव के कारण 30 अस्थाई घरों को नुकसान पहुंचा। इस बारे में प्रभावित :4 व्यक्तियों में से 32 को समीप के एक विद्यालय भवन में आश्रम दिया है तथा सभी प्रभावित व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक आवास के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया है, जिसके एक महीने में पूरा हो जाने की संभावना है।

(6) जुलाई, 91 में बहुला कोलियरी की जामवाद इकाई में एक धंसाव के कारण 15 मीटर गहरा तथा 1.5 मीटर व्यास का एक छिद्र धरातल पर पाया गया। इसके कारण किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है।

(7) जुलाई, 91 में सालनपुर क्षेत्र के मनोहर बहाल कोलियरी के मनोहर बहाल गांव के निकट 90 मीटर लम्बाई और 60 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र में एक धंसाव हुआ। इसके कारण किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है।

(8) बाराकर में स्थित यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के समीप की जमीन का एक भाग 1989 में धंस गया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बाराकर टाउनशिप, असुरक्षित क्षेत्र के अन्दर पड़ता है, जहां आवासों का निर्माण-कार्य किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत जिला समाहर्ता, बर्द्धमान की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है।

(9) 19-6-1989 को बाराकर स्टेशन रोड स्थित पांच-छः दुकानों तथा एक मन्दिर में 2 इंच चौड़ी दरारें बढ़ी हुई पाई गयीं। भा० को० को० लि० प्राधिकारियों ने उन लोगों से सुरक्षित स्थान पर चले जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया, क्योंकि यह व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भा० को० को० लि० के जांच-विक्टोरिया क्षेत्र के प्रबन्धन ने राज्य सरकार के प्राधिकारियों को इस घटना की सूचना दे दी है।

बिहार

(1) दिनांक 22-10-89 को 200 मीटर × 100 मीटर के क्षेत्र में हुए धंसाव से कतरास क्षेत्र

के अन्तर्गत लकुरका ग्राम में 35 घर प्रभावित हुए। भा० को० को० लि० प्रबन्धन द्वारा ग्रामीणों को निचितपुर के समीप पुनर्वासित किया गया है।

(2) दिनांक 10-10-90 को 10 मीटर × 10 मीटर क्षेत्र में हुए धंसाव से लोदना-फुसबंगला पथ के दक्षिण स्थित भागा क्षेत्र के पिट सं० 2 के निकट हुए धंसाव से 30 घर प्रभावित हुए। लोगों को वहां से हटा लिया गया है तथा भूली में पुनर्वासित कर दिया गया है।

(3) केन्दुआडीह के निकट मई, 90 में एक धंसाव हुआ, जिसमें झरिया खंड के राजपूत बस्ती में 90 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। सभी प्रभावित लोगों को भा० को० को० लि० प्रबन्धन द्वारा वहां से हटाकर भूली टाउनशिप में पुनर्वासित कर दिया गया।

असुक्षित क्षेत्रों के धंसाव को कम करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय ने 1950 तक रानीगंज कोयला क्षेत्र के 40 क्षेत्रों को मनुष्यों के लिए आवासीय दृष्टि से असुरक्षित घोषित किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी असुरक्षित क्षेत्रों पर निर्माण-कार्यों का निषेध घोषित करते हुए इस संबंध में 1979 में एक कानून बनाया था। इस अधिनियम के बन जाने पर भी धंसाव वाले क्षेत्रों पर बसने की गति कम नहीं हुई है और यह कार्य अबाध गति से चल रहा है। ई० को० लि० का प्रबन्धन इस तरह की स्थिति में इन आवासों को गिरा सकता है तथा अपने कर्मचारियों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर सकता है। फिर भी, बाहरी लोगों के लिए ऐसा करने के लिए इसके प्रयास अभी तक वांछित रूप से प्रभावकारी नहीं हुए है।

महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास

2963. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, कुछ नए पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) नए पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए स्थानों पर पर्यटन आधारिक-संरचना में बढ़ोत्तरी करने सम्बन्धी परियोजनाओं एवं स्कीमों के लिए, कुछ वित्तीय सहायता देता है। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, इस राज्य सरकार ने लट्टूर तथा सिंदखेद राजा में पर्यटक गृहों, पुणे में पर्यटक स्वागत केन्द्र, 2 स्थानों पर मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, कर्ला मे पर्यटक परिसर (द्वितीय चरण), मानोर में यात्रियों के लिए मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, साहसिक खेलों एवं खेल उपस्करों की खरीद, 1991-92 के दौरान प्रचार और सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव किया है।

वापि पर "ओवर-ब्रिज"

2964. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पहले वापि रेलवे स्टेशन के निकट "लेबल-क्रासिंग्स" पर "ओवर-ब्रिज" निर्माण करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य आरम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब प्रारम्भ किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने पुल पहुंच मार्गों जिनका निर्माण उसके द्वारा किया जाना है, के लिए स्वीकार्य विस्तृत अनुमान अभी प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ग) अनुमान को स्वीकृति दे दिए जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएं

[हिन्दी]

2965. श्री कालका दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिवर्ष दो रेलवे पास जारी करने और रेलवे कर्मचारियों के लिए एक पृथक मजूरी बोर्ड गठित करने की कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) ग्रुप "डी" के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को पास देने की वर्तमान योजना में किसी प्रकार के उदारीकरण से व्यापक प्रतिक्रिया होगी, इसलिए उन्हें और सुविधाएं प्रदान करना कठिन है।

जहां तक रेल कर्मचारियों के लिए अलग से मजदूरी बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है, रेल कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का अंग हैं तथा वे सरकार की सामान्य नीति द्वारा शासित होते हैं।

कर्नाटक के लिए नया रेलवे जोन

[अनुवाद]

2966. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पश्चिम रेलवे कर्मचारी कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए एक नया रेलवे जोन बनाने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। तथापि, इस सम्बन्ध में साउथ सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज कांग्रेस से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

2967. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सरकार द्वारा व्यावहारिकता सर्वेक्षण कराए जाने के बावजूद अनेक रेल परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अगले कुछ वर्षों में पूरी हो जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) कर्नाटक में निम्नलिखित परियोजनाएं अगले कुछ वर्षों में पूरी हो जाएंगी :

(i) बेंगलूरु-मैसूर आमान परिवर्तन।

(ii) चित्रदुर्ग-रायदुर्ग नई मीटर लाइन।

(iii) कर्नाटक में मंगलोर की ओर कोंकण रेलवे का भाग।

नई तेल और गैस नीति

2968. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने अर्थव्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के अनुरूप एक नई तेल और गैस नीति का आह्वान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में

समाचार पत्र की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है। भारत के तलछटी बेसिनों में तेल और गैस के अन्वेषण में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारतीय कम्पनियों की बोलियों के चौथे दौर में आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है।

इन्दौर टर्मिनल प्लेटफार्म का विस्तार

[हिन्दी]

2969. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर में प्रस्तावित रेलवे टर्मिनल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या वहां पर वर्तमान प्लेटफार्म की लम्बाई बढ़ाने अथवा नए प्लेटफार्म का निर्माण करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 30-9-92।

(ख) और (ग) प्लेटफार्म संख्या 1 की लम्बाई 72.6 मीटर और बढ़ाई जा रही है। लेकिन, किसी नए प्लेटफार्म का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के लिए प्रतिभूति निधि

2970. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा कुछ राशि "प्रतिभूति निधि" के रूप में रखी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस निधि में से कुछ राशि राज्य सरकारों को भी दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को इस निधि में से वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। "प्रतिभूति निधि" के नाम पर रेलवे की कोई निधि नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स की यात्री सेवा में सुधार

[अनुवाद]

2971. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री बलराज पासी :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स की भूमि तथा उड़ान के दौरान, दोनों स्तर पर, यात्री सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने के विचार हैं;

(ख क्या सरकार को एयर इण्डियन और इण्डिया एयरलाइन्स के भू-स्थित कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के प्रति लापरवाह रवैया अपनाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990 से जुला , 1991 तक हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (घ) सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया दोनों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे यात्रियों के साथ, उनके द्वारा टिकट खरीदने का उपक्रम करने से लेकर यात्रा पूरी किए जाने तक के सम्पूर्ण सम्बन्धों की समीक्षा करे ताकि उनकी कठिनाइयों और उत्तेजना को समाप्त किया जा सके। सरकार ने ऐसे अनुदेश भी जारी किए हैं कि वे ग्राहक संतुष्टि, समय-पाबन्द निष्पादन और बेड़े की बेहतर उपयोगिता पर अधिकतम ध्यान दें। कर्मचारियों की इस प्रवृत्ति में प्रमुख रूप से बदलाव लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है कि ग्राहक ही सर्वदा सही होता है।

2. विमान कंपनियों द्वारा समय पाबन्द निष्पादन और बेड़े की उपयोगिता की सूक्ष्म रूप से निगरानी की जाती है। उड़ानों में दी जाने वाली खाद्य सामग्री की विविधता और गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। हवाई अड्डा प्राधिकारियों को हवाई अड्डों पर यात्रियों को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं में वृद्धि करने तथा सुधार करने के लिए भी अनुदेश दिए गए हैं।

पर्यटन उद्योग

2972. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** :
श्री रमेश चन्द्र तोमर :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "टूरिज्म इन्डस्ट्री अनलाइकली टू गेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय रुपए के अवमूल्यन का पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) रुपए के अवमूल्यन से पर्यटन उद्योग को लाभ होने की संभावना है क्योंकि इण्डियन एअर लाइन्स के किराए और

होटल टैरिफ को छोड़कर व्यय की सभी मदों की दरें रुपए में होती हैं; इस प्रकार विदेशी पर्यटकों को ये मदें इस देश में अधिक सस्ती मिलेंगी।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गैर-सरकारी व्यक्ति को भूखंड का आवंटन

2973. श्री बलराज पासी :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री महेश कुमार कनोडिया :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पालम के निकट स्थित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक भूखंड को सरकार ने किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को आवंटित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले में जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) हवाई अड्डा संरचनात्मक विकास के अंग के रूप में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एक पांच तारा होटल की स्थापना के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 6.91 एकड़ भूमि के एक प्लाट का आवंटन किया है। उसी प्रकार इस हवाई अड्डे के निकट एक मोटल की स्थापना के लिए भूमि के एक और अन्य प्लाट का आवंटन किया गया है जिसका माप 4.9 एकड़ (लगभग) है। यह आवंटन खुली निविदाओं के आधार पर और फ्लाइट किचन तथा होटलों आदि के लिए भूमि के आवंटन हेतु मौजूदा नीतियों के अनुसार किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस मामले में सरकार के ध्यान में कोई अनियमितता नहीं लाई गई है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आग की दुर्घटना

[हिन्दी]

2974. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी के यात्री डिब्बों में आग लगने के कितने मामले हुए हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे और सम्पत्ति की अनुमानित हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अग्नि दुर्घटनाओं के कारणो की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) फरवरी 91 से जुलाई 91 की अवधि के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले दर्जे/दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में आग लगने की पांच घटनाएं हुई थीं।

(ख) आग लगने की इन घटनाओं में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। सम्पत्ति को लगभग 6.77 लाख रुपए की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) आग लगने की इन घटनाओं में किसी भी रेल कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है।

चन्द्रपुर विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

2975. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में चन्द्रपुर विद्युत परियोजना के लिए धनराशि देने हेतु स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने और यहां कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एम० एस० ई० बी०) की चन्द्रपुर ताप विद्युत परियोजना के 500-500 मेगावाट के 2 यूनिटों (यूनिट संख्या 5 और 6) के प्रतिष्ठापनार्थ वित्त-पोषण किए जाने के लिए विश्व बैंक सहमत हो गया है। पहले यूनिट को मार्च, 1991 में चालू किया गया था और दूसरे यूनिट को फरवरी, 1992 के चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है।

आगन्तुक विश्राम कक्षों में सूचना-सुविधाएं

2976. **श्री के० प्रधानी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स का आगन्तुक विश्राम कक्षों में बेहतर सूचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार आने वाली उड़ानों के लिए यात्रियों की सूची उपलब्ध कराने का है;

(ग) क्या सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर फैक्स, टेलेक्स और एस० टी० डी० फोन सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो हवाई अड्डों पर इस प्रकार की यात्री सूचना सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) आगमन लाऊंज में उड़ान सूचना, प्रदर्शन बोर्डों, ग्राहक सेवा काउन्टरों, सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली और सी० सी० टी० वी० पर उद्घोषणाओं के माध्यम से दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सभी मुख्य हवाई अड्डों पर एस० टी० डी० फोन सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबकि फैक्स और टेलेक्स सेवाएं इस समय पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं, ऐसी ही सेवाएं अन्य दस हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराए जाने की योजना है। इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान सूचना दिल्ली में टेलीटेक्सट के माध्यम से दूरदर्शन पर उपलब्ध है और दिल्ली तथा बम्बई में तीन अंकों पर स्वतः उत्तर देने वाली मशीनों द्वारा दी जाती है। उड़ान सूचना सुविधाओं का सतत् रूप से उन्नयन किया जाता है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयरबस इन्डस्ट्री के बीच एयरबस ए-320 में सौदे पर विवाद

2977. **श्री के० प्रधानी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और फ्रांस की एयरबस इन्डस्ट्री के बीच एयरबस ए-320 की डिलिवरी प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण उसकी लागत में हुई वृद्धि पर विवाद चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन विमानों की डिलिवरी प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) कोई विवाद नहीं है, परन्तु इस मामले में इण्डियन एयरलाइन्स और एयरबस इन्डस्ट्री के बीच समझौता-वार्ता चल रही है।

बिलासपुर से जबलपुर तक रेल लाइन

[हिन्दी]

2978. **श्री मोहनलाल झिकराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलासपुर से जबलपुर तक बरास्ता मुंगेली मांडला की प्रस्तावित रेल लाइन को बिछाने के लिए सर्वेक्षण कब कराया गया था;

(ख) सर्वेक्षण-रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मुंगेली और मांडला के रास्ते बिलासपुर-जबलपुर (350 कि० मी०) नई बड़ी लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नैनपुर द० पू० रेलवे में डीजल शेड

2979. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर नैनपुर में डीजल शेड के निर्माण में अब तक कितना कार्य हुआ है; और

(ख) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के नैनपुर स्टेशन पर कोई डीजल शेड निर्माणधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2980. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनका चयन वर्ष 1991-92 के दौरान आधुनिकीकरण करने के लिए किया गया है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में नौ स्टेशनों अर्थात मेरठ सिटी, मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद जंक्शन, लखनऊ जं०, गोरखपुर, काठकोदाम, इलाहाबाद सिटी और आगरा फोर्ट में आधुनिकीकरण के लिए 1079.56 लाख रुपए की लागत पर निर्माण-कार्य शुरू किया गया है। 1991-92 के दौरान किसी और स्टेशन का चयन नहीं किया गया है।

पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल० पी० जी० एजेंसियों का आवंटन

2981. **श्री राजवीर सिंह** :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आबंटित एल० पी० जी० एजेंसियों तथा पेट्रोल, डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) एल० पी० जी० एजेंसियों तथा पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों में 1991-92 के दौरान एल० पी० जी० एजेंसी तथा पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त राज्यों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली तथा बदायूं जिलों में, ऐसी एजेंसी/पेट्रोल-डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के स्थानों का जिला-वार ब्योरा क्या है; और

(ङ) उनके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क)

राज्य	एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप	खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप
उत्तर प्रदेश	46	123
मध्य प्रदेश	12	46

(ख), (घ) और (ङ) पेट्रोल/डीजल की नई डीलरशिपें और एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें मात्रा/दूरी मानदण्डों, शहरों की आबादी, उम्मीदवारों की पात्रता सम्बन्धी शर्तों, आर्थिक व्यवहार्यता और विपणन योजनाओं सहित विभिन्न बातों के आधार पर आबंटित की जाती हैं।

(ग) यद्यपि पिछली विपणन योजनाओं के आयोजनागत एल० पी० जी० की कुछ डिस्ट्रीब्यूटर-शिपें और खुदरा बिक्री केन्द्र अभी तक आरम्भ नहीं किए गए हैं, तथापि, वर्ष 1991-92 के लिए किसी नए कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में वायुदूत सेवा

[अनुवाद]

2982. श्री जे० चोक्का राव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में वायुदूत सेवाएं प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इनसे किन-किन स्थानों को जोड़ा जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

उज्जैन में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

[हिन्दी]

2983. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन मध्य प्रदेश में अप्रैल, 1992 में कुंभ मेले का "सिंहस्थ पर्व" आयोजित होगा; और

(ख) वहां डीजल, पेट्रोल तथा खाना पकाने की गैस सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है और वर्ष 1992 में त्यौहारों के दौरान डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने की गैस तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त सप्लाई सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) आपूर्तियां उत्पाद की उपलब्धता तथा जरूरतों पर निर्भर करेंगी।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

2984. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है और उसका किस ढंग से उपयोग किया जा रहा है;

(ख) हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन में कितनी मात्रा में गैस छोड़ी जा रही है और किन-किन क्षेत्रों में तथा कितनी मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की अधिकतम क्षमता कितनी है और गैस पर आधारित संयंत्रों तथा इथाइलीन-क्रैकर संयंत्र से उद्योगों की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1990-91 में मुख्यत: विद्युत, उर्वरक और स्पंज लोहे के क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 31 मि० घन मी० गैस का उपयोग किया गया ।

(ख) एच० बी० जे० पाइपलाइन मार्ग में कोई गैस नहीं जलाई जाती है। इस समय एच० बी० जे० पाइपलाइन मार्ग में प्रतिदिन लगभग 9 मि० घन मी० गैस की खपत होती है।

(ग) इस समय इष्टतम क्षमता 18.2 मि० घन मी० गैस प्रतिदिन की है। एच० बी० जे० पाइपलाइन मार्ग में गैस तीन विद्युत संयंत्रों और एक इथिलीन क्रैकर को आबंटित की गई है ।

मध्य प्रदेश में कोयले की ढुलाई

2985. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोयले की ढुलाई के लिए पर्याप्त रेल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) और (ख) उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यह प्रतीत नहीं होता है कि कोयला मन्त्रालय को मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। किन्तु रेल मन्त्रालय विभिन्न राज्यों को कोयले के संचलन के लिए वैगनों की मासिक आधार पर अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1990 की तुलना में रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश के स्टीम कोयला के उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 19:1 में वैगनों की सीमा 166 बाक्स वैगन तक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्लैक कोयले की वैगन सीमा 4' बाक्स वैगन तक बढ़ा दी गई है।

नीमच शहर के लिए हवाई सेवा

2986. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के नीमच शहर के लिए सेवा प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेलशोधक कारखानों की क्षमता का उपयोग

2987. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी तेलशोधक कारखानों की वर्तमान शोधन क्षमता क्या है और इसका कारखाना वार उपयोग क्या है; और

(ख) शोधन क्षमता बढ़ाने हेतु और 1990 से 1995 तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश की शोधन क्षमता

रिफाइनरी का स्थान	क्षमता (मि० टन प्र० व० में)
1	2
गुवाहाटी	0.85

1	2
बरौनी	3.30
कोयाली	9.50
हल्दिया	2.75
मथुरा	7.50
दिग्बोई	0.50
बम्बई	
(i) एच० पी० सी० एल०	5.50
(ii) बी० पी० सी० एल०	6.00
विशाख	4.50
मद्रास	5.60
कोचीन	4.50
बोंगाईगांव	[illegible]
कुल :	51.85

(ख) वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तारण/गत्यावरोधों को दूर करने के अतिरिक्त शोधन क्षमता का सृजन किया जा रहा है। मंगलौर, नारीमनम, करनाल तथा नूमलीगढ़ में नई रिफाइनरी की परियोजनाएं/अनुमोदन/क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

दक्षिण-एशियाई देशों में पर्यटन को बढ़ावा

[अनुवाद]

2988 डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-एशियाई देशों में यात्रा और पर्यटन को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या स्वदेशी यात्रियों की विदेश यात्रा और वहां ठहरने के सम्बन्ध में उन्हें प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) क्षेत्रीय सहयोग के सम्बन्ध में दक्षिण-एशिया संघ (सार्क) में पर्यटन संवर्धन को सहयोग के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। सार्क के सदस्य देशों ने पर्यटन के बारे में हाल ही में एक तकनीकी समिति बनाई है जो अन्य बातों के साथ-साथ सार्क देशों में पर्यटन का संवर्धन भी करेगी। सार्क क्षेत्र में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए सदस्य देशों की राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा रियायती टैरिफ दी जा रही है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा पत्रिकाओं आदि को विज्ञापन देना

2989. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान पंडित नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके मन्त्रालय के अधीन कई सरकारी उपक्रमों ने अनेक पत्रिकाओं, अखबारों और पाक्षिकों आदि में विज्ञापन दिए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक उपक्रम द्वारा दिए गए विज्ञापनों तथा विज्ञापन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उपक्रमों द्वारा पंडित नेहरू जन्म शताब्दी समारोहों के विज्ञापनों पर किया गया व्यय सम्बन्धित उपक्रमों के स्वीकृत "विज्ञापन बजट" में से किया गया था; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम के स्वीकृत विज्ञापन बजट की कुल धनराशि कितनी थी और विज्ञापन देने सम्बन्धी नीति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुमोदित विज्ञापन सम्बन्धी बजट के ब्यौरे संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास विज्ञापन एजेंसियों का एक पैनल होता है और विज्ञापन का निर्णय आवश्यकता पर आधारित होता है तथा विपणन सम्बन्धी उद्देश्य इनका मार्ग-निर्देशन करते हैं।

विवरण-एक

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा पत्रिकाओं इत्यादि को जारी किए गए विज्ञापनों के ब्यौरे

क्रम सं०	प्रकाशन का नाम	एजेंसी का नाम
1	2	3
इंडियन एयरलाइन्स		
1.	हिन्दुस्तान टाइम्स	एक्शास एडवरटाइजिंग,

1	2	3
	हिन्दुस्तान दिल्ली	नई दिल्ली
2.	टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली/बम्बई	—वही—
3.	टाइम्स आफ इण्डिया, अहमदाबाद	—वही—
4.	हिन्दु, मद्रास	—वही—
5.	टेलीग्राफ आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता	—वही—
6.	नेशनल हेरल्ड, दिल्ली/लखनऊ	—वही—
7.	नवभारत टाइम्स, दिल्ली/बम्बई/लखनऊ	—वही—
8.	नवभारत टाइम्स, पटना/जयपुर	—वही—
9.	कौमी आवाज, दिल्ली	—वही—
10.	संदेश, अहमदाबाद/बड़ौदा	—वही—
11.	महाराष्ट्र टाइम्स, बम्बई	—वही—
12.	ब्लिट्ज, बम्बई	—वही—
13.	डेली थांथी मद्रास/मदुरै/त्रिची/कोयम्बटूर/सलेम/तिरूनेलवेली/ वैल्लोर/कुड्डालोर/बंगलोर	—वही—
14.	प्रजावाणी, बंगलोर	—वही—
15.	इनाडु, हैदराबाद/विजयवाड़ा/तिरूपति/विशाखापत्तनम	—वही—
16.	मातृभूमि, कालीकट/कोचीन/त्रिवेन्द्रम्	—वही—

1	2	3
17.	हिन्दुस्तान टाइम्स, (पर्यटन अनुपूरक)	एक्शारा, एडवरटाइजिंग, नई दिल्ली
18.	डे आफ्टर, नई दिल्ली	—वही—
19.	बिजनेस स्टेण्डर्ड, कलकत्ता	—वही—
20.	इण्डियन टूरिस्ट ट्रेड, दिल्ली	सीधे ही
21.	थिंकर, दिल्ली	—वही—
22.	मुस्ताकबिल, दिल्ली	एक्शारा एडवरटाइजिंग, नई दिल्ली
23.	सोशलिस्ट ऐज, दिल्ली	—वही—
24.	नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद	सीधे ही
25.	नेहरू सेन्चुरी सेलिब्रेशन सोविनिर, कोचीन	—वही—
वायुदूत लिमिटेड		
1.	नेशनल हेराल्ड, दिल्ली/लखनऊ	मैसर्स विजुअल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली
2.	प्रोब इण्डिया, दिल्ली	सीधे ही
3.	नेशनल हेरल्ड, दिल्ली/लखनऊ	—वही—
पवन हंस लिमिटेड		
1.	हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली	फैक्स सिमोस एडवरटाइजिंग, (प्राइवेट) लिमिटेड
2.	टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली/बम्बई	—वही—
3.	नवभारत टाइम्स, दिल्ली	—वही—
4.	दी हिन्दू, मद्रास	—वही—
5.	दी टेलीग्राफ, कलकत्ता	—वही—
6.	नेशनल हेरल्ड, दिल्ली	—वही—
7.	युवा जनपथ	सीधे ही
8.	नेशनल हेरल्ड, दिल्ली/लखनऊ	विजुअल कम्युनिकेशन
9.	मुस्ताकबिल	सीधे ही

1	2	3
भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण		
	1. नेशनल हेरल्ड, (नेहरू पर विशेष सामग्री)	विजुअल कम्युनिकेशन एड० एजेंसी
	2. प्राचीन टाइम्स	सीधे ही
	3. इण्डिया इन्टरनेशनल न्यूज ब्यूरो	—वही—
	4. हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, टाइम्स आफ इण्डिया, बम्बई, दी हिन्दु, मद्रास, स्टेट्समेन, कलकत्ता और नवभारत टाइम्स, दिल्ली	मध्यम एडवरटाइजिंग एजेंसी
	5. सण्डे मेल, दिल्ली	सीधे ही
	6. जवाहरलाल नेहरू सेंच्युरी गोल्ड कप इन्टरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट, सोविनिर	—वही—
	7. टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली/बम्बई हिन्दुस्तान, नई दिल्ली	मार्स एडवरटाइजिंग एजेंसी
	8. नवभारत टाइम्स, (नेहरू पर विशेष सामग्री)	सीधे ही
	9. हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली	—वही—
राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण		
	1. ब्लिट्ज, बम्बई	सीधे ही

विवरण-दो

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपक्रमों के अनुमोदित विज्ञापन बजट के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	उपक्रमों के नाम	अनुमोदित बजट		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
	1. इण्डियन एयरलाइन्स	210	225	225

1	2	3	4	5
	2. वायुदूत लिमिटेड	23	43	30
	3. पवन हंस लिमिटेड	18	20	22
	4. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण	35.50	68.50	21.05
	5. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	11.51	26.82	28.00

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में खान-पान की बिक्री

2990. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व वाले होटलों में "प्रबन्ध लेखा-परीक्षा" के अभाव के कारण ये होटल बहुत महंगे हो गए हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में खान-पान विक्रय अनुपात की दर आवास विक्रय अनुपात की तुलना में अधिक है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों के आवास विक्रय आंकड़े भारत पर्यटन विकास निगम की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी तथ्यात्मक स्थिति व कारण क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व वाले होटलों में उच्च मूल्य तथा आवास विक्रय में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों को निष्प्रभावी करने की दिशा में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में भविष्य कार्य योजना, यदि कोई है, तो क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) प्रबन्धन की लेखा-परीक्षा निगम के आन्तरिक लेखा-परीक्षा कक्ष द्वारा की जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में लागत के तत्व जिम्मेदार हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कमरों की बिक्री और खान-पान की बिक्री के अनुपात की दर 64:36 है।

(घ) और (ङ) लागतें कम करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए गए प्रयासों में मितव्ययिता के उपाय करना, विभिन्न स्तरों पर व्यय को नियन्त्रण में रखना तथा उचित विपणन नीतियां अपनाकर अधिकतम कारोबार करना शामिल हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में पर्यटकों का ठहरना

2991. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में होटलों की तुलना में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में विदेशी पर्यटकों के कम ठहरने के कारण क्या हैं; और

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में विदेशी पर्यटकों का अधिभोग निजी क्षेत्र के होटलों के समान है और अधिक विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों में ये शामिल हैं—भारतीय यात्रा अभिकर्ताओं/यात्रा परिचालकों के माध्यम से सम्पर्क करना, विदेशी यात्रा परिचालकों से सीधे सम्पर्क करना और प्रभावी विपणन और प्रचार करना।

भारत पर्यटन विकास निगम में कार्यकारी सम्वर्ग के अधिकारियों की संख्या

2992. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1975-76, 1981-82, 1985-86 और 1990-91 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम में कार्यकारी सम्वर्ग के अधिकारियों की संख्या कितनी थी, इसमें उनका हिस्सा कितना प्रतिशत था और डिवीजन वार/यूनिट वार/क्षेत्र वार उन्हें कितनी मजूरी दी गई;

(ख) क्या कार्यकारी सम्वर्ग के अधिकारियों के मजूरी बिल में उल्लिखित धनराशि की मात्रा में उनका मनोरंजन, वाहन, चिकित्सा, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता सम्बन्धी व्यय, कारचालक तथा आवास आदि का व्यय भी शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम में केवल कार्यपालक सवर्गों के वेतन बिल प्रभागवार, यूनिटवार और कार्यकलाप-वार नहीं रखे जाते हैं इसलिए इन शीर्षों के अन्तर्गत वेतन-ढांचे का ब्योरा देना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) कार्यपालकों के वेतन में उनका मूल वेतन, स्थानापन्न भत्ता, यदि कोई है महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता तथा मकान किराया भत्ता शामिल होता है।

पैट्रोल पम्पों और रसोई गैस की एजेंसियों का आबंटन

2993. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-4-1989 से लेकर 30-11-1989 तक, 1-12-1989 से लेकर 7-11-.990 तक और 8-11-1990 से लेकर 19-6-1991 तक की अवधि के दौरान पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस की एजेंसियों के लिए कितने लाइसेंस आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 1-4-89 से 19-6-91 की अवधि के दौरान सरकार ने स्वविवेक के आधार पर 229 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिपों तथा एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्वीकृति दी। इनमें से दिसम्बर, 1989 से किए गए सभी आबंटनों की समीक्षा की जा रही है।

कोटा ताप विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

2994. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा ताप विद्युत केन्द्र में अभी वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र की स्थापना का कार्य कलकत्ता की एक गैर-सरकारी कम्पनी को सौंपा गया था;

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी ने उक्त संयंत्र अभी तक स्थापित नहीं किया है; और

(घ) उक्त विद्युत केन्द्र की शीघ्र स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की कोटा ताप विद्युत परियोजना पर चार यूनिटें, जिनका विवरण निम्नवत है, चालू की जा चुकी हैं :

क्रम सं०	परियोजना/यूनिट सं०	क्षमता मेगावाट	चालू करने की तारीख
1.	कोटा स्टेज-1 यूनिट-1	110	1/83
	यूनिट-2	110	7/83
2.	कोटा स्टेज-2 यूनिट-3	210	9/88
	यूनिट-4	210	5/89

इन सभी यूनिटों के लिए मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर भारत सरकार के उपक्रम भेल द्वारा उत्पादित तथा आपूर्त किए गए थे।

कोटा ताप विद्युत परियोजना के चरण तीन के तहत 210 मे० वा० वाली यूनिट 5 योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1989 में स्वीकृति की गयी थी। इस यूनिट के सम्बन्ध में मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर हेतु आर्डर भी अगस्त, 1990 में भेल को दिए जा चुके थे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस यूनिट के सम्बन्ध में और आगे कार्य, परियोजना प्राधिकारियों की निधि संबंधी बाधाओं के कारण हाथ में नहीं लिए गए हैं।

राजस्थान में तेल और गैस की खुदाई

2995. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन जिलों में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण किए गए हैं और ये सर्वेक्षण कब किए गए हैं;

(ख) कितने स्थानों पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया है और कितने कुओं से तेल और प्राकृतिक गैस निकली है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड के पास गहरी खुदाई हेतु पर्याप्त रिग्स हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का और अधिक रिगों की व्यवस्था करने का विचार है;

(ङ) क्या विशेषज्ञों की राय के अनुसार, राजस्थान में इस प्रकार के कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां तेल और प्राकृतिक गैस पाई जा सकती है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1958 से जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, जोधपुर तथा गंगानगर जिलों में भूकम्पीय सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ख) 19 स्थानों पर 53 अन्वेषण कूपों का वेधन किया गया है, इनमें से 22 कूपों में गैस का पता चला है। इसके अतिरिक्त, एक कूप में भारी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होने के संकेत मिले हैं जहां उत्पाद परीक्षण कार्य चल रहा है। अन्य दो कूपों का वेधन कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) उनके अपने रिगों के होने के अतिरिक्त जब और जहां जरूरत के लिए गहरे वेधन रिगों के लिए भी संविदाएं की जाती हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त क्षेत्रों में अन्वेषण जारी है। तेल और गैस के अन्वेषण के लिए बोली के चौथे दौर में राजस्थान के पांच ब्लाकों को भी शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण पर्यटक गाइड

2996. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित पर्यटक गाइडों की काफी कमी है;

(ख) क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम से समय नियत करने के बावजूद गाइड काम पर नहीं पहुंचते हैं;

(ग) ऐसे मामलों में की गई कारंवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार गाइडों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान पर्यटन विकास निगम से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षण देने हेतु पर्यटन विभाग का एक कार्यक्रम इस समय चल रहा है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की संख्या

[अनुवाद]

2998. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की संख्या का वर्ष 1985-86 से मार्च, 1991 तक वर्षवार ब्यौरा क्या है, उनके पारिश्रमिक की धनराशि कितनी है तथा यह धनराशि वर्ष 1985-86 से मार्च, 1991 के दौरान निगम के कुल एवं यूनिटवार/डिवीजनवार गतिविधिवार आय का कितना प्रतिशत है;

(क) क्या कर्मचारियों की तनख्वाहों में अनियोजित वृद्धि और गैर-योजना व्यय के कारण वर्ष 1971-72 में निगम के केन्द्रीय खर्चों और पारिश्रमिक-बिल में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। पारिश्रमिक बिल बढ़ने के ये कारण हैं—निगम कार्यकलाप बढ़ जाने से अधिक संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता होना, वेतनमानों का संशोधित किया जाना, सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धियां देना, समय-समय पर महंगाई भत्ते की दरों और अन्य भत्तों में वृद्धि होना।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की संख्या, कुल व्यापार और वर्ष 1985-86 से 1990-91 (अनन्तिम) तक के वर्षों के कुल व्यापार के साथ कर्मचारियों के पारिश्रमिक बिल की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	कर्मचारियों की सं०	पारिश्रमिक बिल	कुल व्यापार	कुल व्यापार के साथ पारिश्रमिक बिल की प्रतिशतता
			(लाख रुपयों में)	
1985-86	9015	1909.74	7210-71	26.48
1986-87	8899	2253.79	8320.50	27.21
1987-88	8927	2627.89	9433.42	27.86
1988-89	8945	3084.18	19616.69	28.86
1989-90	9043	3323.64	11987.95	27.72
1999-91	8975	3599.33	12097.84	29.75

(अनन्तिम)

नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन

2999. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैवेली लिगनाइट प्रबन्धन बोर्ड में निदेशकों के पद भरने के लिए क्या मानदन्ड हैं; और

(ख) यहां पर चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक का पद न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में बोर्ड स्तर के पूर्णकालिक पदों को लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भरा जाता है।

(ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के पद का चयन कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में उपर्युक्त प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा है।

राज्यों को बिजली का आबंटन

3000. **प्रो० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों द्वारा पैदा की गई बिजली में से विभिन्न राज्यों को, विशेषकर रामागुण्डम विद्युत संयंत्र से आन्ध्र प्रदेश को और कलपक्कम विद्युत संयंत्र से तमिलनाडु को, कितनी-कितनी बिजली आबंटित की जाती है;

(ख) क्या आबंटित की गई बिजली की मात्रा में भिन्नता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र ताप विद्युत/परमाणु विद्युत परियोजनाओं की विद्युत को सामान्यतया लाभभोगी राज्यों के बीच निम्नलिखित फार्मूले के आधार के अनुसार अनुपातिक रूप से किया जाता है :

1. 15% विद्युत केन्द्र अपने पास अनाबंटित रूप में रखता है ताकि समय-समय पर प्रत्येक राज्य की आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

2. 10% विद्युत उस राज्य को आबंटित की जाती है जिस राज्य में विद्युत केन्द्र स्थित होता है।

3. शेष 75% विद्युत का आबंटन क्षेत्र के राज्यों के बीच (गृह राज्य सहित) राज्यों द्वारा गत के पांच वर्षों के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा तथा केन्द्रीय योजना सहायता के अनुसार किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी समुचित आबंटन के द्वारा की जाती है।

रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र और कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र से उत्पादित विद्युत दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में जिस अनुपात में आबंटित की जाती है उसका ब्यौरा निम्नवत् है :—

राज्य	रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2100 मेगावाट)	कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र (470 मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	27.6%	8.5%
कर्नाटक	16.4%	6.4%
केरल	11.7%	5.3%
तमिलनाडु	22.4%	74.5%
गोवा	4.8%	—
पांडिचेरी	.4%	1.1%

रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी का हिस्सा उपरोक्त फार्मूले पर आधारित था। यद्यपि दक्षिणी क्षेत्र का गोवा एक अंग नहीं है तथापि एक विशेष मामले के रूप में इसको विशेष रूप से विद्युत आबंटित की गयी थी।

कलपक्कम संयंत्र में 235-235 मेगावाट के दो यूनिट हैं। पहले यूनिट की विद्युत और दूसरी यूनिट की 50% विद्युत तमिलनाडु को आबंटित की गयी थी और दूसरे यूनिट की शेष विद्युत को अन्य भागीदार राज्यों के बीच बांट दिया गया था। कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र से तमिलनाडु को 74.5% का हिस्सा आबटित किए जाने से सम्बन्धित निर्णय, इस परियोजना की स्थापना से पूर्व तथा फार्मूले को अपनाए जाने से पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु को दिए गए वचनबद्धता पर आधारित था।

दक्षिण जोन में विद्युत की स्थिति

3001. प्रो० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच विद्युत जोनों में विद्युत की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दक्षिण जोन में विद्युत की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या दक्षिण जोन को अन्य जोनों से फालतू बिजली देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव लम्बित पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जून, 1991 के दौरान देश के सभी पांच क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह स्पष्ट है कि सभी जोनों/क्षेत्रों में विद्युत की कमी है। तथापि, दिन में गैर व्यस्ततम-कालीन घण्टों के दौरान, कुछ राज्यों/क्षेत्रों में विद्युत की अधिकता हो सकती है जोकि भार प्रबन्ध पर निर्भर करती है।

(घ) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि, यह पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश द्वारा समय तक महाराष्ट्र से रेडियल मोड पर द्विपक्षीय आधार पर विद्युत प्राप्त की गई थी, जिसके लिए आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को ग्रिड से अलग किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जून, 1991 के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति

(आंकड़े मि० यूनिट में)

जोन	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)
उत्तरी	7203	6759	444	6.2%
पश्चिमी	6392	6116	276	4.3%
दक्षिणी	5510	4668	842	15.3%
पूर्वी	2720	2296	424	15.6%
उत्तरी-पूर्वी	268	255	13	4.9%

उत्तरी दिल्ली में बिजली के कनेक्शन

3002. श्री रमेश चन्द्र तोमर : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास कनेक्शन के लिए अपेक्षित राशि जमा करने के पश्चात् उपभोक्ताओं को बिजली के घरेलू कनेक्शन देने के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) गत छः महीनों के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इसके लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लारेंस रोड स्थित कार्यालय ने अब तक कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया; और

(ग) सभी लम्बित मामलों को कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आवेदक द्वारा अपेक्षित वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नए घरेलू बिजली कनेक्शन देने के लिए डेसू द्वारा दो सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। लारेंस रोड कार्यालय (जिसे अब केशवपुरम जिले के नाम से जाना जाता है) में दिनांक 1-2-1991 से 31-7-1991 तक प्राप्त 2253 ऐसे आवेदनों में से 2144 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और उक्त अवधि के दौरान इनको बिजली के कनेक्शन भी दे दिए गए थे। शेष 109 आवेदनों को भी निर्धारित अवधि में निपटाए जाने सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है बशर्ते आवेदकों द्वारा अपेक्षित वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल

[हिन्दी]

3003. श्री राम बदन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन पर्यटक स्थलों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर उभारा गया है; और

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान पर्यटन सम्बन्धी सुविधा बढ़ाने और इन स्थानों के विकास के लिए किए गए प्रबन्धों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे पर्यटक स्थल काफी संख्या में हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन परिपथ पर हैं, जैसे आगरा, मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फतेहपुर सीकरी, आदि। पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर गुण-दोष तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता देती है। पर्यटन मन्त्रालय ने वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 397.87 लाख रुपए की 36 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य सरकारों को लगभग 224.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए 9 स्कीमें सूचीबद्ध की गई हैं।

रेलवे की भूमि का रिकार्ड

[अनुवाद]

3004. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की भूमि का रिकार्ड सही तरीके से नहीं रखा जाता है और इसके संरक्षण हेतु समुचित उपाय नहीं किए जाते हैं;

(ख) क्या भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रेलवे की भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र अनेक वर्षों से अनधिकृत कब्जे में है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और उक्त भूमि से अनधिकृत कब्जा हटाकर उसे पुनः अपने कब्जे में करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नियमानुसार, रेलवे भूमि के रिकार्ड का उपयुक्त रख-रखाव किया जाता है और रेलवे भूमि के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं।

(ख) और (ग) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मार्च, 1990 को समाप्त अवधि

के लिए अपनी रिपोर्ट में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया है :—

स्थान	क्षेत्रफल
(i) सढोरा कलां गांव-उत्तर रेलवे	2.57 एकड़
(ii) लालकुआ और हलद्वानी के बीच पूर्वोत्तर रेलवे	33.234 एकड़
(iii) बगहा-पूर्वोत्तर रेलवे	36.86 एकड़

(घ) (i) सढोरा कलां की रेलवे भूमि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कब्जा कर रखा है और इस मामले में इसके एवज में उतनी ही भूमि देने के लिए उनके साथ लिखा-पढ़ी की गई है।

(ii) जहां तक लालकुआ और हलद्वानी के बीच रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का सम्बन्ध है, रेलों ने अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखल करके भूमि पुनः प्राप्त करने अथवा राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गयी वैकल्पिक भूमि प्राप्त करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी है।

(iii) जहां तक बगहा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का सम्बन्ध है, रेलों ने इस मामले में अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखल करके भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र द्वारा कृष्णा नदी के जल को अन्य रास्ते से ले जाना

3005. **श्री के० वोक्का राव :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना बिजली परियोजना चरण-चार के लिए कृष्णा नदी के जल को और आगे पश्चिम की ओर बदलकर ले जाया गया है;

(ख) क्या वह विपथगमन बछावत पंचाट के उपबन्धों के विरुद्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई कोयना चरण-4, जल विद्युत परियोजना में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की गई है कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार अनुमोदित मात्रा से अधिक जल का विपथगमन किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सूचित किया है कि कोयना चरण-4 केवल व्यस्ततमकालीन विद्युत सम्बन्धी आवश्यकता के प्रयोजनार्थ है; इसलिए कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति से अधिक जल की मात्रा का विपथगमन कोयना चरण-4 के लिए नहीं किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करना

3006. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान मे गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी ओद्योगिक यूनिट मंजूरी मिलने के बाद भी चालू नहीं हो पाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है, और यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) दो विद्युत संयंत्र (एनटीपीसी, अन्ता, तथा राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, रामगढ़) तथा एक उर्वरक संयंत्र (चम्बल फर्टिलाइजर्स) के लिए प्राकृतिक गैस का आबंटन किया गया है। इनमें से रामगढ़ । राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के विद्युत संयंत्र तथा चम्बल फर्टिलाइजर्स को अभी शुरू किया जाना है।

पर्यटन के लिए संदर्शी योजना तैयार करने के लिए समिति

[हिन्दी]

3007. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस शताब्दी के अन्त तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संदर्शी योजना तैयार करने के लिए कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) उक्त सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इन सिफारिशों का सम्बन्ध पर्यटन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु एकमुश्त प्रोत्साहन देने, पर्यटन मन्त्रालय और भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन करने और पर्यटन के क्षेत्र में जनशक्ति के विकास हेतु कार्य-नीति तैयार करने से है। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और उन्हें उस सीमा तक लागू किया गया है जहां तक वे व्यवहार्य समझी गई हैं।

मद्रास में सुगन्धि परियोजना

[अनुवाद]

3008. श्री अम्बारासु इरा :
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास के निकट मनाली में संयुक्त क्षेत्र में एक सुगन्धि परियोजना स्थापित की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव पैराक्सीलीन का 136,000 टन प्रतिवर्ष तथा पीटीए का 200,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन करने के लिए 1380 करोड़ रुपए (अगस्त, 1990 की कीमतों पर) की अनुमानित लागत पर एक परियोजना स्थापित करने का है ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज हमारी कार्यसूची में उपाध्यक्ष के चुनाव से सम्बन्धित विषय है । लेकिन हम इसके पहले कुछ अन्य विषय जैसे सभा पटल पर रखे गए पत्र ले सकते हैं जिन्हें दो या तीन मिनट में निपटाया जा सकता है। उसके बाद हम मद संख्या 5 अर्थात् उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव लेंगे।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

श्री कल्पनाथ राय ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

12.01 म० प०

विद्युत अभियन्ता प्रशिक्षण सोसाइटी का वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) (एक) विद्युत अभियन्ता प्रशिक्षण सोसाइटी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विद्युत अभियन्ता प्रशिक्षण सोसाइटी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 364/91]

12.02 म० प०

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[हिन्दी]

श्री राम गणेश कापसे (ठाणे): अध्यक्ष महोदय, मैं जम्मू क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में श्री चमन लाल गुप्ता, अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर भाजपा, जम्मू तथा अन्य दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 365/91]

12.03 म० प०

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव लेंगे।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार द्वारा दिया एक प्रस्ताव है। उन्होंने मुझे लिखा है कि वह उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। खैर, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वह अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहेंगे—उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य प्रस्ताव श्री लाल कृष्ण आडवाणी का है। मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी को अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती विजयाराजे सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री रशीद मसूद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिसका श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुमोदन किया है सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

जो इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि 'हां' वाले सदस्यों की संख्या अधिक है। 'हां' वाले सदस्यों की संख्या अधिक है।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं' वाले सदस्यों की संख्या अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मत-विभाजन चाहते हैं ?

वीथिएं खाली कर दी जाएं—

12.8 म० प०

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखने से पहले मैं सदस्यों की उनकी सुविधा हेतु सभा में किस प्रकार मतदान किया जाना है पढ़कर बताता हूं।

एक पुश बटन सेट जिसमें एक द्योतक बत्ती और तीन पुश बटन एक बसन्ती बटन "हां" के लिए, एक लाल बटन "ना" के लिए एक काला बटन—"मतदान में भाग न लेने के लिए" और इसके साथ-साथ तार से लटका हुआ एक पुश बटन स्विच प्रत्येक सदस्य की सीट पर लगा हुआ है। जब पीठासीन अधिकारी द्वारा मतविभाजन कराने का आदेश दिया जाता है तो एक घंटा बजता है जो सदस्यों के लिए मतदान करने का संकेत होता है। प्रत्येक सदस्य को पुश स्विच को दबाना होता है और उसके बाद अपनी इच्छानुसार तीनों पशु बटनों में से एक को दबाना होता है। दस सैकेंड के पश्चात जब तक घंटा दूसरी बार नहीं बजता तब तक पुश बटन और पुश स्विच को दबाए रखना जरूरी है। पुश बटन सेट पर एक द्योतक बत्ती बटन और पुश स्विच के दबाने के साथ जल उठेगी और इस बत्ती का जलना इस बात का द्योतक है कि मत को यंत्र द्वारा लिखा गया है।

यदि कोई सदस्य किसी कारण से बटन दबाकर मत नहीं दे सकें तो वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें और अपना मत डिविजन क्लर्क से पर्ची प्राप्त करके उस पर अभिलिखित करवा लें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 3] **[12.13 म० प०**

पक्ष में

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अडईकलराज, श्री एल०

अंतुले, श्री ए० आर०

अन्बारासु, श्री इरा

अरुणाचलम, श्री एम०

अय्यर, श्री मणि शंकर

अशोकराज, श्री ए०

अर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

इन्द्र जीत, श्री

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्बे, श्री लाईता

उरांव, श्री ललित

एन्थनी, श्री फ्रैंक

ओडेयर, श्री चनैया

कमल नाथ, श्री

कमल, श्री श्याम लाल

कनोजिया, डा० जी० एल०

कनोडिया, श्री महेश

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड० एम०

कच्वां, श्री राम सिंह

कांबले, श्री अरविन्द तुलसी राम

कापसे, श्री राम

कामत, श्री गुरुदास

कालका दास, श्री

काले, श्री शंकरराव दे०

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुडुमुला, श्री पद्मश्री

कुन्जी लाल, श्री

कुली, श्री बालिन

कुमार, श्री वी० धनन्जय

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुसमारिया, श्री रामकृष्ण

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती

कैनिथी, डा० विश्वानाथम

कोंतला, श्री राम कृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द

खनोरिया, श्री डी० डी०

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री अयूब

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, डा० परशुराम

गंगवार श्री संतोष कुमार

गजपति, श्री गोपी नाथ

गांगुला, श्री प्रताप रेड्डी

गहलोत, श्री अशोक

गामित, श्री छीतूभाई

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गावीत, श्री मणिकराव होडल्य

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल

गुडाडिन्नी, श्री० के०

गूंडेवार, श्री विलासराव, नागनाथराव

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौतम, श्रीमती शीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौड, प्रो० के० वेंकटगिरि

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखर, श्रीमत मारगथम

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाक्को, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडनभाई

चावड़ा, श्री हरिसिंह

चिदम्बरम, श्री पी०

चिखलिया, श्रीमती भावना

चिन्ता मोहन, डा०

चेन्नीथाला, श्री रमेश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री राम प्रकाश

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौरे, श्री बापूहरि

चौहान, श्री चेतन पी० एस०

छटवाल, श्री सरताज सिंह

छोटे लाल, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जय प्रकाश, श्री

जनार्दन, श्री एम० आर० कादम्बूर

जसबंत सिंह, श्री

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जावाली, डा० बी० जी०

जीवरत्नम, श्री आर०

जेस्वाणी, डा० खुशीराम

जोशी, श्री अन्ना

जोशी, श्री दाऊ दयाल

टाईटलर, श्री जगदीश

टण्डेल, श्री डी० जे०

टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डामोर, श्री सोमजीभाई

डेका, श्री प्रवीन

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहनभाई, संजीभाई

तंग्काबालू, श्री के० बी०

तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण

त्रिवेदी, श्री अरविन्द

थामस, प्रो० के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरट, श्री संदीप भगवान

दत्त, श्री सुनील

दास, श्री द्वारका नाथ

दिघे, श्री शरद

दिग्विजय सिंह, श्री

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र

देवगौड़ा, श्री एच० डी०

देब, श्री सन्तोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

देवी, श्रीमती विभू कुमारी

देशमुख, श्री अनन्त राव

देशमुख, श्री चन्दूभाई

द्रोग, श्री जगत वीर सिंह

धूमाल, प्रो० प्रेम

नन्दी, श्री येल्लैया

नवले, श्री विठुरा विठोबा

नाईक, श्री राम

नायक, श्री जी० देवराय

नायक, श्री मृत्युंजय

नायकर, श्री डी० के०

नायक, श्री सुबास चन्द्र

नारायणन, श्री के० आर०

नारायणन, श्री पी० जी०

नेताम, श्री अरविन्द

पण्डियन, श्री डी०

पवार, डा० बसन्त

पांजा, श्री अजित

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पटेल, श्री हरिभाई

पटेल, श्री सोमाभाई

पद्मा, डा० (श्रीमती)

पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाठक, श्री हरिन

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र

पेरूमान, डा० पी० वल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु, झांग्ये, श्री हरीश नारायण

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक

फैरनान्डेस, श्री आसकार

फ्लीरो, श्री एडुआर्डो

बंसल, श्री पवन कुमार

बंडारू, श्री दत्तात्रेय

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

बूटा सिंह, श्री

बैरवा, श्री राम नारायण

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भंडारी, श्रीमती दिल कुमारी

भडाना, श्री अवतार सिंह

भागेय गोवर्धन, श्री

भारद्वाज, श्री परसराम

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोसले, श्री प्रतापराव बी०

मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मल्लिकार्जुन, श्री

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मिर्धा, श्री नाथू राम

मिर्धा, श्री राम निवास

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्र, श्री राम नगीना

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनियप्पा, श्री के० एच०

मुरुगेसन, डा० एन०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मैथ्यू, श्री पलाई के एम०

राम, श्री काशीराम

राजनारायण, श्री

राजरविवर्मा, श्री बी०

राजू, श्री एस० विजय राम

राजू, श्री भू० विजयकुमार

राजूलू, डा० आर० के० जी०

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती बासव

राम बाबू, श्री० ए० जी० एस०

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामदेव राम, श्री

राममूर्ति, श्री के०

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू

राय, श्री कल्प नाथ

राव, श्री जे० चौक्का

राव, श्री वी० कृष्ण

रावत, श्री प्रभु लाल

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावल, डा० लाल बहादुर

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री महासमुद्रम गजेन्द्र

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बाराम

रेड्डी, श्री विजय भास्कर

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

लोढा, श्री गुमान मल

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, श्री भवानीलाल

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, श्रीमती रीता

वर्मा, कुमारी विमला

विजयराघवन, श्री वी० एस०

वर्मा, श्री सुशील चन्द्र

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विलियमस, श्री आर० जी०

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वेकारिया, श्री एस० एन०

व्यास, डा० गिरिजा

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री जीवन

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास

शाह, श्री मानवेन्द्र

शैलजा, कुमारी

श्रीधरण, डा० राजगोपालन

संघानी, श्री दिलीप भाई

सईद, श्री पी० एम०

संगमा, श्री पूर्णो ए०

सज्जन कुमार, श्री

सायुल, श्री धर्मण्णा मोण्डय्या

सान्याल, श्री माणिक

सानीपल्ली, श्री गंगधरा

सावन्त, श्री सुधीर

साही, श्रीमती कृष्णा

साबे, श्री मोरेश्वर

साक्षी जी, डा०

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री अभय प्रताप

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री दलबीर

सिंह, श्री देवीबक्स

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, श्री मनफूल

सिंह, श्री राजबीर

सिंह, श्री राम

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंह, श्री सत्यदेव

सिवनाथ, श्री एस० बी०

सिलवेरा, डा० सी०

सुन्दरराज, श्री एन०

सुख राम, श्री

सुरेश, श्री कोडीकुन्नील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सोढ़ी, श्री मानकराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

सौरन्म्रम, डा० (श्रीमती) के० एस०

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

स्वामी, श्री जी० वेंकट

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज

अहमद, श्री ई०

आचार्य, श्री बसुदेव

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

उम्मारेड्डि, वेंकटेस्वरलु, प्रो०

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन

केशरी लाल, श्री

खां, श्री सुखेन्दु

गिरि, श्री सुधीर

गिरिजा देवी, श्रीमती

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोपालन, श्रीमती सुशीला

चंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जायनल, अबेदिन, श्री

जैना, श्री श्रीकान्त

डोम, डा० रामचन्द्र

तरिकी, श्री पीयूष

तोपदार, श्री तरित बरण

दत्त, श्री अमल

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दुबे, श्रीमती सरोज

पंवार, श्री हरपाल सिंह

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री बृशिण

पटेल, श्री राम पूजन

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रसाद, श्री हरि केवल

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बर्मन, श्री उद्धव

बर्मन, श्री पलास

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बालयोगी, श्री जी० एम० सी०

बैठा, श्री महेन्द्र

भट्टाचार्य, श्री नानी

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मंडल, श्री सूरज

मधुकर, श्री कमला मिश्र

मरांडी, श्री साइमन

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मसूद, श्री रशीद

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र

मुरमु, श्री रूप चन्द

मूर्ति, श्री एम० वी० वी० एस०

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, डा० एस० पी०

यादव, श्री, चन्द्रजीत

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, श्री सूर्य नारायण

रंगपी, डा० जयन्त

राजू, श्री भू० विजयकुमार

राम अवध, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द

रामय्या, श्री बोल्लाबुल्ली

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री रवि

राय, श्री लालबाबू

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर

रेड्डय्या यादव, श्री के० पी०

रेड्डि, श्री ए० इन्द्रकरन

रेड्डी, श्री बी० एन०

रोशन लाल, श्री

लालजान बाशा, श्री एस० एम०

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री जंगबीर

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री रामनरेश

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह, श्री हरि किशोर

सुर, श्री मनोरंजन

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सैयद शाहाबुद्दीन, श्री

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

12.14 म० प०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 278

विपक्ष में : 104

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा करता हूं कि श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या विधिवत इस सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं ।

(सभा के नेता श्री अर्जुन सिंह तथा विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी श्री एम० मल्लिकार्जुनय्या को उपाध्यक्ष के स्थान तक ले गए)

12.15 म० प०

उपाध्यक्ष को बधाइयां

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस सभा ने इस माननीय सभा के उपाध्यक्ष का चयन कर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है । उपाध्यक्ष महोदय को विधायी कार्य के बारे में बहुत अनुभव है और हम सभी जानते हैं कि इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल इस सभा के सभी वर्गों के लिए संतोषजनक रहेगा । इस चुनाव के परिणामस्वरूप एक बात सामने आई है और आपकी अनुमति से मैं सभा

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दिया :

पक्ष में : सर्वश्री एम० ओ० एच० फारूक, पी० वी० रंग्या नाइयू, सिद्दप्पा भोगप्पा न्यामगौड, सलमान खुर्शीद, एम० बांगा रेड्डी, डी० पी० पाल, कोडाबनी गौडान शिवप्पा, टी० आर० एल० भोसले, राव रामसिंह, आर० दत्ताजी माघे, शरत चन्द्र पटनायक, अजीत के० पवार, एम० कृष्णास्वामी, पवन दीवान, बनवारी लाल वर्मा, सी० के० कुप्पुस्वामी, पी० बी० कालियापेरुमल, आनन्द अहिरवार, भेरु लाल मीणा, एन० के० रलियान, मोहन विष्णु सवले, सुरेन्द्र पाल पाठक, बलराज पासी, रमेश तोमर, वीरेन्द्र सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, प्रभुदयाल कठेरिया, एस० मल्लिकारजुनेय्या, डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय, कुमारी उमा भारती, विश्वनाथ शर्मा, मंगल राम 'प्रेमी', भुवनचन्द्र खंडूरी, विनय कटियार, राम टहल चौधरी, स्वामी योगानन्द, भगवान शंकर रावत, डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे, आनन्द राव मौर्य, श्याम बिहारी मिश्र, गया प्रसाद कोरी, डा० महावीर सिंह हरिसिंहजी गोहिल, डा० आर० मल्लू और इम्चालम्बा ।

विपक्ष में : सर्वश्री छोटा सुब्बाराव, तेज नारायण सिंह, सुब्रत मुखर्जी, जी० गंगा रेड्डी, बी० धर्मभिक्षम, थाइल जान अंजलोज, ब्रज किशोर त्रिपाठी, अर्जुन सिंह यादव और मोहम्मद अली फातमी ।

को वह बात याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने उस समय कही थी जब विश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, वह यह कि अब हम इस देश में एक अलग राजनीतिक विकास के चरण में हैं। इस सभा में दोनों ओर जनता द्वारा दिए गए निर्णय की झलक मिलती है। जैसाकि प्रधानमन्त्री जी ने भी कहा है कि कांग्रेस दल इस देश की जनता के फैसले का सम्मान करता है और इस प्रकार कार्य करने का प्रयास करेगा कि जिससे उनके द्वारा और उनकी सरकार द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर पिछले चुनावों में प्रतिबिम्बित जनता के निर्णय की छाप रहे। उपाध्यक्ष पद के मुद्दे के बारे में मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सभा की बेहतर परम्पराओं···(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : आपने सभा की परम्पराओं को तोड़ा है। आठवीं लोक सभा में आपने अपने सहयोगी दल अन्ना द्रमुक को उपाध्यक्ष का पद दिया था। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : इस सभा के मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार को ही अध्यक्ष बनाया गया है और कांग्रेस दल ने इस परम्परा को बनाए रखा है—इसी आधार पर हमने निर्णय लिया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय की उनके नए पद पर सफलता के लिए कामना करता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मैं श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या को बधाई देता हूं, उनका अभिनन्दन करता हूं कि उनको उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया है। पार्टी के एक सहयोगी के नाते मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचय तो बहुत वर्षों से रहा, किन्तु आज से 12-13 वर्ष पहले जब देश एक विशेष परिस्थिति में से गुजर रहा था और लोकतन्त्र पर ग्रहण सा लग गया था (व्यवधान) उस समय उनको बहुत निकट से देखने का भी अवसर मिला जब बंगलौर केन्द्रीय कारावास में वे और मैं एक साथ नजरबन्द थे। तब से लेकर उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी सहृदयता के बारे में, उनकी मृदुभाषी प्रकृति के बारे में, हरेक को सहयोग देकर के, हरेक की चिन्ता करके, हरेक का कार्य करने की उनकी प्रकृति के बारे में मन पर बड़ी गहरी छाप रही है। और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में संसद में पहुंची और सरकारी पार्टी से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में क्या परम्परा ठीक होनी चाहिए, इस बारे में विचार-विमर्श होकर जो सहमति बनी, उससे मुझे और मेरी पार्टी को लगा कि अगर एक ऐसे व्यक्ति को, जो कर्नाटक के विधान-मण्डल की 19 वर्षों तक सेवा कर चुके हैं और कर्नाटक विधान परिषद में भी उपाध्यक्ष के रूप में प्रभावी भूमिका निभा चुके हैं, लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया जाए तो संसद के प्रति हम न्याय करेंगे। इस विचार से ही मैंने आज यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका सदन ने समर्थन किया है। मैं प्रधानमन्त्री का, सरकार का और सदन के नेता का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अब तक जो भी कुछ हुआ हो लेकिन एक परम्परा की शुरूआत की है। मुझे विश्वास है कि जिस नए अध्याय का उल्लेख सदन के नेता ने किया कि हमारा लोकतन्त्र एक नई परिस्थिति में से होकर गुजर रहा है और उस नई परिस्थिति में मतभेद होने के बावजूद भी, अगर हम परम्पराओं की चिन्ता करेंगे, अगर हम संस्थाओं की चिन्ता करेंगे, जिनका विगत वर्षों में ह्रास होता रहा है, तो इस नए अध्याय में से यह देश सफलतापूर्वक निकल सकेगा तथा लोकतन्त्र और अधिक मजबूत होगा।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने दल की ओर से स्वयं अपनी ओर से श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके उपाध्यक्ष के पद के दायित्व का निर्वहन करते समय यह सदन अच्छी तरह चलेगा। (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष जी, मैं मल्लिकार्जुनय्या साहब को इस हाउस के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं और उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि जनता दल···(व्यवधान)···सोरी, जनता दल नहीं राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रन्ट···(व्यवधान)···मैंने इसलिए उनको शामिल नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि वे भी बोलेंगे। मैं नेशनल फ्रन्ट की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं और यह यकीन भी दिलाना चाहता हूं कि हम हाउस को अच्छी तरह चलाने में उनका सहयोग करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं कांग्रेस आई को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं इसलिए कि उन्होंने जो फैसला लिया, वह हमारे यकीन के ऐन मुताबिक है। इस इलैक्शन में मैं स्वयं एक कैंडीडेट था और मैंने यह इलैक्शन यह जानते हुए लड़ा था कि मेरे जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। मगर ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब हम कांफीडेंस वोट को सीक करने के लिए हाउस में आए थे, उस समय भी हम जानते थे कि हम कांफीडेंस वोट सीक नहीं कर सकेंगे, हमें कांफीडेंस वोट हासिल नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ उसूलों की खातिर हमने उस वक्त भी हौसला रखा और आज भी हम हाउस में इस इलैक्शन को लड़कर उन्हीं उसूलों को जिन्दा रखना चाहते हैं, जिन उसूलों के लिए महात्मा गांधी ने देश को एक रास्ता दिखाया, नेतृत्व दिया।

इससे पहले मैंने "पोलिटिक्स आॅफ कंबीनियेंस" की चर्चा काफी सुनी थी लेकिन आज "कन्वेंशन आॅफ कन्वीनियेंस" की बात पहली बार कांग्रेस के मुंह से सुन रहा हूं। हमारे कांग्रेस के लीडर ने कहा कि सदन की लार्जेस्ट पार्टी, जो अपोजीशन में होगी, उसका यदि कोई कैंडीडेट है, तो कन्वेंशन यह है कि हम उसे ही सदन का डिप्टी स्पीकर बनाएंगे लेकिन जब से हिन्दुस्तान में हमारी पार्लियामेंट बनी है, उस वक्त से आज तक, कांग्रेस ने कभी इस कन्वेंशन को अगर फोलो किया होता तो आज इस इलैक्शन में मैं आज खड़ा न हुआ होता। मैं भी उसका आदर करता, रैस्पैक्ट करता, कन्वेंशन का। लेकिन इस कन्वेंशन का कांग्रेस पार्टी ने कभी आदर नहीं किया। यही नहीं, आपको याद होगा, सारे सदन के लोगों को याद होगा, आपको माध्यम से मैं फिर सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1980 में जो चौथे नम्बर की पार्टी थी और जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी थी, कांग्रेस (आई) ने उसका डिप्टी स्पीकर चुनवाया था। (व्यवधान) इस देश को हमें बचाना है और मैं लीडर आॅफ दि हाउस की बात से बिलकुल मुत्तफिक हूं कि आज की परिस्थितियां देश के लिए हमें गम्भीरता से सोचने के लिए एक मौका देना चाहती हैं। मैंने एक खत लिखा है अपने आॅनरेबल मैम्बर साहिबान को, मिला होगा, उसमें भी यह मेंशन किया है कि आज के हालात के अन्दर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए कि हम जो कदम उठाते हैं वे कदम हमारी उन परम्पराओं के मुताबिक हैं जो हमारे देश की आजादी के बाद से महात्मका गांधी और उनके सहयोगियों ने हमें विरासत में दिए थे, या नहीं, लेकिन देश की यह बदकिस्मती है और मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है, उसने इन कन्वेंशन और मर्यादाओं का कभी भी ख्याल नहीं रखा है और आज उसका इजहार कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्यों, मैं नहीं जानता। क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत कुछ कहना भी नहीं चाहिए। (व्यवधान) अभी एक झगड़ा हमारे यहां हाउस में चल रहा था। कुछ इधर के लोगों ने और कुछ उधर के लोगों ने एक दूसरे को ** बताया। अभी तक यह झगड़ा सुलझा नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कि उनकी नजर में कौन शख्स ** है···(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रशीद म ूद : लेकिन अगर ** है, तो क्या आज आपने जो ** की है···(व्यवधान)···मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी श्री मल्लिकार्जुनय्या जी को उनके चुनाव पर मैं बधाई देता हूं। अभी-अभी चुनाव हुआ और जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो वे हमारे सब के विश्वास के बन जाते हैं। इसलिए उस बहस मे मैं जाना नहीं चाहता हू। हां, यह बात जरूर है कि नेता सदन ने कहा कि एक नई राजनीति आई है। उस नई राजनीति के लगाव और जुड़ाव को बहुत बारीकी से जनता समझती है।···(व्यवधान)···लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी दलों ने श्री रशीद मसूद साहब को अपना कैंडीडेट बनाया था। उसकी योग्यता और अनुभव पर हम लोगों को पूरा विश्वास था, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि हम लोगों को पूरा सहयोग रहेगा, (व्यवधान) जो सदन की भावना है, उस पर हम पूरा विश्वास प्रकट करते हैं और हम उनको पूरा सहयोग देंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से तथा पार्टी की ओर से श्री मल्लिकार्जुनय्या को उनके लोकसभा उपाध्यक्ष जैसे पद के लिए निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं।

महोदय, हम अपनी ओर से उन्हें न केवल शुभकामनाएं ही देते हैं बल्कि उन्हें अपना कार्य सम्पन्न करने में भी सहयोग देंगे और हम यह देखेंगे कि वह सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चला सकें और सभा के पक्षों को अपने विचार प्रकट करने के उचित अवसर दे सकें। उन्हें एक राज्य के विधान सभा के पीठासीन अधिकारी होने का लम्बा अनुभव प्राप्त है और मुझे विश्वास है कि उनका वह अनुभव इस सभा की कार्यवाही को चलाने में सहायता देगा यद्यपि जहां तक लोकसभा का सम्बन्ध है वह इसके नए सदस्य हैं।

महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हमने उनके विरुद्ध अपना प्रत्याशी खड़ा किया तो उस समय हम अपने नए उपाध्यक्ष की क्षमता और योग्यता के सम्बन्ध में कोई व्यक्तिगत विचार व्यक्त करना नहीं चाहते थे। यह हमने कुछ राजनैतिक सिद्धांत के कारण किया था जिसे हमने सभा के समक्ष भी रखना चाहा था। सभा के नेता ने कहा है कि पिछले चुनाव में जनता का निर्णय प्रतिबिम्बित हुआ और वह स्वतः सभा में भी प्रतिबिम्बित हुआ। अब कांग्रेस-इ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उन्होंने सरकार का गठन किया है। ऐसा लगता है कि अब उन्हें यह समझ में आ गया है कि सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करना और सहभागी बनना ही उनके लिए जनता का निर्णय है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मेरी समझ मे नहीं आता कि ऐसे अवसर पर हमें क्या कहना

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

चाहिए, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसे मौके पर बोलना पड़ रहा है। लेकिन, महोदय आपकी अनुमति से मैं यह कह रहा हूं कि ऐसे अवसर पर सामान्य परम्परा यह रही है कि हम उन्हीं बातों को कहते हैं जो हमें निर्वाचित व्यक्ति के बारे में कहना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है।

श्री अर्जुन सिंह : लेकिन यदि यह राजनैतिक चर्चा है तो कृपया मेरी बात सुनें **(व्यवधान)** हम अपने विश्वास और सिद्धांत के बारे में ऐसी तुच्छ टिप्पणियों को सुनने के आदी नहीं हैं। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि वही किया गया है जिसकी सदन में आवश्यकता थी। जहां तक कांग्रेस-इ का सम्बन्ध है सिद्धांत अथवा आदर्श के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई मेलजोल नहीं हो सकता, जबकि हमारे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस पार्टी का सहारा बैसाखी के रूप में ग्यारह महीने तक लिया। अब आप ही यह कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उपाध्यक्ष महोदय को बधाई देने के क्रम में सभा के नेता द्वारा बहुत ही असामान्य व्यवधान उत्पन्न किया गया। मुझे पूरी तरह पता नहीं है परन्तु जहां तक सदन के नेता का सम्बन्ध है शायद वह किसी अपराधभाव से ग्रस्त हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : आप में अपराध भावना है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्यथा वह आदमी प्रतिक्रिया उस तरह नहीं व्ययत करते जिस तरह उन्होंने की है। यह बहुत ही असामान्य था।

सभा के नेता ने यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने परम्परा का प्रश्न उठाया। उन्होंने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने जनता के उस निर्णय का भी उल्लेख किया है जिसे यहां कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफरशरीफ) : यह बहस का अवसर नहीं है। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : **यह एक मन्त्री की भाषा है।**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभा के नेता द्वारा उल्लिखित तथाकथित परम्परा के अनुसार अध्यक्ष पद पर सत्ता पक्ष का सदस्य चुना जाना चाहिए और उपाध्यक्ष पद के लिए प्रमुख विपक्षी दल से चुना जाना चाहिए। यह पहला मौका है। जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस-इ पार्टी ने परम्परा का पालन किया है और उसे उचित ठहराया जा सकता है।

महोदय, मुझे पांचवीं लोक सभा के काल से ही इस सभा का सदस्य होने का गौरव मिला है। मैंने यह देखा है कि उस परम्परा का पालन तभी किया गया है जब कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है। 1971 के बाद यह कभी नहीं किया गया केवल 1977 में जनता पार्टी के शासन और 1989 में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान) जब राष्ट्रीय मोर्चा के शासन के काल को छोड़कर जब इस परम्परा का पालन किया गया था ।

मैं समझता हूं कि श्री आडवाणी जी भी मेरी इस बात मे सहमत होंगे कि ऐसी कोई परम्परा नहीं रही जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया हो । (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफरशरीफ : आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं ? आप यह नहीं बोले ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक मुझे याद है, आडवाणी जी इस बारे में सही-सही बताएंगे कि जब आप नौवीं लोकसभा के दौरान आप उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो श्री आडवाणी जी ने कहा था कि कांग्रेस के पराजित होने पर परम्परा का अनुसरण किया गया । निश्चय ही परम्परा का पालन किए जाने पर वह प्रसन्न होंगे क्योंकि उनके पार्टी के मनोनीत प्रत्याशी उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं । मैंने इसका उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि सभा के नेता ने इसकी चर्चा की है । उन्होंने अपने पार्टी के निर्णय को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सच तो यह है कि जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी तो उसने भी हमारी पार्टी को उपाध्यक्ष पद देने की पेशकश की थी, (व्यवधान) लेकिन चूंकि हमारी पार्टी हमेशा यह तर्क देती रही है कि उपाध्यक्ष पद विपक्षी पार्टी को ही मिलना चाहिए और उस समय मेरी पार्टी सहयोगी पार्टी के रूप में थी, (व्यवधान) इसलिए हमारे आलोचकों का भी यह कहना सही है कि इस परम्परा का पहले पालन नहीं किया गया है हमारी पार्टी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही थी और उन्होंने इसी पर बल दिया । इसलिए अब सत्ता पक्ष इस पर सहमत हो गई तो हमने यह समझा कि इससे सब को सुचारु होने जा रहा है और यह एक नया कदम है हमने इसका स्वागत किया ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता । (व्यवधान) ऐसा लगता है कि श्री आडवाणी और उनकी पार्टी ने नौवीं लोकसभा के दौरान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ उस परम्परा की याद दिलाई जिसका कांग्रेस पार्टी ने कभी अनुसरण नहीं किया था और इसके प्रति राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने तुरन्त सकारात्मक रवैया अपनाया था और एक अन्य सहयोगी पार्टी होने के नाते यदि मैं श्री आडवाणी जी को याद दिलाऊं (व्यवधान) कि हम भी यह चाहते थे कि श्री शिवराज वी० पाटिल को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए । हमें भी इसका श्रेय मिलना चाहिए । इसलिए, हम सब कांग्रेस को सही मार्ग पर चलने के लिए सुबुद्धि देते रहने का हमेशा प्रयास करते रहे हैं ।

अब इस सदन के वर्तमान चुनावी गणित ने एक तरह से कांग्रेस पार्टी को इसकी महान परंपरा की याद दिला दी है जिसका उन्होंने कभी भी पालन नहीं किया और अब उन्होने इस सदन में राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल की परंपरा का अनुसरण करने का प्रयत्न किया है । यह अच्छी बात है । यह बहुत अच्छा है । लोग जान जाएंगे । लोग निर्णय करेंगे । लोग न्याय करेंगे और इसलिए जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम यह मानते हैं कि इस देश में पिछले चुनावों के दौरान जिस ढंग से अभियान शुरू किया गया था, इस देश की जनता ने धर्म-निरपेक्ष राजनैतिक दलों और धर्म-निरपेक्ष सरकार को चाहा । (व्यवधान) उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया । (व्यवधान)

प्रधान मन्त्री महोदय (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : कृपया मुझे एक शब्द कहने की अनुमति दीजिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया मेरे भाषण में व्यवधान न डाला जाए ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं । क्या आप इस बात पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि क्या इस सदन में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी कोई परम्परा है ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं माननीय प्रधानमन्त्री महोदय को याद दिला सकता हूं कि उस दिन इन्द्रजीत गुप्त ने क्या कहा था ? इस अवसर पर हमने इसे रहने दिया क्योंकि हम आपका अभिनन्दन कर रहे थे । हम आपको जानते हैं । माननीय प्रधान मन्त्री जी कह रहे थे कि सरकार के संचालन के लिए अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होना चाहिए; वरना वह सरकार को चला नहीं सकते । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक कहा था कि सरकार को चलाना अध्यक्ष का कार्य नहीं है । (व्यवधान) इसलिए ऐसा कोई अवसर नहीं आया । हमने श्री रबी राय की उम्मीदवारी का किन परिस्थितियों में प्रस्ताव रखा था, यह हर कोई जानता है । हमने इसे स्पष्ट किया है । और यदि माननीय प्रधान मन्त्री जी अब इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो हम सदन में इस परिचर्चा के लिए तैयार हैं कि इस सदन में अध्यक्ष की नियुक्ति की क्या परंपरा होनी चाहिए ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप परम्परा की बात कर रहे हैं । किसने आपकी परम्परा को तोड़ा था ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता कि प्रधानमन्त्री जी बीच में क्यों बोलते हैं । मैं आगे नहीं जाना चाहता । हम चाहते हैं कि सदन ठीक ढंग से चले । दुर्भाग्य से देश में कांग्रेस की सरकार है फिर भी यह देश और यह सदन चलना चाहिए । इस सदन को तो चलना है । (व्यवधान)

श्री औ० वेंकराय नायक (कमारा) : वह इस देश के लोगों के निर्णय का अपमान कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए सदन के इस ओर तथा अपनी पार्टी व अपनी ओर से मैं यह कहूंगा कि हमने हमेशा सहयोग दिया है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय को हम आश्वासन देते हैं कि अध्यक्षपीठ के साथ अपना सहयोग बनाए रखेंगे ताकि सदन की कार्रवाई उचित व सुचारू रूप से चल सके ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मुझे श्री मल्लिकार्जुनय्या की स्थिति पर खेद हो रहा है । वह अवश्य यह सोच रहे होंगे कि अच्छा होता यदि हमने यह तथाकथित अभिनन्दन न किया होता । (व्यवधान) क्योंकि बात कुछ और होने लगी । मैं यह दावा नहीं कर रहा कि मैं इन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं । मैं व्यक्तिगत तौर पर इन्हें नहीं जानता । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह स्थिति अब नहीं रहेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है । लेकिन जैसाकि विरोधी दल के नेता का कहना है कि उनकी पार्टी ने उनकी योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनका चयन किया है और अगर वह इस उच्च पद पर आसीन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अथवा अन्य किसी पार्टी के नहीं रहते, इसलिए अपनी पार्टी की ओर से मैं उन्हें, सदन को प्रथाओं, नियमों के अनुसार चलाने और सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बरकरार रखने में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं ।

महोदय, मैं उन्हें शुभ कामनाएं देता हूं। चूंकि यहां बहुत-सी बातें कही गयी हैं, क्या मैं भी अपनी छोटी-सी बात कह सकता हूं ? मेरा अनुरोध कांग्रेस पार्टी से है। चूंकि आप एक अल्पमत सरकार चला रहे हैं, इसलिए जो मर्जी आए कीजिएगा। मैं जानता हूं कि आपकी अपनी मजबूरियां हैं। आपको कुछ समर्थन चाहिए। यह आप पर निर्भर है कि आप किन्हें अपने समर्थक चुनते हैं। मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। लेकिन कृपया इन सरकारी प्रवक्ता के ऐसे रोज के उपदेशों से हमें बचाइए जो प्रेस को प्रतिदिन यह बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि वह इस सदन की परम्पराओं व मर्यादाओं का हमेशा पालन करती रही है। न तो गोडे मुरारी, न प्रो० जी० जी० स्वेल और न ही डा० थम्बी दुरई किसी विशिष्ट विरोधी दल से सम्बद्ध थे। वे या तो निर्दलीय थे या कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के सदस्य थे। ऐसे लोगों को आपने जानबूझकर उपाध्यक्ष बनाया। एक समय यहां तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। आपने उन्हें उपाध्यक्ष का पद देने का प्रयास नहीं किया। इसलिए, परम्परा क्या है ? जब श्री वी० पी० सिंह प्रधान मन्त्री थे उस अवधि को छोड़कर कोई भी ऐसी परम्परा नहीं रही। केवल उसी समय उस परम्परा का पूरी तरह पालन हुआ। अन्यथा, कभी भी इस परम्परा का पालन नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : वह दल औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त विपक्षी नहीं था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री गुलाम नबी आजाद, मैं यह जानता हूं। इस सभा में आपसे कुछ अधिक वरिष्ठ अवश्य हूं। 'जब कोई औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी न हो, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।' जो भी हो, मैं केवल यह कह रहा था कि जिन्हें आपने उस सज्जन द्वारा जिन्हें आपने अपना प्रवक्ता बनाया है। मैं नहीं समझता कि उन्हें इस सभा की परम्परा की थोड़ी भी जानकारी है। लेकिन वे बाहर बहुत कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसे सहना मुश्किल हो जाता है। आप जो चाहें करें। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह आप पर निर्भर करता है और यह आपकी इच्छा है। कोई निर्णय जो संसद एक बार ले लेती है उसका हमें पालन करना होता है। इसलिए, श्री मल्लिकार्जुनय्या, जो अब सभा द्वारा निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं, अपना कार्य संभालेंगे और हम निश्चय ही उन्हें सहयोग देंगे ताकि सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। मैं उस बारे में आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं और इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं।।

जहां तक कांग्रेस पार्टी का सम्बन्ध है वह जो चाहे करे। लेकिन विगत दो-तीन दिनों के दौरान जो घटनाएं घटीं उससे हम स्वयं को अलग-थलग नहीं रख सकते। सभा में कुछ कटुता पैदा हो गई थी और दो-तीन दिनों तक सभा की कार्यवाही नहीं हो सकी। हम सभी जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आप नहीं चाहेंगे कि मैं उन बातों को पुनः यहां दुहराऊं। इसलिए यह बहुत ही कठिन है कि एक दिन कुछ सोचा जाए और दूसरे दिन ठीक उसके विपरीत सोचने के लिए कहा जाए। यह हमारे लिए बहुत ही कठिन है। जो भी हो यह आप पर है, यह आपकी इच्छा है।

बाबा बूटा सिंह जो बातें कह रहे हैं यदि उनमें उन्हें वास्तव में विश्वास है तो वह सभा में नारंगी या पीले रंग की पगड़ी बांध कर आते तो ज्यादा बेहतर होता। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : उनके उपदेशों के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मल्लिकार्जुनय्या का अभिनन्दन

पकरता हूं और उन्हें बधाई देता हूं जिन्हें उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया है। मेरी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। साथ ही, स्पष्ट वक्ता और सभा के प्रति ईमानदार होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से न तो मैं स्वयं और न ही अपने सहयोगियों की सभा के समक्ष प्रस्तुत इस प्रस्ताव के समर्थन में मत देने के लिए कह सकता था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ सिद्धान्ततः हमारे मौलिक मतभेद हैं। मैं आशा करता हूं कि वे इसे निपटा लेंगे और ऐसा करना देश के हित में होगा। लेकिन जब तक उन मामलों को हल नहीं किया जाता, मेरा उनसे मौलिक मतभेद बना रहेगा। इसलिए, सभा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपना मत नहीं दे सका।

मैं आशा करता हूं कि सभा मेरी भावना को समझेगी क्योंकि यह सिद्धान्त का प्रश्न है। मेरा उस व्यक्ति के प्रति कोई विरोध भाव नहीं है जिनका इस सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुआ है। मेरे मन में उनके प्रति पूरा सम्मान है मैं उनके अनुभव और योग्यता की कद्र करता हूं। मैं पुनः उन्हें बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि कर्नाटक विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी होने के अपने 19 वर्ष के लम्बे अनुभव के आधार पर वे सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाएंगे। उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। आशा है कि वह सभा के सभी पक्षों के प्रति न्याय करेंगे। मैं पुनः उन्हें बधाई देता हूं।

श्री बी० विजय कुमार राजू (नरसापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मल्लिकार्जुनय्या को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। वह कर्नाटक के वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं और वह अनुभवी भी हैं। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से हम यह कामना करते हैं कि वह सफलतापूर्वक अपने कार्य का निर्वहण करें।

सदन के नेता श्री अर्जुन सिंह जो परम्परा और रीति-रिवाज की बात कर रहे थे, उन्हें मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी विक्षुब्ध है। 1984 में हमारी पार्टी को उपाध्यक्ष पद प्राप्त करने से वंचित रखा गया। उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। अब श्री आजाद का यह कहना है कि हमारी पार्टी औपचारिक रूप से विपक्षी पार्टी नहीं थी। लेकिन उस समय सभी पार्टियों ने उपाध्यक्ष पद के लिए तेलुगु देशम पार्टी को समर्थन किया था। उस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने सभी परम्पराओं और मान्यताओं को ताक पर रख दिया चूंकि वे बहुमत में थे इसलिए उन्होंने अपनी सुविधानुसार ए० आई० ए० डी० एम० के० के सदस्य श्री थम्बी दुरई को उक्त पद के लिए चुन लिया और परम्पराओं की अवहेलना की।

दूसरी बात जिसे मैं सभा को बताना चाहता हूं वह यह कि लोक लेखा समिति के मामले में भारतीय जनता पार्टी सहित सभी पार्टियों ने श्री जयपाल रेड्डी के नाम का प्रस्ताव किया था लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ए० आई० ए० डी० एम० के० के सदस्य को चुना। उस समय भी उन्होंने परम्परा सम्बन्धी सभी बातों को भुला दिया। इसलिए, मैं कांग्रेस पार्टी के ऐसे रवैये की निन्दा करता हूं।

एक बार फिर तेलुगु देशम पार्टी की ओर से मैं श्री मल्लिकार्जुनय्या को पूर्ण समर्थन देता हूं हमारा दल उन्हें सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में पूरा-पूरा सहयोग देगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारासात) : मैं अपने सहयोगियों की ओर से श्री मल्लिकार्जुनय्या को इस महान सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, मुझे आशा और विश्वास है कि श्री मल्लिकार्जुनय्या इस सभा की कार्यवाही को अच्छी तरह चलाएंगे, सभा की गरिमा, मर्यादा और परम्पराओं को बनाए रखेंगे साथ ही सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करेंगे और सम्भव हो तो नई परम्पराओं को स्थापित करेंगे और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों में वृद्धि करेंगे।

निसन्देह वह एक सफल उपाध्यक्ष के रूप में सिद्ध होंगे। महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से सभा की कार्यवाही को चलाने में उनको हर सम्भव सहयोग दूंगा।

यह सच है कि उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मैंने उनके समर्थन में मत नहीं दिया था। लेकिन ऐसा इस भावना से नहीं किया गया कि श्री मल्लिकार्जुनय्या के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का असम्मान है, हम सभी को उनमें विश्वास है, उनकी योग्यता की हम कद्र करते हैं और उनमें सभा के उपाध्यक्ष होने की क्षमता की सराहना करते हैं। हमने उनका विरोध कुछ सिद्धान्तों के आधार पर किया था जो हमारे द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का आधार है। चुनाव अभियान के दौरान हमने पूरी तरह यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी पार्टी और सभी वामपंथी शक्तियां उन शक्तियों से स्वयं को अलग रखेगी जो देश की एकता और अखण्डता के प्रतिकूल हैं। वामपंथी दलों द्वारा बुनियादी दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण हम श्री आडवाणी जी के प्रस्ताव के खिलाफ मत डालने को बाध्य हैं। मैं पुनः यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसका यह अर्थ नहीं कि श्री मल्लिकार्जुनय्या के प्रति मेरे मन में आदर नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि वह इसके लिए मुझे क्षमा करें।

जहां तक कांग्रेस (इ) की परम्परा का सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस बात को दोहराना जरूरी है ?

श्री चित्त बसु : उनकी रुचि तो केवल इस बात में है कि किस प्रकार सरकार पर अपना पूरा नियन्त्रण रख वे अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं। अतः इस सम्बन्ध में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। मैं चाहता हूं कि बुनियादी सैद्धान्तिक स्थिति के सम्बन्ध में वे अपना राजनैतिक दृष्टिकोण स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्री मल्लिकार्जुनय्या जी को बधाई देता हूं, वे बीजेपी के मेंबर हैं और उपाध्यक्ष हैं, जिस तरह से आप कांग्रेस के मेंबर हैं और अध्यक्ष भी हैं।

मेरी आशा है कि छोटी पार्टियों का भी वे ख्याल रखेंगे, मेरा उनसे यही निवेदन है। जिस तरह से उनका चुनाव हुआ है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार को माइनारटी सरकार नहीं कहा जा सकता। इस वक्त कांग्रेस ने मेजारटी अपोजीशन के साथ अलायंस किया है और उससे लगता है कि सरकार अपना काम आसानी से कर सकती है। इसलिए यह उम्मीद है कि सरकार को अब किसी चीज का डर नहीं है और अब वह माइनारटी गवर्नमेंट नहीं है। मैं अपनी तरफ से और आर एस पी की तरफ से उपाध्यक्ष जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस चलाते समय पीछे वालों का और छोटी पार्टियों का ध्यान रखेंगे।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह एक रवायत रही है कि जो मुन्तखब होता है, उसको मुबारकबाद दी जाती है। मल्लिकार्जुनय्या साहब को मैं भी मुबारकबाद देता हूं और इसके साथ-साथ कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मुबारकबाद देता हूं कि उसने अपने चेहरे

से नकाब को उलट दिया है, यह बहुत अच्छा किया है। आज हम अक्लीयतों को और मुसलमानों को मालूम हो गया है कि कांग्रेस 40 वर्ष से जो नकाब डालकर हमारे सामने आती रही, वह नकाब पूरी तरह से उल्टा जा चुका है और यह मालूम हो गया है कि सिर्फ हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका जहन और फिक्र क्या है, यह पूरे तरीके से मालूम हो चुका है। आज हिन्दुस्तान का मुसलमान कांग्रेस के ऊपर एतमाद नहीं करता कि यह सब कुछ उसने किया है, जिसने वह काम किया, उसके बारे में हमको आज मालूम हो चुका है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी जुर्रत से कांग्रेस के चेहरे का नकाब उल्टा है, यह वाकयी हिन्दुस्तान की तारीख में उन्होंने अच्छा काम किया है। बहरहाल मुबारकबाद।

[جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد): محترم اسپیکر:
یہ ایک روایت رہی ہے کہ جو منتخب ہوتا ہے اسکو مبارکباد دی جاتی ہے۔ ملک ارجونیا صاحب کو میں بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی کو سب سے زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے۔
آج ہم اقلیتوں کو اور مسلمانوں کو معلوم ہوگیا ہے کہ کانگریس چالیس سالوں سے جو نقاب ڈالکر ہمارے سامنے آتی رہی وہ نقاب پوری طرح سے الٹا جاچکا ہے اور یہ معلوم ہوگیا ہے کہ صرف ہم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کا ذہن اور فکر کیا ہے یہ پورے طریقے سے معلوم ہوچکا ہے۔ آج ہندوستان کا مسلمان کانگریس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے جس نے یہ کام کیا اسکے بارے میں ہم کو آج معلوم ہوچکا ہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جرأت سے کانگریس کے چہرے کا نقاب الٹا ہے۔
یہ واقعی ہندوستان کی تاریخ میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ بہرحال مبارکباد۔]

[अनुवाद]

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मल्लिकार्जुनय्या को उनके इस सम्माननीय सभा के उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हमें उनमें पूर्ण विश्वास है। हमें आशा है कि वे एक निष्पक्ष एवं ईमानदार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं उन्हें इस सभा की कार्यवाही संचालन में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे इस सभा के सभी सदस्यों को विशेष रूप से नए सदस्यों को जो आम जनता की आशाओं तथा आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, को बोलने का पूरा अवसर देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं उन्हें पुन: बधाई देता हूं।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केरल कांग्रेस दल की ओर से उपाध्यक्ष श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या, को बधाई देता हूं। पिछले कुछ दिनों से वे विभिन्न बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे जहां उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दलगत तथा फिरकापरस्त भावनाओं से ऊपर हटकर एक बहुत अच्छे अध्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं।

1.00 म० प०

मैं छोटे दलों के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं इस समय यह सुझाव देना उचित होगा। यहां कुछ सदस्य छोटे दलों से सम्बन्धित हैं। कार्य मन्त्रणा समिति में उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। आमतौर पर उन्हें अपनी बात कहने या उचित प्रतिनिधित्व का कोई अवसर नहीं मिलता। मेरा अनुरोध है कि इस पक्ष पर भी विचार किया जाए तथा पीठासीन अधिकारी चर्चाओं तथा प्रस्तावों के दौरान छोटे समूहों के सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करें क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं होते कि हम बाद में प्रस्ताव पर विचार कर सकें।

मैंने यह सुझाव इस समय रखा है क्योंकि मेरे विचार से यही उचित समय है।

मैं श्री मल्लिकार्जुनय्या को उनके उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर एक बार पुन: बधाई देता हूं। समयाभाव के कारण मैं किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ रहा हूं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : महोदय, इस उल्लास के अवसर पर मैं श्री मल्लिकार्जुनय्या को बधाई देता हूं जिन्हें इस सम्माननीय सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं उनकी योग्यता, और क्षमता से परिचित हूं। वे कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं तथा कर्नाटक विधान परिषद के लगभग बीस वर्षों तक सदस्य थे। इस सभा की कार्यवाही संचालन में वे निश्चय ही अपनी योग्यता तथा क्षमता को सिद्ध करेंगे।

मैं इस हर्ष के अवसर पर केवल इतना ही कहूंगा कि उनके चुनाव के बारे में किसी प्रकार का अनावश्यक विवाद नहीं उठाया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि एक बार जब पीठासीन अधिकारियों को सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित किया जाता है तो वे हमेशा स्वयं को उस दल से अलग रखने का प्रयास करते हैं तथा गैर-दलीय सदस्य के रूप में व्यवहार करते हैं। अभी तक हमने इसी परम्परा तथा

प्रथा का निर्वाह होते देखा है । परन्तु दुर्भाग्य से आज कुछेक विवाद खड़े हुए हैं । इस अवसर पर मैं ऐसे विवादों में नहीं पड़ना चाहता।

मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पुराने मित्र श्री मल्लिकार्जुनय्या का इस सर्वोच्च पद के लिए चयन किया गया है तथा मैं उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं तथा अपने दल तथा अपनी तरफ से पुनः मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि संसदीय लोकतन्त्र की सर्वोत्तम परम्परा को बनाए रखा गया है । वस्तुतः, मैं यह कहूंगा कि संसदीय लोकतन्त्र की सर्वोत्तम परम्परा को लोकतान्त्रिक पद्धति की सर्वोत्कृष्ठ भावना से बनाए रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड को सही करने दृष्टि से कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से मेरे हमनाम तथा इस संसद के वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसदीय लोकतन्त्र की सर्वोत्तम परम्पराओं का निर्वाहन वर्ष 1971 तक किया गया था । वर्ष 1957 में अकाली दल के सदस्य श्री हुकुम सिंह का चयन उपाध्यक्ष के पद में किया गया था । तत्पश्चात् कांग्रेस ने उस परम्परा का निर्वाहन करते हुए श्री हुकुम सिंह को लोक सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया था यद्यपि वह अकाली दल के सदस्य थे । उस समय श्री गोडे मुरारी जो कांग्रेस दल के सदस्य थे को उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मैं इस संसद के लिए अपेक्षाकृत नया हूं । संसद के लिए मैं दूसरी बार निर्वाचित हुआ हूं । परन्तु वर्षों से प्रेस दीर्घा से पिछले चालीस वर्षों से मुझे इस संसद की कार्यवाही को देखने का सौभाग्य प्राप्त था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने प्रो० जी० जी० स्वैल तथा दूसरे मित्रों का उल्लेख किया है । श्री जी० जी० स्वैल एक उत्साहित निर्दलीय सदस्य थे । वह विपक्ष से सम्बद्ध थे तथा विपक्ष से होने के कारण ही उनका उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन किया गया था । अतएव ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि इस परम्परा का पालन नहीं किया गया है । यह ठीक है कि एक बार इस परम्परा का सही अर्थों में निर्वाह नहीं हो पाया था जब वर्ष 1980 में द्रविड़ मुनेत्र कषगम दल के एक सदस्य का इस पद के लिए चयन किया गया था । वह एक ऐसे विपक्षी दल के सदस्य थे जिसकी कांग्रेस के साथ अच्छी बनती थी । **(व्यवधान)**

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि हमने संसदीय प्रणाली की सर्वोत्कृष्ठ परम्परा तथा प्रथा को फिर से कायम किया है ।

मैं समझता हूं कि हमें एक और मुद्दे पर भी खुश होना चाहिए । ऐसा लग रहा है कि हम अपने राष्ट्रीय जीवन में राजनैतिक अस्पृश्यता जैसी खतरनाक विचारधारा को स्थान दे रहे हैं । मेरे विचार से यह बहुत ही खतरनाक विचारधारा है । अतएव मेरे विचार से इस परम्परा का निर्वाह करके हमने इस अत्यधिक खतरनाक तथा अनर्थकारी विचारधारा पर भी अंकुश लगा दिया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप श्री माधवराव सिंधिया से बात कीजिए । आप उन्हें क्यों नहीं बताते ?

श्री इन्द्रजीत : मैं उन्हें बताऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मल्लिकार्जुनय्या को लोक सभा के उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं ।

मैं यह कामना करता हूं कि वे इस सभा और जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य का सफलता से निर्वहन करें ।

उन्होंने कर्नाटक में विधान परिषद के उपसभापति के रूप में कार्य किया है और वे इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखते हैं और पीठासीन अधिकारी के पद के कर्त्तव्यों और शक्तियों का ज्ञान है । उनका यह अनुभव इस सदन में उन्हें अपने कार्य में सहायता प्रदान करेगा । वह काफी लम्बे समय से राजनीति में रहे हैं और उस राजनैतिक प्रवृतियों एवं विचारधारा से अवगत हैं जोकि सभा में सदस्यों के कार्य में परिलक्षित होती है । उन्हें अध्यक्ष पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन राजनीति से ऊपर और हटकर करना चाहिए । उनका लम्बा राजनीतिक कार्यकाल सदस्यों की चालों के पीछे छिपी राजनैतिक प्रवृतियों को समझने में सहायता देगा । और इससे उनका कार्य सुगम हो जाएगा ।

पीठासीन अधिकारियों के लिए अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के वास्ते एक विशेष प्रकार के स्वभाव और चरित्र की आवश्यकता होती है । ऐसा लगता है कि इस प्रकार के स्वभाव और चरित्र के कारण वे सभा के लिए बहुत सहायक होंगे ।

उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं । उपाध्यक्ष का पद एक सर्वोच्च पद होता है । उन पर और उन व्यक्तियों पर जो अध्यक्षपीठ पर पीठासीन होते हैं, संसदीय लोकतन्त्र की सफलता या असफलता काफी हद तक निर्भर करती है । पीठासीन अधिकारी यहां जो भी कार्य करते हैं, उनका प्रभाव न केवल उन पर और सदस्यों और वर्तमान पर पड़ता है अपितु भविष्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और अन्ततः सम्पूर्ण व्यवस्था पर भी पड़ता है ।

अपने कर्त्तव्य के इस पक्ष को समझने से निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदार का दायरा बढ़ जाता है ।

सदन को जनमत का आईना होना चाहिए । यह कार्यकारिणी का मार्ग दर्शन देने और उस पर नियंत्रण करने का माध्यम है । यह वर्तमान और भविष्य की योजना निर्धारित करती है और देश के लोगों तथा आंशिक तौर पर विश्व के अन्य लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए आधार प्रदान करती है । कार्यवाही के लिए उपलब्ध समय हमेशा सीमित होता है और अत्यधिक आवश्यक कार्यों की तुलना में बहुत कम होता है । जैसे कि सदस्य देश के विभिन्न भागों से आते हैं और उनकी भिन्न-भिन्न मांगें होती हैं सभा के समय को देखते हुए उनकी मांगें कई होती हैं और कई वक्त तो इसके प्रतिकूल होती है । समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं होता है । तथापि इसे सीमा से ज्यादा भी नहीं बढ़ाया जा सकता है । सभा की सफलता इसको न्यायोचित और बुद्धिमानी से प्रयोग करने पर निर्भर करती है । सभा के पीठासीन अधिकारी की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वे समय को सही अनुपात अर्थात सदस्यों की मांगों और मुद्दों के अनुपात में उपयोग करे । इस प्रकार सदस्य और पीठासीन अधिकारी तथा अधिकारियों को सहयोग करना होता है और यथासम्भव अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त करने होते हैं ।

सदस्य और अधिकारी जो पीठासीन अधिकारियों की सहायता करते हैं और वे इसके लिए सराहना तथा धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि माननीय उपाध्यक्ष को भी इसी तरह का सहयोग मिलेगा। वर्तमान स्थिति में सदस्यों का सहयोग ज्यादा मूल्यवान और जरूरी है।

हमारा सबका यह कर्त्तव्य है कि यह व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य करे। हम सब मिलजुल कर पूरी तरह से इस सबको फलीभूत करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम श्री मल्लिकारजुनय्या का लोक सभा के उपाध्यक्ष पद पर स्वागत करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री मल्लिकार्जुनय्या) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस महान सभा का उपाध्यक्ष चुना। मैं माननीय प्रधान मन्त्री, सदन के नेता और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा मुझे दी गई बधाई और सद्भावनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

हमारा देश अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है जो हमारे लिए चुनौति बनी हुई है। ये सभी इस सभा में वाद-विवाद के दौरान प्रतिबिम्बित होंगी। मैं इस सदन के विभिन्न राजनैतिक दलों की विचारधाराओं से अवगत हूं। तथापि मैं सदन के समक्ष आने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने में सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की आशा करता हूं।

मुझे अपनी सीमाओं का ज्ञान है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने पिछले 19 वर्ष तक कर्नाटक विधान मंडल की सेवा की। लेकिन जहां तक लोक सभा की बात है यह मुझे प्रथम अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी सदस्यों के सहयोग से मैं अपने पद के कर्त्तव्यों के प्रति न्याय कर सकूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कर्त्तव्य को पूरे न्याय और जिम्मेदारी के साथ इस सभा की सर्वोच्च परम्पराओं को निभाऊंगा ताकि संसदीय लोकतन्त्र की इस संस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा दी गई बधाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से श्री रशीद मसूद को धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ इस पद के लिए खड़े थे। महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके उचित मार्ग दर्शन से मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊगा ।

अध्यक्षमहोदय : श्री राम विलास पासवान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लेने से पहले क्या हम नियम 377 के अधीन मामले ले लें ?

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, शून्य काल के बारे में क्या किया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं जल्दी ही शून्य काल शुरू करूंगा। श्री मोहन सिंह।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : श्रीमन्, ऐसा है कि आल इण्डिया रेडियो ने मेरे बारे में एक असत्य सूचना प्रसारित की है। इसलिए, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। पिछले शुक्रवार को मैंने

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मामला यहां उठाया था। लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो मेरे सभी समर्थकों और मतदाताओं ने कहा कि शुक्रवार को रात के साढ़े आठ बजे के आल इण्डिया रेडियो के संसदीय समीक्षा कार्यक्रम में मुझे कांग्रेस (इ) का सदस्य घोषित कर दिया गया। जबकि मैं जनता दल का हूं। आप निर्देश दें कि जो मेरे बारे में गलत सूचना दी गई है उसको ठीक किया जाए, अन्यथा मजबूर होकर मेरे जैसा आदमी भी जैसे कि हमारे दल के नेताओं की आल इण्डिया रेडियो के बारे में राय है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह संचार माध्यम स्वयं ही गलती सुधार लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लगातार कई सालों से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में हो रही बढ़ोतरी के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करती रही हूं। करीब तीन-चार महीने पूर्व, मार्च में मथुरा के पास में एक गांव है मेहराना, वहां पर जाट परिवार की लड़की को एक जाटव परिवार के लड़के से प्रेम हुआ। उसके दण्डस्वरूप उस गांव की पंचायत ने उस जाट लड़की को, उसके प्रेमी को और उसके मित्र को, इन तीनों को सर्वसम्मति से निर्णय हुआ और तीनों को उनके परिवार के विरोध के बाद भी उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर जिन्दा पेड़ पर लटका दिया और इस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई।

दूसरी घटना भी एक सप्ताह पूर्व हरियाणा के गांव में घटी है। वहां पर हरिजन परिवार की दो अधेड़ अवस्था की महिलाओं को कुल्हाड़ी के द्वारा काटकर उनके घर के सामने ही काटकर उनके टुकड़े वहां डाल दिए और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उनके भाइयों का कहना है कि हमने उनको मारा है, क्योंकि वे चरित्रहीन थीं। इसके बारे में पूरा गांव चुप है। आश्चर्य की बात यह है कि उनकी चरित्रहीनता के बारे में गांव के लोगों के पास कोई सुबूत नहीं था। इस प्रकार की एक तीसरी घटना है जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूं। अभी तीन दिन पूर्व घटी है जब हैदराबाद से दिल्ली आने वाले विमान में 60 साल का एक बूढ़ा अरब शेख अपने साथ में निकाह कराकर एक दस साल की लड़की अमीना को लेकर आ रहा था। अमीना शेख बदरुद्दीन रिक्शा वाले की दस साल की लड़की थी जिसने गरीबी से मार के कारण एक लाख रुपए में उस बूढ़े शेख को बेचा और छ: हजार रुपया मेहर तय हुआ। सर्टिफिकेट में उस लड़की की उम्र 32 साल बतायी गयी। यदि यह लड़की प्लेन में रोती हुई न पायी गयी होती तो यह शेख इस लड़की को अपनी बीवी बनाकर अरब देश में ले गया होता।

अध्यक्ष महोदय, अमीना जैसी लड़की की घटना का उदाहरण हैदराबाद और दक्षिण के अन्दर अन्य शहरों में और प्रान्तों में कई मिलेंगे जहां 60-60, 70-70 साल के अय्याश, दुश्चरित्र अरब शेख 10-10, 12-12 साल की लड़कियों के साथ निकाह करके अपनी बीवी बनाने के लिए ले जाते हैं। ऐसी घटनाएं निरन्तर उधर घट रही हैं। यहां तक कि दक्षिण के कई जिलों से एवं शहरों से लड़कियों को आया या नर्स की नौकरी का लालच देकर वहां ले जाया जा रहा है और उनको वेश्यावृत्ति के लिए

मजबूर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मन्त्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि ऐसे 60-60 साल के दुश्चरित्र लोगों के खिलाफ, जो 10-10 साल की लड़कियों को यहां से खरीदकर और ब्याह करके ले जाते हैं, ऐसे लोगों को सारे नियमों का उल्लंघन करके कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। इस सदन में कई माननीय बुजुर्ग सदस्य मौजूद हैं। मैं समझती हूं कि सभी इस मामले में इस प्रकार की कन्याओं का साथ दें और महिलाओं पर इस प्रकार के होने वाले अत्याचार पर रोक लगाएं। ऐसे अय्याश लोग, जो पैसे के बल पर स्त्रियों को खरीदते हैं याने आज इस देश में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ गया है लेकिन लगता है कि स्त्रियों के प्रति अभी तक इस देश के लोगों की धारणा नहीं बदली है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस सम्बन्ध में अपराधियों को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना चाहिए। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि नियम 193 के अन्तर्गत आप इस सम्बन्ध में चर्चा स्वीकार कर लें तो इस सम्बन्ध में अन्य सदस्य भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कल सभी दलों ने इसका समर्थन किया था, उस समय कोई मिनिस्टर नहीं था। मैं चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है, उससे यह समस्या पैदा हो गयी है कि उस लड़की को सेवा सदन में भेज दिया गया है जहां पर वेश्याएं और दूसरी सजाये-याफ्ता लड़कियां रहती हैं। अध्यक्ष जी, उन लड़कियों के साथ रखने का आदेश दिया गया है। यह गम्भीर मामला है। मेरा निवेदन यह है कि इस समय सदन के नेता यहां हैं। कल कांग्रेस दल ने, सी० पी० एम० ने इसका समर्थन किया था। इस सम्बन्ध में एक हाई पावर कमीशन बनाया जाए क्योंकि यह एक ही समस्या नहीं है। इसके पहले भी इसके बारे में कहा गया है···

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, बस आपने अपना प्वाइन्ट बोल दिया है···

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष जी, मैंने भी इस सम्बन्ध में नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जैना (कटक) : सदन के सभी सदस्यों की एक ही राय है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तथा हमें बताएंगे कि वे कौनसी कार्यवाई करने का विचार रखते हैं···(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, इन मुद्दों की बात बहुत लम्बे समय से हो रही है। इस विषय पर चर्चा बहुत आवश्यक है। मैं नहीं समझती कि इस पर शून्य काल में थोड़े समय के लिए चर्चा की जा सकती है। आज, 'हिन्दुस्तान टाईम्स' में एक नए मामले के बारे में छपा है। मंजीत नाम की एक लड़की को जबरन उठा लिया गया, उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया और दो बार उसे बेचा गया। वे धोलपुर में बाड़ी नामक स्थान पर पाई गई। यह बात ही दुःखद बात है कि पिछले एक सप्ताह से हम इस सदन में इन विषयों को बार-बार उठाते आ रहे हैं। किन्तु मैं नहीं सोचती कि इस प्रकार हम इस विषय पर वैसी चर्चा कर सकते हैं जैसी कि हम चाहते हैं। चर्चा किया जाना अतिआवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक और घटना है। हाल ही में कलकत्ता में कई उन महिलाओं पर सी० पी० आई० (एम०) के लोगों द्वारा आक्रमण किया गया जिन्होंने कांग्रेस (ई) के पक्ष में मतदान

किया था। कई लोगों के हाथ काट डाले गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। आप इन सब की जांच अवश्य करवायें। इस समय यहां पर कुमारी ममता बनर्जी नहीं हैं। मेरे विचार में हमें इन सब पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार, जहां पर भी हों, किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों, अत्यन्त निन्दनीय हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं बालिका अमीना के बारे में कुछ और भी कहना चाहती हूं। इस लड़की को फिलहाल नारी निकेतन में रखा गया है; उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है और नारी निकेतन का वातावरण इस प्रकार का है जिससे उसके इस मानसिक तनाव के और अधिक बढ़ने की आशंका है। अतः, उस बूढ़े दूल्हे के चंगुल से छूटने के बाद उसे पुलिस के हाथों में सौंप दिया गया है और जिन महिला संगठनों ने इस मामले को उठाया है उन्हें उससे मिलने नहीं दिया जाता।

अतः मैं गृह मन्त्रालय से निवेदन करती हूं कि वे इस मामले में कदम उठाएं ताकि जो महिला संगठनों ने उसका मामला उठाया है, वह लकड़ी उनके संरक्षण में दिया जाये अथवा उससे मिलने के अवसर दिए जायें ताकि नारी निकेतन के असामान्य वातावरण से उस लड़की का मानसिक सन्तुलन खराब न हो।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष जी, मैंने इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन का नोटिस दिया है कि महिलाओं पर अत्याचारों के सम्बन्ध में पिछले दिनों में त्रिपुरा के अन्दर 6 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की 14 महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा गैंग रेप किया गया, उनकी झोंपड़ियों को जला दिया गया और सारा हल्ला होने के बाद केस रजिस्टर नहीं किया गया और उनको आतंकवादी कहकर उनके खिलाफ, उनका रेप करने के पश्चात घरों से निकालकर बाहर कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि महिलाओं पर अत्याचार के सम्बन्ध में यहां पर भी दिल्ली में एक लड़की की रैगिंग करते हुए नंगा कर दिया गया यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के अन्दर, जिसके कारण उसने कॉलेज छोड़ दिया। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि महिलाओं पर अत्याचार के सम्बन्ध में एक रेगुलर 2 घंटे की यहां पर चर्चा कर ली जाए कि इसको कैसे रोका जा सके।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सर, मैं दो सप्ताह से आपसे मौका मांग रहा था, आज आपने पहली बार दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इतने सारे लोगों के सामने तो आप बोलते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कल श्री मदन लाल खुराना साहब ने जिस घटना के सम्बन्ध में कहा था जो शेख की घटना है, इससे भी एक भयंकर घटना है। उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं। इससे भी एक भयंकर घटना मैं इस सदन के सामने लाना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं।

श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अरब के शेख लोग इतनी अजीब स्थिति में हिन्दुस्तान

में हैं जिनकी कि कल्पना नहीं की जा सकती। श्रीमन्, यहां पर एक 12 वर्ष की लड़की विमान में रोते हुए पाई गई जिसका वर्णन किया गया। यहां पर एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है एस० ओ० एस०। यह संस्था बच्चों के पालन का काम करती है। श्रीमन्, मैं इस संस्था के बारे में अब आपको बता दूं कि यह संस्था यहां फरीदाबाद में है। इसकी एक शाखा हमारे क्षेत्र वाराणसी में भी है। इन्होंने वहां लगभग 50 एकड़ जमीन ले रखी है और उसमें ऊंची चारदीवारी उठा रखी है। देश के छोटे-छोटे दो-दो, चार-पांच साल के अनेक अनाथ बच्चों को अपने यहां ले जाते हैं और ले जाने के बाद ये उन शेखों के हाथ बेचते हैं। शेख लोग अपनी अरेबियन कंट्रीज में उनको ले जाकर ऊंटों के गले में बांधते हैं और दीवारों पर उनको दौड़ाते हैं। जब ये बच्चे रोते हैं, बिलबिलाते हैं, जब इनकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, गले से चीख-चिल्लाहट निकलती है तो शेख लोग खड़े होकर हंसते हैं।

श्रीमन्,···*···जो आदमी था, उसने अपने तीन बच्चे जिनके नाम—एक * था जिसकी उम्र 4 साल थी, एक पुत्री···*·· थी जिसकी उम्र दो साल थी और एक लड़का था···

अध्यक्ष महोदय : ये नाम रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं आपके ज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। ऐसे चार बच्चे थे और इनके 14-15 और साथी थे जिनके नाम आप कह रहे हैं कि रिकार्ड में नहीं जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा ये बच्चे यहां दिल्ली से वाराणसी ले जाए गए और वाराणसी में इन बच्चों को शिक्षा के नाम पर रखा गया। इसके साथ-साथ इन बच्चों को शेखों को बुलाकर दिखाया गया। शेखों ने इन बच्चों को खरीदा और इनमें से चार बच्चे अरब भेजे गए जिनमें से तीन लड़के, "माया" पत्रिका में डीटेल में आया था कि तीन लड़कों की मौत चीखते-चीखते और चिल्लाते-चिल्लाते हो गई। ···*···पिता ने कहा कि हमारे बच्चों को दिया जाए। जब वह अपने बच्चों को लेने के लिए गया तो वहां की संस्था वालों ने कुछ भी नहीं किया। समाज कल्याण मन्त्रालय ने भी कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाई···

अध्यक्ष महोदय : आप पूरा भाषण दे रहे हैं इस पर !

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप टाइम मांग रहे हैं या भाषण दे रहे हैं !

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जब उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को एक चिट्ठी दी···

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, ऐसे नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन बच्चों को बुलाने का आदेश दिया।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला चर्चा के लिए आ रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इसलिए यह बहुत गम्भीर घटना है। वैसे ही अमीना नाम की लड़की के साथ शेख ने जिस तरह का व्यवहार किया। इस देश की लड़कियों को शेख लोग जिस तरह

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खरीदने का काम करते हैं, बच्चों की खरीद करते हैं, मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी इस विषय पर सदन में बयान दें और सख्त कारंवाई करें।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि कार निकोबार की अनुसूचित जनजाति सहकारिता समिति का एम० डी० सोलोमन जलपोत सागर द्वीप में फंसा हुआ है। पिछले आठ दिनों से उनके द्वारा प्रयास करने के बावजूद कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण, सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० और अन्य एजेंसियों द्वारा उसे निकालने के लिए सहायता नहीं की जा रही है। पोत में सामान भरा हुआ है और उसमें चालक दल के सदस्य भी हैं। इस पोत को निकालने के लिए उन्होंने हर सम्भव प्रयास किए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा यह सुविधा देने के लिए अनुदेश नहीं दिए गए हैं। मैं सभा का विशेषरूप से श्री अर्जुन सिंह का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह जीवन-मरन का प्रश्न है। अनुसूचित जनजातियों, विशेषरूप से अनुसूचित जनजाति सहकारिता समिति ने बहुत कठिनाई से इस पोत को प्राप्त किया है। अब वह पोत फंसा हुआ है। अतः कलकत्ता पत्तन न्यास के चेयरमैन तथा सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० के चेयरमैन को सहायता देने के लिए अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि चालक दल के सदस्यों, तथा पोत और अनुसूचित जनजाति सहकारिता समिति को बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले भी इस बारे में अनुरोध कर चुके हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल अनुदेश जारी करे। यह एक गम्भीर मामला है। पोत फंसा हुआ है और उसमें चालक दल के सदस्य भी हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आप कृपया मुझसे मिलें। मैं पूर्ण ब्यौरा लेकर इसे माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाऊंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान जनता की लम्बे समय से चली आ रही मांग की ओर दिलाना चाहता हूं कि विजयवाड़ा में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का केन्द्र स्थापित किया जाए। तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत संख्या में शैक्षणिक संस्थान हैं। बहुत से लोगों, विशेषरूप से उम्मीदवारों को, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हैं, हैदराबाद जाना पड़ता है, जिससे उनका काफी धन खर्च हो जाता है। सरकार के समक्ष लम्बे समय से इस बारे में एक अभ्यावेदन लम्बित पड़ा है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पहलू की जांच करे और विजयवाड़ा में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र स्वीकृत करने के बारे में आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, विशेषकर बस्तर, रायपुर और दुर्ग जिलों में, हैजे के प्रकोप से प्रतिदिन काफी संख्या में लोग मर रहे हैं। अधिकांश सुदूर क्षेत्रों में डाक्टरों और दवाइयों की भारी कमी है। जहां दवाइयां उपलब्ध भी हैं, वहां देखने में आया है कि वे असरकारक नहीं हैं। डाक्टरों और दवाइयों के अभाव में बीमार रोगियों की सहायता करने में

राज्य सरकार अपने आपको असहाय महसूस कर रही है। यदि समय रहते बीमारी पर काबू नहीं पाया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमन्त्री से अपील करना चाहता हूं कि केन्द्र की ओर से इस क्षेत्र में दवाइयां और डाक्टरों को भेजने की तुरन्त व्यवस्था की जाए, डाक्टर की सेवाएं उपलब्ध कराई जायें ताकि रोगियों का इलाज हो सके, राहत मिल सके। साथ ही स्वास्थ्य मन्त्री जी से भी चाहूंगा कि जैसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था, हमारे छत्तीसगढ़ एरिया का भी दौरा करें और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उत्तर प्रदेश के दो भूतपूर्व मन्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय साख और वाणिज्य बैंक (बी० सी० सी० आई०) से आपत्तिजनक सम्बन्ध हैं। रिपोर्ट के अनुसार दो वर्ष पहले राज्य सरकार ने मन्त्रियों के सम्बन्धों के बारे में सूचना दी थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसकी उपेक्षा की थी।

स्रोतों ने जानकारी दी है कि गुप्तचर ब्यूरो ने 'अतिगोपनीय' रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय साख और वाणिज्य बैंक की गुप्त गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया था और यह परामर्श दिया था कि उन लोगों पर नजर रखी जानी चाहिए जिनके इससे सम्बन्ध हैं।

गुप्तचर ब्यूरो ने कहा कि बैंक का संस्थापक * उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का है और बाद में पाकिस्तान में बस गया था।

अध्यक्ष महोदय : जब यह निर्णय ले लिया गया है कि कार्य मंत्रणा समिति में इसे रखा जाएगा तब भी क्या आप इस बैंक के बारे में प्रतिदिन चर्चा करते रहेंगे ?

श्री अन्ना जोशी : इस सम्बन्ध में एक नया मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : सभी नए मुद्दे एक ही समय पर उठाए जा सकते हैं।

श्री अन्ना जोशी : मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि हम एक ही मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे तो अन्य मुद्दे छूट जायेंगे।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, यह एक नया मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस नए मुद्दे पर भी एक ही साथ चर्चा कर सकते हैं।

श्री अन्ना जोशी : * के कुछ लोगों के साथ सम्बन्ध थे और उनमें से एक उस समय मन्त्री था। रिपोर्ट में * के बारे में उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति कैसे दे सकता हूं ? वे अपने पक्ष को यहां कैसे रख सकेंगे ?

श्री अन्ना जोशी : आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि चूंकि यह गम्भीर मामला है अतः इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : अनेक जीवन रक्षक औषधियों सहित आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि विनिर्माताओं ने लागत समस्या के कारण उनका निर्माण करने से इंकार कर दिया है और केन्द्र सरकार तथा विनिर्माताओं के बीच विवाद चल रहा है। वे इन दवाओं का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

मैं भारत सरकार से इस बात के लिए पुरजोर निवेदन करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन दवाओं का उत्पादन उनकी इकाईयों में ही हो। इनमें से कुछ जीवन रक्षक दवाईयों का उत्पादन केन्द्र सरकार की इकाई अर्थात् आई० डी० पी० एल० में हो सकता है और राज्य सरकार भी उनमें से कुछ दवाओं का उत्पादन कर सकती है। चूंकि ये दवाईयां लोगों के लिए आवश्यक है इसकी तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को इन दवाओं की आपूर्ति की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छी बात है।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, बिहार की राजधानी पटना से रक्सौल, जो नेपाल का सीमावर्ती शहर है, जाने के लिए मोतीहारी और मुजफ्फरपुर होकर जाना पड़ता है, जबकि दूसरी ओर से हाजीपुर लालगंज, रेवाघाट होते हुए बेतिया सड़क है। अगर इस सड़क को हम राजपथ के मातहत बनाएं, तो 70 कि० मी० की दूसरी कम हो सकती है। सामरिक दृष्टि से भी यह सड़क महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क को राष्ट्रीय उच्च पथ में लेकर शीघ्रातिशीघ्र इसका निर्माण कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

केरल में लाखों लोग काजू के खेतों में कार्य करते हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में करीब चालीस काजू की फैक्ट्रियां चल रही हैं। उनमें दो लाख लोग कार्य करते हैं। उनकी स्थिति अन्यन्त दयनीय है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन कम है। काजू के कच्चे माल की कमी है। इससे अनेक कठिनाईयां पैदा हो रही हैं और इसका परिणाम यह है कि उत्पादन कम हो रहा है। प्रतिवर्ष काजू मजदूरों को केवल थोड़े दिनों का कार्य मिलता है।

काजू की फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की लम्बे समय से लम्बित पड़ी मांगों को पूरा करने के लिए केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से काजू के लिए कच्चा माल आयात करने की मांग की है। मैं माननीय वाणिज्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह केरल सरकार को काजू के लिए कच्चा माल आयात करने की विशेष अनुमति प्रदान करें।

श्री रबि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं ऐसे ही किसी चीज को नहीं उठाता लेकिन हमको तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि आप जब कल 12 बजे शायद चैम्बर में चले गए थे और उस वक्त

सभापति जी आए थे, तब कुछ सदस्यों ने बी० सी०सी०आई० का मामला उठाया था । मैं इस चीज को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बहुत गम्भीर सवाल है । वित्त विभाग के वित्त मन्त्री ने खड़े होकर, हम लोग जो सवाल उठा रहे थे उसको नजरअन्दाज करके कहा कि उन्होंने जो कहा था वह ठीक था और हम लोग जो कह रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है । मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि एक नहीं बहुत अखबारों में आज यह निकला है कि भारत सरकार से इनटैलीजैंस ब्यूरो की तरफ से, टॉप सीक्रेट रिपोर्ट जिसको कहते हैं, उसके दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकार को दो साल पहले कहा गया था कि कांग्रेस के दो मन्त्री बी० सी० सी० आई० स्कैंडलस चीजों में इनवोल्व हैं और बी० सी० सी० आई० का जो पाकिस्तानी फाउण्डर है, वे उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले हैं, उन्होंने दोनों मन्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखे । ये मन्त्री विलायत जाकर बी० सी० सी० आई० के अतिथि बनते थे । मन्त्री ही नहीं, ब्यूरोक्रैट्स और बिजनसमैन के भी उनके साथ सम्बन्ध थे । मेरा कहना यह है कि भारत सरकार की इनटैलीजैंस ब्यूरो की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट जब दो साल पहले इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस के मन्त्री भी बी० सी० सी० आई० के स्कैंडल के साथ सम्बन्धित थे तब फिर वित्त मन्त्री हर रोज देशवासियों के सामने आकर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बी० सी० सी० आई० पूरा इनकरप्टेबल है ।

अध्यक्ष जी, हमको दो-तीन दिन पहले किसी काम से बंगलौर जाना पड़ा । सारे बंगलौर में अफवाह है और यह बहस हो रही है, यू० एस० सीनेट कमेटी में कि राजीव गांधी की हत्या के साथ भी बी० सी० सी० आई० का सम्बन्ध है । भारतवर्ष के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की हत्या में बी० सी० सी० आई० का भी हाथ है । इसको कैसे नजरअन्दाज किया जा सकता है, क्या हम इन्तजार करेंगे कि जब बहस होगी उस वक्त इसको उठाएंगे । इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी बहस हो ताकि जिस तरीके से बी० सी० सी० आई० हिन्दुस्तान का रुपया विदेश भेजकर हिन्दुस्तान को गरीब बना रहा है वह चीज सामने आ जाए ।

[अनुवाद]

श्री गंगाधर सानीपल्ली (हिन्दूपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दवाओं की कमी के बारे में सभा को अवगत कराना चाहता हूं ।

आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स की घोषणा के अनुसार यह बात सामने आई है कि यदि सरकार ने समय पर पर्याप्त उपाय नहीं किए तो जीवनरक्षक दवाईयों की भारी कमी हो जाएगी ।

प्रत्येक व्यक्ति इस वर्ष जुलाई के बाद से बाजार में दवाईयों की कमी महसूस करता रहा है । देश में दो-तिहाई दवाईयों का बाजार उस कठोर नियन्त्रण के अन्तर्गत आता है जिसे सरकार ने 1962 से लागू कर रखा है । उत्पादन लागत में वृद्धि होने के बाद से उद्योगों ने युक्तियुक्त दर निर्धारण नीति के लिए सही समय पर दबाव डाला है । इस नीति का परिणाम यही है कि वे दवाईयां, जो मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत आती हैं उसके बदले उत्पादनकर्ताओं ने उन दवाईयों के अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति दिखाई जिनका मूल्य नियन्त्रण नहीं है ।

जिन दवाईयों की कमी है उनमें एन्टी एपीलेप्सी दवाईयां, कार्डो-वेस्कूलर दवाईयां, न्यूरो डिस-आर्डर दवाईयां, कैंसर रोधी दवाईयां, तपेदिक रोग के निदान हेतु दवाईयां आदि शामिल हैं ।

मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह इन दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करे और यह भी सुनिश्चित करे इन दवाओं का मूल्य आम आदमी की पहुंच में रहे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बेहद दुख के साथ इस मामले को सभा के सामने उठा रही हूं।

दौलत राम कालेज महिला महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय के शिक्षक हड़ताल पर हैं। हड़ताल का कारण क्या है? महोदय, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे और सभा के सभी सदस्यों को भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाविद्यालय के शिक्षकों की प्रतिनिधि श्रीमती कंचन नटराजन जो इस महाविद्यालय में दर्शन विभाग की अध्यक्ष भी हैं उनसे न्यासी मनोयनकर्ता ने कहा कि कुछ महिलाएं जला देने लायक हैं। क्या मैं यह जान सकती हूं कि ऐसे लोग महिला महाविद्यालय के लिए उपयुक्त हैं या किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए उपयुक्त हैं?

श्री अर्जुन सिंह यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूं कि वह इस मामले की जांच करें और तुरन्त उस महाविद्यालय के कार्यकारी समिति को भंग कर दें जोकि पहले ही अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है और ऐसी टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मामला जिसको नाईन्थ लोक सभा में भी बार-बार उठाया गया, सभी दलों ने, इन्क्लूडिंग कांग्रेस और उस समय की सरकार ने वादा किया था। मामला है कि यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को लागू करना। आप जानते हैं कि यह मामला इस सदन में उठा और उस समय 11 मई, 1990 को सरकार को जो सतीश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, और उस समय 16-10-90 को लोक सभा में जब यह प्रश्न उठा था तो सभी दलों के सदस्यों ने इसको गम्भीरता से लिया था। उस समय के वित्त मन्त्री श्री मधु दंडवते जी ने कहा था कि रिपोर्ट भारतीय भाषाओं के पक्ष में है और सरकार जल्दी इसको लागू करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि सतीश चन्द्र कमेटी का क्या हुआ और यह कब लागू की जाएगी। वह रिपोर्ट "टाइम्स आफ इंडिया" और नवभारत टाइम्स" में लीक हो गई है और सारी छप गई है, लेकिन यह सबको नहीं मालूम। वह रिपोर्ट क्या है, उसको कैसे लागू किया जाएगा और कब लागू किया जाएगा, ये सब हम जानना चाहते हैं। बच्चे यहां अनशन पर बैठे हुए हैं। उस दिन आपने कहा था कि हम उसको एप्रोप्रिएट करते हैं। इस समस्या को लेकर इस देश के नौजवान जिस तरह से टूट पड़े थे उससे पता है कि वह इसको लेकर कितने विचलित हैं? यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के बारे में सरकार की क्या नीति है, सतीश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू कर रहे हैं या नहीं, इनके बारे में देश के नौजवान इस सरकार से जानना चाहते हैं?

श्री [illegible] यादव (भावनगर) : अध्यक्ष जी, मैं इसका समर्थन करता हूं। यह बहुत आवश्यक है। इस पर कदम उठाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बन्डारू दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद) : महोदय, राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में

शामिल करने के मामले में आंध्र प्रदेश के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। जहां तक किसी भी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई का प्रश्न है, राज्य के क्षेत्रफल को 50 से भाग देकर राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई निर्धारित की जाती है। उस फार्मूले के अनुसार आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 5,540 कि० मी० होनी चाहिए। इसकी तुलना में राज्य में वर्तमान नेशनल हाईवे की लम्बाई 2,352 कि० मी० है। राज्य ने दस राष्ट्रीय राजमार्गों को इसमें शामिल करने का एक प्रस्ताव भेजा है जिसकी कुल लम्बाई 3,222 कि० मी० है। लेकिन केन्द्र सरकार ने एक किलोमीटर भी इसमें शामिल नहीं किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अपर्याप्त अनुदानों के कारण बहुत ही असन्तोषजनक हैं। इसके सतह को दस वर्षों के बाद भी फिर से नहीं सुधारा जाता है।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलोर) : महोदय, आज 13 अगस्त है, तमिलनाडु के कुछ संगठनों ने यह धमकी दी है कि यदि कावेरी जल विवाद हल नहीं हुआ तो वे कल मध्यरात्रि में कर्नाटक में कावेरी नदी पर बने बांध को तोड़ देंगे। समस्या यह है कि श्री बंगरप्पा की सरकार राज्य का शासन अच्छी तरह नहीं चला रही है और मुझे यह भय है कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह ठीक नहीं है। नए सदस्यों को इस बात को समझना चाहिए कि वे बार-बार एक ही मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं। मैं इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यदि मैं आपको अनुमति दूंगा तो दूसरे सदस्य भी अनुमति चाहेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें यदि मैं इस समय अनुमति दूंगा तो मुझे बाद में इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि आपको समय दूं अथवा नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बेलसी तहसील में 8 तारीख को जनता दल के पूर्व विधायक श्री सोहन लाल पीपल की हत्या करने के बाद उनकी बोटी-बोटी काट कर और बोरी में बांध कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके घर के दरवाजे पर

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

रख दी। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले की विशेष अदालत से जांच करायी जाए और दोषी लोगों को फांसी की सजा दी जाए व मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह बहुत गम्भीर मामला है। श्री सोहन लाल पीपल अनुसूचित जाति के सदस्य थे। आज देश के चारों तरफ हरिजनों की हत्या की जा रही है और यहां तक कि विधायकों की भी हत्या की जा रही है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : महोदय, नौवीं लोक सभा के दौरान उड़ीसा के गंजाम जिले के छत्रपुर में इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अत्यावश्यक मुद्दे को उठाने के बावजूद भी वहां अभी भी स्थिति गम्भीर बनी हुई है। वहां श्रमिक-हड़ताल, प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के परस्पर खराब सम्बन्धों तथा कुप्रबन्धन को देखते हुए केन्द्र द्वारा इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

अब एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी प्रबन्धक स्थिति पर नियन्त्रण नहीं कर पाये हैं। वास्तव में समझौता सूत्र पर मेरे द्वारा बार-बार पहल करने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। मान्यताप्राप्त, बहुसंख्यक श्रमिक यूनियन के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित करने सम्बन्धी मामले में की जा रही जांच पूरी नहीं हुई है तथा वास्तव में काफी लम्बे समय से जांच चल रही है। एक लाभप्रद निर्यातोन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को इस तरह प्रत्येक माह दो करोड़ रुपये के नियमित घाटे में चलने नहीं दिया जा सकता।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह छत्रपुर स्थित इण्डियन रेअर अर्थस लिमिटेड के मामलों की पूरी जांच कराने के लिए किसी वरिष्ठ मन्त्री की नियुक्ति करे ताकि इस व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य इकाई में तेजी से सामान्य स्थिति बहाल हो सके।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राम विलास पासवान प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे साथी श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने अपने लिए प्रिवलेज का मसला उठाया था। यह केवल प्रिवलेज का ही मामला नहीं है, उनकी सुरक्षा का भी सवाल है। उनकी तस्वीर छपी है, साप्ताहिक में, वह ट्रेन से यात्रा करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरहद से होकर बिहार अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपनी कांस्टीट्वेंसी में जाते हैं इसलिए उनकी सुरक्षा इस दृष्टि से आवश्यक है कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनकी तस्वीर देखकर, जो गैंग ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत से जिन लोगों की ग्रिवान्स हुई है इसलिए···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ? प्रक्रिया के किसी नियम के उल्लंघन होने पर व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाया जाता है । कौन से प्रक्रिया-नियम का उल्लंघन किया गया है ?

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था देने वाले थे कि कब तक सुरक्षा दी जा रही है उनके लिए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, विशेषाधिकार प्रस्ताव सुरक्षा दिलाने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तथा मैं नहीं समझता कि उन्होंने सुरक्षा मांगी है ।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : यह सुरक्षा का मामला बन गया है, साप्ताहिक में···(व्यवधान)··· तस्वीर छपने के कारण···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । एक-एक करके बोलिए, सब लोग एक साथ नहीं ।

श्री हरि किशोर सिंह : वहां गैंगवार चल रहा है । इसलिए सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है । हमने इनकी सुरक्षा की मांग की हुई है, इनकी सुरक्षा की समस्या खड़ी हो गई है इसलिए इस सम्बन्ध में आपको कार्रवाई करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सुरक्षा के बारे में ।

[अनुवाद]

क्या इस मुद्दे पर कोई और सदस्य बोलना चाहता है ? यदि आप सब एक साथ एक समय में बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा तथा उत्तर नहीं दे सकता ।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतहेपुर) : अध्यक्ष जी, किसी का तो चेहरा बदल दिया जाता है, आज दल बदल दिया गया, मोहन सिंह का, इस पर आप व्यवस्था दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल व्यवस्था दी थी, आज भी व्यवस्था दूंगा ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमने देवेन्द्र प्रसाद यादव के सम्बन्ध में इस मामले को उठाया था न कि डी० पी० यादव अथवा धर्मपाल यादव के बारे में । हमने यह मुद्दा उन गिरोहों के खिलाफ नहीं उठाया है जो डी० पी० यादव के पक्ष में तथा उसके खिलाफ काम कर रहे हैं बल्कि यह एक दूसरा ही मामला है क्योंकि शुक्रवार को एक बड़े औद्योगिक घराने द्वारा लारसन एण्ड

टुबरो कम्पनी पर कब्जा करने सम्बन्धी मामले को उन्होंने उठाया था तथा जब तक आप माननीय सदस्य को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, उन्हें दोनों गिरोहों, अर्थात गाजियाबाद के डी० पी० यादव गिरोह तथा मुम्बई के दूसरे गिरोह से खतरा बना ही रहेगा। महोदय, आपको देवेन्द्र प्रसाद यादव की सुरक्षा करनी है। वास्तव में प्रत्येक सदस्य को लारसन एण्ड टुबरो पर कब्जा करने जैसे महत्वपूर्ण मामले को उठाने का अधिकार है। चूंकि उन्होंने लारसन एण्ड टुबरो पर कब्जे सम्बन्धी इस मामले को उठाया था इसीलिए उनका जीवन खतरे में है। जब कभी भी कोई सदस्य कोई गम्भीर मामला उठाता है, औद्योगिक घराने योजनायें बनानी शुरू कर देते हैं तथा उस माननीय सदस्य के जीवन को खतरे में डाल देते हैं। यह केवल देवेन्द्र प्रसाद यादव के मामले में ही ऐसी नहीं है बल्कि प्रत्येक सदस्य के मामले में ऐसा ही होता है⋯(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते हैं? आप उनकी तरफ से क्यों बोल रहे हैं?

श्री श्रीकांत जैना : मेरा प्रश्न यह है कि आप को उनकी सुरक्षा करनी है⋯(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते? आप इसे क्यों उठा रहे हैं? वह इस मामले को आपसे बेहतर ढंग से उठा सकते हैं।

श्री श्रीकांत जैना : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल देवेन्द्र प्रसाद यादव के मामले में ही ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा दूसरे उन सदस्यों के साथ भी हो सकता है जिन्होंने लारसन एण्ड टुबरो के मामले को उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी बात पूरी हो गई? पासवान जी, क्या आप भी यही मुद्दा उठाना चाहते हैं?

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, मैं भी इसी मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, आपने इस मामले को एलाउ किया है, छेड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एलाउ किया है!

श्री राम विलास पासवान : हां, एलाउ किया है और आपने पूछा भी है। मैं इस मामले को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि चव्हाण साहब, होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, मैं इसलिए इस मामले को उठा रहा हूं। चूंकि यह मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने इस मामले को इस ढंग से उठाऊं। आपने कहा है, इसलिए मैं सरकार की जानकारी के लिए कहूं, जिस पहले दिन यह सदन चला था, आपको याद होगा, उस दिन प्रधानमन्त्री जी यहां बैठे हुए थे और उन्होंने कहा भी था। जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उस दिन हमारे घर में आग लगी थी और उसी दिन साढ़े दस बजे यह मामला हुआ था और बारह बजे घर में आग लगाई गई थी। पूरा का पूरा घर जला दिया गया था। संयोग से हम लोग उस वक्त नहीं थे। जो लोग पकड़े गए रिवाल्वर के साथ पकड़े गए और 18 हजार रुपए के साथ पकड़े गए। पूरा का पूरा सामान जलाया गया। डी० सी० पी० वहां मौजूद थे। हमारा जो सी० आर० पी० का कैम्प है, सी० आर० पी० का कमांडेंट वहां था, उसके बावजूद भी लोग घर में घुस गए और जान-माल की क्षति करने का काम किया। हमने यह

मामला उस दिन उठाया था, तो प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि इसको गम्भीरता से ले रहे हैं और आपने भी कहा था, सदस्यों की सिक्योरिटी का सवाल जब आए तो उसको गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। उसके बाद लगातार खत आ रहे हैं। मैं उन खतों को आपके पास भेज देता हूं।

सबसे दुःख की बात यह है कि जब सरकार को मालूम है कि हमारी लाइफ को खतरा है और इन्होंने "जेड" कैटेगरी में रखा है। उसके बावजूद भी इस घटना के बाद प्रोटैक्शन क्या देंगे कि हमारे यहां जो एस्कॉर्ट है, उसको वापिस ले लिया गया। इसलिए मैं इस मामले को नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तो मामला उठाना पड़ता है। हम लोग सोशियल इशूज के सवाल उठाते हैं और भी कई सवाल उठाते हैं, जिसमें हम को काम करना पड़ता है। उस परिस्थिति में आपका जो आब्जरवेशन होता है, सरकार का जो काम होता है, उसमें कोई तालमेल नहीं है, जस्ट उसका उल्टा होता है। इसलिए आज जो डिसकशन चल रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि इससे सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। यदि सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ता, तो यहां एक संसद सदस्य का घर न जलाया जाता। सन् 1984 में भी इसी तरह की घटना घटी थी और उसके बाद सिक्योरिटी को वापिस लिया जाना, इससे ज्यादा घोर आपत्तिजनक बात कुछ नहीं हो सकती है। आप अलग हैं, हम अलग हैं। कल हम पावर में आ सकते हैं और आज आप पावर में हैं। यह कोई पार्टी का सवाल भी नहीं है। न आप अपनी पॉकेट से देते हैं और न हम अपनी पॉकेट से देते हैं, लेकिन एक सदस्य का सवाल है। आपस में कम से कम इतनी मर्यादा का पालन तो हम लोगों को करना ही चाहिए। कम से कम जो सिक्योरिटी है, उसको वापिस लेने की क्या सेंस है।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष जी, इसके बारे में मैंने आज ही आफिसर्स को इन्स्ट्रक्शन्स दी हैं। जब आनरेबिल मैम्बर्स को थ्रेटनिंग लैटर्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए।

श्री श्रीपाल सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, जो देवेन्द्र प्रसाद जी का मामला है...

अध्यक्ष महोदय : आप अपने बारे में बोलिए। उनको उनके बारे में बोलने दीजिए।

श्री श्रीपाल सिंह यादव : नहीं, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को सुना है, आप उनको बोलने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को मैंने कल भी उठाया था। आपने कहा कि यह मामला विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में जो प्रिवलेज का मामला है, वह एक आसपैक्ट है। इसका दूसरा आसपैक्ट गैंगवार का है। गाजियाबाद और दिल्ली सटा हुआ इलाका है। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा अहसास हो रहा है कि इस गैंगवार के धोखे में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि मुझे हानि हो। जिनका यह मामला है, उनका नाम है श्री धर्मपाल यादव और अखबार में देवेन्द्र प्रसाद यादव की फोटो छापकर, न केवल मेरी छवि को बिगाड़ने का काम किया है, बल्कि मुझे मानसिक पीड़ा भी पहुंचाई है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह फोटो करोड़ों लोगों में जाने का काम हुआ है। यह अंबानी ग्रुप की सुनियोजित साजिश है। इसके तहत और भी मामले उठ रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। मैंने आज गृह मन्त्री जी को पत्र भी लिखा है और

आपके पास भी पत्र भेजा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए। कोई माननीय सदस्य सदन में किसी पूंजीपति के खिलाफ, चाहे एल० एम० टी० का मामला हो या बी० सी० सी० आई० का मामला हो मामला उठा सकता है और उसको प्रोटैक्ट करने का अधिकार आपको है। आप हमारे संरक्षक हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे प्रोटैक्टर हैं, संरक्षक हैं, आप ऐसी स्थिति को गम्भीरता से लीजिए। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आप इसको जरूर गम्भीरता से लेंगे, क्योंकि मामला सदन के सदस्यों की सुरक्षा का है। यह मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले के ऊपर मैं अब किसी दूसरे सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। इसके ऊपर जो मेरी रूलिंग है वह इस प्रकार है। इस विषय में तीन मुद्दे प्रस्तुत हुए हैं। एक मुद्दा है फोटो का, इसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा है कि सम्बन्धित पत्र को करैक्ट फोटो छापकर लोगों के सामने भेजा देना चाहिए। फोटो के बारे में कल मैंने कह दिया था। अब जो दूसरी बात प्रीविलेज की थी, उसके बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे पास उस पेपर के रिप्रजनटेटिव आए थे और उन्होंने मेरे पास अपालोजी का लेटर दे दिया है, मैं उसे आपके सामने लाना चाहता हूं। तीसरी बात आपकी सुरक्षा के बारे में है। सदन में होम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, मैं यह चाहूंगा कि सदस्यों की सुरक्षा के बारे में हमारे पास लेटर आ रहे हैं और हम गृह मन्त्री जी के पास उन पत्रों को भेज रहे हैं। इस बारे में जो भी कार्यवाही करने की जरूरत है वे उसे कर रहे हैं, ऐसी मेरी मालुमात की बात है। फिर भी आज बड़े स्पष्ट रूप से इस सदन में ये मामला उठाया गया है तो मैं चाहूंगा कि मेरे ख्याल से देवेन्द्र जी को जितनी भी सुरक्षा देनी है, उन्हें हमें देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : हम अवश्य उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसके साथ-साथ पासवान जी लेटर भी मेरे पास आया था। उन्होंने परसनली बात की थी, पासवान जी ने कहा था कि हम इस मामले को बार-बार न उठाते। मैं समझता हूं कि पासवान जी को भी सुरक्षा देनी पड़ेगी। इसके बाद यदि किसी दूसरे मेंबर के खिलाफ ऐसी कोई चीज होती है तो हम उसको होम मिनिस्टरी में जरूर भेज देते हैं उसकी जांच-पड़ताल करके जो योग्य कार्यवाही है वह अवश्य की जाती है, ऐसा हमें खात्री है और ऐसा होता भी आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस सदन में इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : आप आप नियम 377 को नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा दिया है न कि हम इसको बाद में लेंगे।

[अनुवाद]

अब हम श्री राम विलास पासवान के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों से संबंधित संकल्प को लेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और आप कह रहे हैं कि हम इसको बाद में लेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे ले सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। आप दोनों विषय एक साथ नहीं ले सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार न करें। अन्यथा हम सभा की कार्यवाही नहीं चला सकेंगे। हम आपके अनुरोध पर ही इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा, मैं इसे नहीं ल रहा। यह मुद्दा समाप्त हो जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अनुचित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बहुत गलत बात है। मैं आपको इस सभा का माननीय सदस्य मानता हूं, कुछ और नहीं।

(व्यवधान)

1.55 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर किए जा रहे अत्याचारों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाए।"

अध्यक्ष जी, आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को यहां पर करने के लिए आपने हमें इसलिए अनुमति दी है चूंकि तमाम पक्ष के नेता इस पर सहमत थे। वैसे तो कभी न

कभी प्रत्येक सत्र में इस तरह की घटनाओं पर हम लोग चिन्ता व्यक्त करते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों से भी इस तरह की घटनाओं के समाचार आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन जब इस पर विचार करे, तो काफी गम्भीरता से विचार करे। मैं यह भी चाहूंगा कि इस मसले पर राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करने का काम करें।

अध्यक्ष जी, आप यदि संविधान को देखेंगे तो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था कि आजाद हिन्दुस्तान में हर फूल को खिलने का मौका मिलेगा। जाति और धर्म के नाम पर किसी का शोषण नहीं होगा, हम एक ऐसे बगीचे का निर्माण करेंगे जिस बगीचे में हर फूल खिले, हर फूल को मुसकराने का मौका मिले। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आजादी का समय ज्यों-ज्यों बीतता जा रहा है, गुजरता जा रहा है इस तरह की घटनाओं में और भी वृद्धि होती जा रही है।

2.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय, यदि आप संविधान की धाराओं को देखें तो पता लगेगा कि संविधान की धाराओं में, फण्डामेंटल राइट्स में हर जगह पर समाज के कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों के हित की बात कही गई है। संविधान की धारा 15 (ii) में कहा गया है कि जाति-धर्म के नाम पर किसी के साथ भेद-भाव नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर जाने की सब को अनुमति होगी। संविधान की धारा 16 (4) में कमजोर वर्गों के उत्थान की बात कही गयी है। चाहे आरक्षण का मामला हो या सरकारी सेवा में जाने का मामला हो, उनको विशेष अवसर दिया जाएगा। संविधान की धारा 17 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट और अस्पृश्यता निवारण की बात कही गई है और इसके लिए एक्ट भी बने हैं। संविधान की धारा 23 में बंधुआ मजदूरी समाप्त करने की बात कही गई है। संविधान की धारा 25 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है और किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। संविधान की धारा 29 (ii) में कहा गया है कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को किसी शिक्षण संस्थान में जाति-धर्म के नाम पर प्रवेश पर कोई रोक नहीं होगी। संविधान की धारा 46 में कहा गया है कि इनकी आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक संवर्द्धन के लिए जो भी सम्भव कदम होंगे, सरकार उठाएगी। संविधान की धारा 334 के तहत इनको लोक सभा तथा विधान-मण्डलों में आरक्षण दिया गया है, जिससे लोकसभा तथा विधानसभाओं में ये लोग पहुंच सकें और अपनी आवाज उठा सकें तथा लोगों के लिए हित का काम कर सकें। संविधान की धारा 335 में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात कही गई है, धारा 338 में स्पेशल आफिसर नियुक्त करने की बात कही गयी है और धारा 244 में भी इसी तरह की बात कही गयी है। एस० सी० एस० टी० कमीशन बनाने की बात का जहां तक सवाल है, पिछली लोक सभा में हम लोगों ने इस कमीशन को न सिर्फ कांस्टीट्यूशनल पावर्स और स्टेचुटरी पावर्स दी बल्कि कमीशन आफ इन्क्वारी अध्यादेश के तहत जितने अधिकार होने चाहिए, उन सब अधिकारों से उसको सुसज्जित करने का काम किया। प्रिवेंशन आफ अट्रासिटीज एक्ट 1989 में बनाया गया था, उसको हम लोगों ने नोटीफाई किया और आज वह लागू है। स्पेशल कोर्ट्स हम लोगों ने बनाने का काम किया और आज स्पेशल कोर्ट्स चल रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम यदि एक्ट को और फैक्ट को देखते हैं तो दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर दिखाई

पड़ता है। जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं और जो वस्तुस्थिति है, उन दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर नजर आता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी इसी सदन में कुछ दिन पहले दिनांक 29-7-91 को एक प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही गयी थी कि राज्यों और संघ शासित राज्यों में 1988, 1989 और 1990 में अनुसूचित जाति-जनजाति के कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं। इसका उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा इस प्रकार दिया गया है। अनुसूचित जाति के बारे में मन्त्री महोदय ने बताया है कि आंध्र प्रदेश में 1988 में 26, 1989 में 41 और 1990 में बढ़कर 56 हत्याएं हुई हैं। यानी 1988 में जहां 26 हत्याएं हुई वहीं 1990 में बढ़ कर 56 हत्याएं हुई। यानी हम जुल्म की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह से बिहार का आप देखें तो पता चलता है कि 1988 में 69, 1989 में 56 और 1990 में 27 हत्याएं हुई हैं। हालांकि यह भी शर्मनाक बात है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जहां 1988 में 69 अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं हुई थीं, वहां घट कर 1990 में 27 रह गई हैं। मध्य प्रदेश में 1988 में 78, 1989 में 74 और 1990 में बढ़कर 81 हत्याएं हुई हैं। महाराष्ट्र में 1988 में 15, 1989 में 19 और 1990 में 18 हत्याएं हुई हैं। राजस्थान में 1988 में 27, 1989 में 34 और 1990 में 25 हत्याएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 1988 में 267, 1989 में 270 और 1990 में 265 हत्याएं हुई हैं। इस तरह से हमारे पास राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं। यह मैंने अनुसूचित जाति के बारे में बताया।

अनुसूचित जनजाति के बारे में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आन्ध्र प्रदेश में 1988 में 6, 1989 में 7 और 1990 में 13 हत्याएं हुई हैं। बिहार में 1988 में 8, 1989 में 7 और 1990 में 3 हत्याएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में 1988 में 58, 1989 में 38 और 1990 में 62 अनुसूचित जनजाति के लोगों की हत्याएं हुई हैं। महाराष्ट्र में 1988 में 12, 1989 में 9 और 1990 में 8। इसी तरह से देखते हैं तो कुछ राज्यों को छोड़ कर जो हत्याएं हैं, उनमें वृद्धि हुई है। अभी 5 अगस्त के पार्लियामेंट के प्रश्न के जवाब में बताया गया कि जनवरी से लेकर जून 1991 तक आन्ध्र प्रदेश में 7, मध्य प्रदेश में 44, राजस्थान में 10, बिहार में 15, उत्तर प्रदेश में 20 हत्याएं हुई हैं।

मैं यह कह रहा था कि आजादी मिले ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है बजाए गरीब की रक्षा करने के, हो यह रहा है कि देश के विभिन्न भागों में जो गरीब हैं, जो दलित हैं उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि आज लोगों के मन में प्रशासन पर से विश्वास उठता जा रहा है। हमें खुशी है, जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इन घटनाओं की निन्दा करते हैं।

आन्ध्र प्रदेश, जिसको लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा और आक्रोश सदन में देखने को मिला। हम लोग वहां गए हुए थे। हमें खुशी है कि कांग्रेस के भी एम० एल० ए० ने वहां इस घटना की निन्दा की है। हम लोग गए थे। हमारे साथ तेलुगु देशम के तीन साथी गए हुए थे, सी० पी० एम० के भी साथी गए थे। हम लोगों ने जाकर जो वहां देखा है, हृदय विदारक घटना है। किस तरीके से आदमी का हाथ, पैर, गर्दन काट कर बोरे में बन्द कर के नदी में जाकर फैंक दिया गया है। हम लोग जब वहां गांव में गए, महिलाएं रोने लगीं। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनके सामने खड़े हो सकें। हमने पूछा कि इस घटना का क्या कारण है? उन्होंने कहा कि साहब घटना का कोई कारण नहीं है। 5 जुलाई को एक शेड्यूल्ड कास्ट का लड़का सिनेमा देखने चला गया। चूंकि जाति व्यवस्था है,

किसी न किसी जाति का तो होगा ही, एक लड़का था, जाति का रेड्डी था, हालांकि हमारे साथ बी० एन० रेड्डी गए थे, पब्लिक मिटिंग में उन्होंने भी घोर निन्दा की, रेड्डी जाति में भी ऐसे लोग हैं जो इसकी निन्दा कर रहे हैं। एक दूसरे का पांव लग गया। पांव लगने के बाद उसने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट का होकर तुमने पांव कैसे मार दिया। उसी बात पर झगड़ा हो गया। बाद में वह लड़का पकड़ा गया। वह मामला किसी तरह से शांत हुआ।

एक महीने के बाद भी टेंशन चलती रही। पांच अगस्त को उसी गांव का एक डीलर था, जो अनुसूचित जाति का है उसको बुलाया गया। अध्यक्ष जी, आज तक चाहे बेलछी की घटना हो, पीपरा की घटना हो, वह शहर से दूर घटी हुई घटना होती है। लेकिन यह पहली जगह है, शहर में, जहां मण्डल हैड-क्वार्टर है। एम० आर० ओ० उस डीलर को बुलाता है, बुला कर पूछता है कि क्या घटना है। उसने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है। जब वह वहां से निकलता है तो उसे छुरा मार दिया जाता है। उसके बाद सनसनी फैलती है। 6 तारीख को पुलिस वहां जाती है, एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में पुलिस वहां जाती है और जाने के बाद बजाए गांव वालों की रक्षा करने के, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को कहा जाता है कि जितने मेल मेंबर्स हैं, गांव से निकलो, गांव से भाग जाओ जल्दी से। लोग पूछते हैं, क्यों। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से भागो। गांव से भगा कर उनको दूर ले जाया जाता है। पीछे-पीछे पुलिस है, आगे-आगे लोग हैं। जब ड्रेन के नजदीक, नाले की बगल में आ जाते हैं तो लोग देखते हैं कि वहां 5-6 गांवों के लोग इकट्ठा हैं। तीनों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है और घेरने के बाद नर-संहार होता है, एक-एक परिवार के दो-तीन लड़के, जो विद्यार्थी हैं, उनको पकड़ा, हाथ-पैर, गर्दन काटी और इत्मिनान से बोरे में बन्द करके नाले में फैंकने का काम किया गया। इससे ज्यादा पुलिस का ऐडमिनिस्ट्रेशन का और लैण्डलार्ड का क्या समन्वय हो सकता है? वहां से डिस्ट्रिक्ट हेड-क्वार्टर गुंटूर की दूरी केवल 30 कि० मी० है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है हमको 24 घण्टे के बाद जानकारी मिली। 30 किलोमीटर जिला हैड-क्वार्टर है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी मिलती है 24 घण्टे बाद। छोटे मियां तो छोटे मियां के, बड़े मियां सुभानअल्लाह, 24 घण्टे बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी मिलती है और 26 घण्टे बाद भी चीफ-मिनिस्टर को जानकारी नहीं मिलती है।

यह छह तारीख की घटना है। सात तारीख को हमको मालूम हो गया। श्री अर्जुन सिंह जी अभी यहां पर नहीं हैं। इनसे हम मिले और इनको मेमोरेन्डम दिया। हमको जानकारी मिली कि बीस शेड्यूल्ड कास्ट के लोग मारे गए। हमको विश्वास नहीं हुआ कि इतने मारे गए जबकि पेपर में नहीं आया था। हमने कहा कि अगर तथ्य होगा तो हम इस मामले को उठायेंगे, अगर नहीं होगा तो हम कैसे उठायेंगे। श्री अर्जुन सिंह ने कहा कि हम इसकी जानकारी हासिल करते हैं। दो दिन सदन की, बी० जे० पी० के कारण कार्यवाही नहीं चल पाई। नौ तारीख को जब इस मामले को उठाया तो उस दिन होम मिनिस्टर ने कहा कि इस सम्बन्ध में चीफ मिनिस्टर से बातचीत हुई उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी वहां आज जायेंगे और जाकर पता लगायेंगे। छह तारीख की घटना है लेकिन 7, 8, 9 तक इसकी जानकारी चीफ मिनिस्टर को नहीं हो पाती है। हम लोग देखते हैं कि जब कहीं पर रेल का एक्सीडेंट होता है तो दूसरे दिन रेलवे मिनिस्टर वहां पर पहुंच जाता है। 1977 में जब मैं सरकारी पक्ष में था तो मैंने नियम-184 के तहत इस तरह का प्रस्ताव दिया था। श्री राम लाल राही भी उस पक्ष में थे। उस समय इधर से श्रीमती इन्दिरा गांधी जी थीं। उस समय कांग्रेस के लोगों ने सवाल पूछा था कि बेलछी घटना होने पर श्री मोरारजी भाई वहां गए या नहीं। आज हम पूछना चाहते हैं

कि इतनी बड़ी घटना होने पर जहां प्रधान मन्त्री जी का घर है, तो प्रधान मन्त्री जी वहां गए या नहीं। हम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, वे गए या नहीं गए और क्यों नहीं गए। संविधान की धारा प्रोटेक्शन के लिए हैं। (व्यवधान) छह अप्रैल, 90 को फतेहपुर में घटना घटी। ग्यारह तारीख को अपराधियों के घर कुर्की कर दिया गया था। और जिसने घटना की उसने बारह तारीख को सरेन्डर किया तथा बाईस तारीख को 302 के अन्तर्गत चार्ज-शीट दायर कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान में इससे ज्यादा कोई प्रोम्प्ट एक्शन हुआ हो। उसके बावजूद सांसदों ने इस मामले को उठाया और श्री वी० पी० सिंह जी वहां गए थे। जब प्रधानमन्त्री जी आन्ध्र प्रदेश के दौरे पर गए तो वहां क्यों नहीं गए। गृहमन्त्री जी और गृह राज्य मंत्री वहां क्यों नहीं जा सके। चार दिन के बाद चीफ मिनिस्टर जाते हैं। मैं गुन्टूर भी गया था वहां पर 28-29 साल का एक रवि चन्द्र कुमार, डाक्टर था। वह पोस्टमार्टम करते-करते विक्षिप्त हो गया। उसने अपने घर में अपनी मां से कहा कि मैं जिन्दा नहीं रहना चाहता। जहां इस तरह की घटना होती है। उसके बाद उस डाक्टर ने रात में फांसी लगा ली और मर गया। मैंने देखा है चुन्डूर नाला है कोई समुद्र या नदी नहीं है। उस नाले में एक दिन फिशरमैन का जाल डालकर पता लगा सकते हैं कि कितनी लाशें हैं। को हम वहां गए तो दस तारीख को दो लाशें निकलती हैं, वहां के लोगों ने कहा कि हमारे 27 आदमी लापता हैं। इतने लोगों को मार दिया गया है। वहां पर कई तरह के लोग पहुंचे हुए हैं। नेक्सेलाइट, एक्स्ट्रीमिस्ट, समाज सेवी, बैकवर्ड क्लास, माइनोरिटी वैलफेयर और एस० सी० एस० टी० के लोग तथा तमाम पोलिटिकल पार्टी के लोग पहुंचे हुए हैं। आन्ध्र के चौदह जिला नेक्सेलाइट की गिरफ्त में हैं। लोगों के मन से विश्वास उठता है तो तब अहिंसा का दरवाजा बन्द होगा, और हिंसा का दरवाजा खुलता है। हम गन्दे नाले को साफ नहीं करते हैं मच्छर को मारने का काम करते हैं। मच्छर कहां से पैदा होता है जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक यह चीज नहीं रुकेगी। आज गरीब लोगों का विश्वास प्रशासन से और शासन से उठ रहा है।

मैं एक मिनट में अपनी बीती कहानी आपको बताता हूं। सन 1970 में मुझे जेल में बन्द किया गया था। मुझे भागलपुर की जेल में नेक्सलाइट का आरोप लगाकर बन्द किया गया था। उस समय में विधायक था। जब मैं जेल में गया तो एक लड़का मुझे मिला। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने अपना नाम हिटलर बताया। मैंने पूछा कि क्या काम करते हो तो उसने कहा कि हम यहां पखाना साफ करने का काम करते हैं और 14 साल से यहां यही काम कर रहा हूं। मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या कसूर है तो उसने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं था। 14 साल पहले भी मैं 4 साल के लिए बन्द था। जब पहली बार इन्होंने पकड़ा तो तब भी कोई कसूर नहीं था। जब मैं बाहर आया तो पुलिस और दरोगा जी फिर मुझे पकड़कर ले गए। हमने दरोगा जी से पूछा कि इसका क्या जुर्म है तो उन्होंने कहा कि कोई जुर्म नहीं है, जब जेलर से पूछा तो उसने कहा कि यहां जेल में पाखाना साफ करने के लिए कोई नहीं है इसलिए तुम्हें लाया गया है। उसका कसूर इतना ही था कि वह सफाई मजदूर या जिसे भंगी कहते हैं उस जाति से बिलांग करता था। इसलिए पाखाना साफ करने के लिए आदमी चाहिए तो वे इस निर्दोष को पकड़कर ले आए और जेल में बन्द कर दिया। कल अगर वह जेल से छूटेगा तो उसके मन पर क्या गुजरेगी। इसलिए जाति के नाम पर समाज में जुल्म हो रहा है समाज को कैसे जोड़ा जाए इस पर सदन को विचार करना चाहिए।

हमारे साथी अभी पीपल का मामला उठा रहे थे। वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह चुका था। बदायूं जो कि शरद यादव जी का निर्वाचन क्षेत्र है उस निर्वाचन क्षेत्र में बिलसी विधान

सभा की कांस्टीच्वेंसी आती है। उसने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ना उसके लिए अभिशाप बना, पांच दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई, दिन-दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई। हम लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं, कल्पनाथ जी यहां बैठे हैं वे और हम पहले समाजवादी युवा दल, सोशलिस्ट पार्टी में साथ-साथ रहे हैं। हमने लोगों के बुनियादी सवालों को लेकर लड़ने का काम किया है। इस देश में बुनियादी सवालों को लेकर लड़ाई लड़ना, गरीब आदमी के हक को लेकर लड़ाई लड़ना, इसका मतलब यह नहीं है उसके जीवन को खत्म करने की साजिश चले। मैं समझता हूं अगर इस तरह की साजिश होगी तो इसके गम्भीर परिणाम निकलेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर जुल्म हों, गरीब लोगों के ऊपर जुल्म हों या अपसंख्यकों पर जुल्म हों हमारे जैसे लोग उसमें राजनीति करते हैं और न कभी दलगत राजनीति को उसमें लाने का काम करते हैं।

राजीव जी की हत्या हुई। अभी यहां पर अनादि चरणदास जी बैठे हैं वे पार्लियामेंटरी पार्टी की जो अनुसूचित जाति और जनजाति कमेटी है उसके चेयरमैन रहे हैं इनके घर को जला दिया गया, मेरे घर को जला दिया गया, जटिया जी के घर को भी घेर लिया, ये तीनों अनुसूचित जाति के सांसद जो ठहरे। मैं नहीं जानता कि इसमें कांग्रेस या बी० जे० पी० या किसका हाथ है। हमको शका तब होती है जब सरकार की तरफ से कारगर कदम नहीं उठाए जाते, कारगर कार्रवाई नहीं होती है। सरकार बचाने का काम करे। जो आदमी पकड़ा जाता है वह किस पार्टी से सम्बन्ध रखता है या असामाजिक तत्व है या कोई अपराधी है इसका खुलासा करना चाहिए। 1984 में हमारे घर को आग लगा दी गई। कहा गया कि सबको मुआवजा मिलेगा, हमने भी आवेदन दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। इस बार भी सारा घर जला दिया, सारा सामान थाने में पड़ा हुआ है और हम नया सामान खरीद रहे हैं। एक लोक सभा का मैम्बर जोकि अनुसूचित जाति या जनजाति का है वह जब दलित वर्गों के लोगों की आवाज को उठाता है तो उसका घर जला दिया जाता है और उसको मारने की साजिश चलती है, तो क्या हम लोकतन्त्र में चल रहे हैं या ऐसी दुनिया में आगे जा रहे हैं जिस दुनिया में सिवाय हिंसा के और कोई रास्ता नहीं बचता है। अभी कुछ दिन पहले का मामला है कि अनुसूचित जाति का आदमी जो घोड़ी पर चढ़कर शादी करने जा रहा था। मार दिया गया? आज इस तरह की टेंडेंसी आजादी के 43 साल बाद भी बढ़ती जा रही है। इस संबंध में हम सदन में बार-बार चर्चा करते हैं लेकिन कोई निराकरण आज तक नहीं निकल रहा है। मैं गृह मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए। हम लोग सरकार में केवल ग्यारह महीने थे लेकिन हमने इस सम्बन्ध में कदम उठाने का काम किया था। जुर्म-अत्याचार हो या न हो, प्रत्येक जिले में हमने एक स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्णय लिया था। जिस दिन हम मन्त्री पद से नवम्बर, 90 में हटे थे, देश के साढ़े चार सौ जिलों में से सवा चार सौ जिलों में स्पेशल कोर्ट आइडेंटीफाई कर लिया था। हम जानना चाहते हैं कि जहां स्पेशल कोर्टस् बनाए गए हैं। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि जहां कहीं भी इस तरह के जुर्म-अत्याचार होंगे, सामूहिक नर-संहार होगा, वहां हम साधारण कोर्ट से मामले को निपटाएंगे बल्कि हम वहां स्पेशल कोर्ट के माध्यम से काम करेंगे। हम आपसे मांग करते हैं कि कई मामलों में—जैसे आंध्र प्रदेश के मामले में या उन मामलों में, जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां आप न सिर्फ स्पेशल कोर्ट बल्कि एक्सक्लूजिव कोर्ट बनाइए। आज वहां रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है। एक रिटायर्ड जज क्या करेगा यह कहा गया कि हम ज्युडिशियल इंक्वायरी करेंगे। छः महीने साल भर चलेगा, मामला फिर खत्म हो जाएगा। फिर आएगा रेगूलर कोर्ट में। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर आप एक्सक्लूजिव कोर्ट बनाइए, हाई कोर्ट का जज नियुक्त कीजिए। हाई कोर्ट

का जज इस कार्य के लिए गुंटूर जिले में जाए, जाकर बैठे चार दिन, एक सप्ताह, दो सप्ताह, एक महीना, जितने दिन वहां कोर्ट बैठनी हो, वह बैठे। एविडेंस ले और वहां जजमेंट देने का काम करे जिससे किसी को ऐविडेंस डैस्ट्राय करने का मौका नहीं मिले।

अध्यक्ष महोदय, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राईब्स कमीशन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जितनी घटनाएं दी हुई हैं, उनमें से अधिकांश घटनाएं भूमि-विवाद के कारण होती हैं। हमने लैंड रिफार्म्स एक्ट को संविधान संशोधन करके नौवीं शेड्यूल में डालने का काम किया लेकिन उसके बावजूद भी आज कहीं लैंड ट्रिब्यूनल नहीं बना है। नतीजा है कि गरीब को जमीन मिला हुआ है लेकिन आप बिहार, उत्तर प्रदेश में चले जाइए। कानून हैं लेकिन क्या है? एक आदमी के पास 5-5 हजार एकड़ जमीन है। हमें नहीं मालूम कि इस सदन के मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं। एक एम० पी० के पास दो हजार एकड़ जमीन है, पांच हजार एकड़ जमीन है, क्यों? जब लैण्ड रिफार्म्स एक्ट लागू हो गया तो कहां से पांच हजार एकड़ जमीन है, 18-20 एकड़ से अधिक जमीन रखने का अधिकार नहीं है। तो किसी ने कुत्ता के नाम पर, बिल्ली के नाम पर या किसी और नाम पर रखी होगी। इस लैण्ड रिफार्म्स एक्ट को कड़ाई से लागू कीजिए और मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी चीज है। जहां कहीं भी गांव में जुर्म और अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, वहां 90 परसेंट भूमि-विवाद होते हैं। हम आपसे मांग करते हैं कि आप तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुलाइए। पार्लियामेंट से जो मदद लेनी हो, वह मिलेगी। विपक्ष की तरफ से, नेशनल फ्रण्ट की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे आपको संविधान में संशोधन करना पड़े, कोई भी कारगर से कारगर कदम उठाना पड़े, भूमि सुधार कानून लागू करवाने के लिए पूरी तरह साथ हैं। जिस भूमिपति के पास ज्यादा जमीन है, जो जमीन चोर है, उसको सीधे कटघरे में खड़ा कीजिए और ऐलान कीजिए कि इससे अधिक जमीन किसी के पास न रह पाएगी। यह सब सुरसा की तरह बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, गन्दा नाला जब तक साफ नहीं करेंगे, मच्छर नहीं मरेगा, डी० डी० टी० से मच्छर को मार सकते हैं लेकिन मच्छर पैदा होना बन्द नहीं होगा। इसलिए गन्दा नाला को साफ करना पड़ेगा। आजादी के 44 वर्ष के बाद भी भूमि सुधार कानून लागू न हो, इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। आपसे कहना चाहते हैं कि भूमि सुधार कानून बनाने के लिए नौवीं शेड्यूल में हमने डाल दिया। भूमिपति को किसी तरह से कोर्ट में जाने से रोक सको। यह उपाय आप कीजिए। एक्ट अलग होता है, फैक्ट अलग होता है। यदि आज गरीब के पास जमीन है, कल जमीन के पर्चा के लिए लड़ाई करता है, सवेरे मालूम होता है कि वहां घर नहीं है, खेत बन गया। अब अफसर लोग हैं, यदि आपके मन के लायक हैं तो जस्टिस देगा। नहीं है तो नहीं देगा। जमीन सम्बन्धी कोई भी मुकदमा कोई जीत जाए, जमीन पर उसका अधिकार नहीं होगा। 144 से मामला चलता है और नतीजा है कि कहीं भी गरीब को, चाहे भूदान एक्ट के तहत हो, किसी योजना के तहत हो, जो गरीब को जमीन मिली है, उस जमीन पर उसको अधिकार नहीं मिल पाया है।

आर्थिक उत्थान की बात करते हैं। केसरी साहब यहां बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि आजादी के 43 साल के बाद कौन है बंधुआ मजदूर? 99 परसेंट बंधुआ मजदूर शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, गरीब लोग हैं। 99 परसेंट! हम बंधुआ मजदूर के सम्बन्ध में कमीशन लाने वाले थे। बंधुआ मजदूर, बांडेड लेबर कमीशन उसको आप वही अधिकार दीजिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है, एस० पी० को

दिया गया है आज तक बंधुआ मजदूर निकाले गए हैं, किसी सरकारी अधिकारी ने उनको नहीं निकाला है। जो गैर सरकारी संगठन हैं, इन्होंने उनको निकाला है। यदि आयोग को यह अधिकार दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बंधुआ मजदूरी जो हमारे लिए कलंक की बात है, वह दूर होगी। आदमी का पाखाना आदमी सर के ऊपर ढोता है। जाति का कलंक उसको लगा हुआ है। आजादी के 43 साल के बाद इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि आदमी का पाखाना आदमी सर पर ढोता है ! हमने घोषणा की थी कि तीन सालों में 3900 शहर ऐसे हैं जहां आदमी का पाखाना आदमी सर पर ढोता है, इस प्रथा को समाप्त करेंगे। हमने कहा कि तीन साल की योजना बनाएंगे, 500 करोड़ रुपया खर्च होता है। सब खर्चों में से कटौती करके इस खर्चे को रखिए और कम से कम उससे मुक्ति दिलाइए। मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके लिए दूसरे कार्यों की व्यवस्था नहीं करेंगे। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, सर पर पाखाना उठाने के काम में लगे हुए हैं, उनको दूसरा काम दीजिए, आल्टरनेटिव जॉब दीजिए और उस काम से मुक्ति दिलवाइए और फिर कहिए कि भविष्य में जो मकान बनाएगा, महल बनेगा, उसमें सर पर पाखाना ढोने के काम को खत्म करने का काम करेंगे।

हमने पहले समय में एक सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया था कि जो शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज के लोग हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उसके लिए बजट अलग रखेंगे। आप फिक्स कीजिए कि यदि आपके पास 3000 करोड़ रुपए का बजट है, 4000 करोड़ रुपए का बजट होता है तो आप 1000 करोड़ रुपया शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज के वेलफेयर के ऊपर रखिए और उसकी प्रायारिटी के मुताबिक आप चुनिए। ये नहीं कि एक नेशनल हाईवे बन रहा है और आदिवासी का विकास हो रहा है। आदिवासी इलाका चला गया नेशनल हाईवे में और विकास हो गया। आप पैसा उनकी पापुलेशन के मुताबिक रखिए, प्रत्येक मद में रखिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मद में कितना पैसा है, उसका एक चौथाई रखिए, जो भी स्कूल खोलिए शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज के इलाके में खोलें। जो भी इर्रीगेशन का काम हो, उसकी जमीन में इर्रीगेशन का काम किया जाए। जो भी हास्पीटल खोलें, उनके यहां हास्पीटल बनेंगे। हम लोग पद यात्रा में थे आदिवासी इलाके में, सिंहभूमि इलाके में। वहां आदमी पैर ठीक करने के लिए पैर में फट्टा बांधता है यह मालूम है सीताराम केसरी जी को कि आदमी का पांव टूटेगा तो वह फट्टा जो होता है, उसके पैर को जोड़कर फट्टा बांधता है और पांव में रस्सी से बांधता है कि हड्डी हमारी ठीक हो जाएगी। यह है आजादी के 43 साल के बाद। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि जनसंख्या के मुताबिक इनका पैसा रखा जाए। हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन इसमें अड़ंगा लगाने का काम करेगा, लेकिन हम लोगों ने इसको सैद्धांतिक रूप में पास कराया था।

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) यह हो जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : आप हर चीज में कहते हैं कि हो जाएगा लेकिन सब चीजों में गड़बड़ हो जाती है।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : आप सुन लीजिए कि इस दिशा में हमने सोचा है और अपने विभाग को कहा है कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अनुसार हमें प्लानिंग कमीशन को लिखकर अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम एक बात और कहना चाहेंगे। हम लोगों ने अपने

समय में हमको शुरू किया था। अब पापुलेशन का सवाल है। उनकी जनसंख्या बढ़ी हुई है। जनसंख्या बढ़ गई शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज की 26 परसेंट, और उनको रिजर्वेशन मिल रहा है 22 परसेंट। हम लोगों ने नई जाति भी कुछ जोड़ी। जो नए बुद्धिस्ट हैं, उनको भी हमने शामिल करने का काम किया। अभी आप एक बिल लाए हैं कि जो जाट, गूजर वगैरह हैं उनको भी जोड़ा जाए। हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि 200 ऐसी जातियां हैं शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज की जिसका आर० जी० आई० ने एप्रूवल कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको रिकमेंड कर दिया है। बिहार में थारू, फिशरमैन हैं, इस तरह की 200 जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाईं। उसके सम्बन्ध में कानून यह है कि स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे और रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया उसको एप्रूव करे। यह दोनों काम हो गए थे और हम लोग उसे पेश करने वाले थे, मगर पेश नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि उसे आप पेश करने का काम करें।

अध्यक्ष जी, जहां तक राज्य सभा और विधान परिषदों का सवाल है···

श्री सीताराम केसरी : आपने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी-अपनी सहमति दे दी है, दोनों का समन्वय हो गया है, उन स्टेट्स के बारे में, हम आपसे जानकारी करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, वह जानकारी हम आपको दे देंगे। हमारे पास लिस्ट बनी हुई है और हम आपको दे देंगे। अब जहां तक लोक सभा का सवाल है, हम लोक सभा में बहस कर रहे हैं और विधान सभाओं में भी डिस्कशन हो जाता है परन्तु जो हमारी राज्य सभा है, जहां अप्वाइंटमैंट्स पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, वहां जाकर आप देखें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। मैं चाहूंगा कि सदन के दोनों पक्षों की राय हो, हम अपनी तरफ से गारंटी दे सकते हैं, विपक्ष की तरफ से नेशनल फ्रण्ट और लैफ्ट फ्रंट की तरफ से, तो आप कानून लाइए, पालियामैंट में संविधान संशोधन विधेयक लाइए कि राज्य सभा और विधान परिषदों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जनसंख्या के मुताबिक रिजर्वेशन मिलेगा। दोनों जगहों पर रिजर्वेशन की व्यवस्था होना जरूरी है। ऐसी जगहों पर भी रिजर्वेशन की जरूरत है जहां सरकार की तरफ से नौमिनेशन होता है। यदि कुछ करना चाहते हैं तो बताइए और इस दिशा में ठोस कदम उठाइए। तब जाकर समस्या का निदान हो सकता है।

उसी तरह से जुडीशियरी का मामला है। सारी चीज जाएगी और जैसे गंगा निकली और शिवजी की जटा में जाकर घूमने लगती है, वैसी ही स्थिति आज हो गई है। अब कोई भगीरथ होगा जो शिवजी की जटा से गंगा निकालेगा। केसरी जी, आपको भगीरथ प्रयास करना होगा, जहां तक सफल होंगे, यह आप जानते हैं लेकिन आपको भगीरथ बनना है और गंगा को शिवजी की जटा से मुक्त कराना है। हम चाहते हैं कि जो हमारी जुडीशियरी है, जहां से न्याय की गंगा निकलती है, मैं इस मौके पर मण्डल कमीशन से मामले को छेड़ना उचित नहीं समझता, लेकिन समय आने पर अवश्य छेड़ूंगा, परन्तु जहां तक जुडीशियरी का सवाल है, वैसे जुडीशियरी पर हमारी पूरी आस्था है, लेकिन उस पर भी आरोप लगते हैं कि जब भी जजों की नियुक्ति होती है तो पोलिटिकल पैरवी के आधार पर होती है।

मेरी मांग है कि जो शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, उन्हें भी आप जज बनाइए। खोज कीजिए, कहां हैं ऐसे लोग।

अब पुलिस को ही ले लीजिए, जहां एट्रोसिटीज होती हैं, हम लोगों ने बिहार में कुछ ऐसा किया है, केसरी जी को मालूम है कि जहां चार आफिसर हैं, उनमें से एक अपर क्लास का होगा, दूसरा बैकवर्ड क्लास का होगा, तीसरी माइनोरिटीज का होगा और चौथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होगा। यदि कोई कहीं गड़बड़ी करना भी चाहेगा तो नहीं कर पायेगा। उत्तर प्रदेश में एक फोर्स बनी हुई है और जब भी वहां हिन्दू मुसलमानों का झगड़ा होता है, दंगा होता है, हिन्दू से मुसलमान उतना डरता नहीं है परन्तु वह फोर्स ज्यों ही आती है, उस फोर्स से वह डर जाता है क्योंकि उसमें एक समुदाय विशेष के लोग हर जिला हैडक्वार्टर में, एक नीति बन जाए कि जितनी की-पोस्टस हैं, उन की-पोस्टस पर हर समुदाय के लोग रहेंगे तो मैं समझता हूं कि जैसा हम लोगों ने अभी आन्ध्र प्रदेश में देखा, एक तरफा प्रशासनिक मामला चलता है, शेड्यूल्ड कास्टस के लोगों को इधर से ले जाकर उधर भेड़िये के मुंह में धकेल दिया जाता है, वैसी कार्यवाही बन्द हो जाएगी। अभी हम लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर एक फैसला लिया था कि इन जातियों के बैकलोग को पूरा करने के लिए एक लैजिस्लेशन लायेंगे—लैजिस्लेशन फार रिजर्वेशन। आपने भी कहा था कि हम संसद के इसी सत्र में उसे लायेंगे, फिर अभी तक आप चुप क्यों लगाए हुए हैं। कहिए कि ला रहे हैं।

श्री सीताराम केसरी : आपके इस विचार को मानने वालों में हम हैं, मगर आप जानते हैं कि सरकार में कोई बात चलने में काफी समय लगता है। मगर यह ठीक है कि यह बैकलॉग का मामला एक दुखद चैप्टर है, इतना हम मानते हैं।

श्री राम विलास पासवान : हमारा कहना है कि बिल पहले से बना हुआ है, लैजिस्लेशन फार रिजर्वेशन का बिल बिल्कुल तैयार करके हमने आपके पास पहले ही आपकी सेवा में रख दिया है। स्पीकर साहब को सिर्फ अनुमति देनी थी और रवि राय जी ने कहा था कि अगले सैशन के पहले दिन आप इसे हाउस में पेश कर दीजिएगा। मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सभी चाहते हैं। बैकलॉग जहां पूरा नहीं हो पाया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि गवर्नमेंट आर्डर के मुताबिक सब कुछ होना है। ऐसी बात नहीं है कि आई० ए० एस० के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार मिलते हैं। आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० आदि सर्विसेज में आपको इन जातियों के उम्मीदवार मिल जायेंगे लेकिन चपरासी पद के लिए आपको उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। आपने ही एक प्रश्न के जवाब में कहा था शेडयूल्ड ट्राइब्स का क्लास-फोर की सर्विसेज में बैकलॉग है, वे केवल 6 परसेंट हैं जबकि 8 परसेंट होने चाहिए। आखिर चपरासी के पदों में 6 परसेंट क्यों हैं, इतने निम्न पद में भी क्या आदमी नहीं मिलते हैं। याद रखिये, यह बैकलॉग उस समय तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आप एक कानून इस बारे में नहीं बनायेंगे। हमने अपने समय में ऐसा कानून बनाकर तैयार कर लिया था। उसमें कई प्रावधान थे। जो अधिकारी जानबूझ कर अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार की भर्ती नहीं करेगा, ऐसा मालूम हो जायेगा तो उसके खिलाफ दण्ड का प्रावधान हमने उसमें रखा था। मैं समझता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का साढ़े 22 परसेंट का कोटा जिस दिन पूरा हो जाएगा, बैकवर्ड और मायनॉरिटी का 25 प्रतिशत का कोटा जिस दिन पूरा हो जाएगा, उस दिन मैं नहीं समझता हूं कि इस देश में शे० कास्ट्स और शे० ट्राइब्स पर जितनी एक तरफा घटनाएं होती हैं यदि समाप्त नहीं होंगी, तो कम से कम अपनी तरफ वे रेसिस्ट तो करेंगे

और एक तरफा जो कार्रवाई होती है, वह बन्द हो जाएगी। आपने कहा कि हम टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बना रहे हैं। यह बात तो हम 1952 से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक आपका वह टाइम बाउण्ड प्रोग्राम नहीं बना है। हम चाहते हैं कि आज ही आप इस सदन में घोषणा करें कि 14 अप्रैल, 1992 तक या 14 अप्रैल, 1993 तक हम इस काम को पूरा करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक यह काम होने वाला नहीं है। हम सरकार में थे, हम कैबीनेट की बैठक में टेकअप करते थे, बराबर हर बैठक में इसकी प्रगति को देखते थे। हर क्लास, बैकवर्ड, मायनॉरिटी शे० कास्ट्स और शे० ट्राइब्स के मामले में देखते थे, मानिटर करते थे कि कितने परसेंट कोटा पूरा हुआ है और यदि नहीं हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं। हम पोस्टों का एडवर्टाइजमेंट नेशनल न्यूज पेपर में तो देते ही थे, साथ ही हम जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर विज्ञापन देते थे और वहां पर पता करते थे, तो उनसे भरते थे। हम देखते थे कि की-पोस्ट पर कौन व्यक्ति बैठा है। वहां पर शे० कास्ट्स या शे० ट्राइब्स या मायनॉरिटी या बैकवर्ड क्लास का आदमी की पोस्ट पर है कि नहीं, यदि नहीं है, तो हम उसको वहां बैठाते थे। तब जाकर हमारे प्रयासों का कुछ फल निकलने लगा था। गंगा चूंकि गंगोत्री में साफ है इसलिए उसका जल साफ नजर आता है। अगर गंगा गंगोत्री ही साफ नहीं होगी, तो उसका पानी तो गन्दा रहेगा ही। जहां से यह बीमारी शुरू होती है, उसकी जड़ में ही आप जड़ी-बूटियां जब तक नहीं डालेंगे, तब तक यह बीमारी दूर होने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लैजिस्लेशन फॉर रिजर्वेशन यह जो चीज है, यह 100 चीजों की एक दवा है। अगर आप इसको लागू कर दें, तो साल भर के अन्दर बैकलॉग पूरा हो जाएगा। मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि जो जुडीश्यरी है, न्यायपालिका है, जहां से न्याय की गंगा निकलती है, वहां भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, ऐसा काम कीजिए। आरक्षण में स्टैंडर्ड घटाइए मत। स्टैंडर रखिए, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो वह रखिए। कोई एम० बी० बी० एस० करता है, डाक्टर बन जाता है, लेकिन चूंकि आपके पास डाक्टरों की नौकरी कम हैं, इसलिए आप उसमें एम० बी० बी० एस० के साथ एम० एस० लगा देते हैं, एम० डी० लगा देते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन एम० बी० बी० एस० है।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : अखबारों में भी आरक्षण का प्रावधान करवाईए।

श्री रामविलास पासवान : हां, हां। अखबारों में लाइए, पत्रकारिता में भी लाइए। सभी जगह मण्डल कमीशन को लागू कीजिए। हम लोग तो इसके लिए तैयार ही बैठे हैं।

उसी तरह से अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो पुलिस बल है, हम लोगों ने अपने समय में एक और निर्णय लिया था और वह निर्णय यह लिया था कि जो आदिवासी इलाके हैं, जो ट्रायबल इलाके हैं, जो शे० कास्ट्स के इलाके हैं, वहां भी हम एडवर्टाइज करेंगे। एडवर्टाइजमेंट हम नेशनल न्यूज पेपर्स में तो देंगे ही साथ ही साथ वहां भी देंगे। वहां ट्रेनिंग सेंटर आप खोल दीजिए। चायबास में आप ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए, बस्तर ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए, महाराष्ट्र में ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए और 5 फीट 6 इन्च जो लड़का हो, वह आ जाए, मैट्रिक पास जो लड़का हो, वह आ जाए और उसको ट्रेनिंग दीजिए, चार या छः महीने की ट्रेनिंग दीजिए, दौड़ने की लौंग जम्प की, हाई जम्प की और जब सी० आर० पी० एफ० में नौकरियां बहाल हों, वहीं से सीधे भेज दीजिए। हम लोगों ने यहां स्टाफ सिलैक्शन कमेटी में टाइपराइटिंग का सेंटर खोलकर यह काम शुरू किया था।

एक हजार लड़कों को हमने कहा टाइपराइटिंग की ट्रेनिंग दो । आज नतीजा यह होता है कि जहां कहीं भी टाइपिस्ट की पोस्ट खाली होती हैं वहां हम कहते हैं कि यदि तुम को मिल जाती है, तो ठीक है, नहीं मिलती है, तो टाइपिंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग लो । यदि आप ऐसा करेंगे, तो फिर देखिए कि यह बैकलॉग कैसे पूरा नहीं होता है । इस बारे में 5 साल, 3 साल की योजना ही काफी है । पंच-वर्षीय योजना में जो काम नहीं हो सकता है, वह 50 वर्षीय योजना में भी नहीं हो सकता है । इसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए । चाहे वह किसी भी ट्रेड का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रोनिक्स का मामला हो, चाहे कम्प्यूटर का मामला हो, पुलिस हो और भी किसी चीज का मामला हो, आप ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, वहां उसको ट्रेनिंग दीजिए । सिपाही की भर्ती होनी हो, सी० आर० पी० एफ० में भर्ती होनी हो, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजिए । इंजीनियर की नियुक्ति करनी हो, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजिए और तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, हमारे पास एफीशिएंट लोग हैं । प्रत्येक नौकरी के विज्ञापन में लिखा रहता है कि···

[अनुवाद]

"अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होगा तो वह स्थान अनारक्षित माना जाएगा ।"

[हिन्दी]

इसका क्या मतलब होता है, क्या यह हमेशा चलता रहेगा? चपरासी की पोस्ट डिरिजर्व होती रहेगी । आदिवासी क्षेत्रों में आज झारखण्ड की मांग चल रही है । कहीं किसी राज्य की मांग है । मैं कहना चाहूंगा कि आज आदिवासी की जमीन ली जाती है, चले जाइए, जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, उनमें देख लीजिए, मैं पं० जवाहर लाल नेहरू का एक लेख पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि टाटा ने धनबाद में, बोकारो में और लौह नगरी में जो बड़े-बड़े उद्योग लगाए हैं इससे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, आदिवासी के भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, आप जाकर के देख लीजिए आदिवासी के भाग्य का दरवाजा खुलने के स्थान पर उसका भाग्य बन्द हो गया है । जमीन उसकी ली गई, कहा गया तुमको नौकरी मिलेगी, किसी को नहीं मिली । कहा गया कि तुमको पैसा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, किसी को नहीं दिया गया । कहा गया कि तुमको शेयर मिलेगा, कुछ नहीं मिला । जो लोग पहले जमीन वाले थे और जिनकी जमीन प्रोजेक्ट के लिए ले ली गई, वे ही आज उस प्रोजेक्ट में खान खोदने का कार्य कर रहे हैं । एक बावरी जाति है बोकारो में, वे लोग कहां भाग गए, आज तक किसी को पता नहीं है । इसलिए हम लोगों ने अपने समय में योजना बनाई थी चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, नर्मदा प्रोजेक्ट हो, कोई भी हो, कि जितने लोग विस्थापित होंगे और जो विस्थापित हो रहे हैं, उनके रीहैबिलिटेशन की क्या व्यवस्था है । उनके लिए स्कूल की व्यवस्था है कि नहीं है, उनके लिए रोड की व्यवस्था है कि नहीं है, उसके लिए क्या सारी की सारी सुविधाएं हैं या नहीं? यदि नहीं हैं, तो पहले हम उसके लिए वे सारी की सारी सुविधाएं मुहैय्या करवाएंगे, तब वहां से उनको विस्थापित करने काम करेंगे । ऐसा नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर उसको वहां से विस्थापित कर दीजिए और वह बेचारा कहां घूम रहा है, उसको कुछ पता नहीं होता है । यही एक कारण है, जो इस देश में कारण पैदा करता है वह अस्थिरता को, एक्सट्रीमिस्ट को जन्म देता है ।

बिहार में दक्षिण बिहार है, उत्तर बिहार में सुखाड़ है, बाढ़ है, दक्षिण बिहार में कोयले की खान है, सब खान है लेकिन जिसके पास कोयले की खान है उस बेचारे को तो उससे कोई मतलब नहीं है, वह आज भी नंगे बदन घूम रहा है, बिना घर का है, बिना दरवाजे का है। इसलिए आदिवासियों के लिए चाहे बहुत कहें कि हमारे पास बहुत योजनाएं हैं, एन० आर० ई० पी० है आदि, लेकिन ये सारी योजनाएं कागज पर ही चल रही हैं। आपके पास शेड्यूल कास्ट/शेड्यूल ट्राईब्स फाईनेंशल कारपोरेशन है और हमने मिनिस्टर की हैसियत से पता लगाया कि इसमें से शेड्यूल ट्राईब्स के कितने लोग कर्जा लेते हैं। जवाब मिला कि 78 प्रतिशत शेड्यूल ट्राईब्स के लोग प्राईवेट महाजन से कर्जा लेते हैं, केवल 22 प्रतिशत ही इसका लाभ उठाते हैं। प्राईवेट महाजन अंगूठा लगवाता है, 100 रुपए देगा और दूसरे महीने 200 रुपये ले लेगा। यहां पर यह होता है कि रुपया लेने जाएंगे तो कहते हैं कि फलां बाबू के यहां जाइए, फलां के यहां जाइए, बेचारा आदिवासी कहां जाएगा, वह कहता है कि इससे बढ़िया 100 रुपये का 200 रुपए हम देते हैं। इसलिए आप प्रोसीजर को सिम्प्लीफाई कीजिए। हम लोग तो यह भी प्लानिंग करने वाले थे, हमारे पास उस समय पैसा नहीं था, हमारे पास यदि पैसा रहता तो जैसा हमने किसानों के लिए कर्जे की माफी की थी हम यह भी कहने जा रहे थे कि 1990 तक जिन आदिवासियों ने 10 हजार तक कर्जा लिया है, चाहे प्राईवेट कर्जा हो चाहे सरकार का कर्जा हो, सबको माफ कर दिया जाए। जो कर्जा दिया है वह शोषण किया है, 10 रुपए का 10 हजार बनाने का काम किया है, हिम्मत है तो सरकार घोषणा करे। बौन्डेड लेबर को कैसे खत्म कीजिएगा।

10 हजार संभव नहीं तो 5 हजार रुपया रखिए, कहिए कि 5 हजार रुपए तक जिस आदिवासी ने कर्जा लिया है उस कर्जे को हम आज से राइट-ऑफ करते हैं और यदि कुछ देना पड़े तो सरकार अपने खजाने से देने का काम करे।

अध्यक्ष जी, आपके पास समय की पाबन्दी है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जाति व्यवस्था है, नाम है जाति जो मरने के समय तक नहीं जाती है। जब तक आदमी नहीं मरता है तब तक नहीं जाती है। छुआछूत निवारण कानून हुआ, पहले कानून था अनटचेबीलिटी एक्ट जो हमने बदलकर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया है। कौन नहीं जानता है कि अधिकांश राज्यों में 90 प्रतिशत गांवों में आज भी छुआछूत मौजूद है, अनटचेबीलिटी मौजूद है। लेकिन आप रिपोर्ट पढ़िए, एक भी आदमी को अनटचेबीलिटी एक्ट के तहत, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आज तक सजा नहीं मिल पाई है गरीब को विश्वास नहीं है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो हमें कोई लाभ मिलने वाला है। यहां पर चन्द्रशेखर जी नहीं हैं। एक बार धर्म परिवर्तन का मामला चला। जब धर्म परिवर्तन का मामला चलता है तो कुछ साथियों के मन में हमेशा आता है कि शायद इसमें विदेशी पैसा काम कर रहा है। मीनाक्षीपुरम में धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा था। हम लोग वहां पर कमेटी की तरफ से गए थे, उस समय बी० जे० पी० की तरफ से सूरजभान थे, कांग्रेस से मैडम चन्द्रशेखरन थीं, सी० पी० आई०, सी० पी० एम० के साथी थे। हम लोगों ने एक आदमी का इंटरव्यू लिया। वह डाक्टर था, हमने कहा कि क्या नाम है उसने कहा युनुस, हमने कहा पहले क्या नाम था उसने कहा कि सुबैया। हमने कहा कि तुमने धर्म परिवर्तन क्यों किया। उसने कहा कि आप जानना चाहते हैं, हमने कहा हां। उसने कहा कि एक काम कीजिए, यह आदमी हरिजन है, इसको लेजाकर चाय की दुकान पर चाय मिलवा दीजिए। हम लोग गए, चन्द्रशेखरन जी ने तमिल भाषा में कहा कि हमको चाय दो और इसको भी चाय दो, यह हरिजन है। उसने हमको तो चाय दे दी लेकिन उसको चाय नहीं दी। चन्द्रशेखरन जी ने पूछा कि उसे

क्यों नहीं चाय दे रहे हैं तो उसने कहा कि यह अपने साथ बरतन लाया है। उसने कहा कि नहीं, तो दुकानदार ने कहा कि हम चाय नहीं देंगे। उससे पूछा कि क्यों नहीं देंगे तो उसने कहा कि यदि लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमने किसी शेडयूल कास्ट के आदमी को चाय पिलाई है तो हमारी दुकान में आग लग जाएगी। उसने कहा चाय कैसे पीएगा, कहा कि चाय को ठंडा होने दीजिए, जब ठंडी हो जाएगी तो ऊपर से मुंह में डाल देंगे। जब हम लोग वहां से आए तो वह लड़का युनूस ने कहा कि पासवान जी, जब एक शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के को चाय नहीं पिला सकते हो तो हम किस धर्म में हैं, यह पूछने का आपको क्या अधिकार है। हम हिंदू धर्म में हैं, आज हम मुसलमान बन जायें तो हम से कोई जाति का नाम पूछेगा नहीं, कल को अगर हम क्रिश्चयन हो जायेंगे, पौल बन जायेंगे तो कोई हम से जाति का नाम नहीं पूछेगा, कल को हम सरदार अवतार सिंह बन जायेंगे तो कोई हम से जाति का नाम नहीं पूछेगा, जाति का नाम हम से इसलिए पूछा जा रहा है कि हम हिन्दू धर्म में पैदा हुए हैं और हिन्दू धर्म जाति व्यवस्था से ग्रसित है। अध्यक्ष जी, आज हमारी लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान की ही नहीं है, आज हमारी लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ सम्मान और इज्जत की भी है। आजादी के पहले की जैनरेशन और बाद की जैनरेशन में एक बुनियादी फर्क आ गया है। आजादी के पहले की जैनरेशन पर जुल्म और अत्याचार होता था लेकिन आजादी के बाद की जैनरेशन इज्जत से जीना चाहती है। यहां मुकुल वासनिक हैं, किसी को मालूम है कि शैड्यूल्ड कास्ट का है, किसी के चेहरे या भाषण से बतला सकते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह मैरिट में किसी से कम नहीं है लेकिन ज्यों ही जाति का नाम आ जाएगा तो उनकी मैरिट खत्म हो जाती है। इसलिए आज का नौजवान इज्जत और सम्मान की जिन्दगी चाहता है। वह टूट सकता है लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। समाज को यह चीज बर्दाश्त करनी होगी। बात-बात पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यह स्टिग्मा लगा दिया जाता है। यदि इससे हमने देश को उतारने का काम नहीं किया तो देश कभी ऊपर नहीं उठ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जाति व्यवस्था के मामले को मैं पार्टी का मामला नहीं मानता हूं। यह एक गम्भीर रोग है और राष्ट्रीय समस्या है और इसके मुताबिक ही इसका निराकरण करना चाहिए। हां, हमारी पार्टी में भी ब्लैक शीप हैं और आपकी पार्टी में भी ब्लैक शीप हैं जोकि इस तरह के कार्य करते हैं, उसका निदान करना चाहिए। होम मिनिस्टर जब आंध्र प्रदेश जायें तो पता लगायें कि आंध्र प्रदेश के लोकल एम० एल० ए० के बारे में उनकी क्या धारणा है, जी वहां के डिप्टी स्पीकर हैं, उनके बारे में लोग क्यों कहते हैं कि उन्हें हैंग कर दो, जो अनपार्लियामेंटरी होगा उसे तो आप निकाल देंगे लेकिन जो वहां के लोगों के जजबात हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वह सीधा चार्ज लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, राम विलास पासवान जाता है तो कन्धे पर उठा कर स्वागत करते हैं, सब जगह घुमाते हैं और मुख्यमन्त्री जाता है तो क्यों नहीं घुसने देते हैं, उनके मन में गुस्सा क्यों हैं, उन गुस्से के कारणों को खोजना पड़ेगा।

मन्दिर और मस्जिद के नाम पर रोज विवाद खेड़ा जाता है और शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को इसके नाम पर मरवाया जाता है। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें आगे क्यों नहीं आते हैं। मैं तो मन्दिर में विश्वास नहीं करता हूं और न ही राम में विश्वास करता हूं, मैं तो नास्तिक आदमी हूं। गुरुद्वारों में कोई भी आदमी ज्ञानी बन सकता है, उसी तरह मन्दिर का पुजारी कोई भी आदमी हो सकता है। आप रिलिजिअसइंस्टीट्यूशन खोल दो, वेद, कुरान और बाइबल की पढ़ाई वहां करवा दो। जो डिग्री लेकर निकले तो जैसे स्कूल में मास्टर बनता है उसी

तरह मन्दिर का पुजारी बन जाए, शंकराचार्य बन जाए। इस तरह का कुछ करेंगे तो धर्म के प्रति लोगों में आस्था रहेगी। (**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इन्सान की पढ़ाई कराओ।

श्री राम विलास पासवान : हां, इसलिए मैंने पहले कहा कि जो धर्म है, कास्ट है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं। हमारे समाज में जाति व्यवस्था है। सबसे नीचे शुद्र है, उसके ऊपर वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण हैं। आज जरूरत इस बात की है कि या तो बिल्कुल जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, अगर इसे खत्म नहीं कर सकते तो इस खड़ी लाइन को बड़ी लाइन में कर दो। एक के माथे पर किसी का पांव न रहे, सब की इज्जत, सबका मान बराबर हो जाए···(**व्यवधान**)···जाखड़ साहब बैठे हैं। इनसे पूछिये। इनके राजस्थान और हरियाणा में कोई आदमी अपने नाम के बाद सिंह नहीं लगा सकता था। अब दौलत राम सारण, नाथू राम मिर्धा, देवी लाल, बंसी लाल, भजन लाल आदि पता नहीं क्या-क्या लिखा जा रहा है। बलराम जाखड़ कहेंगे कि हम तो कृष्ण के भाई हैं बलराम हैं, लेकिन राम तो है···(**व्यवधान**)···

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : मानव के भाई हैं। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : आपका कहना यह है कि कोई आदमी जाति का नाम इस्तेमाल न कर सके।

श्री राम विलास पासवान : यह तो हुआ जैसे जब तक जाति के नाम पर फायदा हुआ तो फायदा उठा लिया, जाति के नाम पर घाटा होने वाला है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया। यह चलने वाला नहीं है।

श्री इन्द्रजीत : आप खुद ही तो कह रहे हैं कि जाति को हटाना है हमें। आप अपने नाम से पासवान का नाम ड्रॉप करने के लिए तैयार हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं तो कर दूंगा। हमको करने में कोई आपत्ति नहीं है। जगन्नाथ मिश्र ने किया भी था, एक बार, फिर लिखना शुरू कर दिया।

प्रश्न है कि जब आप जायेंगे और लिखेंगे, इन्द्रजीत तो यहां के लोग इतने तेज हैं कि पहले पता लगायेंगे, इन्द्रजीत है क्या। शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड में कौन जाति है। फारवर्ड है तो फारवर्ड में क्या है, वह पता लगाना शुरू कर देता है इसलिए वह समस्या का निदान नहीं है। समस्या का निदान है कि इस देश में आप बुनियादी चेंजिज लाने का काम कीजिए और जब बुनियादी चेंज लाने का काम करेगा तो चाहे कोई भी आदमी हो, जो बुनियादी चेंज लाने का काम करेगा, उसको जोखिम उठाना पड़ेगा, उसको गाली सुनना पड़ेगा। इस देश में गांधी को गोली मारी गई, इस देश में स्वामी दयानन्द सरस्वती, जो ब्राह्मण थे, उनको भी जहर देने का काम किया गया और जहर देने का काम किसी दूसरे ने नहीं किया, दयानन्द सरस्वती को भी जहर देने का काम ब्राह्मण ने ही किया तो एक दयानन्द सरस्वती की संस्कृति थी और एक जहर देने वालों की संस्कृति थी। विवेकानन्द ने कहा था—"अरे, ऊंची जाति के लोगों समय रहते हुए अपने अधिकार को इन शूद्रों के हाथ में दे दो, नहीं

तो जब यह उठेगा तो अपनी एक फूंक से तुम्हारी सारी हस्ती को मिटाकर रख देगा।" यह कहा था विवेकानन्द ने।

बुद्ध जो मूर्ति पूजा का विरोधी था, जिस बुद्ध ने समाज में परिवर्तन लाने का काम किया, उस बुद्ध का हिन्दुस्तान से खात्मा कर दिया गया। विदेशों में बौद्ध धर्म जिंदा है लेकिन हिन्दुस्तान में बौद्ध धर्म खत्म कर दिया गया इसलिए मैं कहता हूं कि बुनियादी समस्या की तरफ जाइए।

जहां तक इस घटना का मामला है, मैंने कहा है गृह मन्त्री जी, आप सब जगह के प्रोग्राम छोड़कर पहले तो जाइये प्रधान मन्त्री के पास, क्योंकि, प्रधान मन्त्री जी का स्टेट है। उनको पहले जाना चाहिए था, नहीं गए हैं तो इसका मतलब है कि हम कल के बाद उनकी नीयत पर भी शंका करेंगे कि देश का प्रधान मन्त्री दलित विरोधी है कि इतनी बड़ी घटना घट जाय और प्रधान मन्त्री वहां नहीं जायें। आप होम मिनिस्टर हैं, आपके महकमे के अन्दर यह सारी की सारी चीजें आती हैं। स्पीकर साहब रूलिंग दे सकते हैं लेकिन आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपके जज्बात चाहिए। आप जितनी जल्दी हो, जैकब साहब हैं, राम लाल राही जी हैं, आप लोग पूरे के पूरे और जरूरत पड़े तो सारे पालियामेंट के सदस्य, जितनी भी पार्टियों के हैं, उनकी टीम के साथ आप पहुंचिये, वहां घटनास्थल पर जाकर देखिए। आपके जाने से कुछ नहीं होगा लेकिन लोगों के मन में एक विश्वास का वातावरण पैदा होगा कि भारत सरकार हमको देख रही है।

आज आंध्र प्रदेश की सरकार पार्टी बन गई है, उसको लोग पार्टी समझ रहे हैं कि हमारे दूसरे खेमे का है। आप जब जायेंगे तो उसकी यह जो भावना है, उस पर मरहम पट्टी लगाने का वह काम करेगा इसलिए आप वहां जाइए, स्पेशल कोर्ट का निर्माण कीजिए। आज एक नया फैशन चल पड़ा है कि कोई आदमी मर जाय तो एक लाख रुपया दे दो। मतलब, गरीब की कोई कीमत नहीं है, मार दो और एक लाख रुपया दे दो। एक लाख रुपया क्या है, आपको कुछ देना है तो 5 एकड़ जमीन दे दीजिए, पांच लाख रुपया देने की घोषणा कीजिए। जाकर कहिए कि जो मारे गए हैं, उनके परिवार के एक आदमी को तुरन्त नौकरी देंगे। ऐसा नहीं कि पीपरा वाली घटना में हो गया और अभी तक नौकरी किसी को मिली नहीं।

जैसा मैंने कहा कि एक तो तात्कालिक कार्यक्रम है और एक दूरगामी कार्यक्रम हैं, इन दोनों कार्यक्रमों को आप साथ-साथ चलाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि एट्रासिटीज खत्म हों या नहीं लेकिन एट्रासिटीज के ऊपर, जुल्म और अत्याचार के ऊपर हम अंकुश लगाने का काम करेंगे।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्टस, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, वीकर सैक्शंस, बैकवर्ड क्लासेज, माइनोरिटी इनके हित के लिए जितनी दूरी तक आप जायेंगे, हम आपसे दो कदम आगे रहेंगे, आपका समर्थन करने में, चाहे संविधान संशोधन हो, चाहे कानून बनाने का मामला हो, आप हिम्मत के साथ काम कीजिए और जो जुल्मी है, अत्याचारी है, उनको सजा दीजिए और गरीब की रक्षा करने का काम कर दीजिए नहीं तो कुछ दिन के बाद यह पालियामेंट, हम सब लोग इर्रेलेवेण्ट बनने वाले हैं, इस बात को मैं चेतावनी के साथ आपको कहना चाहता हूं।

2.55 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाणा) : सभापति महोदय, मैं अत्यन्त दुख और रोष के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किए गए अत्याचारों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बड़े शर्म की बात है कि स्वतन्त्रता के 44 वर्षों के बाद भी अभी तक देश के विभिन्न भागों में आए दिन उन पर अत्याचार किए जाते हैं।

चर्चा प्रारम्भ करते हुए श्री राम विलास पासवान ने कहा था कि हमें अत्याचार के इस मुद्दे को राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। निःसंदेह यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है और न ही किसी पार्टी का मुद्दा। इसका मूल कारण सामाजिक भेदभाव है। मैं यह अपील करना चाहूंगा कि कोई भी राजनैतिक दल, राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे वक्तव्य देने का प्रयास न करे। मैं आंध्र प्रदेश के गन्तूर जिले के तसुन्दर गांव में हुई घटना की निंदा करता हूं। यह एक शर्मनाक कार्य है। इस कार्य ने पुनः यह दर्शाया है कि जब कभी भी समाज के दलित वर्ग, अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां स्वाभिमान के साथ अपना सिर ऊंचा करने की कोशिश करती हैं, उसी के साथ-साथ ऊंची जाति के लोग भी इस कोशिश में जुट जाते हैं कि उनके यह प्रयास सफल न हो पायें।

परन्तु महोदय, जब हम गन्तूर जिले की घटना की चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वास्तव में यह घटना कैसे घटी। हमारे सामने रिपोर्ट स्पष्ट है कि यह घटना 7 जुलाई से प्रारम्भ हुई। एक माह से अधिक समय हुआ है जब यह घटना प्रारम्भ हुई। जैसाकि श्री पासवान ने संकेत किया है, यह घटना थियेटर में एक छोटे से झगड़े को लेकर प्रारम्भ हुई थी। पुलिस ने यह देखने के लिए कि आगे कोई अवांछनीय घटना न घटे, इस गांव में 8 जुलाई को—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दी। लेकिन धारा 144 लगाए जाने के बाद भी, 5 अगस्त, को यद्यपि पुलिस कर्मी, सरकारी अधिकारी यह देखने के लिए गांव में थे कि कोई अवांछनीय घटना न घटे—फिर भी घटना घटी और लोग मारे गए। अनुसूचित जातियों के लोग मारे गए और घटना के 48 घण्टों बाद जब छानबीन की गई तो उनके शव बरामद हुए।

हमें आज भी यह पता नहीं है कि क्या घटना में मारे गए सभी व्यक्तियों के शव सरकार तलाश करा पायी है अथवा नहीं। यह एक बहुत गम्भीर घटना है और मैं इस कार्य की भर्त्सना करता हूं।

इस समय, यद्यपि मैं आंध्र प्रदेश सरकार के निर्णयों का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कुछ उपायों की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि उन उपायों में भी मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूं। क्योंकि जब तक हम कोई कार्यवाही नहीं करते और जब तक हम उन सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों को, जोकि उस समय उस गांव में थे, जोकि इस घटना के लिए उत्तरदायी थे, को बर्खास्त नहीं करते, मैं सोचता हूं वह कोई भी संतुष्ट नहीं होगा; जो कमजोर वर्गों, हरिजनों और आदिवासियों के लिए वाकई चिंतित हैं।

श्री पासवान ने ठीक ही कहा है कि हमें इस मुद्दे को राजनीति का रूप नहीं देना चाहिए। यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। लेकिन अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों पर बोलते हुए उन्होंने स्वयं को केवल आंध्र प्रदेश में हुए अत्याचारों तक ही सीमित रखा है। जबकि ऐसी कई घटनायें हुई हैं। अभी दो दिन पूर्व ही फर्रुखाबाद में 6 हरिजन मारे गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? गत माह की 30 तारीख को उन्नाव जिले में दो हरिजन मारे गए थे। इस घटना का क्या हुआ ? क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री पासवान बिहार के हैं। भोजपुर जिले के देवचन्दा और साहिरा गांवों में, 15 हरिजन मारे गए थे। सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? इस घटना के उपरांत राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

3.00 म० प०

मधेपुरा में संसदीय चुनावों से ठीक पहले सवर्ण लोगों द्वारा 22 हरीजन मारे गए, हरीजनों के 600 घर जला दिए गए और हरीजनों के ही 1000 मवेशी भगा लिए गए। बिहार सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

हर कोई यह जानता है कि मध्य प्रदेश के सलइया-दमरन गांव में पिछले वर्ष एक आदिवासी महिला को नंगा कर उसे कोड़े मारे गए और उसे ऊंची जाति के लोगों के सामने नाचने के लिए मजबूर किया गया। उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ? यह ठीक है कि श्री वी० पी० सिंह फतेहपुर गए। परन्तु यह तो उनका चुनाव-क्षेत्र था और तत्कालीन प्रधान मन्त्री के चुनाव-क्षेत्र में एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार हुआ। केवल उस स्थान पर जाना ही पर्याप्त नहीं है; उस स्थान पर जाना ही समस्या का हल नहीं है।

ऐसे कई उदाहरण हैं किन्तु मैं सभी उदाहरण प्रस्तुत नहीं करूंगा। ऐसी घटनाएं तो उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार में और देश में हर जगह हो रही हैं। ऐसी नहीं है कि जहां कांग्रेस सरकार सत्ता में है, वहीं अत्याचार किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अत्याचार किए जा रहे हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के साथ हुए अत्याचारों की बात कर रहे हैं, तो हमें केवल कांग्रेस द्वारा शासित राज्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

ऐसे समाचार मिले हैं। श्री राम विलास पासवान ने वर्ष 1990 के दौरान मारे गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आंकड़े दिए हैं। जहां तक आदिवासियों की हत्या का सम्बन्ध है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं और उसके बाद राजस्थान का नाम आता है। वर्ष 1990 के दौरान 62 आदिवासी मारे गए जबकि राजस्थान में 14 लोगों की हत्याएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990 के दौरान दो सौ अड़तालिस हरिजनों की हत्याएं हुई। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। मैं सरकारी आंकड़ों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। यदि 100 मारे गए तो ऐसे मामलों में सरकारी घोषणा के मुताबिक यह आंकड़ा 50 दर्शाया जाता है। 24 दिसम्बर, 1990 की एक प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिमाह औसतन 380 हरिजनों की हत्याएं बिहार में होती हैं। मैं नहीं जानता कि 24

दिसम्बर, 1990 के इण्डियन एक्सप्रेस में से उद्धृत उक्त आंकड़ा सत्य है या नहीं। लेकिन मैं बिहार की स्थिति से अवगत हूं क्योंकि मैं जहानाबाद में रह चुका हूं जहां दो वर्ष पूर्व कई हरिजन मारे गए। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम गौर न करें। यह ठीक है कि आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इसका मतलब यह नहीं कि चुन्दूर जिला की घटना या देश में कहीं भी घटी ऐसी घटना के प्रति चुप्पी साध लें। ठीक आठ दिन पहले बोलंगीर में दो हरिजन और चार दिन पहले खारगोन में दो आदिवासियों की हत्या कर दी गयी। हम उस मुद्दे पर चुप हैं। हम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते?

यदि आप आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस्तीफा मांगते हैं तो हम बिहार या मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा राज्यों के सरकारों से इस्तीफा मांगना शुरू कर दें? यदि हम अत्याचार की घटनाओं के आधार पर सरकार से इस्तीफा मांगने लगें तो सरकारें आएंगी और जाएंगी। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। सरकारों को हटाने और नई सरकार लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं आंध्र प्रदेश तथा देश के विभिन्न भागों में घटित घटनाओं की निंदा करता हूं।

श्री राम विलास पासवान ने कहा है कि शोषित वर्ग के लोगों के शीघ्र उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए हमें कठोर उपाय करने होंगे।

1947 में हमें आजादी मिली। संवैधानिक रूप से हमने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, परन्तु यह अब भी जारी है। यह क्या है और ऐसा क्यों है? यदि अस्पृश्यता को संवैधानिक रूप से अथवा कानूनी रूप से समाप्त किया जा चुका हो और फिर भी यदि यह आज विद्यमान है तो क्या यह शर्म की बात नहीं है?

1952 में हमने प्राथमिक स्तर तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया था। लेकिन अब भी हम सभी को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा नहीं दे पाए।

यदि हमें कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, यदि समाज के प्रत्येक वर्ग का जीवन स्तर उठाना है तो हमें एक कार्य नीति तैयार करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि समयबद्ध तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी और उन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं।

महोदय, विशेष न्यायालयों का मुद्दा भी उठाया गया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए और मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि वह यह घोषणा करे कि जहां-कहां भी अत्याचार की घटनाएं घटती हैं या घटने की आशंका है या ऐसी घटना घटने की जहां अधिक सम्भावना है वहां सरकार को एक ऐसा अधिकारी तैनात करना चाहिए जिसे पूरे अधिकार प्राप्त हों और जो पूर्णतया जिम्मेदार हो ताकि ऐसी घटनाएं न घटें।

मैंने यह भी मांग की है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार और पुलिस अधिकारी जो इस घटना को रोकने में असफल रही है उसे अपदस्थ किया जाए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां भी प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं को घटित होने से रोका उन्हें उचित पारितोषिक मिलना चाहिए—चाहे वह किसी स्तर पर हो।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। लेकिन मेरे विचार में यह आयोग अपने कार्यों का निर्वाह सन्तोषजनक रूप से नहीं कर रहा है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में और साथ ही संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि सरकार इस राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाने के लिए उपाय करेगी।

मैं समझता हूं कि समय आ गया है बल्कि हम इस कार्य में विलम्ब कर चुके हैं। हमें राष्ट्रीय आयोग को पर्याप्त शक्ति प्रदान करनी होगी ताकि यह एक शक्तिशाली संगठन बन सके और प्रभावी रूप से कार्य कर सके।

अधिकतर घटनाएं मजदूरी और भूमि विवाद को लेकर घटती है जिसमें औपचारिक रूप से जमीन आदिवासियों और हरिजनों के नाम पर आवंटित होती है परन्तु उस पर उनका वास्तविक अधिकार नहीं होता है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। मैं माननीय मन्त्री को याद दिलाना चाहता हूं कि यह मुद्दा कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में भी उठाया गया था कि हम कांग्रेस सरकार विशेष न्यायालयों का गठन करेगी ताकि हरिजनों और आदिवासियों को भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी विवादों को हल किया जा सके। ऐसा करने में हमें बिलम्ब नहीं करना चाहिए। हम पहले ही देर कर चुके हैं।

एक सप्ताह पहले कार्मिक विभाग के राज्य मन्त्री ने इस सभा में घोषणा की थी कि एक लाख ग्यारह हजार आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों एवं विभागों में बाकी पड़ी हैं। क्या यह विशाल आंकड़ा नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि हम बार-बार संविधान में आरक्षण की अवधि दस वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं परन्तु इस आंकड़े में कमी नहीं आ रही है। आज आरक्षण की सुविधा दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के लोग यह पूछते हैं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कब तक आरक्षण की सुविधा दी जाती रहेगी।

यदि हमें अपने आप से पूछना हो तो यह पूछेंगे कि कब तक यह सामाजिक विषमता जारी रहेगी। जब तक सामाजिक विषमता रहेगी, तब तक समाज में असमानता रहेगी और जब तक यह सब रहेगी तब तक आरक्षण की सुविधा भी रहेगी और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार ने वादा किया है कि समयबद्ध तरीके से वे पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरेंगे। जब कल हमने पूछा यह समयबद्ध कार्यक्रम क्या है इसकी अवधि एक, दो, तीन, दस, पन्द्रह या बीस वर्ष है, यह कहीं भी समयबद्ध कार्यक्रम में उल्लिखित नहीं है। एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। केवल यह वक्तव्य देना कि एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए इससे बकाया रिक्तियां नहीं भर जाएंगी। और यदि यही रवैया जारी रहा तो दलित और शोषित लोग हमेशा दलित और शोषित नहीं रहेंगे, वे भी विरोधस्वरूप अपना सिर उठाएंगे और अपनी समस्याओं को निपटाने का प्रयास करेंगे। वे अपनी शिकायतों को किसी अन्य तरह से सुलझाने का प्रयास करेंगे।

हम इन मुद्दों को सभा में, प्रदर्शनों के माध्यम से, सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से उठाते रहते हैं। लेकिन यदि ऐसे मन्चों पर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मुझे भय है कि आज जो दलित और पीड़ित वर्ग हैं वह आने वाले समय में वैसा नहीं रहेगा। इसलिए इस समस्या पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और एक सुनिश्चित समयबद्ध कार्यक्रम सामने रखना चाहिए ताकि बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरा जा सके।

इसी के साथ ही शैक्षिक संस्थाओं में पिछले पड़े कोटे पर काफी समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के कितने व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया है ? क्या किसी ने आंकड़ों पर गौर किया है ? मेरे विचार से हमें इन आंकड़ों पर ध्यान देना होगा तथा हमें यह स्पष्टत: उल्लेख करते हुए विशेष निदेश देने होंगे कि यदि आरक्षण सम्बन्धी उस विशेष कोटे को नहीं भरा जाएगा, उन सभी शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालय तथा अन्य ऐसे संस्थाओं की सरकार द्वारा मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र में भी काफी पिछला कोटा बकाया रहता है तथा इस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, काफी समय से यह चर्चा की जाती रही है कि कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का उचित प्रतिशत में सत्ता में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उस सम्बन्ध में हम क्या कर रहे हैं ? क्या हमने इस बारे में विचार किया है ? क्या इस बारे में हमारी कोई कार्य योजना है ? इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि सत्ता में उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके।

जैसाकि श्री राम विलास पासवान ने बताया है केवल नाममात्र के उपाय करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। राजनैतिक लाभ हेतु ऐसे मुद्दे उठाकर कुछ मदद नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से किसी अधिनियम अथवा कानून से इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस समस्या का कानून बनाकर समाधान नहीं किया जा सकता। यदि हम उन पर अत्याचारों को रोकना चाहते हैं, तो हमें सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने होंगे। क्या हम सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने में सक्षम हैं ? इससे पहले सामाजिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए थे। क्या हम इस समय भी सामाजिक सुधार ला सकते हैं ?

वर्ष 1936 में डा० अम्बेडकर को लाहौर में भाषण देने तथा उच्च वर्ग के हिन्दुओं द्वारा आयोजित जातपात तोड़क मण्डल के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। उन्होंने उनसे सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए कहा। डा० अम्बेडकर ने आमन्त्रण स्वीकार कर लिया था। उनसे रूढ़िवादी हिन्दुओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करते हुए अपना भाषण तैयार करने के लिए कहा गया था। डा० अम्बेडकर अपना भाषण तैयार कर रहे थे। लाहौर से उनसे कहा गया कि वह मुम्बई से अपने भाषण की एक प्रति लाहौर भेज दें ताकि इसे वहां पर छापा जा सके। परन्तु डा० अम्बेडकर ने कहा था "कि इसे मुम्बई में ही छापा जाएगा। आप परेशान मत होइए।" एक व्यक्ति को लाहौर से मुम्बई भेजा गया। उसने डा० अम्बेडकर के भाषण को पढ़ा तथा उन्हें उनके अच्छे भाषण के लिए बधाई दी। वह लाहौर वापस गया तथा आयोजकों को उनके भाषण की विषय-वस्तु के बारे में बताया। प्रायोजकों ने डा० अम्बेडकर को एक पत्र लिखा और यह कहा कि उनके भाषण में ये विवादास्पद टिप्पणियां हैं तथा उन्हें इन विवादास्पद बातों को उसमें से हटा लेना चाहिए। आयोजकों ने कहा कि जिस सम्मेलन का वे आयोजन कर रहे हैं उसमें उन बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। डा० अम्बेडकर ने अपने भाषण में यह कहते हुए संशोधन करने से इन्कार कर दिया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कार्यक्रम के अध्यक्ष को यह बताया जा रहा था कि उसे

क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। बाद में उन्होंने उस भाषण को "एनिहिलेशन ऑफ कास्ट" शीर्षक से प्रकाशित किया। वर्ष 1936 में डा० अम्बेडकर ने एक कार्य योजना बनाने पर विचार किया कि इस जाति प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए। इससे पूर्व महात्मा ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए आन्दोलन चलाया था। आज भी प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों को समानता तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार देने का वचन दिया गया है तथा आज भी असमानता व्याप्त है, आज भी भेदभाव बढ़ता जाना है तथा अत्याचार किए जा रहे हैं। यदि हम कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि डा० अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को जिसे सम्पूर्ण राष्ट्र सम्मान देता है, हमें डा० अम्बेडकर की मुख्य विचारधाराओं का ध्यान रखना चाहिए तथा इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए कि निर्धारित समय में ही उन पर अमल किया जा रहा है।

आज मैं यह पूछना चाहूंगा कि जाति प्रथा की इस समय क्या प्रासंगिकता है? यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को लाभ दिए जा रहे हैं तो दूसरे वर्गों को अच्छा नहीं लगता है। हम जातिवाद की बात करते हैं कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। परन्तु यह वास्तविकता नहीं है कि 1947 में जितना जातिवाद फैला हुआ था, आज उससे कहीं अधिक बढ़ गया है। इसके क्या कारण हैं? हम अनेक कानून, विधेयक तथा अधिनियम लेकर आए है। परन्तु जातिवाद फिर भी क्यों कायम है तथा अभी भी और बढ़ता ही जा रहा है? इसके क्या कारण हैं? हम जातिवाद समाप्त करने के लिए कहते आए हैं परन्तु अभी भी जातिवाद बढ़ता ही जा रहा है तथा इसी जातिवाद के कारण अत्याचार किए जाते हैं। असमानताएं अभी भी विद्यमान हैं तथा भेदभाव अभी भी बढ़ता जा रहा है। यह जातिवाद हमारे समाज से समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? यह प्रश्न हर एक को स्वयं से करना चाहिए। कानून बनाने से जातिवाद समाप्त नहीं किया जा सकता। जातिवाद को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब हम उसके मुख्य कारण का निदान करें। जातिवाद का मुख्य कारण जाति प्रथा है तथा जब तक हम इस जाति प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे, हम जातिवाद समाप्त नहीं कर सकते। यदि हम जाति प्रथा को समाप्त नहीं कर सकते तो हम असमानता, सामाजिक भेदभाव तथा आदिवासियों, हरिजनों और कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों को भी दूर नहीं कर सकते। मेरे विचार से इस सभा में एक भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो यह चाहता हो कि यह जातिवाद बना रहे। परंतु फिर भी आज यह जातिवाद जारी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस जाति प्रथा को समाप्त किया जाए यद्यपि इसे समाप्त करने के लिए केवल सरकार ही एक उपयुक्त संस्था नहीं है। हमें अपनी तरफ से भी पहल करनी होगी, सामाजिक संगठन, स्वैच्छिक संगठन तथा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति एक साथ इस दिशा में काम करें तथा इस सम्बन्ध में हमें गम्भीरता से चर्चा आरम्भ करनी होगी।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर दलगत भावना से बहस नहीं की जानी चाहिए। यह कोई कांग्रेस का अथवा जनता दल का अथवा भा०ज०पा० से सम्बन्धित मसला नहीं है। मानवता के हित को ध्यान में रखकर इस पर विचार किया जाना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तथा हम हरिजनों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के बारे में केवल कुछ वोट तथा पद प्राप्त करने के लिए ही विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इन वर्गों के ऊपर भारी अत्याचार कर रहे होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त देश के उन विभिन्न स्थानों का दौरा करें जहां पर इन वर्गों पर अत्याचार किए गए हैं। उन्हें विशेष रूप से इन

वर्गों पर हुए अत्याचारों सम्बन्धी मुद्दे पर ही चर्चा करने के लिए मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए तथा हमें इस मुद्दे पर सरकार को भी उतना ही ध्यान तथा महत्व देना चाहिए जितना कि हम सभी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह जी बोलेंगे ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : सभापति महोदय, श्रीमन्''' (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैंने श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह का नाम पुकारा है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मेरे मित्र ने अभी-अभी जो कहा है, मैं उसका सीधे ही उत्तर देना चाहता था ।

सभापति महोदय : मैं आपका नाम भी लूंगा । मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा ।

[**हिन्दी**]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, शक्ति का दुरुपयोग होता आया है और होगा । अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है । लिस्ट में मेरा नाम सेकण्ड था तो मुझे बुलाना चाहिए था, जबकि उन्होंने दूसरे सदस्य को बुलाया । जिस शक्ति का दुरुपयोग होता है उस पर आज हम बहस कर रहे है इस सदन में भी हैं जहां शक्ति का दुरुपयोग हुआ है । सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां पर हम बहस कर रहे हैं वहीं शक्ति का दुरुपयोग हुआ है । हम गांव की बात करते हैं, हरिजनों और आदिवासियों के हितों की बात करते हैं और उस पर बहस करते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है । आज देश में चारों तरफ आदिवासियों और हरिजनों पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं और उसकी घटनायें रोज हमें सुनने को मिलती हैं, यह चीज क्यों बार-बार होती है इस पर सदन ने विचार नहीं किया है, जबकि इस पर सदन को विचार करना चाहिए । आठवीं लोक सभा से मैं यह देख रहा हूं कि बराबर इस पर बहस हो रही है और इसके साथ ही साथ इन घटनाओं मे भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है । पासवान साहब ने अभी यहां कोटेशंस दिए और आंकड़े दिए कि साल में इतने अत्याचार उन पर हुए । कोटेशन और आंकड़े देने से काम चलने वाला नहीं है ओर न ही ये घटनाए रुकने वाली हैं । अब अगर इस बहस में यह सोचा जाता कि ये जो बार-बार घटनाए हो रही हैं इसका क्या कारण है तो ज्यादा उपयुक्त था । हम बराबर बहस करके अपना कर्त्तव्य पूरा कर लेते हैं, इस बार भी कर लीजिए । लेकिन इस पर कोई चर्चा न करें कि इसकी पुनरावृत्ति न हो तो इसका कोई फायदा नहीं है । हमें देखना चाहिए कि इन घटनाओं में कौन लोग दोषी हैं ।

अगर किसी दुनिया या देश में सरकार बनती हैं तो वह किसी वर्ग के हित की रक्षा के लिए बनती है । यह सरकार भी किसी एक वर्ग के हित के लिए बनी है । फिर इसमें चिन्ता की बात क्या है । अगर कोई आदमी चिन्ता करता है कि हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होता । जब तक सरकार उस पर विचार न करे । आपने यहां भी देखा कि क्या होता है । यहां धर्म पर बहस होती है कि राम जन्मभूमि पर मन्दिर बने, लेकिन यह किसी आदमी के दिमाग में नहीं है कि इनसान किस तरह से काटे जा रहे हैं । अत्याचार उन्हीं के साथ ज्यादा होता है जिसका सामाजिक, आर्थिक और गैर-शैक्षणिक विकास नहीं हुआ है । जिन हरिजनों का शैक्षणिक और आर्थिक विकास हो गया है उनके साथ यह

घटना नहीं घटती है। पासवान जी के साथ नहीं घटती है। यह घटना उन्हीं के साथ घटती है जो गरीब हैं। इन्दिरा गांधी भी जब मारी गई थी तो सारे देश में सिखों को खत्म कर दिया गया, क्या वह पूरे देश की घटना थी। कुछ खास लोग आज भी इस तरह के हैं जो नरसिंह राव की सरकार को नहीं चाहते हैं, नरसिंह राव को सरकार में देखना नहीं चाहते हैं।

हम जिस बिन्दू पर विचार कर रहे हैं उस पर मैं बताना चाहता हूं कि आखिर इसका क्या कारण है। कारण यह है कि गांवों के अन्दर जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। आपके जो सामन्ती अवशेष बैठे हुए हैं, सभी की सभी जमीन मालिक के पास है। ये कौन हैं, ये वही लोग हैं जो जनता पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में हैं। इन भू-स्वामियों पर कौन चोट करेगा। अगर चोट करेंगे तो आप एक दिन के लिए भी शासन में नहीं रहेंगे? इनके बल पर ही आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम पूछते हैं कि जो आदमी भूमि लेकर बैठा हुआ है, वही एम० पी० बना हुआ है, मिनिस्टर बना हुआ है या मुख्यमन्त्री बना हुआ है तो कैसे आप भूमि सुधार करेंगे? हम यह चाहते हैं कि भू-सुधार युद्ध स्तर पर किया जाए।

सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि अभी बताया गया कि इनपर अत्याचार हो रहा है, कानून बनना चाहिए और अफसरों को अमल करना चाहिए। हम आपको इनके प्रशासन का स्वरूप बताना चाहते हैं, यह सबके सामने लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि प्रशासन में भागीदारी किसकी है? दरोगा है, कलेक्टर है—ये कौन हैं। उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० और बिहार में बी० एम० पी० है, उसमें खोजा जाए और पूरा सर्वे कराकर सदन को बतायें कि कितने हरिजन, आदिवासी या पिछड़ी जाति के हैं। सत्ता की भागीदारी में ऐसी जमात है, वह क्यों बताएगी हरिजनों के बारे में? जब हरिजन लड़की के साथ बलात्कार होता है। तब वही पुलिस एवं डाक्टर दोनों मिलकर पूरे मुकदमे को झूठा बना देते हैं क्योंकि अपराधियों को बचाने के लिए दोनों मिल जाते हैं। जहां यह बीमारी है, वह खत्म नहीं किया जा सकता। आपकी नीयत अच्छी नहीं है। अब कोई कहता है कि स्पेशल कोर्ट बने, कौन बैठेगा—श्री नरसिंह राव या पासवान जी उसमें बैठेंगे? वही बैठेगा जो इस देश को खत्म कर देना चाहता है। आज मण्डल आयोग को लागू कर देते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, सत्ता की भागीदारी में धीरे-धीरे लोग आ जाते, इससे गरीबों को पूरी सत्ता में भागीदारी मिले तो मैं समझता हूं कि हरिजनों, आदिवासी एवं पिछड़े लोगों पर अत्याचार कम हो जाएगा। आखिर उस पर नियन्त्रण करने के लिए कोई शक्ति की जरूरत है। वह शक्ति किसके साथ है? ये जो काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा वह शक्ति संचालित होती है।

सभापति महोदय, हमने गांवों में देखा है कि कोई हरीजन या कमजोर वर्ग की लड़की के साथ एक धनी का लड़का कोई छेड़खानी करता है तो ऐसी स्थिति में वह कमजोर वर्ग की लड़की का पिता वहां जाता है और कहता है कि आपके लड़के ने हमारी लड़की के साथ छेड़खानी की है तो उसका जवाब मिलेगा कि हम अपने बबुआ को समझा देंगे। यदि वही धनी वर्ग की लड़की के साथ एक हरिजन कमजोर वर्ग का लड़का छेड़खानी करता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह कानून को देखेगा या सीधे अपनी जमात के साथ हथियार लेकर उनके घर पर उसकी बेटी पतोहू का शीलहरण करेगा और उनके पूरे परिवार को नष्ट करेगा? वह समझता है कि यदि वह ऐसा सब कर देगा तो उसके बचाने वाला दरोगा या कलेक्टर उसकी जमात के लोग मौजूद हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि

सत्ता में भागीदारी आप बनाईये। आपने 44 वर्ष की आजादी के बाद कितना आरक्षण दिया है, सिर्फ आठ प्रतिशत। आई० ए० एस०, इंजीनियर्स प्रोफेसर्स नहीं मिलते हैं, मैट्रिक पास कर्मचारी तो मिलते हैं। आपको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तो मिल सकते हैं। लेकिन आपने कितने दिए हैं? नहीं दिए हैं। मैंने इसी लोकसभा में सुझाव दिया था कि अगर आप में इंसाफ है, इतने वर्षों से जो आपने इन लोगों को आरक्षण पूरा नहीं किया है, आप इनका तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग का जितना बकाया है सब पूरा करें तब हम समझेंगे कि आरक्षण को सही मायनों में लागू किया है। लेकिन यह आप नहीं कर सकते। आपकी हिम्मत नहीं है। आपने यह कहा कि आदमी मिलते ही नहीं हैं और फिर सामान्य श्रेणी से इनको भरा जाता है। क्या-क्या आप कर रहे हैं? बहस कर रहे है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी हमारे क्षेत्र के बारे में जो माननीय सदस्य बोले हैं, जहानाबाद की बात बोल चुके हैं। जहानाबाद में कांग्रेस के राज में सैकड़ों-सैकड़ों हरिजन मारे गए हैं और उस राज्य में इनके मुख्य मन्त्री भगवत झा आजाद के मुंह पर कालिख लगाई गई थी। यह आप सभी लोग जानते हैं, गृह मन्त्री भी जानते हैं। हमारे बूटा सिंह भी वहां गए थे। वहां किसकी सरकार थी। सरकार कांग्रेस की थी। जिसके मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद थे।

आज बिहार में लालू की सरकार है। लालू की सरकार में जो सांप्रदायिकता रांची में हर वर्ष बराबर होती थी, हर रामनवमी के दिन कोई ऐसा साल नहीं है जहां झंडा निकालने में वहां रॉयट नहीं हुए हों, लेकिन लालू की सरकार में नहीं हुआ। अफसर वही है सिपाही वही है, कोतवाल वही है, फिर भी रायट नहीं हुआ? अगर सचमुच आपकी नीयत ठीक रहती तो रायट कतई नहीं होते। आप उस रायट से लाभ उठाते हैं। आप इस पर ही बने हुए हैं। अभी जो सरकार है, यह सरकार एक विशेष वर्ग को संरक्षण दे रही है, विशेष वर्ग के लिए बनी है। हमारी दलील की कहां परवाह है। कहते हैं, हम तो उपाध्यक्ष बन गए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। ये कानूनी ढ़ंग से हुए हैं। सवाल यह है कि अगर इनकी नियत सही होती तो आज ऐसी घटना न होती। इसलिए यह जमीन जो है, इस जमीन को जब तक बांटते नहीं हैं तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी।

सभापति महोदय, अभी हमारे क्षेत्र में हरिजनों के साथ सरकारी जमीन की बंदोबस्ती की गई है लेकिन जमीन पर दखल नहीं है। परवाना लेकर घूमता हुआ चलता है। अंचल अधिकारी के पास जाता है, कलेक्टर के पास भी जाता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। परवाना तो सिर्फ आंकड़ा पेश करने के लिए ही दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जहानाबाद में दो बड़े लैंडलॉर्ड जिसको महंत कहते हैं, उनकी सारी जमीन लेकर के गरीबों में बांट दी है। आज तक वह सारी जमीन गरीबों के कब्जे में है और महंत फटेहाल हो गया है। जो वहां पर हरिजन था, अपनी जमीन को जोतकर खुशहाली ला रहे हैं। इसकी जांच हो और वहां पर इनको दबाने वाला कोई नहीं है। असल जमीन ही फ्यूडलिज्म को पैदा करने वाली जिसको आप रखे हुए हैं, आप बगल में बैठाए हुए हैं। आप कहते हैं कि हम हदबंदी कानून लागू करेंगे। आपकी संघीय सरकार है। जो राज्य सरकार इसको लागू नहीं करती है तो आपको अधिकार है कि राज्य सरकार को खत्म करें। क्यों नहीं लागू करते? कारण क्या है लागू नहीं करते हैं जब आपने कानून बना दिया है इनको लागू करने के लिए? आप इस पर बहस करवाइए।

दूसरी बात, प्रशासन में जो इसका स्वरूप है, उस स्वरूप को बदलें। आपको कितनी बार

हल्ला करके बताया है। आपके उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० का, बिहार में बी० एम० पी० के बारे में कितनी बदनामी हुई है। ये सारे सीन तो आपने देखे हुए हैं और आज के पहले के जो गृह मन्त्री थे इसी सदन में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं, एक बटालियन, जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग रहेंगे और जहां-जहां इस तरह की घटना होगी, सांप्रदायिक दंगे और हरिजनों की हत्या वगैरह होगी, वहां हम इससे काम लेंगे। क्या आज तक कुछ हो पाया। आपका आश्वासन मात्र आश्वासन बनकर रह गया। यदि आपकी नियत सही होती तो आप कानून बनाकर यहां पास कराते और देखते कि हमें अपने उद्देश्य में कहां तक कामयाबी मिली है। आप आज भी चलकर देख लीजिए कि क्या हो रहा है। हमारे राज्य बिहार में, जगह-जगह हरिजन एवं ट्राइबल्स को दबाने के लिए तरह-तरह की सेनाएं बनाई जा रही हैं, कहीं भूमि सेना, सनलाइट सेना, कहीं कुंवर सेना, कहीं ब्रह्मणि सेना, कहीं लोरिक सेना और कहीं ब्रह्मर्षि या दूसरी सेना। आखिर ये सब सेनाओं का निर्माण किसलिए हो रहा है। सभापति जी, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब चर्चा का उत्तर दें तो बतायें कि देश में विभिन्न सेनाओं का निर्माण किसके लिए हो रहा है। क्या राष्ट्र की एकता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है या राष्ट्र को तोड़ने की साजिश चल रही है अथवा हमारी जो स्वाधीनता है, उस स्वाधीनता को कायम रखने के लिए ये सेनाएं बनाई जा रही हैं। हकीकत है कि ये सेनाएं आदिवासियों, हरिजनों की सफाई के लिए और कमजोर वर्ग के लोगों को दबाने के लिए बन रही हैं। मन्त्री जी, सदन में जवाब देंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है और उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्यों तेजी से सेनाओं का निर्माण होता जा रहा है।

तीसरी बात, मैं कल्याण मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आजादी के पहले आदिवासियों के हाथ में कितनी जमीन थी और आज, आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद, उनके हाथ में कितनी जमीन रह गई है। सारी की सारी जमीन लुटेरों, सूदखोरों और महाजनों के हाथ में चली गई है। क्या कभी इसका कारण जानने की कोशिश की गई। पिछले सालों में यहां कौन सरकार थी—कांग्रेस की सरकार थी क्या वह सरकार अंधी थी जो इस तरह की कारंवाई को रोक नहीं पाई। इसलिए आपको शुरू से यह बात मान लेनी होगी और हम अपने साथियों से भी कहेंगे कि यह जो दो तरह की विचारधाराएं आज देश में बनती चली जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, उन विचारधाराओं में लोग बंटे हुए हैं गरीबों को दबाने वाली शक्ति मजबूत है उसके ऊपर हमला करना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में आदिवासियों की जमीनें, जो सूदखोरों और महाजनों ने हथिया ली हैं, वापस दिलाना चाहते हैं तो आपको सदन में एक कानून लाना होगा। ऐसा नहीं कि कानून बनाकर आप यह काम राज्य सरकारों पर छोड़ दें। स्वयं सारी जमीन को लेने की व्यवस्था आपको करनी होगी। इसके साथ-साथ उन जमीनों से, जितने दिन तक महाजनों और सूदखोरों ने कमाई की है, उसका मुआवजा भी आदिवासियों को दिलाना होगा। तब जाकर आदिवासियों को उनकी सम्पत्ति पुनः मिलेगी तो निश्चित रूप से शैक्षणिक और आर्थिक रूप से वे आगे बढ़ सकेंगे। जब वे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपको उनके लिए ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसके लिए हम यहां बहस करते हैं। फिर उनको कोई दबाने वाला भी नहीं रहेगा। आज जिन आदिवासियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और इसाई धर्म को अपना लिया है, उनके बच्चे पढ़-लिखकर जरूर कुछ अच्छी पोस्टों पर चले गए हैं परन्तु जिन आदिवासियों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है, उनके लिए आपने आज तक कुछ नहीं किया है। मैं

चाहता हूं कि सरकार को अपनी दोरंगी नीति को तुरन्त छोड़ देना चाहिए और एकरंगी नीति अपनानी चाहिए। जैसे एक रंग होता है, उसी तरह की नीति पर आप चलिए।

आखिर जांत-पांत को प्रोत्साहन किसने दिया इस देश में। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिसमें ताकत हो वह पासवान शब्द को हटवायें। जात-पांत के मामले में, सदन में मैं नेहरू परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, सराहना करता हूं। इस देश में एक नेहरू परिवार हुआ जिसने जांत-पांत को तोड़ दिया। आज यदि कोई कहता है कि मैं नेहरू परिवार का हूं या किसी दूसरे परिवार का हूं, जाति का हूं तो वह मूर्ख है। नेहरू परिवार सिक्ख भी है, इसाई भी है और पारसी भी है। यही उसकी विशेषता है। दूसरे लोगों ने क्या किया, जांत-पांत को बढ़ावा दिया, जातियो मजबूत किया और मजबूत करके अपना फायदा उठाया। आज उसकी वजह से ऐसी विषम स्थिति बन गई है कि वह आपके सिर पर तलवार बनकर लटक रही है और आप घबरा रहे हैं। जिस चीज से आपने खेला है, वह खिलौना आपके सिर को ही काटेगा, किसी दूसरे के सिर को नहीं काटेगा। आज देश में आपकी सरकार है। मैं आपसे आज फिर कहना चाहता हूं कि आप अपनी नीति में परिवर्तन लाइए, विचारों को बदलिए और सदन में गरीबों के हित में जो बहस हो रही है, उसके अनुसार भूमि का फिर नए सिरे से बंटवारा कीजिए। जहां जहां आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वहां उनके पढ़ने लिखने की तुरन्त व्यवस्था कराइए। मेरे क्षेत्र में सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जहां, मंत्री जी, 500 या एक हजार की आबादी होते हुए भी, आज तक कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं खुली है। मैंने प्रधानमन्त्री जी को अपने क्षेत्र के बारे में पूरा डाटा लिखकर भेजा है। तो यह सोचिए कि अभी तक आपने पढ़ने का ही प्रबन्ध नहीं किया है और अभी तक आपने उसके लिए क्या किया है ? उसके लिए पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है। हमने देखा है कि कच्चा कुंआ बांधकर, सड़ा, गला पानी वह पी रहा है। उससे दरवाजे पर चांपा कल नहीं है, जो आपके एम० एल० ए० हैं, उन्होंने अपने जालिम गुंडों के घर में दो-दो चापा कल लगवाए हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है, तो कैसे आप सुधार करेंगे।

हमारे पासवान जी, यहां बहस चलाकर और बोलकर समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, तो इससे काम चलने वाला नही है।

सभापति जी, यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो सुझाव मैंने दिए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप उनको मान लेंगे और आगे चलकर इनके मुताबिक कार्य करेंगे और गरीबों को मदद देंगे।

[अनुवाद]

श्री फ्रैंक एंथनी : सभापति महोदय, महाराष्ट्र के इन युवा साथी द्वारा कही गई कुछ बातों को सुनकर मुझे धक्का लगा और मैं दंग रह गया।

वास्तव में, अपने कानूनी एवं राजनैतिक जीवन का कुछ हिस्सा मैंने जाति प्रथा के उन्मूलन में लगाया है। डा० अम्बेडकर एक समर्थ वकील थे। उन्हीं की भांति मैं भी एक वकील हूं। वह हमारे घर आते थे और मेरे तथा मेरी पत्नी के साथ भोजन किया करते थे। वह क्या करते थे, जवाहरलाल उनसे

बिल्कुल अपने समकक्ष का व्यवहार करते थे। किन्तु उनके सहयोगी उच्च वर्ण के हिन्दू मंत्री जब भी डा० अम्बेडकर के साथ भोजन करते, तो वे बाहर जाकर अपने हाथ व मुंह धोते थे।

इसलिए, जब तक आप नीतियों को, जाति-प्रथा को समाप्त नहीं करते, तब तक आप सामाजिक समानता की भावना नहीं पा सकते। इसीलिए मैंने इसके लिए संघर्ष किया। मैंने मंडल आयोग का विरोध किया। क्यों? क्योंकि इससे देश पिछड़ जाएगा और यह अधिक से अधिक जातियों को जन्म देगा। मन्डल आयोग देश को जाति के आधार पर बांट देगा। मैं संसद में इसके विरुद्ध बोला था। देश के एक बड़े कर्मचारी संघ की ओर से मैंने मुकदमे भी लड़े थे कि एक विशेष स्तर के बाद, सभी कर्मचारियों को एक जैसा समझा जाना चाहिए। आज हम अधिकाधिक भारतीयों को पिछड़े वर्ग का बना रहे हैं और देश जाति के आधार पर विभाजित हो रहा है। शूद्र हैं और कई अन्य लाखों पिछड़ी जाति के लोग हैं। मैंने मुख्य मन्त्री की कटु आलोचना की है। मैंने उनसे कहा "आपने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। इसमें सिर्फ पिछड़ी जाति शामिल हैं।" आप उनसे क्या आशा करते हैं? उनके निष्कर्ष काफी हद तक असंगत थे, वे किसी वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित नहीं थे। उन्होंने पिछड़ी जाति की सूची में 3775 जातियां शामिल की हैं। फिर मुख्य मन्त्री ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन्हें बदलकर 4000 जातियां कर दिया। मैंने इस पिछड़ाकरण के बारे में श्री राजीव गांधी से बात की थी।

मैं स्थिति को देखकर कर्नाटक से लौटा हूं। मेरे कुछ बहुत अच्छे मित्र वोक्कालिग जाति से सम्बद्ध रहे हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया "मैं पिछड़ी जाति, वोक्कालिग का सदस्य हूं।" कर्नाटक में, वोक्कालिग और लिंगायत पिछड़ी जातियां हैं। इसलिए मैंने कहा "आप सबसे अधिक अमीर समुदायों में से हैं, राजनीतिक, आर्थिक और संख्यात्मक रूप से प्रभावशाली हैं। आपने स्वयं को पिछड़ी जाति का बना दिया है।" पिछड़ी जाति में उच्च जाति का एक वर्ग है, फिर मध्यम वर्ग है फिर शूद्र आते हैं। शूद्रों में लाखों पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मुझे पंजाब का राज्यपाल बनाने की पेशकश की थी। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने समुदाय की देखभाल में जुटा था, उस समुदाय में मुझे मान्य नेता समझा जाता है और मेरे समुदाय के कुछ तथाकथित सदस्य को पिछड़े वर्ग में शामिल करना चाहते थे। मैं श्रीमती गांधी के पास शिष्ट मंडल लेकर गया। मैने कहा "महोदया, आप यह मेरे मरने के बाद ही कर सकते हैं। इस समुदाय में कुछ लोग उच्च स्थानों में हैं और कुछ लोग पिछड़े भी हैं। मेरे समुदाय में भी पिछड़े लोग हैं। किन्तु, इस कारण से आप पूरे समुदाय पर वह लेबल नहीं चिपका सकते, क्योंकि यह पिछड़ापन आत्म-पतन की अभिव्यक्ति है। मैं आपको अपने समुदाय की बहादुरी का उदाहरण देता हूं। जब कबीलाई श्रीनगर से कुछेक मील की दूरी पर थे, तो उन्हें भारतीय वायु सेना ने रोका था और बहादुर के आधे से अधिक पदक आंग्ल भारतीयों के लड़ाकू पायलटों को दिए गए थे। आप सारे समुदाय को पिछड़ा कैसे कह सकते हैं? मेरे समुदाय के अनेक लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं और कुछ मध्यम स्थिति में भी। आप किस प्रकार अचानक उन पर एक लेबल चिपका सकते हैं जिसका अर्थ आत्म-पतन की एक अभिव्यक्ति है? मैंने इसी मामले पर अपने तर्क दिए हैं।

सभापति महोदय: इस समय विषय मण्डल आयोग न होकर 'हरिजनों पर अत्याचार' है।

श्री फ्रैंक एंथनी : मुझे खेद है। मैं कहूंगा कि इन युवा संसद सदस्य ने यहां कहा है कि जब तक आप जातिवाद को समाप्त नहीं करते, तब तक आपको हमेशा इस प्रकार के सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ेगा। इस देश में यही हो रहा है। यही मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं।

सबसे बड़े कर्मचारी संघ की ओर से मैं उच्चतम न्यायालय में उपस्थित हुआ था। मेरे पास इसका नाम है, सर संग चेलक।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : विषय हैं "हरिजनों पर अत्याचार"।

श्री फ्रैंक एंथनी : फिर इन सब बातों का परिणाम यही हुआ कि अनुसूचित जाति और जनजातियों और एंग्लो-इण्डियन दोनों को विशेष गारण्टी मिली।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा था। मैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अपने समुदाय सहित एक अलग संरक्षण देने के लिए संघर्ष कर रहा था।

सरदार पटेल अल्पसंख्यक समिति के सभापति थे। मैं एक सदस्य था। उन्होंने आंग्ल भारतीयों को विशेष गारंटी देने में मेरी सहायता की। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि "हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दस वर्ष के लिए एक समयबद्ध गारंटी दे रहे हैं।" जहां तक आंग्ल-भारतीयों का सम्बन्ध है, वह भी समयबद्ध था। मुख्य बात पदोन्नति के मामले की थी। उनके 9 सितम्बर, 1950 के संकल्प में यह कहा गया था, कि जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग और आंग्ल-भारतीय सरकारी पदों पर हों तो उनकी पदोन्नति योग्यता के आधार पर हो ताकि, जाति या समुदाय के आधार पर हो। फिर उन्हें अन्य जातियों के समकक्ष ही समझा जाएगा। आंग्ल-भारतीयों, अनुसूचित जाति और जनजातियों को जाति या वर्ग के आधार पर पदोन्नति नहीं मिलेगी। उन्हें योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति मिलेगी।

आप एक पूरे वर्ग को पिछड़ा नाम देकर उसका अपमान नहीं कर सकते।

मैंने उनकी पैरवी की और न्यायाधीश वांचू ने मेरे तर्कों का समर्थन किया।

मैंने सबसे बड़े कर्मचारी संघ 'सर संग चेलक' का मुकदमा लड़ा। फिर उन्होंने कहा "देखिए कुछ राज्यों में क्या हो रहा है। ये राज्य 70 से 78 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं।"

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने यह व्यवस्था दे रखी है कि आप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं कर सकते।

कर्नाटक में, वक्कालिग और लिंगायत संख्या में सबसे अधिक हैं, राजनैतिक रूप से प्रभावशाली हैं और आर्थिक रूप से सबसे अमीर लोग हैं। उन्होंने स्वयं को अपने आप पिछड़ा वर्ग बना लिया है। वे सभी नौकरियों पर एकाधिकार कर रहे हैं।

फिर कुछ मध्यम वर्ग की हैं।

फिर निचले स्तरों पर भी लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा। उन्हें आज कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे यहां छोटे-छोटे दल हैं जो जाति के आधार पर वोट बैंक बना रहे हैं। वे इस देश को पिछड़ा बना रहे हैं। मैं उच्चतम न्यायालय में था। उच्चतम न्यायालय के दो निर्णय हैं और जहां तक मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि रोजगार के मामले में पूरी समानता होगी और अनुच्छेद 16(2) के अनुसार जाति, लिंग, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं होगा।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री फ्रैंक एंथनी : मुझे इस मामले पर अपनी बात को समाप्त करने दें, क्योंकि मैंने इस पर काफी समय व्यय किया है। मैंने इस मामले पर उच्चतम न्यायालय के चार या पांच न्यायाधीशों से बहस की। न्यायाधीश चांचू ने निर्णय दिया और कहा कि जब एक विशेष व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में प्रवेश करता है—चाहे उसकी जाति या वर्ग कुछ भी है—वह योग्यता के आधार पर आता है; और आप उसकी जाति या वर्ग के आधार पर उसकी पदोन्नति नहीं कर सकते। उन्होंने यही कहा। मैं भी यही कहने का प्रयत्न कर रहा हूं।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि आप कमजोर वर्गों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं कर सकते। किन्तु कुछ राज्यों में तथाकथित कमजोर वर्गों के लिए पहले से ही 30 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत से अधिक आरक्षण है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री फ्रैंक एंथनी : क्या मैं पांच मिनट और ले सकता हूं? यही हो रहा हो। वे पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदतर कर रहे हैं। वे इस देश को और पिछड़ा बना रहे हैं। किन लोगों को इस सौदे का सबसे अधिक नुकसान हुआ है? ये वास्तव में पिछड़े लोग हैं, शूद्र वर्ग के लोग जिन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। आप कैसे जान सकते हैं कि एक व्यक्ति हरिजन है? मैंने अपने घर में कुछ लोगों को नौकरी दी। मैं नहीं जानता कि मेरा बावर्ची शूद्र है या ब्राह्मण है या क्या है? आप यह कैसे जानते हैं? जब मेरे हिन्दू मित्र मेरे घर आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे बावर्ची की और नौकरों की जाति क्या है। मैं कैसे जान सकता हूं कि उनकी जाति क्या है? मैं नहीं जानता कि उनकी जाति क्या है। पांच पब्लिक विद्यालयों का नाम मेरे नाम पर है। प्रवेश के मामले में किसी को भी जाति के आधार पर प्रवेश नहीं मिलता। इन विद्यालयों में शूद्रों और चौकीदारों के बच्चे हैं।

सभापति महोदय : कई अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि, जैसाकि मेरे युवा साथी ने कहा—जब तक आप जाति के नामों का उन्मूलन नहीं करते, तब तक सामाजिक अपमान बना रहेगा। जब तक आप जातियों का उन्मूलन नहीं करते, तब तक हमेशा सामाजिक रूप से अपमानित इन लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। उसकी संख्या लाखों तक पहुंच सकती है। मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं। जैसाकि डा० अम्बेडकर ने कहा, जब तक आप जाति उन्मूलन

नहीं करते तब तक शूद्र और गरीब पिछड़े लोग लाखों की संख्या में बढ़ते रहेंगे ये लोग हमेशा दलित ही रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे ऐसे अवसर पर बोलने का मौका दिया जब सदन में सारे देश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा हो रही है।

सभापति जी, दलितों पर अत्याचार की कहानी बहुत पुरानी है। जब यहां राजा-महाराजा थे तब भी अत्याचार होते थे। आजादी मिली तो यह सोचा कि अब कुछ मौका मिला है, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, शासन को बनाने में हिस्सादार बनेंगे तो यह अत्याचार समाप्त हो जाएं, लेकिन मामला ज्यों का त्यों रहा। अगर मैं यह कहूं कि यह ऐसा रोग है कि रोग बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। बड़े कानून बनाए गए, बड़े नियम बनाए गए, संविधान में उनके अधिकारों की रक्षा की गारण्टी दी गई, लेकिन अत्याचार जो सारे देश में उनके ऊपर हुए, उनमें कमी नहीं आई। जब इस देश के प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू थे, तब भी अत्याचार होते थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी आयीं तो भी अत्याचार हुए, मोरारज भाई आए तो अत्यचार हुए राजीव गांधी प्रधान मन्त्री रहे तो भी अत्याचार बढ़े। वी० पी० सिंह जी आए तो भी अत्याचार हुए और आज नरसिंह राव है तो आज भी···

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : एक बीच में छूट गए। चन्द्रशेखर जी की भी सरकार आई।

श्री कालका दास : चन्द्रशेखर जी आए तब भी अत्याचार हुए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हरिजनों पर अत्याचार की कहानी है, जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी जब तक सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी तब तक यह अत्याचार होते रहेंगे।

आज 44 साल के बाद भी जो स्थिति देश की है, वह बड़ी भयावह है। जिस तरफ भी नजर दौड़ाते हैं, रोज अखबार में पढ़ते हैं तो दलितों के ऊपर अत्याचार के दो-चार समाचार जरूर छपे रहते हैं। देश की इस चौथाई आबादी को, जिसमें लगभग 95 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जहां पर आज भी कुपोषक भोजन मिलने के कारण नरकंकाल से लोग नजर आते हैं, खड़े हुए। वह जब भी कभी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, समाज के दूसरे वर्गों ने उनको कुचलने में कोई कमी नहीं छोड़ी।

गरीब की दशा यह है, आप जानते हैं कि उड़ीसा में श्रीमती फानस ने अपनी 12 वर्ष की पुत्री को 30 रुपए में बेच दिया, गरीबी के कारण, इतनी गरीबी फैली हुई है कि पोषक भोजन भी लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाते और उनकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।

बहुत सारे कानून बनाए इनके अधिकार की रक्षा के लिए लेकिन इन वर्गों के अधिकारों की

रक्षा नहीं हो पाई। जिस समय संसद के परिसर में बाबा साहब डा० अम्बेडकर की मूर्ति प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति जी ने किया था तो उन्होंने ठीक ही कहा था कि इस वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं, संविधान में व्यवस्था भी की है लेकिन राष्ट्रपति जी ने माना कि इनके अधिकारों की रक्षा उन सबसे नहीं हो पाई है।

बाबा साहेब डा० अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हुई। उस आरक्षण में महात्मा गांधी जी ने यह विश्वास दिलाया था कि जिनको हम आरक्षण दे रहे हैं, 10 साल के लिए, जब देश आजाद होगा तो इस वर्ग को अपने बराबर समकक्ष करने के लिए इतनी सुविधाएं दी जाएंगी, इनके लिए आरक्षित स्थान रखे जाएंगे कि 10 साल के बीच में यह समाज के समकक्ष आकर खड़े हो जाएंगे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 44 साल के बाद भी हर 10 साल के बाद उस आरक्षण को बढ़ाया जाता है···

4.00 म०प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

स्थिति कमजोर होती गई। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि आरक्षण सदैव रहेगा। इससे नीयत मालूम होती है कि सरकार की नीति और सरकार की नीयत ऐसी नहीं है कि हम इनके अधिकारों को देकर तुरन्त कोई एक समय की सीमा रखकर उनको समाज के समकक्ष लाकर खड़ा कर दें। अब ऐसी नीयत नजर नहीं आ रही है कि यहां पर छोटा-बड़ा नजर नहीं आएगा, यहां पर कोई जाति-पांत के आधार पर ऊंचा-नीचा नहीं होगा। यहां पर सब लोगों का समान अवसर मिलेगा। किसी की पहचान, छोटे-बड़े की पहचान उसकी जाति से नहीं होगी। ऐसी स्थिति कभी लगता नहीं कि होगी क्यों कि सरकारी पक्ष के एक मित्र बोल रहे थे कि आजन्म आरक्षण रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षित करके, उन पर टीका लगाकर समाज में उनका भला होने वाला नहीं है। उनका यदि भला होगा, तो तब होगा जब आरक्षण को आरक्षित पूरी तरह से किया जाए। यह केवल संवैधानिक व्यवस्था करने से नहीं होगा और केवल कानून बनाने से नहीं होगा। हमें समाज की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। मानसिकता को बदलना होगा कि कांस्टीचूशन में जो उनको साढ़े 22 परसेंट का कोटा है और सेवाओं में जो कोटा है, उनको बढ़ाया जाए। लेकिन कोई लाइन लगाकर कि कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला और स्थान भरा नहीं जाता है, यह कहकर जनरल लोगों को उन स्थानों पर भर लिया जाता है। स्थिति आज भी वैसी है कि जो आरक्षित कोटा है जो स्थान इस वर्ग के भरे गए हैं, वे बहुत कम हैं। क्लास-थ्री में बारह परसेंट और क्लास-फोर में, जहां पर कि शिक्षा की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, 14 परसेंट अभी भरा गया है। हम बात कर रहे हैं 22.5 परसेंट की और क्लास-फोर में 14 परसेंट पहुंचाना, यह बताता है कि मंजिल अभी कितनी दूर है। यह नीयत की कमी है। हम एक दफा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब वे प्रधान मन्त्री थे, तब उनसे मिले। हमने कहा था कि मोरारजी देसाई के समय में एक व्यवस्था हुई थी और वह व्यवस्था यह थी कि जहां जिस विभाग में आरक्षित स्थान पूरे नहीं होते हैं, वहां विभाग के अध्यक्ष से पूछताछ की जाए। कानून बनाया जाए जब तक उस पद के लिए कोई व्यक्ति न मिले, तब तक उस स्थान को खाली रखा जाए। हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से एट्रोसिटीज के बारे में कहा था, हमारा भाजपा के सांसदों का शिष्ट मण्डल उनसे मिला था। हमने कहा था कि यह जो अधिकार दिए हैं, उनके बावजूद भी अत्याचार होते

हैं तो वहां के कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराओ, वहां के एस० पी० को जिम्मेदार ठहराओ। उनसे पूछ-ताछ करिए, लेकिन दशा दूसरी ही हो रही है। अब तो पुलिस वाले ही मिलकर अत्याचार कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश का मामला आया था। प्रतापगढ़ का मामला आया था। पुलिस के लोगों ने 13 अनुसूचित जाति के लोगों को मार दिया। जिनको थाने में बुलाकर ले गए और कहा कि आपका अपराधी पकड़ा गया है, उसको पहचानो, वे बेचारे अपने मेहमानों के साथ गए, लेकिन वहीं रास्ते में उनको पेड़ से बांधकर उनकी हत्या कर दी गई।···(व्यवधान)···मैं दलितों की बात कर रहा हूं। यहां पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। यह आशा की जाती थी कि सरकार ने व्यवस्था की है। सरकारी मशीनरी लगाई कि वे हमारी रक्षा करेंगे। जो मशीनरी बनाई गई, जो यन्त्र बनाया गया उनको बचाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, वे स्वयं ही अब उनके अधिकारों को छीनने लगे हैं। अभी बिहार में भी दलितों की हत्यायें हुई हैं।

अखबारों में आया कि साहब, वहां के मुख्य मन्त्री की शय पर ऐसा हुआ।

माननीय सदस्य : कहां पर हुआ, आप जगह का नाम बताइए।

श्री कालका दास : अभी मैं आपको नाम बताऊंगा। बिहार के मुख्य मन्त्री की शह पर हुआ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : रामाश्रय प्रसाद जी, आप बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी तब आप बात कीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : सभापति जी, मैंने जैसा कहा कि यह जो समस्या है यह छुआछूत की है, अत्याचारों की है और यह समस्या सारे राष्ट्र की समस्या है इसलिए सारे राष्ट्र को मिलकर इस समस्या का हल करना है। **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : जो आप कहते हैं हम उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आपने कहा कि बिहार के मुख्यमन्त्री की शह पर हुआ। आप उसका कुछ हवाला दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री कालका दास : मैं अभी आपको बताऊंगा। चंदूर गांव के सन्दर्भ में जो यहां चर्चा हो रही है न तो यह अत्याचार की शुरूआत है, न तो यह प्रारम्भ है और न ही यह अन्त है। जब तक इस समस्या के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर सोचा-विचारा नहीं जाएगा, जब तक नीति और नीयत ठीक नहीं किए जाएंगे तब तक ये अत्याचार होते रहेंगे।

सभापति जी, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे मालूम है शायद संसद में भी कोई ऐसा अधिवेशन नहीं होगा, इसी संसद में, जब हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा न हुई हो। ऐसी चर्चाएं सर्वत्र होती हैं, अपने घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अत्याचारों की तेजी में, अत्याचारों की रफ्तार में कोई अन्तर नहीं आ रहा है।

सभापति जी, अभी मैंने कहा कि अत्याचारों की समस्या बड़ी गम्भीर समस्या है। मैं थोड़े समय

के अत्याचार आपको बताना चाहता हूं। आप संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46 को देखिए और इसमें आरक्षण किया गया है कि कोई यहां पर अत्याचार नहीं होगा। दलितों की रक्षा की जाएगी। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति जी, मेरा प्वाइण्ट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने अभी अपने भाषण के दरम्यान यह स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के मुख्य मन्त्री की शय पर बिहार में दलितों की हत्या हुई है उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है और वह इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं। उनके खिलाफ इस प्रकार से बिना साक्ष्य के आरोप लगाना कोई संसदीय परिपार्टी नहीं है। इसलिए परिपार्टी की जो संसदीय प्रणाली है इसमें संसद की भी गरिमा होनी चाहिए और माननीय सदस्य इस संसद के सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री कालका दास : मेरा निवेदन है कि आप 26 फरवरी का समाचार-पत्र पढ़िए। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपको इस शब्द को वापस लेना चाहिए या आपको इसको एक्सपंज कराना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें तो व्यवस्था का प्रश्न है नहीं, लेकनि अगर नाम ले लेते हैं तो उसको सब-स्टेंशिएट करना पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : आप मुझे तथ्य देने का मौका तो दीजिए। मेरा यह निवेदन है कि 26 फरवरी के समाचार-पत्रों में छपा है कि पटना के निकट तीसखोरा गांव में हरिजनों की हत्या * की शह पर हुई। यह खबर सारे अखबारों में छपी है। (व्यवधान) मैं आपको तिथि और स्थान बता रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई भी चीफ मिनिस्टर या व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, जनरली आप कह सकते हैं। यह इस सदन की परम्परा रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, नाम नहीं लिया गया है, पद का नाम लिया गया है। यदि आपकी यही व्यवस्था है कि न तो पद का नाम लिया जाए और न ही व्यक्ति का नाम लिया जाए तो इस व्यवस्था को आप समान रूप से लागू करें। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय : नाम नहीं लेना चाहिए, यह मेरी रूलिंग है और यही इस सदन की परम्परा रही है। पद का नाम लिया जा सकता है।

श्री कालका दास : पहले मैंने पद का नाम लेते हुए बिहार का मुख्यमन्त्री कहा था।

सभापति महोदय : लेकिन अभी आपने नाम लिया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कालका दास : मैंने अभी नाम लिया है जब पहले दूसरे माननीय सदस्यों ने नाम लिया।

सभापति महोदय : कार्यवाही में नाम नहीं जाना चाहिए।

श्री कालका दास : मैंने जो कुछ बताया है वह समाचार-पत्रों में आया है। मैंने पहले ही कहा है कि यह कोई पार्टी या किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यह तो मानसिकता की बात है। जो सामाजिक मानसिकता चल रही है, उसकी बात है, किसी व्यक्ति के कारण ये अत्याचार नहीं हो रहे हैं, किसी एक वर्ग के कारण नहीं हो रहे हैं। सारे देश में एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। मैंने तो इसलिए कहा कि यह सब अखबारों में छपा है, अखबार मौजूद हैं, उनकी तिथि मैंने बता दी है, स्थान मैंने बता दिया है।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि यह जो चन्दूर की कहानी है, यह अत्याचारों की न तो पहली कहानी है और न ही अन्तिम कहानी है। मैं थोड़े समय में सिर्फ हाल की 8-9 महीनों की घटनाओं की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन घटनाओं का जिक्र करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले 8-9 महीने में जो अत्याचार हुए हैं, ये बहुत रोमांचकारी घटनाएं हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले कर्मचूड़ गांव में पीने के पानी के सवाल पर 6 दलितों की हत्या कर दी गई, सिर्फ पानी पीने के नाम पर। इस तरह की मानसिकता होगी तो और क्या होगा। इसी तरह से 2 अप्रैल, 1991 को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की कांस्टीट्वेंसी फतेहपुर में 15 हरिजनों को घायल कर दिया गया। 3 जून को अम्बाला में राजपूतों ने अफसरों से मिलकर दलितों को पीटा और अपमानित किया। 4 अप्रैल को अखबार में छपा है कि एक हरिजन महिला के कपड़े फाड़ दिए गए और उसके साथ बलात्कार किया गया। 27 अप्रैल को छपा है कि बिहार में हरिजनों की 400 झोपड़ियां जला दी गईं, जिसमें अनेक लोगों की हत्याएं हुई। 14 मार्च को समाचार-पत्र में छपा है कि शिवपुरी में हरिजन महिला के कपड़े फाड़ दिए गए और उसका शीलभंग किया गया। बिहार के मसौढ़ी क्षेत्र में 19 फरवरी को 15 हरिजनों की सामूहिक हत्या कर दी गई। हरिजनों की सुरक्षा और तरक्की का राग अलापने वाली सरकार की नाक के नीचे, देश की 44 साल की आजादी के बाद दलित वर्ग के लोग घोड़े पर बारात नहीं ले जा सकते। हरियाणा के एक गांव में बारात में घोड़ा ले जाया गया तो बारात को अपमानित किया गया और पीटा गया। यह अभी की बात है, दिल्ली के पास हरियाणा में दिल्ली के नबी करीम इलाके से बारात गई थी। जब घोड़े सहित बारात निकाली गई तो उनको मारा-पीटा गया और दुल्हन को चढ़ाने के लिए जो जेवर ले जाए जा रहे थे, उनको भी छीन लिया गया। यह मैं देश की आजादी के 44 सालों के बाद हाल ही की घटनाएं बता रहा हूं।

सभापति महोदय, 19 जून को दिल्ली के लालकुआं क्षेत्र में बदरपुर के पास खान मालिकों ने मजदूरों को गोलियों से उड़ा दिया। लेकिन सरकार देखती रही। 21 अगस्त, 1990 को मथुरा में हरिजन लड़की से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी। 4 दिसम्बर, 1990 को पटना में हरिजन परिवार के चार सदस्यों को जिन्दा जला दिया गया। झालावाड़ में 13 जनवरी, 1991 को सरपंच ने हरिजन को नंगा करके मोटर साइकल पर खींचा। 25 फरवरी की घटना मैंने आपको

बतायी है। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 13 हरिजनों की हत्या हुई। 18 मार्च को धार जिले के बकतल गांव में हरिजनों की झोपड़ियों में आग लगाकर 11 लोग जिन्दा जला दिए गए। 19 मार्च को मथुरा जिले में एक गांव में पंचायती आदेश देकर 3 हरिजनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया।

इस तरह की घटनाएं होती हैं। मेरा कहना यह नहीं है कि बिहार में ही होता है, दिल्ली में भी हो रहा है, देश के हर कोने में हो रहा है। ये हत्याएं, जिनके बारे में हम हर बार सदन में चर्चा करके अपने दायित्व को पूरा कर लेते हैं, इससे ही बन्द नहीं होंगी। इसका उपचार केवल मानसिकता को बदल कर ही होगा। जिनके साथ सदियों से अत्याचार, अन्याय होता रहा है उनको न्याय देना होगा।

आज भी आरक्षण की बात करते हैं तो लोगों में एन्टी-आरक्षण आन्दोलन शुरू हो जाते हैं। वही लोग करते हैं जो लोग यहां बैठे हुए हैं। इनके बहुत सारे फोलोअर्स करते हैं। वी० पी० सिंह जी की सरकार बनी थी, जिस समय आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाना था, उस समय देश के कोने-कोने में आरक्षण के विरोध में आन्दोलन होने शुरू हो गए। यह मानसिकता है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पार्टियां अपनी गद्दी के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनको बहकाती हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं। वे लोग अनपढ़ हैं, निर्धन हैं, इसलिए उनके साथ लग जाते हैं। ये उनसे अपना काम सीधा करते हैं।

मण्डल कमीशन का मामला आया। हम मण्डल कमीशन के विरोधी नहीं हैं, हम इसके समर्थक हैं। लेकिन मण्डल कमीशन बैकवर्ड क्लास के लिए है और बहका दिया गया शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स को। वी० पी० सिंह जी यहां बैठे हैं, राम विलास पासवान जी बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि दलितों को उससे कुछ मिलेगा। क्या साढ़े बाइस परसेंट रिजर्वेशन साढ़े तेईस परसेंट हो जाएगी? या इससे 15 परसेंट रह जाएगी? इस मण्डल कमीशन के आरक्षण से दलित वर्ग का क्या सम्बन्ध है? उनको बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उनको सड़कों पर लाया जा रहा है। उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, वे जेलों में बन्द हो रहे हैं, लेकिन आरक्षण है बैकवर्ड क्लास के लिए।

जिस समय वी० पी० सिंह जी की सरकार बनी थी, 10 साल के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ानी थी, उस समय आरक्षण के विरोध में आन्दोलन चल रहे थे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री कालका दास : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में एक और बात कह कर अपना स्थान ले लूंगा। मेरा कहना है उनके अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इसको राष्ट्रीय समस्या मानकर, यह राष्ट्रीय समस्या है, सबको मिल कर काम करना होगा, उनको गुमराह नहीं करना होगा, उनको ठीक रास्ता बताना होगा, उनके अधिकारों को देना होगा।

पासवान जी ने मन्दिर-मस्जिद की बात कही और साथ में इन्होंने यह भी कहा कि वे नास्तिक हैं। ये नहीं जानते कि मन्दिर में जाकर क्या अनुभूति मिलती है, मस्जिद में जो जाते हैं, उन्हें क्या अनुभूति होती है, बूटा सिंह जी बैठे हुए हैं, वे गुरुद्वारे में जाएंगे तो उन्हें क्या अनुभूति होगी, जब

क्रिश्चियन अपने गिरजाघर में जाएगा तो उसको क्या अनुभूति होगी। वह तो पहले ही नास्तिक हैं। जो नास्तिक हैं, वे न तो मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर और न गुरुद्वारे के महत्व को समझते हैं। उनकी किसी में आस्था नहीं है इनकी तो केवल बहकावा करने वाले लोगों में आस्था है। आस्तिकों से पूछो कि मन्दिरों से क्या मिलता है, मैंने पहले ही कहा कि वे नास्तिक हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राम विलास पासवान : इन्होंने मेरा नाम लिया, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने तो इस बहस में इनिशिएट किया है। मैंने दो चीज की कोशिश की है। उसमें एक तो पार्टी का मामला नहीं है। तीनों होम मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं। वे जस्टिफाई करेंगे। मैंने कोई पार्टी का मामला लाने का प्रयास नहीं किया। जब एस० सी० एस० टी० के ऊपर बहस चल रही हो तो उसमें किसी और मामले को घुसा दिया जाए तो मैं इस चीज को पसन्द नहीं करूंगा, चाहे इसमें मण्डल कमीशन की बात आनी शुरू हो जाए। मैं चाहूंगा कि जो भी डिबेट हो वह एस० सी० एस० टी० की एट्रोसिटीज पर गम्भीरतापूर्वक हो और सरकार को क्या कारगर कदम उठाने चाहिए। जहां आस्तिक, नास्तिक का मामला है, वह अपना मामला है। किसी को राम, रहीम में विश्वास नहीं हैं या किसी और में विश्वास नहीं हैं। इसमें मण्डल कमीशन को लाने का प्रश्न नहीं है, इस बारे में हम लोग अलग बैठकर चर्चा कर लेंगे।

श्री कालका दास : मैंने यह कहा था कि किस तरह से सबको बहकाया जा रहा है। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : मण्डल कमीशन का हम डबल लॉक लगाना चाहते हैं। जब उसका एक ताला खुलेगा तो शेडयूल्ड कास्ट्स के लोगों का भी ताला खुल जाएगा। जब एक ताला खुलेगा तो शेडयूल्ड कास्ट्स के लोगों को पता चल जाएगा कि उनका ताला खुलने वाला है। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : सभापति जी, यह बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें सदियों पुराने शोषण, अत्याचार के प्रतीक के रूप में उनके उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। जो कुछ इन दिनों में हुआ, कोई भी पक्ष उसका समर्थन नहीं कर सकता। जिन लोगों के साथ वह घटनाएं हुई तो उनके साथ सहानुभूति जताने के साथ-साथ इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो समाज का कोढ़ है उसको कैसे समाप्त करें। कैसे उस मानसिकता को समाप्त करें जिसकी वजह से आज हमारे हरिजन-आदिवासी उत्पीड़न महसूस करते हैं। कहीं भी देश में घटना हो तो हम अपनी राजनैतिक तलवार घुमाने से नहीं चूकते चाहे किसी भी पक्ष के हों वे इन घटनाओं का राजनैतिक लाभ उठाएंगे। मैं नहीं समझता कि यह राजनैतिक आदर्श के अनुरूप है। इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है। इन घटनाओं को कौन कर रहा है। इनके पीछे कौन-सी मानसिकता है। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक हम किसी के ऊपर दोषारोपण करें तो हम हरिजन-आदिवासियों के ऊपर श्रद्धा के साथ वह काम नहीं कर सकते जिसकी आज आवश्यकता है। आन्ध्र प्रदेश में जो घटना हुई, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जो भी उसके पीछे मानसिकता है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारे आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी ने तत्काल वहां पहुंचकर मृतकों के परिवार वालों को एक-एक लाख रुपए दिए और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है। न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जो कुछ भी किया जाना चाहिए था उन्होंने तत्काल किया है। हम उनको इस बात के लिए बधाई देते हैं। लेकिन उन लोगों के खिलाफ,

उन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कारंवाई की जानी चाहिए जिन्हें पूरी तरह से इस बात की जानकारी थी कि घटना हो सकती थी, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए ।

माननीय सभापति महोदय, आदरणीय पासवान जी जात-पात मिटाने की बात करते हैं। जात-पात के आप विरोधी हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन मण्डल आयोग जोकि पूर्ण रूप से जात-पात पर आधारित है उस मामले पर जरा विचार करें। हम लोग पिछड़े वर्ग के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बिना आर्थिक आधार के पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने का कोई औचित्य नहीं है। गरीब की कोई जाति नहीं होती। गरीबी किसी प्रकार की हो उसके प्रति हमें सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। गरीबी की कोई जाति नहीं होती चाहे वह बड़ी से बड़ी जाति का ही क्यों न हो। इस देश में कानून की कमी नहीं है। प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट है, प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटी एक्ट है, लेकिन कानून के क्रियान्वयन की कमी है। उसमें नीयत पर आशंका की जाती है कि हमारे देश में जो कानूनी व्यवस्था है, आज उस कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हमारा कानून डेटरेंट है, लेकिन उसका जो कार्यान्वियन है वह इतना लचीला है कि उसके कारण इन घटनाओं को हम नहीं रोक पा रहे हैं। प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटी एक्ट लोक सभा में पास हुआ था। उसमें प्रोसिक्यूटिंग अथारिटी को जवाबदारी सौंपी गई जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ प्रोसिक्यूशन अथारिटी में अगर कोई हरिजन-आदिवासी अधिकारी है अगर वह अपने दायित्वों से हटता है और प्रोसिक्यूशन में अगर किन्हीं कारणों से पीछे हटता है तो उसके साथ मुरव्वत करने की आवश्यकता नहीं है वह भी उतने ही दण्ड का पात्र है जितना अन्य व्यक्ति होता है।

हमने योजनाएं बनाईं। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 19 करोड़ रुपए का प्रावधान था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 6 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया, बहुत कुछ परिवर्तन आजादी के बाद आए, बहुत कुछ साक्षरता बढ़ी, आर्थिक उन्नति भी हुई। लेकिन उसके बाद भी आज अनेक ऐसे परिवार हैं जो दो समय रोटी भी नहीं पा सकते। जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जिनके साथ दुराचार हो रहे हैं और उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। आदरणीय अम्बेडकर जी ने सही कहा था मैं उनको कोट करना चाहूंगा :

> "हम अनुभव करते हैं कि अधिकार का संरक्षण कानून से नहीं होता, बल्कि समाज में सामाजिक और नैतिक चेतना से होता है।"

सभापति महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि उस चेतना को जागृत किया जाए। आज आवश्यकता इस देश में, महात्मा फुले, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा, महात्मा गांधी और डा० अम्बेडकर जैसे लोगों की आवश्यकता है जो दलितों के मन में जागृति पैदा करें। उसके साथ-साथ उच्च वर्ग के लोगों को भी समझाएं कि हरिजन-आदिवासी लोगों के साथ व्यवहार में परिवर्तन करें जब तक प्रेम, सद्भाव के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, उनका उत्पीड़न समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम इस देश की सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं ला सकते। सदियों का उत्पीड़न कुछ वर्षों में समाप्त नहीं हो सकता है. हजारों सालों तक गरीब तबके के लोगों के साथ, दलित परिवारों की माता-बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। न्याय नहीं दिला पाए, सामाजिक न्याय नहीं दिला पाए। आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें हमें दूर करने की आज आवश्यकता है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए समय लगेगा, उस सामाजिक व्यवस्था को बदलने में कानून के साथ-साथ

हर पार्टी के लोगों को अपना-अपना विचार देखना पड़ेगा कि वाकई हम कितनी ईमानदारी से उसके प्रति समर्पित हैं ?

सभापति महोदय, इस देश में हरिजन आदिवासी उत्पीड़न के पीछे जो आर्थिक और सामाजिक सोच है, वही इसका मूल कारण है। हमें अनेक प्रकरण मिलते हैं। अधिकांश जगह जहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसके पीछे भूमि-विवाद रहती हैं। बहुत कुछ हुआ लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। उसके बारे में कानून बने लेकिन हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि वर्षों तक भूमि विवाद न्यायालयों में पड़े रहते हैं उनका निराकरण नहीं हो पाता है और यही एकमात्र कारण है कि हरिजन-आदिवासी उत्पीड़न होता है।

सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां सबसे ज्यादा उत्पीड़न हरिजन-आदिवासियों का होता है। मेरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं और उनका शोषण सदा से होता रहा है। उनका आर्थिक शोषण आज भी हो रहा है। संविधान में ट्राइबल एडवाईजरी कौंसिल का प्रावधान है कि आदिवासियों से सम्बन्धित प्रत्येक मुद्दे को इसके जरिए हल किया जाए और हर राज्य सरकार को उसका पालन करना चाहिए लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने कभी भी उनके मुद्दों को ट्राईबल कौंसिल के सामने नहीं रखा। ऐसे निर्णय लेते चले गए जिसके कारण आदिवासियों का शोषण बढ़ा। एक समूह आदिवासियों का शोषण करता रहा जो आज सत्ता में आ गया है।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के आदिवासियों का जनजीवन वनों से जुड़ा हुआ है। इस वन में वहां का आदिवासी इतना जुड़ा हुआ है कि जब तक आदिवासियों को उसका अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक उसका आर्थिक शोषण समाप्त नहीं हो सकता है। हमारे प्रदेश में तेन्दू पता पर एक बार हमारी सरकार ने नीति बनायी थी जिसके अन्तर्गत हम चाहते थे कि उसका सहकारीकरण हो, उसका जो भी मुनाफा हो, वह आदिवासी, हरिजन और गरीब मजदूर को पहुंचाना चाहते थे। इस सहकारीकरण के अन्तर्गत वहां के बड़े लोगों ने, बीड़ी निर्माताओं ने विरोध किया लेकिन अंत में तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने उसका दृढ़ता से पालन करवाया जबकि कहा गया कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूब जाएगा परन्तु उस नीति के कारण 275 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और उस समय लगभग डेढ़ सौ करोड़ का मुनाफा हमारे हरिजन-आदिवासियों में बंटना था लेकिन उसी बीच में सरकार में परिवर्तन आया और वही व्यक्ति जो इस नीति का विरोध करते थे, आज सरकार में बैठे हुए हैं। परिणामस्वरूप आज भी दो साल होने के आ रहे हैं, गरीब मजदूरों, आदिवासियों को लगभग डेढ़ सौ करोड़ का जो बोनस मिलना चाहिए था, वह उनमें नहीं बंट पाया है। यह आदिवासियों के जन-जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। साल बीज वनवासियों का महत्वपूर्ण वन उपज है।

सभापति महोदय, मुझे मालूम हुआ है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको बड़े मिल-मालिकों को 450 रु० क्विंटल बेच दिया है जबकि बाजार में इसका मूल्य 4500 रु० क्विंटल है। यह जो मानसिकता है, इसका विरोध करना पड़ेगा। यदि यह मुनाफा आदिवासियों को मिलता तो उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता लेकिन जो सोच, विचार और मानसिकता हमारे मध्य प्रदेश शासन की है, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। हमारे बीच में श्री अटलबिहारी जी बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश से चुनकर आये लेकिन बाद में वह स्थान त्याग दिया, वे आदिवासी-हरिजनों के उत्पीड़न को जानते हैं। सबसे बड़े

तेन्दु पत्ता के व्यापारी अगर आज कोई इस देश में हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी क्षेत्रों में शराब का ठेका नहीं दिया जाता था, उसके कानून में परिवर्तन करके उसके नियम में परिवर्तन किया जिसकी वजह से आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर से शराब के ठेके देने शुरू कर दिए और शराब के ठेके किसने लिए ? शराब के सारे ठेसे आदिवासी क्षेत्रों में उन्हीं लोगों ने लिए जो वहां सरकार में बैंठे हुए हैं। मैंने खुले रूप से इस बारे में आरोप लगाया कि इस बात का हमें विरोध करना चाहिए और हमने विरोध किया और जो पूरे प्रदेश में संपूर्ण आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है और शराब के ठेकेदारों उनका शोषण कर रहे हैं, उनको जेल में बंद करवा रहे हैं।

इसी तरह वहां पर जो खनिज निकलते हैं, बस्तर में ग्रेनाइट बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। वहां के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोगों ने लीज की मांग की है। मैं बधाई दूंगा वहां के आयुक्त को जिसने कि एक साफ नीति वहां पर बनाई और ये मांग की शासन से कि जितने भी आदिवासी हैं, उनकी एक सहकारी समिति बनाई जाए और ग्रेनाइट की लीज जो है उन लोगों को दी जाए जिससे कि आदिवासियों को कम से कम उसमें काम मिल सके और उसका लाभ उसके हकदार को पहुंच सके।

माननीय सभापति महोदय, यह मेरा आपसे अनुरोध था कि जब तक हम यहां सदन में बैंठे हुए, चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के या किसी भी पक्ष के लोग हों, इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं है, इस बात पर सब सहमत हैं कि हरिजन और आदिवासियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, हरिजन और आदिवासियों की आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, सदियों से उनका जो उत्पीड़न और शोषण होता आया है, वह नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हम सभी लोग उस शोषण और अत्याचार में भागीदार बन जाएंगे उसमें हम सहयोगी बन जाएगे तो न तो शोषण रुक पाएगा और न अत्याचार रुक पाएगा। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन यहां लाया गया हैं उसे बिना किसी हिचक के हमें स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके उसमें जो ताकतें हैं, जिनका कोई नाम नहीं, जिनकी कोई पार्टी या किसी व्यक्ति से सम्बन्ध नहीं, ये तो वह ताकतें हैं जो कि सदियों से इस देश में उत्पीड़न करती रहीं, शोषण करती रहीं, अत्याचार करती रहीं। उनके विरुद्ध संघर्ष करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हमें इस बात में कतई नहीं हिचकना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर हमें एकमत होकर इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए।

श्री राम निहोर राय (रॉबर्ट्सगंज) : जो अनुसूचित जाति के यहां पर सदस्य बैठे हैं हर जगह के, जिनकी अवहेलना हरिजन के नाते की जा रही है, मैं किसी एक की बात नहीं कह रहा हूं, उनको भी मौका दिया जाए।

सभापति महोदय : उनको भी मौका मिलेगा।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, काफी देर से अपने माननीय सदस्यों द्वारा···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० वी० वी० एम० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : क्या वह हस्तक्षेप कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : वह हस्तक्षेप कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : हरिजनों पर जो अत्याचार होते रहे हैं या हुआ है, मैं बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या हम और आप जब तक हरिजन या अल्पसंख्यक, गरीब या पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग का खून गिरता रहेगा और लहू बहता रहेगा, क्या हम सब समाज में रहने के लायक अपने आपको समझ पायेंगे ? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मैं 61 साल से यही देख रहा हूं, मुझे वह दिन याद है 1932 में मैं जब अखबार पढ़ रहा था—करुणामय सहानुभूति के आधार पर गांधी अनशन पर थे और कटुता से भरी हुई अनुभूति, लांछित, अपमानित, अपने जीवन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए डा० अम्बेडकर और गांधी में बातें हो रही थीं। वे बातें हो रही थीं अछूतों के प्रति, हरिजनों के प्रति । आज भी मेरी आंखों के सामने वह दृश्य नाच गया । आज मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि 58 साल के बाद भी जिन आंखों में आंसू होने चाहिए, अगर आंसू नहीं तो कम से कम आंखें लाल जरूर होनी चाहिए, मगर मैं देखता हूं कि सत्ता की राजनीति जनता की राजनीति नहीं रह गयी है, सत्ता की राजनीति सत्ता की राजनीति बनकर रह गयी है।

आज एक बात और खुलकर मैंने देखी । बहुत गौर से मैं कान्सका दास जी की बातें सुन रहा था । वे आरक्षण के मामले में बोल रहे थे । पहले तो मैं संदेह में था कि आरक्षण विरोधी राम के रथ पर बैठे हुए हैं परन्तु आज साबित हो गया कि वास्तव में वे राम के रथ पर बैठे हुए हैं । जिस देश में 85 करोड़ लोग हों, वहां 8 करोड़ अल्पसंख्यकों के कलेजे पर राम का रथ चलता हो और कहीं बेचैनी नजर न आती हो, उस देश में आज हमें सोचना पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है । आये दिन, हम नित्य देखते हैं, नित्य पढ़ते हैं, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, आखिर ये लोग कौन हैं जो अत्याचार करते हैं, किन लोगों ने इस तरह के अत्याचार किए हैं । सरकार भी लाचार है, विवश है । समाज के वही व्यक्ति पुलिस में हैं, समाज के वही व्यक्ति डी० एस० पी० के पद पर हैं और समाज के वही व्यक्ति हैं जो लोगों पर अत्याचार करते हैं । जो अन्याय करते हैं वे हमारे ही समाज से सम्बन्धित लोग हैं ।

चाहे जो भी दल हो, चाहे वह सत्ता में हो, आप में हो या हम में हो, आज भी वे ही अत्याचार कर रहे हैं । हम उठ कर यहां बोल रहे हैं । हम सुन भी रहे हैं । हम आपको सारी योजना देंगे । मगर याद रखिए, यह देश कभी भूलेगा नहीं, इतिहास कभी भूलने वाला नहीं है । जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे 40 वर्ष हो गए हों, 300 वर्ष हो गए हों या 3000 वर्ष हो गए हों, समाज के ऊपर यह स्टिगमा नया नहीं है । यह तीन हजार वर्षों के इतिहास का प्रमाण है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तीन हजार नहीं आठ हजार वर्षों का ।

श्री सीताराम केसरी : आठ हजार वर्ष का कह लीजिए मगर तीन हजार वर्षों का इतिहास है

जो बुद्ध के समय से चला आ रहा है। आठवीं सदी तक एक इतिहास रहा फिर पन्ना पलटा। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि सरकार जो भी योजना गरीबों के लिए बना ले, राम विलास जी ने कहा, मैं मानता हूं कि पहले से ही सारी योजनाएं सरकार के पास हैं, मगर उन योजनाओं पर कैसे चलें। हम लोग एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं मगर कभी समाज के बारे में नहीं सोचते कि कौन लोग हैं जो अत्याचार करते हैं और क्यों वे ऐसा कर रहे हैं।

मैं बिहार की भूमि पर गया। अभी मैं कार्यालय में भी नहीं पहुंचा था कि मुझे समाचार मिला और मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ, दो बातों का, इसलिए नहीं कि वर्तमान सरकार के अंतर्गत, उत्तर बिहार में वह घटना घटी, उससे पूर्व भी घटी थी, जिसमें 15 आदमी मारे गए, 15 हरिजन मारे गए। उसी समय, उसी जगह मुझे यह खबर भी लगी कि 1989 में 24 नवम्बर को 19 हरिजन उसी बस्ती में, उसी गांव में मारे ही नहीं गए, उनके घर भी जला दिए गए। मैंने सोचा, जरा उस बिहुटा गांव में जाकर देखूं। मैंने एस० पी० से पूछा, मैंने कलैक्टर से पूछा, और राम विलास जी आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि वहां का कलैक्टर हरिजन था, मैंने उससे पूछा कि बताइए, वह कौन सी जगह है, जहां हरिजन मारे गए परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने साफ कहा, हमें पता नहीं कि इस गांव के कौन घर के हरिजन मारे गए। एस० पी० ने भी नहीं बताया कि किन घरों में हरिजन मारे गए हैं। फिर भी मैंने कहा,

मैं वहां जाना चाहूंगा। मैं दोपहर की चिलचिलाती दोपहरी में उस गांव में पहुंचा। मैंने देखा कि घर जले हुए हैं और उस गांव से हरिजन चले गए हैं।

इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, गांव में रहने वाले जितने सवर्ण जाति या दूसरी मजबूत जातियों के लोग, चाहे वे हरिजन हों, बैकवर्ड हों या सवर्ण जाति के हों, जब तक सबल लोग उनकी रक्षा नहीं करेंगे, तब तक उनकी रक्षा होनी सम्भव नहीं है। पुलिस के बूते की यह चीज नहीं है। सरकार के बूते की चीज भी नहीं है। यह अन्याय होता रहा है और होता रहेगा, जो धर्म के आधार पर है। आप भी चाहे जो कह लें, सरकार लाख कोशिश करे। अब मासूमों के खून से भी हम विचलित नहीं होते। यह देखकर तो हमें अपने देश की संवेदनशीलता पर ही शक होने लगा है। बचा नहीं सकते, सरकार लाख कहे, हम भी कहें, हम बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं—सुनिए, ऐसा क्यों है, अभी हाल में एक क्रिश्चियन एसोसिएशन में मैं गया था, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जो हरिजन लोग हमारे यहां आ गए हैं, उनको भी संरक्षण दिया जाए, मैंने कहा कि ईसाई मत में तो कोई भी सामाजिक विषमता नहीं है, यह सिर्फ हिन्दू धर्म है, जो धर्म नहीं, बल्कि हिन्दू संस्कृति है, इसके अनेक पैगम्बर हैं, जब कि दूसरे धर्मावलम्बियों का एक ही पैगम्बर है, चाहे क्रिश्चियन लीजिए, क्राइस्ट हैं, जैन लीजिए, महावीर हैं, बौद्ध लीजिए, बुद्ध हैं, इस्लाम लीजिए एक ही पैगम्बर हैं, मगर हमारे हिन्दू धर्म में, हमारी जो संस्कृति है, इसके कई पैगम्बर हैं। भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं। इतने भगवान हैं कि सब मिलकर इन्सान से इन्सान को अलग करते हैं और जब इन्सान दूसरे धर्म में जाता है, तो कहते हैं कि सरकार रोकती क्यों नहीं है ? सरकार क्यों रोके ? आपने उसको अछूत बना दिया। गांधी जी ने उनको हरिजन क्यों कहा, गांधी जी ने इसलिए उसे हरिजन कहा, क्योंकि वह गांधी का ही जन है, मगर उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी सोचा कि यह तो हरि का जन है और तुम भी हरि के जन हो, लोग इन्सान को

इन्सान से अलग करना चाहते हैं, इसलिए गांधी जी ने इन अछूतों को रेस्पेक्टिबिलिटि देने के लिए हरिजन कहा। उनके मन में यह भावना रही कि जो लोग अछूत समझे जाते हैं, वे भगवान के असली पुत्र हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ विशेष नहीं, इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश के सामाजिक जीवन में जो हिन्दू धर्म के आधार पर, हिन्दू धर्मावलम्बियों ने, हिन्दू धर्म के ठेकेदारों ने, इनके साथ व्यवहार किया है, यह ठीक नहीं।

मैंने आर्य समाज में भी रहकर देखा है। मैं आर्य समाज में भी था। आज भी ऋषि दयानन्द की मान्यताओं को मानता हूं, वहां पर अछूतोद्धार था और चीजें थीं, मगर जिस तरह से सनातन धर्म में, जिस तरह से हिन्दू धर्म में अछूत समझने की परम्परा रही, जिससे वे दुखी होकर समाज से भाग गए, क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए। जब हम रिकॉगनीशन देने के लिए चलेंगे, तो आप कहेंगे कि मत दो। क्यों नहीं दें ? आप अपने धर्म की रक्षा क्यों नहीं कर पाए ? एक राम का रथ लेकर चले गए और सारे वोट लेकर आ गए। राम का सवाल है, उनके धर्मावलम्बियों का सवाल है। जब हरिजन उनसे भाग रहे हैं, मन्दिर में प्रवेश नहीं होगा, तो ऐसा ही होगा। ट्रावनकोर में क्या व्यवस्था थी, वहां 200 गज तक कोई हरिजन, मन्दिर के आसपास नहीं जा सकता था। इतना नहीं नहीं··· (व्यवधान) सुनना पड़ेगा। 400 वर्ष पहले किसी ने अत्याचार किया, आज उनके बच्चों से बदला लेना, धर्म की बात नहीं है। 400-500 वर्ष पूर्व किसी आतताई ने यह अत्याचार किया है, उस अत्याचार का बदला आज हम लेने चले हैं, यह दुख की बात है। इतिहास के पन्ने को पलटना होगा, आज संवेदनशीलता को भरना होगा, आज क्रन्दन को भरना होगा, मानवता को भरना होगा। ऐ, धर्म के ठेकेदारो इससे देश नहीं चल सकता है। (व्यवधान) आज कालका प्रसाद ने यह साबित कर दिया कि आरक्षण विरोधी ही राम के रथ पर बैठकर चल रहे थे। पहले मैं नहीं जानता था, माफ कीजिए। (व्यवधान) मैं एक चीज बताता हूं, यह चीज आसान नहीं है, भावना की राजनीति नहीं चलेगी कर्तव्य की राजनीति चलेगी। सत्ता के लिए ज्यादा दिनों तक आप देशवासियों को अन्धकार में नहीं रख सकते। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आपके यहां पर हिन्दू राष्ट्र है। हिन्दू राष्ट्र के इस देश में 54 करोड़ 88 लाख वोट हैं। उसमें से जितने माईनोरीटीज हैं उनके वोट हटा दीजिए।···(व्यवधान) 9 करोड़ वोट घटा दीजिए कि मुसलमानों ने किसको दिया, ईसाईयों ने किसको दिया। 44-45 करोड़ वोट हैं। 22 करोड़ वोट हुए जिसमें से इनको 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले, 19 करोड़ वोट हिन्दू राष्ट्र के खिलाफ पड़े।··· (व्यवधान) मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हरिजन या आदिवासी, आज आदिवासी तीर लेकर क्यों खड़ा है, जरा गम्भीरता से सोचिए। आप उसको अन्धकार में प्रयोग कर सकते हैं, पार्लियामेंट में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था उठाना चाहता हूं कि मन्त्री जी सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : अन्धकार मे नहीं रखा जा सकता है। आप मन्दिर का दरवाजा खोलकर

कहिए कि आइए पूजा कीजिए और मन्दिर में कोई राक्षस बैठा हो तो उसे देखना पड़ता है। इससे काम नहीं चलेगा, यह देश अन्धकार में नहीं रह सकता है। हरिजन और आदिवासी के खून की एक-एक बूंद भयंकर रूप धारण करेगी। आप लोक सभा में हैं हम सरकार में हैं, जो बोलना हो बोल लीजिए, हम पर जो आरोप लगाने हैं लगा लीजिए, मगर न हम कम उत्तरदायी हैं न आप कम उत्तरदायी हैं। लेकिन सामाजिक क्रान्ति हो रही है, समाज करवट बदल रहा है।

एक बात आपने उसी गुन्टुर में देखी होगी कि पहले दिन उसने मार खाई और दूसरे दिन उसके कलेजे में हिम्मत थी कि वह आगे बढ़ा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अभी मन्त्री जी ने कहा कि हरिजनों ने बदला लिया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और श्री श्याम लाल कमल दोनों 10 तारीख को वहां गए थे। जब डैड बाडीज का बेरिअल हो रहा था तो उस समय मैं वहां मौजूद था। उस समय हरिजनों ने उनके ऊपर हमला नहीं किया था। ये सब तो एक्स्ट्रीमिस्ट्स ने किया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आपने तो 40 साल तक जाति के नाम पर देश को तोड़ा है···

(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मोरार जी भाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी दोनों मन्त्री थे। ढ़ाई साल में ही बेलछी कांड हुआ इसलिए 40 साल का अकेले नाम मत लीजिये। एक-एक कांड मुझे याद है, एक-एक घटना मुझे याद है। हम आपके सामने 58 साल की राजनीति लाकर रख देंगे, किस समय भाई परमानन्द ने क्या बात कही, किस समय आपके गोलवलकर ने क्या कहा, ये सारी बातें मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। मैं इतना ही चाहता हूं कि आप याद रखिए कि यह हिंसा का वातावरण, जब तक सामाजिक विषमता रहेगी, आर्थिक विषमता रहेगी, राजनीतिक विषमता जारी रहेगी, चूंकि राजनीतिक विषमता आर्थिक, सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होती है इसलिए अगर आप चाहते हो कि समाज में···(व्यवधान)···आप नहीं समझेंगे, आप कमल के फूल से पैदा हुए हैं···(व्यवधान)···एक चीज याद रखिए···(व्यवधान)···जहानाबाद की बात कर रहे थे। जिस समय जहानाबाद की घटना घटी, मैंने पद यात्रा किया। मैं एक-एक मकान में गया। मैंने कहा कि

मुझे पुलिस नहीं चाहिए, एस्कोट नहीं चाहिए। मैं वहां गया और मैंने देखा कि वह नक्सलाइट नहीं थे, उनके घर में जवाहर लाल और गांधी जी का फोटो था। नक्सलाइट समझ कर उसके साथ अत्याचार किया गया···(व्यवधान)···आई० पी० एफ० के लोग नहीं थे। यह खून क्यों हो रहा है, यह हिंसा क्यों हो रही है, इस हिंसा के पीछे सामाजिक और आर्थिक विषमता मूल कारण है, इसको दूर करो। एक तरफ महल और दूसरी तरफ झोंपड़ी नहीं चलेगी। जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होगा तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी। जमीन का बंटवारा न होने में आप और हम सभी लोगों का हाथ है। आप इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं और हम भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, मगर बंटवारा अनिवार्य है, इसकी चकबन्दी होनी चाहिए। इस लिए जो भी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, वह बनायेंगे। सरकार उस दिशा में बढ़ेगी और ताकत से बढ़ेगी, मगर याद रखिए कि यह जो अखबार हैं, जिन बड़े-बड़े महुरथियों का, वह जिस तरह आपके खिलाफ प्रचार करते हैं, इस योजना के खिलाफ प्रचार करते हैं।

5.00 म० प०

इसीलिए मैंने कहा, रामविलास जी, इसमें भी आरक्षण लाइये तब काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा।

इन शब्दों के साथ बड़ी गम्भीरता के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह हिंसा क्यों है। हिंसा के मूल कारण हैं, आर्थिक विषमता और आज नहीं, 3000 वर्षों से लगातार पहले चाण्डाल, फिर अछूत, फिर हरिजन, फिर अनुसूचित जाति, क्यो यह नाम बदलते जा रहे हैं, समाज के अन्दर? जहां तक जाति पाति की बात करते हैं, निहित स्वार्थ के लोग, जिन्होंने गुलछर्रे उड़ाये हैं, चाहे सत्ता में रहकर या बाहर रहकर, जिन्होंने जमींदारी चलाई है, जो सामन्तवादी रहे हैं चाहे पूंजीपति रहे हैं, उनके हिस्से का जब बंटवारा होगा तो हिंसा होगी ही। वह उससे अलग नहीं होना चाहते हैं इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम सब लोगों को, जो इस विचार को रखते हैं, एकमुश्त होकर जहां भी रहिए, लड़िए। यही हमारी आखिरी साध है।

5.01 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

व्यापार-नीति

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैंने 4 जुलाई, 1991 को व्यापार नीति में कुछ बड़े परिवर्तनों की घोषणा की थी। उसके बाद, वित्त मन्त्रालय के परामर्श से अनेक निर्णय लिए गए हैं। अतः यह उचित समझा गया है कि इन सभी निर्णयों को "व्यापार नीति पर वक्तव्य" के रूप में एक स्थान पर प्रस्तुत किया जाए। व्यापार नीति पर यह वक्तव्य संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 366/91]

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि व्यापार नीति पर वक्तव्य में एक्सिम-स्क्रिप प्रणाली और एडवांस लाइसेंसिंग में बड़े सुधार बताए गए हैं। साथ ही, इसमें शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों के लिए और निर्यात संसाधन जोनों के यूनिटों के लिए भी एक नया पैकेज दिया गया है। इस वक्तव्य में कुछ अन्य मामलों का भी विवरण है—जैसे—सरणीकरण के बारे में नीति तथा सरकारी क्षेत्र के राज्य व्यापार संगठनों की भूमिका।

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात के कार्य कलापों को भी नया रूप दिया जा रहा है। इस कार्यालय का नाम ही बदलकर "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय" किया जा रहा है।

व्यापार नीति पर वक्तव्य में उस भूमिका को पूरा महत्व दिया गया है जो निर्यात बढ़ाने में राज्य सरकारों को निभानी है।

व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और इसकी बैठक शीघ्र ही होगी।

सरकार व्यापार नीति में सुधार को उच्च प्राथमिकता दे रही है क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था की पुनःसंरचना का ऐसा अनिवार्य तत्व है जिसके जरिए आने वाले वर्षों में उत्पादकता और प्रतियोगिता की क्षमता बढ़ाई जा सकती है और निर्यात कारोबार बहुत बढ़ाया जा सकता है।

व्यापार नीति पर वक्तव्य

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक क्रिया का जितना प्रेरक तत्व आज हो गया है उतना पहले कभी नहीं था। इसके जरिए विभिन्न देशों के बीच माल एवं सेवाओं का विनिमय तो होता ही है साथ ही यह आज की दुनिया में ऐसा सुदृढ़ आधार भी साबित हो रहा है जिसके सहारे तकनालाजी, पूंजी-निवेश और उत्पादन के क्षेत्र में लगातार परस्पर निर्भर होती जा रही विश्व अर्थ-व्यवस्था चल रही है। कोई भी देश इन गतिविधियों की अनदेखी नहीं कर सकता क्योंकि इनसे अवसर और चुनौतियां दोनों मिलते हैं। भारत की व्यापार नीति भी इन चुनौतियों को स्वीकार करने में समर्थ होनी चाहिए।

2. नई सरकार ने ऐसे समय सत्ता संभाली जब देश के सामने भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और विदेशी मुद्रा के भण्डार भी बहुत ही कम हो चुके थे। भारत से निर्यात की गति 1986-87 से लेकर 1989-90 के दौरान काफी अच्छी रही थी और इस बीच संयुक्त राज्य अमरीकी डालर के लिहाज से निर्यात में 17 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई थी, लेकिन निर्यात की यह अच्छी रफ्तार 1990-91 में लगभग समाप्त ही हो गई जब निर्यात की गति अमरीकी डालर के लिहाज से घट कर केवल 9 प्रतिशत रह गई। अप्रैल-मई, 1991 की अवधि में निर्यात में वास्तव में तो संयुक्त राज्य अमरीकी डालर के लिहाज से अप्रैल-मई, 1990 की तुलना में 5.8 प्रतिशत की कमी आ गई। वर्ष 1990-91 में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात पर अत्यधिक नियन्त्रण करना पड़ा। इसके फलस्वरूप अनेक जरूरी सामानों की बहुत कमी हो गई और साथ ही औद्योगिक विकास की गति भी धीमी हो गई।

?. इस परिस्थिति में हमारे विदेशी भुगतानों के मामले में विश्वसनीयता लाना बहुत जरूरी हो गया जिसके लिए अनेक मोर्चों पर जरूरी कार्रवाई करनी है—जैसे अर्थव्यवस्था में विस्तृत स्थिरता के लिए कोशिश और व्यापार नीति में सुधार। व्यापार नीति में ऐसे सुधार करने हैं जिनसे निर्यात की

गति को शीघ्र ही फिर तेज किया जा सके। अपने निर्यात व्यापार में तेजी से विकास करके ही हम इस समय जरूरी उद्देश्य प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं—जैसे भुगतान संतुलन की लगातार बनी रहने वाली समस्याएं हल करना, हमारी व्यापार नीति में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास फिर पैदा करना और विस्तारशील अर्थव्यवस्था के साथ सच्ची आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यह सुधार ऐसे भी होने चाहिएं कि उनके फलस्वरूप आयात में किफायत के लिए काफी मजबूत प्रोत्साहन मिले लेकिन लाइसेंस वाले नियन्त्रणों में वृद्धि नहीं हो क्योंकि लाइसेंस नियंत्रणों में देरी और अक्षमता बढ़ती है, मनमानी पाबंदियां बढ़ती हैं और उद्योगी-भावना लगभग मर जाती है। विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और अधिकांश देश—जिनमें विकासशील देश और पूर्वी यूरोप के देश शामिल हैं—उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं जो लगातार समेकित हो रही और तेजी से विश्वव्यापी रूप ले रही बाजार व्यवस्था में सबके सामने आती हैं। भारत इन परिवर्तनों को अनदेखा नहीं कर सकता। भारत की आर्थिक प्रगति तेजी से विश्व अर्थव्यवस्था का भाग बन कर ही हो सकती है, इससे अलग रह कर नहीं। इसलिए हमारी व्यापार नीति के जरिए ऐसा वातावरण तैयार होना बहुत जरूरी है जिसमें निर्यात को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिले और निर्यात कारोबार अधिक लाभदायक हो जाए। हमें नौकरशाही नियंत्रण से मुक्त ऐसा वातावरण भी अवश्य ही बनाना है जिसमें हमारे निर्यातकर्ताओं को तेजी से बदल रही अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में अच्छी रफ्तार और लोचशीलता के साथ अपना कारोबार करने में सुविधा हो।

4. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने व्यापार नीति में सुधारों की प्रारम्भिक घोषणा 4 जुलाई, 1991 को की। व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन इस घोषणा में बताए गए थे जिनका उद्देश्य था निर्यात के लिए प्रोत्साहनों को मजबूत करना, आयात लाइसेंसों को बड़ी हद तक कम करना और भुगतान संतुलन की नाजुक स्थिति को देखते हुए आयात की स्वेच्छा कम करना। इसके अनुसार कुछ बहुत जरूरी सामानों—जैसे पी० ओ० एल० और रासायनिक खाद—के जरूरी आयात को पूरी तरह बरकरार रखा गया था लेकिन कच्चे माल और कलपुर्जों के दूसरे आयात को निर्यात क्षेत्र सफलता से जोड़ दिया गया है, इसके लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रणाली का विस्तार किया गया है और जरूरत के अनुसार पुनर्गठन किया गया है। विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन और सुधारों के अन्य उपायों के फलस्वरूप निर्यात के लिए नकद मुआवजा सहायता की प्रणाली खत्म कर दी गई थी क्योंकि विनिमय दर में परिवर्तन के कारण ही निर्यात के लिए काफी अच्छे प्रोत्साहन मिल जाते हैं।

5. उपर्युक्त प्रारम्भिक घोषणा के बाद उद्योग-व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है और सरकार के घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं। कुछ और कदम आज अलग से अधिसूचित किए जा रहे हैं। व्यापार नीति और क्रियाविधियों के बारे में जो सारे कदम उठाए जा रहे हैं उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस वक्तव्य में दिया गया है।

नई एक्सिमस्क्रिप प्रणाली

6. प्रतिपूर्ति प्रणाली का विस्तार और पुनर्गठन किया गया है ताकि सभी वर्गों के निर्यातकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन मिले। आर० ई० पी० लाइसेंसों के स्थान पर एक नया दस्तावेज शुरू किया गया है जिसका नाम "एक्सिमस्क्रिप" है। एक्सिमस्क्रिप कच्चे माल, कलपुर्जे और अतिरिक्त सामान के कुछ आयात प्राप्त करने के साधन होंगे। एक्सिमस्क्रिप या निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य

या निर्यात से अर्जित नेट विदेशी मुद्रा के आधार पर निम्नलिखित तरीके से जारी किए जाएंगे। इस नई प्रणाली की मुख्य बातें यह हैं :—

(1) एक्सिमस्क्रिप निर्यात के बदले जिस बुनियादी दर पर जारी किए जाएंगे वह एफ० ओ० बी० मूल्य का 30 प्रतिशत होगी। दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को किए गए निर्यात के लिए ऐसे एक्सिमस्क्रिप मिल सकेंगे जो दुर्लभ मुद्रा आयात के लिए मान्य होंगे और रुपया भुगतान क्षेत्रों को किए गए आयात के लिए जारी एक्सिमस्क्रिप केवल इन्हीं क्षेत्रों से आयात के लिए मान्य होंगे। परन्तु इस संक्रमण या बदलाव की अवधि में सुधार के एक उपाय के रूप में भुगतान क्षेत्रों को किए गए निर्यात के लिए दुर्लभ मुद्रा आयात के लिए मान्य आर० ई० पी० लाइसेंस 4 जुलाई, 1991 से पहले की दरों पर मिलते रहेंगे। संक्रमण काल की यह सुविधा 31 दिसम्बर, 1991 तक होने वाले निर्यात के लिए भी मिलेगी।

(2) रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प उत्पादन, समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाओं और सिनेमा फिल्मों जैसे उत्पादों के लिए उच्च दरों पर आर० ई० पी० सुविधा थी और अब भी इन उत्पादों के लिए पहले जैसी दरों पर ही एक्सिमस्क्रिप उपलब्ध होंगे।

(3) वर्तमान 30 प्रतिशत की बुनियादी दर कुछ उत्पादों के निर्यात के लिए अपर्याप्त है— जैसे मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद, इलैक्ट्रानिक उत्पाद, बल्क औषधियां तथा समुद्री उत्पाद संरूपण तथा कुछ समुन्नत इंजीनियरी सामान। इन उत्पादों की सूची अनुबन्ध-1 में दी गई है और इनके लिए 10 प्रतिशत बिन्दुओं की अतिरिक्त एक्सिमस्क्रिप हकदारी मिल सकेगी और इस प्रकार इन उत्पादनों के लिए एक्सिमस्क्रिप की कुल दर एफ० ओ० बी० मूल्य का 40 प्रतिशत हो जाएगी।

(4) एडवांस लाइसेंसों के बदले प्राप्त शुल्क मुक्त आयातों के आधार पर किए गए निर्यात के लिए 30 प्रतिशत की आम दर पर ही एक्सिमस्क्रिप उपलब्ध होंगे किन्तु यह नेट विदेशी मुद्रा अर्जन के अनुसार लागू किया जाएगा। इसी सिद्धांत के अनुसार, नेट विदेशी मुद्रा अर्जन के 30 प्रतिशत की दर पर एक्सिमस्क्रिप सभी निर्यात अभिमुख यूनिटों के लिए और निर्यात संसाधन जोन यूनिटों के लिए भी उपलब्ध होंगे।

(5) एक्सिमस्क्रिप को नेट विदेशी मुद्रा अर्जन की 30% दर सेवाओं के निर्यात पर भी लागू होगी, इनमें साफ्टवेयर के निर्यात भी शामिल हैं जिसे थ्रस्ट एरिया कहा जाता है। इस श्रेणी में आने वाली सेवाओं की परिभाषा को युक्तिपूर्ण बनाया गया है और इसमें विस्तार करके और सेवाओं को शामिल किया गया है जैसे वास्तुविद् (आर्किटेक्ट्स), टेक्सटाइल डिजाइनर, कलाकार, प्रबन्ध-परामर्शदाता, वकील आदि की सेवाएं। यह लाभ निवासी भारतीयों द्वारा निर्यात की गई उन सेवाओं के लिए मिलेगा जिनसे सम्बन्धित धनराशि भारतीयों को भेजी जाएगी।

7. निर्यातकों को जारी एक्सिमस्क्रिप व्यापार योग्य होगी और उनका उपयोग सीमित अनुमेय सूची (परिशिष्ट 3), गैर-संवेदनशील सारणीबद्ध सूची (परिशिष्ट 5क) में दी गई किसी मद तथा वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए सभी ओ० जी० एल० मदों (परिशिष्ट 6, सूची 8, भाग-1 तथा सूची

10) के आयात के लिए किया जा सकता है। निर्यातकों द्वारा अपने निर्यातों को अर्जित एक्सिमस्क्रिप का उपयोग प्रतिबन्धित सूची (परिशिष्ट 1क) में दी गई वस्तुओं को छोड़कर गैर-ओ० जी० एल० पूंजीगत माल के आयात के लिए भी किया जा सकता है। दिनांक 4 जुलाई, 1991 से पहले किए गए निर्यातों के आधार पर जारी किए गए सभी आर० ई० पी० लाइसेंस उस लाइसेंस की समयावधि तक वैध रहेंगे और उन्हें वही आयात हकदारी मिलेगी जो कि नई एक्सिमस्क्रिप्स को मिलेगी। निर्यात घरानों/व्यापार घरानों को जारी किए गए ऐसे अतिरिक्त लाइसेंस, जो पहले सीमित आयात मदों के लिए वैध थे, वे अब एक्सिमस्क्रिप के रूप में उतनी ही आयात मदों के लिए वैध रहेंगे।

8. एक्सिमस्क्रिप आरम्भ किए जाने से, परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध कच्ची सामग्री, संघटकों तथा हिस्से-पुर्जों के लिए प्रतिपूरक लाइसेंस जारी करने की प्रणाली समाप्त हो जाएगी लेकिन लघु उद्योगों तथा विशेषीकृत जीवन रक्षक औषधियों और उपस्कर के विनिर्माताओं के लिए यह प्रणाली लागू रहेगी। भविष्य में, इन मदों की सभी आयात आवश्यकताएं (ऊपर दिए गए अपवाद के के साथ) एक्सिमस्क्रिप्स के माध्यम से पूरी की जाएगी। इस प्रकार परिशिष्ट 4 तथा परिशिष्ट 9 में दी गई मदें, जिन्हें पहले प्रतिपूरक लाइसेंसों के आधार पर आयात किया-जा सकता था उन्हें अब एक्सिमस्क्रिप्स के आधार पर ही आयात किया जा सकेगा। आयात-निर्यात नीति 1990-93 के परिशिष्ट 2 भाग ख (प्रतिबन्धित मदों की सूची) तथा परिशिष्ट 8 (आयात के लिए प्रतिबन्धित वैज्ञानिक तथा माप-तोल संयंत्रों की सूची) में दी गई मदों के आयात के लिए लाइसेंसों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे लाइसेंसों तथा लघु उद्योगों के लिए तथा जीवन रक्षक औषधियों/उपस्करों के विनिर्माताओं के लिए अपेक्षित लाइसेंसों को विशेष लाइसेंस कहा जाएगा, क्योंकि यह सीमित होंगे और वास्तव में विशेष मामले होंगे।

9. आयात दबाव के उपाय के रूप में तथा आयात क्षमता और निर्यातों के सम्पर्क को मजबूत बनाने के लिए दो और परिवर्तन किए गए हैं। गैर-सूचीबद्ध ओ० जी० एल० की श्रेणी समाप्त कर दी गई है और इन मदों को परिशिष्ट 3 में ले जाया गया है। इनका आयात अब (लघु उद्योग तथा जीवन रक्षक औषधियों के विनिर्माताओं/उपस्करों को छोड़कर) एक्सिमस्क्रिप के आधार पर ही किया जा सकता है। जो इकाइयां चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी० एम० पी०) के अन्तर्गत आती हैं और जिनमें से अनेक ओ० जी० एल० मदों के अपने आयातों पर रियायती शुल्क से लाभ उठा रही हैं, ऐसे सभी इकाइयों के मामले में अब ऐसी मदों को एक्सिमस्क्रिप के आधार पर ही आयात किया जा सकता है।

10. एक्सिमस्क्रिप तभी जारी की जाएगी जब निर्यात आय की वसूली हो जाएगी। एक्सिमस्क्रिप जारी करने की प्रक्रिया सरल और कारगर बना दिया गया है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक्सिमस्क्रिप आवेदन पत्र प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर जारी कर दी जाए। इस आवेदन पत्र के साथ एकमात्र दस्तावेज अर्थात निर्यात आय की वसूली के लिए बैंक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

अग्रिम लाइसेंस

11. अग्रिम लाइसेंसों की प्रणाली इस उद्देश्य से बनाई गई है जिससे कि निर्यातकों को वे अन्तर्निदिष्ट साधन शुल्क मुक्त प्राप्त हो सकें जिनकी जरूरत उन्हें विश्व बाजारों के लिए प्रतियोगी माल का उत्पादन करने में होती है। व्यापार नीति का यह एक महत्वपूर्ण साधन है, विशेषरूप से हमारी

स्थिति में जहां पर टैरिफ का स्तर अब भी अधिक है। निर्यात बढ़ाने के लिए एक उपाय के रूप में सरकार ने अग्रिम लाइसेंस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) अग्रिम लाइसेंस आवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन मामलों में निवेश उत्पादन के मानदण्ड निर्धारित किए जा चुके हैं, ऐसे सभी मामलों में आवेदन को 15 दिन के भीतर अग्रिम लाइसेंस जारी कर दिए जाएं। जहां तक मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं वहां यह लाइसेंस 45 दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

(2) अग्रिम लाइसेंस आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले कागजातों की संख्या जिन मामलों में मानदण्ड निर्धारित हैं उनमें 9 घटाकर 3 और जिन मामलों में मानदण्ड निर्धारित नहीं है उनमें घटाकर 4 कर दी गई है।

(3) इस समय 540 मदों के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं। दिनांक 31 अक्तूबर, 1991 तक ये मदें बढ़कर 1000 से भी अधिक हो जाएगी तथा इसके बाद और भी मदें कवर की जायेंगी।

(4) अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत पर्याप्त विनिर्माण कियाकलापों की जो अनिवार्य शर्त है, वह सामान्य मुद्रा क्षेत्र को होने वाले निर्यात हेतु लागू नहीं रहेगी, यद्यपि मूल्यवर्धन मानदण्ड लागू रहेंगे। इस योजना के अन्तर्गत अधिसंख्य निर्यातक लाभान्वित होंगे।

(5) चुनिन्दा थ्रस्ट क्षेत्रों अर्थात वस्त्र, चमड़े के सामान और इन्जीनियरी उद्योगों में सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी० सी० ए०) निर्यात के लिए हस्तान्तरणीय अग्रिम लाइसेंस की एक नई योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत निर्यातक बाजार से प्राप्त और शुल्क-युक्त निविष्टियों के आधार पर निर्यात कर सकते हैं और तत्पश्चात् शुल्क मुक्त आयात के द्वारा इन निविशिष्टयों की प्रतिपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। ये अग्रिम लाइसेंस मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगे। गुणावगुण के आधार पर इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

(6) अग्रिम लाइसेंसों के आयात और निर्यात दोनों के ही प्रयोजन के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा के मूल्य दिए रहेंगे। जिन विदेशी मुद्राओं में ऐसे मूल्य दिए जायेंगे वे उन्हीं विदेशी मुद्रा तक सीमित रहेंगी जिन्हें इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिसूचित करे।

(7) विभिन्न निर्यातक श्रेणियों से ली जाने वाली बैंक गारण्टी (बी० जी०) और कानूनी वचन (एल० यू० टी०) प्राप्त करने की जो मौजूदा प्रक्रिया है उसे निम्नानुसार सुव्यवस्थित और उदार बनाया जा रहा है :

(क) निर्यात/व्यापार चोटी के व्यापार घरानों और सरकारी उपक्रमों को बिना किसी आर्थिक सीमा के केवल कानूनी-वचन पर ही अग्रिम लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(ख) वे सभी विनिर्माता इकाइयां भी अपने वार्षिक उत्पादन के 50% भाग की मूल्य सीमा तक एल० यू० टी० सुविधा का लाभ उठा सकेंगी जिनका कारोबार पिछले 3 वर्षों के दौरान कम से कम 5 करोड़ रुपए वार्षिक (घरेलू तथा निर्यात दोनों को मिलाकर) हो।

(ग) ऐसी नई इकाई को भी एल० यू० टी० सुविधा दी जाएगी जिसका कुछ भी उत्पादन अथवा निर्यात निष्पादन न हो बशर्ते कि वह किसी ऐसी मौजूदा कम्पनी की इकाई हो जिसका उत्पादन तीन वर्ष से अधिक तक प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का हुआ हो। ऐसे मामले में नई कम्पनी और संवर्धनकारी कम्पनी/संवर्धनकर्ता दोनों को कानूनी वचन देना होगा।

(घ) बैंक गारण्टी और/अथवा कानूनी वचन दायित्व, निर्यात दायित्व को पूरा करने तक की अवधि के लिए ही रहेगा।

(8) निर्यातकों को प्रतिपूर्ति द्वारा अग्रिम लाइसेंस पर आयात किए गए माल का निपटान करने की अनुमति होगी। इसके लिए उन मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी जिनमें निर्यात में प्रयुक्त घरेलू माल पर कोई मॉडवेट सुविधा प्राप्त नहीं की गई हो।

(9) आयात की गई अलग-अलग मदों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण आवश्यक समायोजन की अनुमति अग्रिम लाइसेंस के समग्र सी० आई० एफ० मूल्य के भीतर ही दी जाएगी।

(10) पुनर्मान्यता की शक्ति जो इस समय मुख्यालय की लाइसेंसिंग समिति के पास है, वह अब लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सौंप दी गई है।

(11) जिन मामलों में अग्रिम लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र अस्वीकृत हो जाते हैं उनमें निर्यातक को यह अनुमति होगी कि वह उसे सीमा शुल्क समाहर्ताओं से शुल्क वापस प्रणाली में बदल लें ताकि पहले किए गए पोत लदानों का आयात शुल्क वापसी के परिणामों दावों पर शुल्क भुगतान पर किया जा सके।

(12) निर्यातक अग्रिम लाइसेंसों के आधार पर घरेलू आपूर्ति के लिए अग्रिम रिलीज आर्डर प्राप्त कर सकते हैं जिनके तहत घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को माने गए निर्यातों का लाभ मिलता है, अब से रिलीज आर्डर काउण्टर पर ही जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए घरेलू आपूर्तिकर्ता का नाम उसी समय देना जरूरी नहीं होगा, उसका नाम बाद में दिया जा सकता है।

12. इन प्रक्रियाओं को अपनाने से मनमाने नियंत्रण और विलम्ब में कमी आएगी तथा निर्यातकों को विश्व बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए शुल्क-मुक्त आवश्यकता कच्चा माल प्राप्त करने में और अधिक स्वतन्त्रता मिलेगी तथा इससे देश के निर्यात बढ़ेंगे।

निर्यात संसाधन जोन तथा शत-प्रतिशत निर्यात-अभिमुख यूनिट

13. निर्यात संसाधन जोन योजना और शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट योजना की शुरू-आत शुल्क मुक्त एंक्लेव प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि उद्यमकर्ता केवल निर्यात माल के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। किन्तु घरेलू टैरिफ क्षेत्र को अधिक उदार बना देने से निर्यात संसाधन जोनों/निर्यात अभिमुख यूनिटों को मिलने वाले शुल्क लाभ का महत्व कम हो गया है, जबकि सीमा-शुल्क बन्ध-पत्रों की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसलिए ये योजनाएं इतनी प्रभावी सिद्ध नहीं हुई जैसी कि उम्मीद थी और वे निर्यात बाजारों में पहुंच बनाने के उद्देश्य से विदेशी पूंजी को भी उतना आकर्षित नहीं कर सकी जितनी कि उम्मीद थी। इन योजनाओं के कार्यचालन की समीक्षा की गई है और निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :—

(1) सभी निर्यात संसाधन जोन/निर्यात अभिमुख यूनिट निवल निदेशी मुद्रा अर्जन के लिए 30% की मूल दर से एक्सिमस्क्रिप्स की पात्र होंगी।

(2) निर्यात अभिमुख इकाइयों/निर्यात संसाधन जोन की इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में की जाने वाली बिक्री पर लागू शुल्क की दर को घटाकर सामान्य सीमा शुल्क का 50% किया जा रहा है बशर्ते कि भुगतान किए जाने वाला शुल्क उसी उत्पाद पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से कम न हो। घरेलू क्षेत्र में बिक्री के लिए अनुमत मात्रा उनकी हकदारी के अनुसार होगी। जो इकाइयां उत्पादन के 30% से अधिक स्वदेशी कच्ची सामग्री का प्रयोग करेंगी उनके मामले में निर्यात बिक्री की तुलना में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति 25:75 के अनुपात से दी जाएगी। अन्य सभी मामलों में घरेलू टैरिफ क्षेत्र की अनुमत बिक्री तथा निर्यात बिक्री की अनुपात 15:85 का होगा। सरकार की यह नीति है कि अधिक आयात-अंश वाली इकाइयों के आयात अंश को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री के लिए निर्यात संसाधन जोनों से माल की मंजूर की क्रिया विधियों को भी सुकर बनाया जा रहा है।

(3) निर्यात अभिमुख यूनिटों अथवा निर्यात संसाधन जोन की इकाइयों की स्थापना के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि निर्यात अभिमुख यूनिट अथवा निर्यात संसाधन जोन की इकाइयां अपनी मूल/सहयोगी कम्पनियों का निर्यात घराने, व्यापार घराने या चोटी के व्यापार घराने का दर्जा दिलाने के लिए अपने निवल विदेशी विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ अपनी मूल/सहयोगी कम्पनियों के अर्जन को भी जोड़ सकते हैं।

(4) निर्यातकों के लिए इस्पात की आपूर्ति हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना है, वह अब निर्यात अभिमुख इकाइयों और निर्यात संसाधन जो की इकाइयों पर भी लागू होगी। संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात के बदले, विकास आयुक्तों को "भुगतान प्रमाणपत्र" जारी करने का अधिकार दिया जा रहा है।

14. नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, परिभाषित सूची को छोड़कर अधिकांश उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जहां पूंजीगत मामलों का आयात विदेशी इक्विटी में

सम्मिलित है अथवा जहां यह संयंत्र के मूल्य और निवेश का 25% है, बशर्ते कि 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो, वहां पूंजीगत मालों के आयात की स्वतः स्वीकृति की भी व्यवस्था की गई है। निर्यात संसाधन जोन/निर्यात अभिमुख इकाइयों की स्वीकृति की प्रक्रिया को तुलनात्मक रूप से सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से कुछ निश्चित परिमापों के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रस्तावों के लिए स्वतः स्वीकृति की एक व्यवस्था की जा रही है। स्वतः स्वीकृति प्रक्रिया के अन्तर्गत पूंजीगत मालों के आयात की अनुमति तभी होगी यदि वह आयात विदेशी इक्विटी में पूर्णरूप से सम्मिलित होगा या वह प्लांट और उपकरण के मूल्य के 50 प्रतिशत को पार नहीं करेगा जिसकी सीमा 3 करोड़ रुपए होगी। स्वतः स्वीकृति परिमापों के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रस्तावों को दो सप्ताह के अन्दर स्वीकृति दे दी जाएगी। अन्य सभी प्रस्तावों की स्वीकृति बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और उन पर 45 दिनों के अन्दर लाइसेंस जारी करने सहित, निर्णय ले लिया जाएगा।

15. निर्यात संसाधन जोन/निर्यात अभिमुख इकाइयों के प्रचालन से सम्बन्धित बहुत से मामलों में वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालयों की केन्द्रीकृत स्वीकृति की आवश्यकता रहती थी। अब विकास आयुक्तों को ये अधिकार सौंपे गए हैं जिससे कि ये स्वीकृतियां विकेन्द्रित आधार पर दी जा सकें। निर्यात संसाधन जोन की इकाइयों को व्यापक बनाने के उन मामलों में विकास आयुक्त की विशेष स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी जिनमें मूल्य वर्धन जारी रखा गया हो। ऐसी सम्बन्धित इकाइयों के लिए केवल यह आवश्यक होगा कि वे इससे सम्बन्धित विकास आयुक्त को दे दें।

16. निर्यात अभिमुख इकाइयों/निर्यात संसाधन जोन इकाइयों को निम्नांकित विशेष छूट दी गई है :

(1) सीमा शुल्क निकासी को शीघ्र सम्पादित करने के लिए आयात किए गए कच्चे माल के प्रवेश को "अस्थायी आकलन" आधार पर अनुमति देना।

(2) निर्यात संसाधन जोन और निर्यात अभिमुख इकाई योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों को तैयार मालों की उनके बीच आपूर्ति/अन्तरण की अनुमति देना।

(3) आयात की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बहुल बन्धपत्र का एकल बन्धपत्र में बदला जाना।

(4) "विशेष पेशगी लाइसेंस योजना" के अन्तर्गत आने वाली मदों की सूची में चयनात्मक आधार पर वृद्धि करना।

(5) निर्यात अभिमुख इकाइयों को पूर्व-अधिप्रमाणित सीटी-3 मार्ग पुस्तिकाएं जारी करके उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना ही घरेलू टैरिफ क्षेत्र से शीघ्र सप्लाई सुनिश्चित करना। इससे यह होगा कि प्रत्येक बार छूट मांगते समय केन्द्रीय सीमा-शुल्क कार्यालयों से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(6) यह स्पष्ट करना कि निर्यात संसाधन जोनों और निर्यात अभिमुख यूनिटों में जिन कंटेनरों में माल भरा गया है उनकी अन्य स्थानों पर पुनः जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक उन पर सील लगी है।

17. सरकार ने निर्यात संसाधन जोनों में स्थित इकाइयों और निर्यात अभिमुख यूनिटों को शुल्क मुक्त कच्चे माल, संघटकों, उपभोक्ता वस्तुओं और अतिरिक्त पुर्जों की बिक्री और भंडारण के लिए गैर सरकार पार्टियों को निर्यात संसाधन जोनों में कर देय (बांडेड) भण्डार स्थापित करने की अनुमति देने का भी निश्चय किया है। इससे शुल्क मुक्त माल की आपूर्ति में जो देरी होती थी उसमें कमी होगी, यह निर्यातकों की एक सतत् और नियमित मांग भी रही है। इस योजना का विवरण शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

पूंजीगत माल के आयात के लिए सरलीकृत प्रक्रिया

18. औद्योगिक नीति सम्बन्ध विवरण के अनुसरण में पूंजीगत माल के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नई इकाइयों और पर्याप्त विस्तार वाली इकाइयों की आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट 1, भाग-क (प्रतिबन्धित सूची) के अलावा पूंजीगत माल के आयात के लिए, स्वदेशी उपलब्धता के दृष्टिकोण से क्लीयरेंस के बिना, लाइसेंस स्वयं दे दिए जाएंगे बशर्ते कि पूंजीगत माल का विदेशी आयात विदेशी इक्विटी द्वारा पूरी तरह से कवर होता हो या आयात मांग प्लांट और मशीनरी के मूल्य का 25% तक हो जो 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

19. सभी निर्यातकों और निर्यात घरानों को परिशिष्ट-1 के भाग क में दिए गए माल के अलावा गैर ओ० जी० एल० पूंजीगत माल के निर्यात की अनुमति दे दी गई है क्योंकि एक्सिमस्क्रिप्स हकदारी बढ़ा दी गई है और निर्यातकों को ऐसे पूंजीगत माल के आयात के लिए अपने निजी निर्यात पर अर्जित एक्सिमस्क्रिप्स के प्रयोग की अनुमति है।

व्यापार और सीमाशुल्क विश्लेषण को संगत बनाना

20. आयात-निर्यात नीति में प्रयोग होने वाली वर्गीकरण प्रणाली और सीमाशुल्क द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रणाली दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और इससे विभिन्न मदों पर लागू टैरिफ स्तर का निर्धारण करने में कभी-कभी कठिनाई होती है। दोनों कोडों को संगत बनाया जा रहा है और यह सुमेलित वर्गीकरण सितम्बर, 1991 में जारी कर दिया जाएगा। इससे निचले स्तर पर होने वाले विवेकाधीन निर्णय करने का स्कोप घटेगा और टैरिफ ढांचे सहित आयात नीति में पर्याप्त स्पष्टता आएगी।

आयात-निर्यात का सरणीकरण

21. आयात और निर्यात की कई मदों को अभी तक केवल सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषीकृत एजेंसियों द्वारा आयात या निर्यात के लिए सरणीकृत किया गया है। सरकार ने इस प्रकार सरणीकृत सूची की समीक्षा की है और यह निश्चय किया है कि अनेक मदों को गैर सरणीकृत किया जा सकता है। निर्यात के मामले में 16 मदों को तत्काल गैर-सरणीकृत किया जा रहा है। आयात के मामले में 6 मदों को गैर सरणीकृत किया जा रहा है और उन्हें खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा जा रहा है जबकि 14 मदों को गैर-सरणीकृत करके परिशिष्ट-3 में सूचीबद्ध किया जा रहा है जहां वे एक्सिमस्क्रिप्स पर आयात के लिए उपलब्ध होंगी। इन मदों सूची अनुबन्ध-II में दी गई है। इन परिवर्तनों के लिए अधिसूचनाएं अलग से प्रकाशित की जा रही हैं।

22. इस बात के पक्ष में जोरदार तथ्य हैं कि कच्चे माल की और मदों के आयात का गैर-सरणीकृत किया जाए और उन्हें ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखा जाए। फिर भी, वर्तमान भुगतान सन्तुलन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन मदों पर निर्णय आस्थगित किया जा रहा है। सरकार की नीति यह है कि सरणीकृत की मात्रा को क्रमिक रूप से कम किया जाए। मार्च, 1992 तक इसकी पुनः समीक्षा करने तथा उपयुक्त निर्णय लेने का प्रस्ताव है। ये निर्णय 1 अप्रैल, 1992 को लागू होंगे।

सामाजिक क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों के उद्देश्य

23. एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों को परम्परागत रूप से सरणीकृत व्यापार पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। अब उनका पुनर्गठन किया जाएगा ताकि वे ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घरानों के रूप में उभर कर सामने आएं जो विश्व के प्रति॰योगी आर्थिक वातावरण में काम कर सकें। लोक नीति के प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सकें और छोटे उद्योगों/कुटीर उद्योगों को पर्याप्त समर्थन सेवाएं प्रदान कर सकें।

निर्यात घराने तथा व्यापार घराने

24. सरकार निर्यात संवर्धन के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में निर्यात घरानों के विकास में सहायता देना जारी रखेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पहल की जा रही है :—

(1) निर्यात घरानों, व्यापार घरानों और चोटी के व्यापार घरानों को उनके पिछले वर्ष के नेट विदेशी मुद्रा अर्जन के आधार पर विभिन्न दरों पर अतिरिक्त लाइसेंस मिलते थे। वर्ष 1991-92 के लिए यह निर्णय किया गया है कि उन मदों की संख्या बढ़ा दी जाए जिनका अतिरिक्त लाइसेंसों के बदले आयात किया जा सकता है। इस प्रकार अब इनकी भी संख्या वही हो जाएगी जो एक्सिमस्क्रिप्स के लिए है।

(2) दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से अतिरिक्त लाइसेंस समाप्त हो जाएंगे और निर्यात घरानों, व्यापार घरानों और चोटी के व्यापार घरानों को निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त एक्सिमस्क्रिप मिलेंगे। इस योजना के ब्यौरे निर्यात मदें अपनी विशेष किस्म के कारण इससे अलग रखी जाएंगी उनके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(3) सरकार ने यह घोषणा की है कि ऐसे व्यापार घराने स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी पूंजी हो। ऐसे व्यापार घरानों को घरेलू निर्यात और व्यापार घरानों को उपलब्ध ऐसे सभी लाभ भी मिलेंगे जो आयात-निर्यात के अनुसार देय होंगे। इन कम्पनियों को निर्यात/व्यापार घरानों के रूप में मान्यता देने की क्रियाविधि अलग से अधिसूचित की जा रही है।

निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा खाते

25 सरकार ने निर्णय लिया है कि सुस्थापित निर्यातकों को अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी जाए। निर्यातकों को विदेशों से ऋण लेने की अनुमति दी जाए। निर्यात से सम्बन्धित आयातों के लिए भुगतान ऐसे खातों से करने की अनुमति दी जाए और निर्यात से अर्जित

राशियां इन खातों में जमा कराने की अनुमति दी जाए। इससे निर्यातकों को अपने आवश्यक आयातों का भुगतान करने में सुविधा मिलेगी। इस योजना का ब्योरा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अलग से अधिसूचित करेगा।

व्यापार बोर्ड

26. व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और उसे एक बार फिर सक्रिय किया जाएगा। व्यापार बोर्ड, एक ऐसा शीर्षस्थ संगठन होगा जो उद्योग और व्यापार तथा सरकार के बीच लगातार घनिष्ठ सम्पर्क रखने में सहायक सिद्ध होगा। सरकार व्यापार बोर्ड की सलाह और सिफारिशों को अत्यधिक महत्व देगी।

मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात के कार्यालय की पुनःसंरचना

27. मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय का नाम बदल कर उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महा निदेशालय किया जा रहा है। इस महा निदेशालय का अब मुख्य कार्य होगा निर्यात का संवर्धन और निर्यात व्यापार के संवर्धन के ही लिए आयात में सुविधा देना। सरकार का विचार है कि आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 तथा उसके अधीन जारी आदेशों की पुनरीक्षा जरूरी है। ऐसी पुनरीक्षा यथा संभव शीघ्र ही की जाएगी। इसके अलावा "कार्यालय क्रिया विधि मैनुअल" की तथा पोर्ट कार्यालयों के कामों की व्यापक पुनरीक्षा की जाएगी तथा उनके लिए कर्तव्यों और कार्यों का एक नया चार्टर तैयार किया जाएगा जिसमें महा-निदेशालय की नई भूमिका की पूरी झलक मिलेगी।

निर्यात संवर्धन में राज्यों की भूमिका

28. निर्यात केवल तभी हो सकते हैं जब हम निर्यात-योग्य माल की पर्याप्त बेशी मात्रा का उत्पादन करें। सरकार की यह मान्यता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति में राज्य सरकारों को प्रमुख भूमिका निभानी है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्यातों को सभी आर्थिक करों से मुक्त कर दें ताकि हमारे निर्यातकों का विश्व बाजार में अच्छी तरह प्रतियोगिता करना सुनिश्चित हो सके। सरकार ने वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य प्रकोष्ठ (स्टेट्स सेल) को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि राज्य सरकारों के साथ परस्पर कार्रवाई अधिक प्रभावी तरीके से हो सके। साथ ही, सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे हर राज्य के सचिवालय में एक अलग निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ (सेल) या एक निर्यात संवर्धन निदेशालय स्थापित करें। केन्द्र सरकार इस काम के लिए राज्यों को लगातार प्रेरित करती रहेगी।

आयात लाइसेंसिंग में कटौती

29. जो नीति सम्बन्धी संशोधन अब क्रियान्वित किए जा रहे हैं उनके फलस्वरूप लाइसेंसिंग की सीमा में और लाइसेंसों की संख्या और प्रकार में काफी कटौती होगी। आयात निर्यात नीति, 1990-93 को परिशिष्ट 3, (छोटे उद्योगों और जीवन रक्षक औषधियों और उपस्करों के निर्माताओं के मामले को छोड़कर) 4 और 9 में बताई गई मदों के आयात हेतु पूरक लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं। निर्यात घरानों तथा व्यापार घरानों को प्रोत्साहन के रूप में जो अतिरिक्त लाइसेंस दिए जाते थे

उन्हें 1 अप्रैल, 1992 से समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर प्रोत्साहन का रूप अतिरिक्त एक्जिमस्क्रिप्स की हकदारी होगी।

30. भुगतान संतुलन की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, निर्यात में इष्टतम कमी करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें से एक उपाय यह है कि अनेक ऐसी मदें जो अभी खुला सामान्य लाइसेंस प्रणाली के तहत हैं उन्हें यहां से हटाकर सीमित अनुमत सूची में ले जाया जाए।

31. इन परिवर्तनों के द्वारा उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल और उत्पादन सामग्री के आयात की नीति को सरल बना दिया गया है। अधिकांश कच्चा माल और अन्य उत्पादन सामग्री (प्रतिबन्धित सूची वाले मदों को छोड़कर) का या तो एक्जिमस्क्रिप के बदले या फिर खुला सामान्य लाइसेंस के आधार पर मुक्त आयात किया जा सकता है। कुछ कच्चा माल अभी सरणीकृत बना हुआ है किन्तु यहां भी अधिकांश मामलों में ऐसी आवश्यक मात्रा एक्जिमस्क्रिप के जरिए पूरी की जा सकती है जो सरणीकृत एजेंसियों द्वारा उपलब्ध मात्रा से अधिक हो। सरकार की नीति धीरे-धीरे ऐसी स्थिति में पहुंचने की है जिसमें औद्योगिक उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल और कलपुर्जों के आयात का समुचित शुल्कों के जरिए नियमन किया जाए। परन्तु भुगतान सन्तुलन की स्थिति के कारण आयात सीमित रखना जरूरी है और इस स्थिति में तुरन्त नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए यह आवश्यक है कि फिलहाल अनेक मदें सीमित स्वीकार्य सूची में ही बनी रहें, और उनके आयात की अनुमति केवल एक्जिमस्क्रिप्स के बदले ही हो।

32. सरकार का मध्यम अवधि उद्देश्य यह है कि पूंजीगत सामान और कच्चे माल/कलपुर्जों पर लगे मात्रात्मक लाइसेंसिंग प्रतिबन्धों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए ताकि इन सभी मदों को खुला सामान्य लाइसेंस पर रखा जा सके इसका अपवाद बेशक कुछ थोड़ी ही ऐसी मदें हो सकती हैं जिन्हें सावधानी से परिभाषित करके प्रतिबन्धित सूची में रख दिया जाए। यह परिवर्तन अगले 3 से 5 वर्ष की अवधि में ले आने का विचार है। सरकार एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करेगी जिसे इस परिवर्तन या संक्रमण की क्रियाविधियों को बनाने का काम दिया जाएगा। यह समिति ऐसी क्रियाविधियां बनाते समय भुगतान संतुलन की स्थिति को ध्यान में रखेगी तथा कर-शुल्कों को युक्तिपूर्ण बनाने और कम करने की जरूरत का भी ध्यान रखेगी ताकि भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता-क्षमता प्राप्त करने के लिए समुचित वातावरण मिले।

अनुबंध-I

10 प्रतिशत प्वाइण्ट तक हकदार अतिरिक्त एक्जिमस्क्रिप के लिए पात्र उत्पाद

1. मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद

   1. अलग-अलग तुरन्त प्रशीतित मछली (मेंढक की टांगों को छोड़कर), डिब्बाबन्द समुद्री उत्पाद।

2. कृषि मदें

   1. 1 किग्रा० या इससे कम के उपभोक्ता पैकेटों में भुनी हुई/नमकीन काजू-गिरियां।

   2. ताजा फल, सब्जियां, कलमें, पौधे और बागवानी सामग्री और हवाई-जहाज से भेजे जाने वाले मसाले।

3. सभी प्रकार के डिब्बा बन्द, बोतल बन्द और कीटाणु रहित तरीके से पैक किए गए फल, सब्जी उत्पाद और मसाले।

4. पिसा हुआ/साधित ग्वार गोंद।

5. इन्स्टैण्ट चाय, तेज आसव वाली काली चाय, चाय बैग, डिब्बाबन्द चाय, चाय कैंडीज और चाय की पेटिगां।

6. सभी प्रकार की इंस्टेण्ट काफी।

3. औषध एवं औषध मध्यवर्ती पदार्थ (जैसा कि आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट 17 के क्रमांक ख-2 पर दर्शाया गया है।

4. सभी इलैक्ट्रानिक उत्पाद।

5. उच्च प्रौद्योगिक इंजीनियरी उत्पाद (अलग से अधिसूचित किया जाएगा)।

अनुबन्ध-II

असरणीकृत की जाने वाली आयात मदों की सूची

असरणीकृत की जाने वाली और खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखी जाने वाली मदों की सूची

1. रेशम के कीट
2. सोडियम बोरेट
3. पुराने जहाज
4. फ्लोरसपार
5. प्लेटिनम
6. पल्लाहडयम

असरणीकृत की जाने वाली आयातों और उन्हें आर० ई० पी० के अन्तर्गत रखी जाने वाली मदों की सूची

1. पटसन का गूदा
2. मनीला सन (हैम्प)
3. कच्चा सीसल फाइबर
4. कच्ची पटसन
5. अल्काइल बैनजीन
6. फ्लोप्पी डिस्केट्स
7. लौरिक एसिड
8. औलिक एसिड

9. स्टीयरिक एसिट
10. पामिटिक एसिड
11. पाम फैटी एसिड
12. पाम एसिड तेल
13. एसिड तेलों सहित शुद्ध अथवा मिश्रित अन्य फैटी एसिड
14. साबुन का स्टाक

असरणीकृत की जाने वाली निर्यात की मदों की सूची

मद

1. अरण्डी का तेल
2. पोलिथिलीन (एल डी)
3. कोयला और कोक
4. रंगीन पिक्चर ट्यूब्स और रंगीन टी॰ वी॰ की उप सहायक सामग्री जिनमें रंगीन टी॰ वी॰ पिक्चर ट्यूब शामिल है।
5. किसी प्रूफ डिग्री का ईथल अल्कोहल अथवा संशोधित स्प्रिट चाहे वह विकृत है अथवा नहीं।
6. अनावृत्त एक्स्पोस्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और विडियो टेप सिनेमा फिल्मस।
7. खांडसारी शीरा
8. शीरा
9. मिल स्केल स्क्रैप
10. गोवा मूल के 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक मैंगजीन की मात्रा वाले द्विधात्वीय अयस्क (काला लौह अयस्क)
11. रेल यात्रा कोच और लोकोमोटिव
12. कच्ची पटसन, मेस्सा और पटसन की कतरने (कटिंग्स)
13. चीनी
14. रेडी मूल की लौह अयस्क
15. गोवा मूल का लौह अयस्क अब जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के अतिरिक्त चीन तथा यूरोप को निर्यात किया जाता है।
16. पश्चिम तट मूल का निम्न ग्रेड का बाक्साइट।

———

5.04 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों पर पर हो रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) मैं आज केसरी जी को, जो हम लोगों के दल और वामपंथी मोर्चा का कार्यक्रम है, उसी पर बोले हैं, बधाई देना चाहता हूं।

श्री कालका दास : सभापति जी, अभी केसरी जी ने मेरा नाम लिया था, अपने भाषण में। शायद उनके सुनने में या समझने में कोई कमी रह गई है। जहां तक आरक्षण की बात है, मैंने यह बात कही कि डा० अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसके कारण यह आरक्षण आया। गांधी जी ने उस समय यह विश्वास दिलाया था कि 10 साल में हम सारी विषमताएं मिटा देंगे, समाज सब घुल मिल जाएगा और आरक्षण समाप्त हो जाएगा लेकिन वह आरक्षण समाज में पिछले 40 साल से चल रहा है और पिछले 40 साल के शासन ने विषमता और बढ़ाई है और जब तक विषमता रहेगी, आरक्षण रहेगा।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, अभी मैं मन्दिर मार्ग थाने से आया हूं। कश्मीरी माइग्रेण्ट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस छोड़ी गई है, 22 लोग उससे जख्मी हुए हैं जिसमें 6-6 साल के बच्चे हैं···जख्मी बहनें हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि होम मिनिस्टर साहब इस मामले को देखें। मैं स्वयं देखकर आया हूं, छः-छः साल के बच्चे हैं। आप होम मिनिस्टर साहब से कहें कि वे इसके बारे में बयान दें।

श्री राजस्थान सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सदन में अत्यन्त महत्वपूर्ण डिबेट हो रही है। इस डिबेट में व्यवधान उपस्थिति करने के लिए कोई दूसरा मामला न लाया जाए। इसके लिए कल का समय है, कल उस पर जो माननीय सदस्य खुराना जी कह रहे हैं, कह सकते हैं। आज इसमें कोई चीज नहीं आनी चाहिए और यह डिबेट निर्विघ्न रूप से चलनी चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री बी० एम० रेड्डी** (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, वामपंथी, राष्ट्रीय मोर्चा और तेलुगू देशम के नेताओं का जो संसदीय शिष्टमंडल आंध्र प्रदेश के त्सुन्दर जिले में गया था, जहां हाल ही में हरिजनों के विरुद्ध क्रूर, निंदनीय अपराध किया गया है, मैं भी उसमें शामिल था। महोदय, दुर्भाग्यवश अपराधियों को पकड़ने के बजाय, इस हत्याकांड में जो भूस्वामी शामिल हैं उन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मूल मुद्दे से हटकर चर्चा की जा रही है कि वर्तमान व्यवस्था सामंतवाद पर आधारित है और जो भूस्वामियों को बहुत अधिकार देती है, जो कि ऐसी घटनाओं के लिए उत्तरदाई हैं। महोदय,

*मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सबसे पहले मैं त्सुन्दर की घटना के बारे में बात करूंगा बाद में इस घटना से सम्बन्धित अन्य मूल मुद्दों के बारे में बोलूंगा ।

महोदय, त्सुन्दर में जो कुछ हुआ वह दो वर्गों के बीच संघर्ष का मामला नहीं है । यह पूर्णतः एकतरफा मामला है । भूस्वामियों के रूप में हत्यारों ने हरिजनों की जघन्य हत्याएं कीं । यह जघन्य अपराध एक दिन से अधिक चलता रहा । नरसंहार एक सर्किल इंस्पेक्टर, 8 सब-इंस्पेक्टर, 40 कांस्टेबल तथा आरक्षी पुलिस बल की उपस्थिति में की गई । मारे गए 22 व्यक्तियों में से केवल 9 व्यक्तियों की ही लाशें मिली हैं । उन मारे गए 22 व्यक्तियों में 3 पीढ़ियों के व्यक्ति थे । हमने ऐसे परिवार देखे हैं जो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं । पिता, माता, पति, पत्नी और उनके बच्चे, कोई नहीं बचे । ये निर्दोष व्यक्ति कब तक मारे जाते रहेंगे ? पुलिस तथा राजनीतिक ताकतें इन घटनाओं के पीछे हैं । हमें इस बात को समझना चाहिए । एक कुटिल और धूर्तचाल चाल चलते हुए पुलिस ने स्थानीय लोगों को बताया कि वे उनकी रक्षा नहीं कर सकते है । उन्होने उन्हें गांव छोड़ देने के लिए कहा । तब वे असहाय और निर्दोष ग्रामीण जमींदारों के जाल में फंस गए । फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो जमींदारों के घिनौने अपराध को करने से रोकता । उन्होंने फिर हत्याओं का दौर आरम्भ किया । महोदय, आमतौर पर हम पुलिस की यह कहकर शिकायत करते हैं कि उनकी निष्क्रय भूमिका रही और कहते हैं कि उन्होंने तत्काल कार्यवाही नहीं की या एहतियात उपाय नहीं किए । लेकिन यहां पुलिस की भूमिका कुछ अलग ही थी । यहां पुलिस के निष्क्रिय रवैया रखने वाला मामला नहीं था । यहां तो वे अपराध को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने में लिप्त थे । उन्होंने निर्दोष लोगों को जमींदारों के जाल में फंसाया । इसी वजह से वे अर्थात जमींदारों ने लोगों को मारा । इस घटना पर इस दृष्टिकोण से भी गौर करना चाहिए ।

महोदय, न केवल पुलिस बल्कि इस थाना के पीछे राजनीतिक हाथ भी लगता है । ग्राम का सरपंच एक कांग्रेसी नेता है । स्थानीय विधान सभा सदस्य भी कांग्रेस पार्टी के हैं । और तो और वह आंध्र विधान सभा के उपाध्यक्ष भी हैं । जब स्थिति तनावपूर्ण थी, जब जमींदार और अन्य लोग जोकि सवर्ण हैं पिछले एक माह से हजिनों को प्रताड़ित कर रहे थे, उन्हें बन्दी बना रहे थे तो उन्होंने उन्हें हर प्रकार का समर्थन दिया । यह नेता जोकि विधान सभा सदस्य है और उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं इस आग में घी डालने का काम करते रहे । कई माननीय सदस्य यहां आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि इस तरह की घटनायें क्यों हुई । लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होंगी ? जब वे लोग जोकि शासक हैं इस तरह की बातों को बढ़ावा देंगे, जब वे इस तरह की घटनाओं को रोकने में असमर्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के घिनौने अपराध जोर पकड़ेंगे । ये घटनाएं जमींदारों और आज के शासकों के मिलीभगत से होते हैं । हम इस कड़वे सच की अनदेखी नहीं कर सकते हैं ।

महोदय, आंध्र प्रदेश में वस्तुतः जमींदारों का ही शासन है । और इससे उनकी हिम्मत बढ़ रही है । वे समझते हैं कि वे कोई भी अपराध कर सकते हैं और बिना कोई दण्ड पाए छूट सकते हैं । उनका विचार है कि सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर बचा लेगी । यही कारण है कि वे सभी सीमाएं तोड़ चुके हैं और उन्होंने यह घिनौना अपराध किया है । उन्होंने गरीब हरिजनों की हत्या की और उनके शवों को बोरों में भरा और नहर में फेंक दिया । दिन भर वे जो कुछ चाहते हैं कर सकते हैं । इससे पता लगता है कि जमींदार इतने निलंज्ज हो चुके हैं कि उन्हें पक्का विश्वास है कि उनके विरुद्ध कोई भी

कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं। यह घटना कांग्रेसी नेताओं और राज्य में उनकी कांग्रेस सरकार के कामकाज के परिणामस्वरूप घटित हुई है।

महोदय, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आंध्र प्रदेश में वस्तुतः जमींदारों का शासन चल रहा है। स्थिति इस हद तक खराब हो चुकी है कि इस तरह के अपराध वहां आम हो गए हैं। वहां सामंतवाद ने एक बार फिर अपना सिर उठाया है। कई माननीय सदस्यों ने भूमि सुधारों के बारे में कहा है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। भूमि सुधार पूरी इमानदारी और निष्ठा से कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। फालतू पड़ी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। तथा यह भूमि गरीब भूमिहीन लोगों में वितरित नहीं की गई है। हाल ही में प्रधानमन्त्री श्री नरसिंह राव ने कहा था कि उनका भूमि विहिनों में भूमि वितरित करने का उत्कृष्ठ रिकार्ड रहा है। उन्होंने तेलंगाना की सफलता का उदाहरण दिया है। उन्हें इस उपलब्धता के लिए किसी प्रकार की सफलता का दावा नहीं करना चाहिए। मैं उनके वक्तव्य का खण्डन कर रहा हूं। तेलंगाना आन्दोलन के दौरान, निजाम के विरुद्ध संघर्ष के दौरान, कम्युनिष्ट अन्य वामपंथियों और प्रगतिशील ताकतों की सहायता से भूमिहीनों को 10 लाख एकड़ भूमि वितरित कर सके। तब जमींदारों और गरीबों के मध्य कोई झगड़ा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी कम्युनिस्टों ने किया था उसे नेस्तनाबूत कर दिया। श्री पी० वी० नरसिंह राव की पार्टी ने सेना की सहायता से तेलंगाना को हासिल करने के बाद पुनः जमींदारों को जमीन वापस दिला दी। जो भूमि कम्यूनिष्टों द्वारा भूमिहीनों को वितरित की गई थी वह पुनः गरीबों से लेकर जमींदारों को वापस दिला दी गई। जमींदारों को पुनः उनकी भूमि दिला दी गई। इसकी कांग्रेस ने अनुमति दी। अतः श्री पी० वी० नरसिंह राव को भूमि वितरित करने के सम्बन्ध में किसी सफलता का दावा नहीं करना चाहिए। महोदय, 900 एकड़ भूमि जिसे पहले फालतू घोषित कर दिया गया था और जिसे गरीबों ने अपने खून पसीने से कृषि योग्य बना दिया था उसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने पुनः फालतू घोषित कर दिया लेकिन वितरित नहीं किया। अब मुख्यमन्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह भूमि फालतू भूमि है। लेकिन वह कहते हैं कि यह भूमि वितरित नहीं की गई है। वह इस आरोप को कि भूमि वितरित नहीं की गई सरकारी अधिकारियों पर थोप रहे हैं। आज इस प्रकार की लाखों एकड़ भूमि आंध्र प्रदेश में जमींदारों के पास है। यहां तक कि मन्दिरों की भूमि भी इन्हीं लोगों के पास है। कोई भी व्यक्ति जो इन समिति या मन्दिर न्यास की अध्यक्षता करता है इन सभी नियमों का उल्लंघन करता है तथा मन्दिर की भूमि का उपयोग करता है। इस तरह से आज जमींदार, देश के सामंत गरीब और निर्दोष लोगों का दमन कर रहे हैं।

महोदय, किसी न किसी को तो इस घिनौने अपराध की नैतिक जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। लेकिन किसे नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जब सत्तारूढ़ दल के उपाध्यक्ष इसमें शामिल हैं तो स्वाभाविक रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुख्य मन्त्री जी को नैतिक आधार पर त्याग-पत्र दे देना चाहिए। महोदय, सरकार को त्याग-पत्र देना चाहिए, जो डाक्टर शवपरिक्षण कर रहे थे वह इस दर्द और व्यथा को सहन नहीं कर सके और उन्होने आत्महत्या कर ली। लेकिन, वे शासक जो इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, पद छोड़ने से इंकार कर रहे हैं। वास्तव में शर्मनाक बात है। श्री नरसिंह राव ने अभी तक उस स्थान का दौरा नहीं किया है। उन्होंने इस मामले पर गौर नहीं किया है। उन्हें हमें बताना चाहिए कि उनके अपने राज्य में क्या हो रहा है, उनकी फालतू भूमि क्यों वितरित नहीं की गई तथा जिस भूमि सुधार का वे दावा कर रहे हैं उसे अब

तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया । उन्हें स्वयं प्रभावित गांव में लोगों के पास जाना चाहिए और स्वयं स्थिति का अवलोकन करना चाहिए । उन्हें अपने प्रभाव का उपयोग करके राज्य में वर्तमान सरकार से त्याग-पत्र देने के लिए कहना चाहिए । जिस शासन में थोड़ी भी नैतिकता और आत्म-सम्मान की भावना है उसे शीघ्र ही अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए ।

अन्त में, महोदय, मैं सरकार से इस घटना के लिए अलग से एक विशेष अदालत स्थापित करने का अनुरोध करता हूं । यह न्यायिक अदालत हो या कोई और अदालत । उन्हें वहां रहना चाहिए और एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मामले पर विचार करना चाहिए । जहां तक गिरफ्तारियों का सम्बन्ध है, जो भी अधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस घटना में शामिल हैं, उन्हें तुरन्त ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए । सर्किल इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर जैसे पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए । इस प्रकरण से सम्बन्धित सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लेना चाहिए । प्रभावित परिवारों का स्थाई पुनर्वास किया जाना चाहिए । एक लाख या दो लाख रुपए देना कोई पुनर्वास करना नहीं है । उनके लिए वैकल्पिक स्थाई जीवन-निर्वाह का उपाय करना होगा । कई परिवारों ने अपने घर-बार खो दिए हैं । उनके लिए स्थाई घर बनाने चाहिए । पिछले दिनों जो लोग बेघर हुए थे उन सबको मुफ्त खाना देना चाहिए । श्री पी० वी० नरसिंह राव को व्यक्तिगत रूप से घटना की जांच करनी चाहिए । उन्हें इस स्थाई समस्या का समाधान ढूंढ़ने का प्रयास करना चाहिए । इस देश में जातिवाद का क्या आधार है ? कई लोग पूछते हैं । महोदय, तेलंगाना आंदोलन से बहुत समय से जुड़े रहने के कारण मेरा यह अनुभव रहा है कि इस देश में जातिवाद और धार्मिक कट्टरता का मूल कारण सामंतवाद है । शासकों द्वारा दिए गए अत्यधिक समर्थन से यह फल-फूल रहा है । सत्ताधारियों द्वारा दिया गया प्रोत्साहन ही नीतियों और समुदायों में दुश्मनी को चिंगारी देता है । अगर हम भूमि सुधार कानूनों को लागू करें तो अपने समाज को इन सभी बुराइयों से मुक्त कर सकते हैं । जब मूलभूत भूमि सुधार लागू किए जाएंगे तो हम देश में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं और तब गरीब और भूमिहीन लोग जमींदारों के चुंगल से मुक्त हो सकते हैं । सिर्फ यही एक समाधान है । इस देश की आम जनता को ग्रामीण धनवानों के शोषण और आधिपत्य से बचाना चाहिए । किसानों और मजदूरों को इन बड़े लोगों के चुंगल से मुक्त कराना होगा । लम्बे समय तक चले तेलंगाना आन्दोलन के दौरान मेरा यह अनुभव रहा है । ऐसे आन्दोलन देश के किसी भी भाग में हो सकते हैं । मैं अपने अनुभवों को इस सम्माननीय सभा के साथ बांट रहा हूं । शासकों और शासितों को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और आज देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए ।

इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर देने पर आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

कुमारी शैलजा (सिरसा) : सभापति महोदय, इस सभा में इस प्रस्ताव पर विचार करने का तात्कालिक कारण आंध्र प्रदेश में 7 अगस्त में हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें 20 हरिजनों की हत्या कर दी गई ।

पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और यह इस प्रस्ताव को सभा में उठाने का तात्कालिक कारण है ।

ऐसी घटनाएं कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में भी हुई हैं।

किन्तु ये ही मात्र घटनाएं नहीं हैं। ऐसी अनेकानेक घटनाएं होती रहती हैं।

इन घटनाओं के बारे में और विशेषकर उस घटना के बारे में जो आंध्र प्रदेश में हुई काफी कुछ कहा गया है और मैं इन तथ्यों का विस्तारपूर्वक निरूपण नहीं करूंगी।

किन्तु जैसाकि श्री राम बिलास पासवान ने यह बहस शुरू करते हुए कहा है, हमें इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने और कई अन्य निकायों ने भी पिछले दौरान विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और समाज में इस वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए और उनपर अत्याचारों को रोकने के लिए कई कानून भी पारित किए गए हैं। किन्तु, हमने देखा है कि इन बातों से शोषण और बढ़ा है और अत्याचार निरन्तर जारी है।

जैसाकि श्री सीताराम केसरी ने स्पष्ट कहा, समाज के इस वर्ग के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और इसकी वजह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमारे विश्वास को ठेस पहुंची है और हम पाते हैं कि ये लोग बदले में, हिंसात्मक कदम उठा रहे हैं।

कुछ दिनों और कुछ हफ्तों बाद जब हम ऐसी घटनाएं बार-बार समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तो सदन में काफी गुहार होती है और शोर शराबा होता है। जबकि वास्तव में, घटनाओं की संख्या काफी अधिक होती है। जैसाकि हम जानते हैं, इन घटनाओं में से कुछ ही घटनाएं पुलिस द्वारा दर्ज की जाती हैं और अधिकांश की सूचना तो पुलिस को दी ही नहीं जाती। जैसाकि हम समाचारपत्रों में कई बार पढ़ते हैं। कि कई बार पुलिस या तो इन घटनाओं में शामिल होती है या जब ये घटनायें होती हैं तो वह ढीलापन दिखाते हैं। ऐसी घटनाओं की सूचना देने पर भी कई अपराधी बेदाग छूट जाते हैं। इन घटनाओं के प्रकाश में आने पर मुआवजा दिया जाता है। कई बार हम इसका स्वागत करते हैं, कई बार हम कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है और यह मुआवजा अस्थाई है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन कारणों का पता लगाएं जिनके कारण यह अत्याचार होते हैं। हम सब का विश्वास है, हम सब जानते हैं कि इनकी प्रवृति सामाजिक-आर्थिक है। इनमें से अधिकांश घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। हम जानते हैं कि इनमें से अधिकांश घटनाएं भूमि सम्बन्धी मामलों और रोजगार सम्बन्धी होती हैं। इनमें से अधिकांश का कारण होता है ऊंची जाति के लोगों द्वारा नीची जाति से की गई मांगें। ये उन प्रथागत सेवाओं के बारे में होती है, नीची जाति के लोगों से इन सेवाओं को करने की उपेक्षा की जाती है। यह एक अत्यन्त दुःखद तथ्य है।

महोदय, हम 21वीं शती में प्रवेश करने वाले हैं। इस शती के अन्तिम दशक में भी, हमारा समाज अभी भी जाति विभाजन के चंगुल में फंसा है। अस्पृश्यता अभी भी इस देश में विद्यमान है। मैं एक व्यक्तिगत घटना बताती हूं। जब मैं छोटी थी, तो हमारे गांव की एक महिला हमारे घर आया करती थी। वे मेरे पिता के पास निजी कार्य के लिए आया करती थीं। वह हमसे काफी स्नेह रखती थी। किन्तु, जब भी वे हमारे घर आती मैं उनसे कतराती थी क्योंकि वे साफ नहीं रहती थीं। हम

उन्हें पानी देते थे किन्तु वे इसे पीने से इंकार कर देती थीं। मैं यह बात समझ नहीं पाती थी क्योंकि मैंने उन्हें अपने घर के बाहर के नल से पानी पीते हुए देखा। जब मैंने अपनी माता से कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वह महिला ऊंची जाति की थीं। यह वास्तविकता है।

महोदय, श्री पासवान ने अभी कहा कि नई पीढ़ी के हम लोग, जो शिक्षित हैं और स्वातंत्र्योत्तर काल में बड़े हुए हैं वे स्थिति को बदलना चाहते हैं। हमें इसमें पूरा विश्वास है। मैं उनसे सहमत हूं। मैं उतनी ही सुशिक्षित हूं जितना कि ऊंची जाति का कोई व्यक्ति है, अतः मैं स्वयं को उनके बराबर समझती हूं। किन्तु, मैंने अभी आपसे इस घटना का उल्लेख किया, सामाजिक संदर्भ में अस्पृश्यता अभी भी विद्यमान है। जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि वे समाज का असुरक्षित वर्ग है जो अन्य जातियों और समुदायों के लोगों द्वारा शोषित है। समाज के कमजोर वर्ग के संदर्भ में भी यह कथन सत्य है। जब भी ऐसे अत्याचार होते हैं तो इनका पहला और सबसे अधिक शिकार महिलाएं और बच्चे ही होते हैं। जैसाकि पहले कहा गया है, इसके लिए कई बातों को बदलना होगा। एक नई जागृति की आवश्यकता है और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शिक्षा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। आज, हम शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं जबकि, सारे गांवों में विद्यालय भी नहीं हैं; जब सामान्य जनता भी विद्यालयों में नहीं जाती तो हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं।

विशेष अदालतें बनाने का भी मुद्दा उठाया गया था। ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए हम विशेष अदालतें बना सकते हैं। जब हम विशेष अदालतों की बात करते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि निचले और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के बहुत कम न्यायाधीश होते हैं या इन पदों पर महिलाएं भी कम नियुक्त होती हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन अदालतों में यदि अधिक महिलाएं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नियुक्त किया जाए तो लोगों को अधिक न्याय मिलेगा और शीघ्र मिलेगा। **(व्यवधान)**

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, क्या हो रहा है?

सभापति महोदय : सदन में काफी शोर है। कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

कुमारी शैलजा : मैं इस सम्माननीय सदस्यों के द्वारा समाज के सभी वर्गों से अनुरोध करूंगी कि हम जाति और समुदाय के समुचित दायरे सें बाहर आएं और देखें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समाज में उचित स्थान मिले। जब तक हम ऐसा नहीं करते, मैं नहीं सोचती कि हमें इस आधुनिक विश्व में उचित स्थान लेने का कोई अधिकार है। जब तक हम अस्पृश्यता को पूरी तरह नहीं मिटा देते, इस अपने समाज को इस रोग से पूरी तरह मुक्त नहीं कर देते, तब तक हम 21वीं शती में कैसे प्रवेश कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : सभापति जी, आज इस सदन में अनुसूचित जाति और

जनजाति के लोगों पर देश में हो रहे अत्याचारों के विषय पर बहस चल रही है। उसके साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश में घटना हुई उस पर भी बहस हो रही है। उस घटना से पूरे हिन्दुस्तान की जनता दुःखी है। आंध्र ही नहीं महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि अन्य राज्यों में भी हरिजनों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी 15 अगस्त में दो दिन बाकी हैं और हम लाल किले पर उसे मनाने वाले हैं।

सभापति महोदय, देश की आजादी के 44 वर्ष बाद भी आंध्र प्रदेश में यह हुआ है। हम पहले अखबारों में पढ़ा करते थे कि जो मास अटैक हरिजनों पर, अत्याचार होते रहे, वे उत्तर प्रदेश या बिहार में होते रहे हैं लेकिन अब आंध्र प्रदेश में भी बहुत संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब बी० जे० पी० का संगठन चल रहा था, कारमचेडू का इन्सीडेंट हुआ था। नीरकुण्डा में मास अटैक हुआ था। नीरकुण्डा, परीदीमुलम और एक और गांव में हुआ। उसके बाद अभी सरकार आने के बाद नलगोंडा जिला में बाडाईगुड्डा तण्डा है, वहां हरिजन लोग रहते हैं, वहां भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ था। नारायणखेड, मेडक डिस्ट्रिक्ट में हरिजनों पर अत्याचार हुआ था। उसके बाद हैदराबाद में दंगे हुए। वहां पर तीनाकुण्टा हरिजन बस्ती में 8 हरिजनों पर हमला किया गया।

सभापति महोदय, अभी गुन्टूर जिला के चुन्डूर गांव में मैं और श्री श्याम लाल कमल होकर आये। तारीख 6 को वहां घटना हुई है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां दो साल से सोशल टेंशन हुआ जा रहा है। हरिजनों और बाकी समुदाय के बीच में टेंशन बढ़ा जा रहा है। वहां पर 7 जुलाई को श्रीनिवास रेड्डी नौजवान बच्चा दूसरे बच्चों के साथ सिनेमा घर में सिनेमा देख रहा था। साथ ही साथ दूसरे हरिजन बच्चे भी थे। उस बच्चे का पैर लगने से वहां झगड़ा शुरू हो गया। फिर बाद में उस हरिजन बच्चे के पिता जी को लेजाकर कमरे में बांधा गया था और वह समस्या पुलिस में आ गयी थी। मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर चुन्डूर का पुलिस स्टेशन है, वहां एक कम्प्लेंट लाज हुई थी। रवि नाम का एक हरिजन लड़का था, उसकी कम्प्लेंट का क्या हुआ? एक लड़की को वहां मोलेस्टेशन किया गया लेकिन 354/352 सैक्शन का कम्प्लेंट लाज किया गया था। बाद में वहां ऐसी स्थिति बनती जा रही थी कि गांव के अन्य लोगों और हरिजनों में सोशल बायकाट किया गया। किसी भी हरिजन को कपड़े धोने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए मना किया गया था। इस प्रकार सोशल बायकाट हुआ। बाद में 6 अगस्त को 1.30 बजे यह घटना हुई थी।

सभापति महोदय, मैं एक बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो 6 तारीख को घटना होने वाला था, वहां पर सर्किल इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टर अपने 40 पुलिस वालों के साथ थे। अगर पुलिस प्रिकाशनरी मैजर्स लेती तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह घटना वहां नहीं हो सकती थी। अब इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर है। उस छोटे से गांव में 6 हजार आबादी हैं जिसमें दो हजार हरिजन और बाकी चार हजार स्वर्ण लोग हैं। वहां पर काफी पुलिस थी फिर भी सवर्ण लोग पुलिस के साथ मिलकर हरिजनों से गुत्थ गए। पुलिस ने हरिजनों को वहां से चले जाने को कहा और वे भाग गए। भागते भागते भी सवर्ण जाति के लोग वहां चले गए और इतने में सब्बल और डंगर्स लेकर हरिजनों को मारा था। यह बहुत ही अमानुषिक है। एण्ड इन्डिविज्युल वॉयलेंस टुक प्लेस। आंध्र प्रदेश में बहुत हत्याएं हुईं लेकिन ऐसे मास अटैक जो हैं, और हरिजनों के ऊपर जो मास अटैक है, अभी तक इस दृष्टि से आंध्र प्रदेश में यह पहली घटना है। इस दृष्टि से जितने लोग मरे हैं, उसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज जो

घटना हुई है, वह घटना होने के एक दिन तक कलक्टर को मालूम नहीं था, एस० पी० को मालूम नहीं था कि अभी तक कितने लोग मर गए, उसमें पता नहीं लगा है। किस वजह से, कौन से कारणों से यह बहुत बड़ी घटना वहां पर हुई है, इस पर लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। हरिजनों पर आंध्र प्रदेश में अभी भी अत्याचार हो रहे हैं जिससे उनमें भय हो गया है, वहां के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जहां भी अनुसूचित जाति के लोग हैं और जनजाति के लोग हैं उनके अन्दर एक भय पैदा हो गया कि वह जो आंध्र प्रदेश में सरकार है, उस सरकार द्वारा हमें ला एण्ड आर्डर ठीक रखने, हमारी रक्षा और प्रोटेक्शन देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज वहां पर यह समस्या बन चुकी है। मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इतने दिन होने के बावजूद भी अभी तक एक भी हमलावर एक्यूज्ड का एफ० आई० आर० में नाम नहीं है। कहा जा रहा है कि 20-30 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक जिस दिन मैं 10 तारीख को वहां पर चुण्डूर गांव में था, मैंने वहां पुलिस के डी० आई० जी० और एस० पी० को पूछा था पर एफ० आई० आर० में एक का भी नाम नहीं है और किसी को पकड़ा नहीं गया है, ऐसा उन्होंने कहा था। वहां की सरकार के मुख्य मन्त्री जी यहां दिल्ली में हैं। वहां पर घटना हुई है और मुख्य मन्त्री जी यहां हैं। मैं आज हमारे गृह मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा घटना होने के बाद भी उस काम को छोड़कर मुख्य मन्त्री जी को और बड़ा काम क्या है, मैं इस बात को पूछना चाहता हूं। हमारे प्रधान मन्त्री जी आंध्र प्रदेश से हैं श्री पी० वी० नरसिंह राव जी, वह भी वहां नहीं गए। इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी फौरन कृपा करके आंध्र प्रदेश के चुण्डूर गांव को तुरन्त विजिट करें। आंध्र प्रदेश में अभी तक 400 मर्डर हो गए। आंध्र प्रदेश में सोशल टेंशन भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इस परिस्थिति में आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति और ट्राइबल लोग जो गिरिजन लोग हैं, उनकी भी रक्षा करने के लिए हमारी केन्द्रीय सरकार भी हमारी राज्य सरकार को प्रत्यक्ष सूचना देते हुए उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं। साथ ही साथ अभी बताया गया कि अनुसूचित जाति और गिरिजनों पर भी काफी अत्याचार हो रहे हैं। अब गिरिजनों के लिए गिरिजन कार्पोरेशन लगाया गया, हरिजनों के लिए हरिजन कार्पोरेशन लगाया गया, लेकिन मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सब्सीडी देने के बावजूद भी आज जो केन्द्र के जो बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, अभी इन लोगों को लोन देने में क्रेडिट स्कीम्स के मुताबिक लोन नहीं दिया जा रहा है। हरिजनों और गिरिजनों को पहले जो लोन दिया जाता था अब वह लोन बन्द कर दिया गया। अभी कोई लोन नहीं है, ऐसी बात बोल रहे हैं। इसीलिए आज जो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हरिजनों में, गिरिजनों में एक बहुत बड़ी टेंशन पैदा हो रही है उससे हमारे आंध्र प्रदेश में काफी लोग एक्स्ट्रीमिज्म की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। एक्स्ट्रीमिज्म की ओर आकर्षित होने की भी एक वजह है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में देखा जाए।

रिजर्वेशन के बारे में अनुसूचित जाति की जो भी रिजर्वेशन पालिसी है उसमें बहुत से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बैकलॉग के कारण भी रिजर्वेशन की पालिसी बराबर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। इसलिए मैं इस बारे में जो भी अधिकारी हैं, जो रिजर्वेशन को बराबर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका जो पिनल क्रीमनल प्रोसीजर कोड है उसको उस पर लागू करते हुए उस अधिकारी को दण्ड देने में जो कांस्टीट्यूशन के अन्दर प्रावधान है, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। वैसे कास्टिज्म की बात काफी माननीय सदस्यों ने कही। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि जातिगत आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा परन्तु वास्तव में ऐसा कहीं देखने में नहीं आता। कास्टिज्म बराबर बढ़ता ही जा रहा है। लोग गांवों में हरिजनों और आदिवासियों को

पानी तक नहीं लेने देते हैं। हमारे आंध्र प्रदेश में अनेक गांवों में यही स्थिति है। हरिजनों को पीने का पानी लेने में काफी कठिनाईयां आती हैं। यदि कोई आदिवासी हरिजन होटल में चाय पीने के लिए जाये तो उसे सैपरेट ग्लास में चाय दी जाती है। उनके लिए अलग बैसे न हैं। आंध्र प्रदेश में कई बैकवर्ड रीजन हैं और सभी जगह हरिजनों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। न उन्हें पानी लेने दिया जाता है और न उन्हें स्वच्छ बर्तन में चाय पीने को दी जाती है।

अभी यहां अनटचैबिलिटी के बारे में भी चर्चा हुई। वैसे हमारे यहां इस सम्बन्ध में कानून है परन्तु उसका कहीं कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं होता। अनटचैबिलिटी के कारण लोगों को, हरिजन आदिवासियों को, काफी इन्सल्ट का सामना करना पड़ता है और यह बीमारी बढ़ती ही जा रही है। कानून होने के बावजूद अनटचैबिलिटी बढ़ती जा रही है। अभी चुन्डूर गांव में जिस तरह की घटना घटी, जिस तरह का घटना हुआ, उसके लिए आवश्यक है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए सरकार को कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में, सुझाव के तौर पर मैं भी कुछ बातें आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मेरी पहली मांग है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां हरिजन और जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, उन जिलों में हरिजन लोगों में से ही कोई व्यक्ति एस० पी० के पद पर नियुक्त किया जाये। इसके साथ-साथ हर जिले में एक कमेटी ऐसी बननी चाहिए और उस कमेटी को जुडीशियल पावर्स डैलीगेट करनी चाहिए जो अत्याचार की घटनाओं की मौके पर जाकर जांच कर सके, वह कमेटी फौरन गांव में जाकर देखे और तुरन्त उपचारात्मक कदम, जो भी उचित हों, उठाए। जैसे अभी चुन्डूर गांव में जो घटना हुई, कुछ दूसरे लोगों ने आकर, उस गांव के लोगों पर अटैक किया, आंध्र प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिवार में निकट सम्बन्धी को एक-एक लाख रुपए दिए जायेंगे, ऐसा आश्वासन उन्हें दिया गया है परन्तु मैं स्वयं उस गांव में गया था और घटना से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों से मिला था, उनके साथ बातचीत की थी। उनका कहना है कि हमें एक लाख रुपया नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए परन्तु हम इतना अवश्य चाहते हैं कि जिन लोगों ने यहां आकर हमारे लोगों को मारा है, मर्डर किया है, कानून के मुताबिक उन्हें सजा अवश्य मिले। कोई भी आदमी फ्री होकर घूमने न पाए। वहां के लोगों की भावना का आदर होना चाहिए। जैसा यहां अभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा, मुख्य मन्त्री जी ने भी एक लाख रुपया देने की घोषणा की, मकान देने की बात कही गयी, परन्तु मैं चाहता हूं उन लोगों के दिल की भावना का भी आदर किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने उस गांव में जाकर मर्डर किया है, उन्हें बराबर सजा देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, यह मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं।

एक मांग मैं यह करना चाहता हूं कि इस तरह के जितने केसेज सरकार के नौलेज में आयें, उन्हें सी० बी० आई० को हैंड ओवर कर देना चाहिए। वैसे आन्ध्र प्रदेश में आज तक जितनी घटनाएं इस तरह की हुई हैं, करीब-करीब सभी में जुडीशियल इन्क्वायरी हुई है परन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज तक कितने लोगों को दोषी पाया गया, कितने लोगों को सजा हुई और कितने लोगों को बरी कर दिया गया। जब तक दोषी लोगों को सजा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी; वे ऐसे काम करते रहेंगे।

वैसे ही स्पेशल कोर्ट के गठन की भी आज आवश्यकता है और मैं मांग करता हूं इसकी व्यवस्था

भी सरकार को करनी चाहिए। हर गांव में कुछ लोगों के बीच में, जमीन को लेकर, झगड़ा हो जाता है और ऐसे झगड़ों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। वैसे आन्ध्र प्रदेश में काफी लोगों को लैंड रिफार्म्स एक्ट के मुताबिक जमीन दी गयी है परन्तु उन जमीनों पर उन लोगों का कब्जा नहीं है। कब्जा न होने के कारण भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसी घटना चुन्डूर गांव में घटी है। अनेक हरिजन वहां अब तक मारे जा चुके हैं। मेरा निवेदन है कि लैंड रिफार्म्स एक्ट में एक बार फिर से अमेंडमेंट लाया जाए। सभी पार्टियों के सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी बनानी चाहिए जो इस सम्बन्ध में अपने-अपने सुझाव दे।

जिस गांव में यह घटना हुई, उसके निवासियों की भावनाएं मैंने अभी आपको बतायीं, इसके साथ-साथ हमारे समाज में जितने साधारण हरिजन और गिरिजन हैं, उनके जो हक हैं, राइट्स हैं, वे भी उन्हें मिलने चाहिए। आजकल गांवों में हरिजन और पिछड़े लोगों में भी धीरे-धीरे, पढ़ने लिखने के बाद, सामाजिक चेतना आ रही है। फिर भी जो लोग बाकी रह गए हैं, पढ़-लिख नहीं पाए हैं, उनके अंदर भी यह भावना आनी चाहिए, वे भी अपने हकों के प्रति, राइट्स के प्रति जागरूक बन सकें, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। इसके अलावा, जितने दूसरे जातियों के लोग हैं, सवर्ण हैं, उनके दिलों में भी यह बात आनी चाहिए कि हरिजन और आदिवासी भी हमारे ही समाज के अंग हैं, हमारे ही साथी हैं। लेकिन आज राजनीतिक दृष्टि से इन दोनों के बीच में संघर्ष कराने के लिए कुछ शक्तियां पैदा हुई है, उन शक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए काम नहीं करना चाहिए। मैं एक बात सभापति जी आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं चुन्डूर गांव में 10 तारीख को डैथ बाडीज को बरियल के लिए लाया गया, लेकिन गांव के लोगों मे समरस की भावना पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया तथा कलैक्टर और एस० पी० ने भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया और गांव वालों के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया गया। अगर लोगों में समानता की भावना पैदा करके उनको समझाने की कोशिश की जाती, और सब दृष्टियों से इस समस्या को देखा जाता, तो हम इस समस्या पर काबू पा सकते थे। इसलिए इस समस्या पर केवल एक दृष्टि से नहीं बल्कि सभी दृष्टियों से सोचना पड़ेगा।

आज आर्थिक शोषण से ज्यादा सामाजिक शोषण हो रहा है। उनका कहना यही है कि हमको समान दृष्टि से देखा जाए। हमको खाना मत दीजिए, हमको कपड़ा मत दीजिए, हमको जमीन मत दीजिए, लेकिन हमको समान दृष्टि से देखिए। उनका कहना सिर्फ यही है कि सामाजिक रूप से समान दृष्टि से हमें देखा जाए। इतना कहकर ही सभापति महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सभापति महोदय : अब ऐसा है, काफी मैम्बर्स के इस पर पार्टिसिपेट करने के लिए नाम आए हैं। कल भी इस पर हम बहस करेंगे। इसलिए एक तरीका तो यह है कि हम एक घण्टे के लिए सदन को बढ़ा देते हैं और दूसरा तरीका है कि अब हम 377 नियम के अन्दर कार्रवाई चलाएं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, समय नहीं बढ़ाइए।

सभापति महोदय : ठीक है। फिर अब हम नियम 377 लेते हैं। श्री रामकृष्ण।

———

5.54 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में और अधिक रेल सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम कृष्ण कोंताला (अनकापल्ली) : आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम भारत का एक सबसे तेज गति से औद्योगिक रूप से विकसित होने वाला शहर है जहां पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय, पत्तन, शिपयार्ड, स्टील प्लांट और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और अन्य कई उद्योग हैं। इसके सामरिक महत्व होने के बावजूद विशाखापत्तनम को भारतीय रेलवे की बेहतर सेवा से वंचित रखा गया है।

विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम तक रेलमार्ग का विद्युतीकरण, विशाखापत्तनम से टूनी के बीच शटल ट्रेन चलाना, विशाखापत्तनम और दक्षिण पूर्व रेलवे के उत्तर तटीय आन्ध्र (कुर्दा मण्डल) का दक्षिण मध्य रेलवे में विलय, विशाखापत्तनम में अलग रेल भर्ती बोर्ड की स्थापना, अनकापल्ली रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे के नवीकरण हेतु वित्तीय सहायता, अनकापल्ली, विजानगरम, भीमुनीपत्तनम को जोड़ते हुए विशाखापत्तनम में सर्कुलर रेलवे सेवा उपलब्ध कराना आदि लम्बे समय से लम्बित पड़े प्रस्तावों की याद दिलाना चाहता हूं। विशाखापत्तनम से वाराणसी और बगलौर के लिए सीधी रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता।

नाऊपाड़ा और गुनुपुर के बीच छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने पर विचार किया जाए ताकि इस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके।

मैं आशा करता हूं कि माननीय रेलवे मन्त्री इस पर शीघ्र विचार करेंगे।

(दो) अथानी और पोट्टा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-47 की मरम्मत करने की आवश्यकता

प्रो० सावित्रि लक्ष्मन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं आपके सामने अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला रखना चाहती हूं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 अल्वे के निकट अथानी और चालाकुडी के निकट पोट्टा के बीच भारी वर्षा के कारण और कई अन्य कारणों से सड़क बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप यहां प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं। विशेषकर कारनकुट्टी और पोंगम के बीच असंख्य नाले हैं। हर दिन एक दुर्घटना होने की रिपोर्ट मिलती है। प्रीमियर केबल कम्पनी कारुकुट्टी और बिक्री कर विभाग कारुकुट्टी के चेक पोस्ट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा 15 किलोमीटर तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। वाहनों को चेक पोस्ट पर अचानक रुकने का निर्देश दिया जाता है वह भी दुर्घटनाओं का कारण है और इससे यातायात अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए वह आवश्यक आदेश जारी करे।

(तीन) हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में और अधिक उद्योगों की स्थापना तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल प्रदेश में कई जगह चूने के पत्थर के भण्डार हैं और इससे सीमेंट के कारखाने सरकारी क्षेत्र में लगाने की काफी गुंजाइश है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोनिक के सामान बनाने के लिए हिमाचल उपयुक्त स्थान रखता है क्योंकि वहां का वातावरण इसके अनुकूल है, जिससे यहां पर इन उद्योगों को लगाने से लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अभी तक सरकारी क्षेत्र में जो कारखाने लगे हैं उनमें नालागढ़ क्षेत्र में हथकरघा कारखाना है जिसमें सरकारी पैसा लगा है। बैंकों से ऋण लेकर बहुत से कारखाने लगाए गए हैं। प्राइवेट सैक्टर के कारखाने लाभ उठा रहे हैं परन्तु इन कारखानों में लगे मजदूरों का शोषण होता है और उनकी अभी तक इन कारखानों में कोई भागीदारी नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में नालागढ़, बरोटीवाला, बद्दी, परमाणु, कालाआम, पोन्टा साहब, सोगी, खाइली इत्यादि में इस तरह के कारखाने हैं जिन्होंने राज्य वित्त निगम और भारत सरकार के राष्ट्रीय बैंकों से करोड़ों रुपए का कर्जा लिया हुआ है। बहुत से लोगों ने उद्योग के नाम से इण्डस्ट्री के शेड लिए हैं किन्तु उसमें उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं। इसमें हिमाचल के स्थाई निवासियों के बहुत कम उद्योग हैं जो ठीक प्रकार से काम करते हैं परन्तु उनको भी सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कच्चा माल महंगा सप्लाई होता है, बिजली अधिक दाम देकर प्राप्त हो रही है और जो पैदावार करते हैं इसका ठीक ढंग से बेचने का प्रबन्ध नहीं है।

मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक कारखाने लगाए जाए और जो प्राइवेट लगे हुए हैं उनमें मजदूरों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठायें।

(चार) बरेली में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, बरेली उ० प्र० का प्रमुख केन्द्र है तथा बरेली में 5 केन्द्रीय विद्यालय हैं। पूरे उ० प्र० के सभी केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा किया जाता है तथा उ० प्र० के कई केन्द्रीय विद्यालयों का उ० प्र० से बाहर के क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा संचालन किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नीति के अनुसार एक क्षेत्रीय कार्यालय 50 विद्यालयों का संचालन करता है। वर्तमान में सभी क्षेत्रीय कार्यालय 50 से अधिक विद्यालयों का कार्य संचालन कर रहे हैं। पिछले काफी समय से देश के कुछ स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है और इसमें बरेली का नाम भी है। पश्चिम उ० प्र० के केन्द्रीय विद्यालयों को उपर्युक्त व्यवस्था एवं संचालन के लिए बरेली में क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना अति आवश्यक है।

मेरा मानव ससाधन विकास मन्त्री जी से आग्रह है कि बरेली में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दें।

(पांच) उज्जैन, मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों का डिपो तथा गैस एजेंसियां खोलने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में भोजन बनाने की गैस एजेन्सी को अधिक स्थानों पर प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। निरन्तर परम्परागत ईंधन की कमी के कारण गृहणियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

उज्जैन सम्भाग के अन्तर्गत उज्जैन जिले में बड़ानगर तथा तराना, रतलाम जिले में आलोट, मंदसौर जिले में जावद तथा शामगढ़, शाजापुर जिले में आगद तथा शुजानपुर, देवास जिले में सोनकच्छ बागली सहित प्रमुख स्थानों पर भोजन बनाने की एल० पी० जी० गैस एजेन्सीज शीघ्र प्रारम्भ की जानी चाहिए। उज्जैन तथा नागदा में नई गैस एजेन्सीज की आवश्यकता हैं।

मेरा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री से आग्रह है कि पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए उज्जैन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिपो की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है। अतएव उज्जैन संभाग में भोजन बनाने की गैस उपलब्ध कराने के लिए नयी गैस एजेन्सी तथा उज्जैन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिपो स्थापित किया जाए।

6.00 म० प०

(छः) बिहार में और निवेशों के लिए यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निर्देश देने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। इस राज्य में सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं। अतएव राज्य में कर या अन्य माध्यमों से बहुत ज्यादा संसाधन प्राप्त करने की सम्भावना सीमित है। फिर भी यथेष्ट पूंजी निवेश होने पर वर्तमान स्थिति में सुधार हो सकता है। अधिक पूंजी निवेश में भारत सरकार द्वारा उनके संस्थाओं की बड़ी भूमिका है। इसके लिए भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन की नितान्त आवश्यकता है।

1989-90 वर्ष में यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया ने पूरे देश के राष्ट्रीय बचत योजना में लगभग 1500 करोड़ रुपए लगाया था जिसमे बिहार में 40 करोड़ रुपया ही लगाया गया था जो 2.67% होता है। देश के लगभग 90 प्रतिशत लोग बिहार में बसते हैं। क्षेत्रीय असन्तुलन कम करने के लिए बिहार में 10 प्रतिशत से अधिक निवेश किया जाना चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को निर्देश दे कि वह 300 करोड़ रुपए बिहार में राष्ट्रीयकृत बचत में निवेश करे। साथ ही जीवन निगम, साधारण बीमा निगम, विभिन्न क्षेत्रों की मैंग्नम परियोजनाओं द्वारा बिहार में राष्ट्रीय बचत से यथेष्ट निवेश करायें।

(सात) डनकुनी से खड़गपुर बरास्ता मोरीग्राम, हावड़ा के बीच एक यात्री रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा : मौरीग्राम तथा हावड़ा होते हुए डनकुनी से खड़गपुर तक यात्री गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता है जिससे पश्चिम बंगाल के पांच जिलों अर्थात कलकत्ता, हावड़ा हुगली, मिदनापुर तथा चौबीस परगना (उत्तर) तक सी रेल सेवा आरम्भ हो जाएगी जिस प्रकार से दक्षिण पूर्वी रेलवे में हावड़ा से खड़गपुर तथा हावड़ा से बरगाचिया तक पूर्वी रेलवे में सियालदह से डनकुनी तक, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे (मालगाड़ियों के लिए) में डनकुनी से मौरीग्राम तक पहले से

ही रेलगाड़ियां चलायी जा रही हैं। यात्रीं गाड़ी चलाने के लिए तथा अत्यधिक जनसंख्या वाले विशाल क्षेत्र की जनता की आवश्यकता पूर्ति के लिए और जिस पर कम से कम खर्चा हो तथा अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने लिए प्रशासकीय निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब कभी भी रेलवे मन्त्रालय से संपर्क किया जाता है तो वहां से यह उत्तर दिया जाता है कि इस योजना को कार्यरूप देना व्यवहार्य नहीं है। तथापि विशेषज्ञों की राय यह है कि यदि इस योजना को स्वीकार करने के लिए सरकार कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लें तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

(आठ) झुंझुनू, राजस्थान में रानी सती मेले के अवसर पर विशेष 'रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : सभापति महोदय, झुंझुनू राजस्थान में रानी सती जी का ऐतिहासिक मन्दिर है। ये मन्दिर पूरे भारतवर्ष में अपनी तरह का एक ही मन्दिर है। यहां पर प्रतिवर्ष 8 सितम्बर से 10 सितम्बर तक मेला लगता है। इस मेले में देश-विदेश से लाखों यात्री दर्शन व पूजा याचना के लिए आते हैं। सब धर्म व मजहब के लोग इस महान सती के प्रति आस्था व मान्यता रखते हैं। यह तमाम धर्म के लोगों का संगम है।

मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि मेले में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष यात्री गाड़ियां और बसें चलायी जाएं।

(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर कालीकट-माहे बाइपास मार्ग निर्माण की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : केरल की जनता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर दो उपमार्ग सड़कें—कालीकट उपमार्ग तथा माही उपमार्ग का निर्माण आरम्भ करने में हुई अनुचित देरी पर अत्यधिक उत्तेजित है। इस विलम्ब के कारण इस सड़क पर वाहन सम्बन्धी यातायात मोटर चालकों तथा आम जनता के लिए गम्भीर समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। कालीकट में यातायात ठप्प हो जाना एक रोजमर्रा की घटना बन गई है। जहां तक माही का सम्बन्ध है, पांडिचेरी राज्य के इस पत्तन के बारे में सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाया जाना चाहिए। हमेशा बढ़ती हुई यातायात की समस्याओं के परिणामस्वरूप गम्भीर मोटर दुर्घटनाएं हुई हैं जिनसे बचा जा सकता था बशर्ते यदि कालीकट तथा माही उपमार्ग सड़कों के निर्माण सम्बन्धी काफी समय से लम्बित प्रस्तावों को मंजूर कर दिया जाता।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर कालीकट तथा माही उपमार्ग सड़कों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकृति प्रदान करे।

सभापति महोदय : सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 14 अगस्त, 1991/23 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, देहली।